खण्ड-365, अंक-7
बुधवार, 24 फाल्गुन, शक संवत् 1905
(14 मार्च, 1984 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 365 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय		पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या (स्वीकृत)	20–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) ..	131
अनुदान संख्या (स्वीकृत)	21–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) ..	132
अनुदान संख्या 22–नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	..	132
अनुदान संख्या 23–नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत)	..	132
अनुदान संख्या 24–नागरिक सुरक्षा विभाग (स्वीकृत)	..	132
अनुदान संख्या 26–नियोजन विभाग (स्वीकृत)	..	133
अनुदान संख्या 27–निर्यात प्रोत्साहन विभाग (स्वीकृत)	..	133
अनुदान संख्या 29–न्याय विभाग (स्वीकृत)	..	133
अनुदान संख्या 30–पंचायती राज्य विभाग (स्वीकृत)	..	133
अनुदान संख्या 31–परिवहन विभाग (स्वीकृत)	..	134
अनुदान संख्या 32–पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	..	134
अनुदान संख्या 33–पर्वतीय विकास विभाग (स्वीकृत)	..	134
अनुदान संख्या 34–पशुधन विभाग (स्वीकृत)	..	134
अनुदान संख्या 35–पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)	..	135
अनुदान संख्या 37–प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	..	135
अनुदान संख्या 38–मत्स्य विभाग (स्वीकृत)	..	135
अनुदान संख्या 40–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत)	..	135
अनुदान संख्या (स्वीकृत)	42–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) ..	136
अनुदान संख्या 44–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत)	..	136
अनुदान संख्या 46–वन विभाग (स्वीकृत)	..	136
अनुदान संख्या (स्वीकृत)	47–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) ..	136
अनुदान संख्या (स्वीकृत)	49–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) ..	136–137
अनुदान संख्या (स्वीकृत)	51–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) ..	137
अनुदान संख्या 52–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत)	..	137
अनुदान संख्या 54–विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत)	..	137

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 55–विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग (स्वीकृत) ..	137
अनुदान संख्या 56–शिक्षा विभाग (स्वीकृत) ..	138
अनुदान संख्या 57–श्रम विभाग (श्रम–कल्याण) (स्वीकृत) ..	138
अनुदान संख्या 58–श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत) ..	138
अनुदान संख्या 60–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत) ..	138–139
अनुदान संख्या 61–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) (स्वीकृत) ..	139
अनुदान संख्या 62–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर) (स्वीकृत) ..	139
अनुदान संख्या 63–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत) ..	139
अनुदान संख्या 64–सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत) ..	139–140
अनुदान संख्या 65–सतर्कता विभाग (स्वीकृत) ..	140
अनुदान संख्या 66–सहकारिता विभाग (स्वीकृत) ..	140
अनुदान संख्या 68–सांस्कृतिक कार्य विभाग (स्वीकृत) ..	140
अनुदान संख्या 71–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) ..	140
अनुदान संख्या 72–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत) ..	141
अनुदान संख्या 75–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत) ..	141
अनुदान संख्या 76–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) ..	141
अनुदान संख्या 77–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत) ..	141
अनुदान संख्या 78–सूचना विभाग (स्वीकृत) ..	142
अनुदान संख्या 79–सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत) ..	142
अनुदान संख्या 80–स्पोर्ट्स विभाग (स्वीकृत) ..	142
अनुदान संख्या 81–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (स्वीकृत) ..	142
उत्तर प्रदेश विनियोग (1983–84 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1984 (पारित) ..	143–155
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	55

विषय	पृष्ठ संख्या
मन्त्रियों को परामर्श देने वाली समितियों के निर्वाचन तथा कार्य-विधि के नियम 1 (क) की सूची में 30—गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग 16—4 बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में संकल्प ..	155
ओबरा विद्युत गृह में हुए अग्निकांड से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	155—161
माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में बालिकाओं के परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	161—165
आगरा नगर के नलों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पीले रंग के पानी की आपूर्ति किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	165—182
उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालीन व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक 1984 (पारित) ..	182—183
सत्यमेव जयते ..	185—198

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 14 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में दिन में 11 बज कर 1 मिनट पर अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य–342

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (फतेहपुर)
(उर्फ अनिल सिंह)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी)
(उर्फ सुत्तन भैया)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोण्डा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
एस० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्दू, श्री (लखनऊ)
कमला बरियाबाबी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम रत्नाकर, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुबेर भन्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त (उर्फ बालराज), श्री (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव, श्री (एटा)
(एडवोकेट)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
खवाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)

गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्र भान सिंह, श्री (बांदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्दर सिंह, श्री (मेरठ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटा शंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जितेन्द्र शाह, श्री (जालौन)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दलसिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप प्रसाद राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री (एटा)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पुरुषोतम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बबबन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्धपाल सिंह "खुजे वाला" श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)

बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवान दीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज), (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
माम बहादुर, श्री (गोंडा)
मित्रसेन, श्री (फैजाबद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फर नगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रतीराम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राजकुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राज मंगल पांडेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
रामआसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
रामजी राम, श्री (फैजाबद)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण सिंह, श्री (एडवोकेट) (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
रामयश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)

राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियाज अहमद, श्री (पीलीभीत)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी) (इलाहाबाद)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
ललन सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यासागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ, श्री (देवरिया)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायण सिंह, श्री (वाराणसी)
शम्भू नाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (राय बरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री (गोरखपुर)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदा नन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बख्श रावत, श्री (लखनऊ)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)

स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरी शंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)

नोट—पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री, श्री राम सजीवन सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार 14 मार्च, 1984

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बेहटी, गन्ना क्रय केन्द्र का संचालन

**1--श्री बंशीधर राज (अनुपस्थित)--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेहटी गन्ना क्रय केन्द्र जो सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, जंगबहादुरगंज, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रक्षेत्र में आता है, इस वर्ष अभी तक नहीं चला है ? यदि हां, तो क्यों ?

गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)--

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 जंगबहादुरगंज, जनपद लखीमपुर खीरी के परिक्षेत्र के अन्तर्गत बेहटी गन्ना क्रय केन्द्र को दि लक्ष्मी शुगर मिल्स प्रा0 लि0, महोली (सीतापुर) द्वारा 21-2-84 से संचालित कर दिया है । अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1--श्री शंकर सिंह--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित ।]

ऐलीजेन्ट लेदर फैक्ट्री धूम मानिकपुर बादरी, गाजियाबाद से बरसाती नाले में शोधित नल डालने हेतु अनुबन्ध

*2--श्री विजय पाल सिंह (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ऐलीजेन्ट लेदर फैक्ट्री, धूम मानिकपुर बादरी, गाजियाबाद का गन्दा पानी धूमदुआना बरसाती नाले में आने से क्षेत्र में जल तथा वायु प्रदूषण हो रहा है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कवर्ड नाला बनवाने की व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं उद्योग मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

जी हां ।

फैक्ट्री से नाले में केवल शोधित जल डालने हेतु अनुबंध किया गया है । इस अनुबंध के फैक्ट्री द्वारा उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिये उत्तर प्रदेश वाटर पोल्यूशन नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को लिखा गया है । कवर्ड नाला बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के नहरों के किनारे कतिपय जनपदों में सीपेज की समस्या तथा उपाय

*1--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के किन-किन नहरों के किनारे किन-किन जनपदों में सीपेज की समस्या सरकार के संज्ञान में है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है और वे उपाय कब तक क्रियान्वित हो सकेंगे जिससे कि प्रभावित कृषकों को राहत मिल सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सीपेज की समस्या मुख्य रूप से शारदा सहायक में लखीमपुर, खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ तथा रायबरेली जिलों में है । प्रदेश की शेष नहर प्रणालियों पर यत्र-तत्र समस्या मामूली है ।

इस समस्या के समाधान सम्बन्धी उपाय इंगित करने हेतु अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमर्भ जल परिषद्, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक टास्क-फोर्स का गठन किया गया है । उक्त टास्क फोर्स की

संस्तुति प्राप्त होने तक समस्या के समाधान के लिए सीपेज से प्रभावित क्षेत्र में मुख्य रूप से नाले बनाने, नाले गहरे किये जाने, सड़क और रेलवे के पुलों के फर्शों को नीचा किया जाना, नहरों के छोरों को नालो से मिलाया जाने का कार्य किया जा रहा है। नये नाले बनाने और नालों को गहरा करने का कार्य जो मुख्य है जून, 1986 तक पूरा हो जाने की आशा है।

श्री पंचानन राय—

शारदा सहायक से जहां पर सिचाई हो रही है, वहा यह सीपेज की समस्या है। अब आगे इसका विस्तार हो रहा है, तो यह समस्या आगे भी खड़ी होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी जांच कराकर निश्चित करेंगे कि जहां पर इस नहर का विस्तार हो रहा है, वहां पर भी सीपेज की समस्या न हो जाय ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

टास्क फोर्स बनाया गया है इसमें केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद के अध्यक्ष हैं, केन्द्रीय जल आयोग के दो निदेशक इसके मेम्बर हैं, प्रमुख अभियंता शारदा सहायक हैं, रिसर्च सेन्टर के डायरेक्टर और जो इसके जानकार लोग हैं उनको टास्क फोर्स बनायी गयी है और कहा गया है कि पूरे प्रदेश में जहां कहीं भी ऐसी समस्या पैदा हो, देखकर बतायें कि क्या-क्या कार्यवाही की जाय और इसका स्थायी हल क्या हो सकता है। जल्द से जल्द, प्रोजेक्ट बनाकर काम शुरू किया जाय किसी विशेष स्थान की बात नहीं है बल्कि उनसे कहा गया है कि पूरे प्रदेश में किया जाय।

श्री पंचानन राय—

जहां नहर बन रही है, अभी निर्माणाधीन है, वहां पर क्या पहले से ही कोई ऐसा उपाय किया जायगा, किसी टेक्निकल आधार पर, कि वहां यह सीपेज की समस्या न हो ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शारदा सहायक तो पूरी हो रही है थोड़ा बहुत काम बाकी है। नयी नहरें जो बनायी जा रही हैं जैसे सरयू परियोजना इत्यादि हैं उसमें देख लिया जायगा कि भविष्य में यह जो समस्या पैदा हो जाती है, न पैदा होने पाये ताकि यह दिक्कत न हो।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस वक्त भी और इसके पहले के वर्षों में भी सीपेज को रोकने के लिए नहरों के किनारे जो नालों का निर्माण किया जाता है, इन नालों के निर्माण से बावजूद सिंचाई व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है, दूसरे इन नालों के निर्माण पर प्रति किलोमीटर कितना खर्चा आता है नम्बर एक और नं0 (2) यह कि इन नालों को नीचा न बनाकर ऊंचा करके बनाया जाये ताकि सीपेज की समस्या पर भी काबू पाया जा सके और यदि फिर भी पानी बाहर आए तो उससे सिंचाई का काम लिया जा सके, क्या इस प्रश्न पर कभी सरकार ने विचार किया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह खर्चा अलग-अलग आता है, अगर बड़ी नहर है तो उस पर जो ड्रेन बनेगी वह भी बड़ी बनेगी यदि छोटी नहर है तो छोटी ड्रेन बनेगी और उसी हिसाब से इनके निर्माण पर खर्च आयेगा और दूसरा सुझाव जो माननीय सदस्य ने दिया है कि ड्रेन ऊंची होनी चाहिए, जिससे सिंचाई व्यवस्था सही ढंग से हो सकेगी। इस सम्बन्ध में हम लोग ऐसा ही करते हैं ताकि इस प्रकार की जहां पर भी समस्या हो आसानी से निपट जाए।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें जानकारी है कि बाराबंकी जनपद में दरियाबाद और हैदरगढ़ में

जहां पर सीवेज की भीषण समस्या है, तो वहां की इस समस्या से निपटने के लिए कोई नाले आदि की खुदाई की व्यवस्था की जा रही है, यदि नहीं? तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इस प्रकार की जहां-जहां भी समस्या है, प्रयास यही किया जा रहा है और जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है उन स्थानों की भी हम जानकारी करा लेंगे और जो भी उचित कार्यवाही होगी, करेंगे ।

श्री अबुल कलाम--

मान्यवर, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो ड्रेन्स बनायी गयी हैं, उसके बाद भी पानी निकल नहीं पा रहा है तो क्या उसको ठीक कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जहां कहीं भी ऐसी समस्या पैदा हो गयी है उन्हें अवश्य दिखवाया जायेगा और उस समस्या को दूर किया जायेगा। इसी से सम्बन्धित एक रिपोर्ट हमारे पास आयी है कि इस प्रकार की समस्याओं से 18 हजार हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है, जिसमें से अब काफी काम हुआ है, ड्रेन्स निकाले जाने के बाद मान्यवर, अब करीब 7418 हेक्टेयर भूमि को इस समस्या से रिलीफ मिली है, और शेष के समाधान की भी व्यवस्था जल्द से जल्द हम कर रहे हैं ।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनको ज्ञात है कि बुलन्दशहर में माट ब्रांच की जेवर रजबाहा जो निकलती है, उसमें सीपेज के कारण आज जबर्दस्त समस्या पैदा हो गयी है और इससे करीब 2 हजार हेक्टेयर भूमि खेती के लायक नहीं रह गयी है तो क्या माननीय मंत्री जी इस समस्या की ओर ध्यान देते हुए कोई ऐसी व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे कि सीवेज का पानी खेतों को खराब न करें ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह सही है मान्यवर, कि इस समस्या से अलीगढ़ बुलन्दशहर और गाजियाबाद में सीपेज जो होता है, उससे करीब 450 हेक्टेयर भूमि प्रभावित है, उसके ऊपर भी विचार किया जा रहा है ।

श्री शिवराज सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि हमारे क्षेत्र में शाकेपुर से लेकर फतेहगढ़ तक सीपेज की समस्या है और वहां पर सीपेज के कारण क्या मंत्री जी के पास कोई प्रस्ताव आया है कि वहां की जो भूमि जलमग्न है उसको उपजाऊ बनाने हेतु नीचे से ट्यूबवेल बनाकर इस समस्या का निदान किया जा सकता है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह तो मैंने ही बतलाया कि पूरे प्रदेश में जो सीपेज की समस्या है उसमें मांट प्लान भी आ जाता है, इसकी हम जांच करा लेंगे और उचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद जौनपुर में स्थित मोथहा पम्प नहर हेतु ग्रामों की अधिग्रहीत की गयी भूमि, तथा मुआवजा देने की कार्यवाही

*2--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद जौनपुर में स्थित मोथहा पम्प कैनाल किन-किन गांवों से होकर जाती है ? क्या इस कैनाल में ली गई समस्त भूमि का मुआवजा सम्बन्धित किसानों को दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद जौनपुर में स्थित मोथहा पम्प नहर निम्नलिखित ग्रामों से होकर जाती है—

1—कल्याणपुर ।
2—कबूलपुर ।
3—नत्थनपुर ।
4—जलालुद्दीनपुर ।
5—संदनपुर ।
6—रमसापुर ।
7—सुल्तानपुर ।
8—नसीराबाद ।
9—दलपतपटवो ।
10—कोड़रो ।
11—सेहमलपुर ।
12—भगरो ।
13—बदलपुर ।
14—बोवीपुर ।

जी नहीं ।

भूमि अध्यापित की कार्यवाही समस्त ग्रामों में चकवन्दी पूरी न होने के कारण सम्पन्न नहीं हो पायी है । चकबन्दी पूरी होने के उपरान्त ही मुआवजा देने की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो मोथहा पम्प कनाल है यह सई और गोमती नदियों के बीच में स्थित है और यह इतनी त्रुटिपूर्ण है और इसका पानी आगे की ओर नहीं चलता है जो कि सीपेज की समस्या को पैदा करता है । आपने उस क्षेत्र के प्रभावित लोगों को अभी तक मुआवजा देने की भी व्यवस्था नहीं की है । क्या आप इस नहर को सही करा कर तत्काल इस गांव के प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जहां तक नहर को ठीक कराने का सम्बन्ध है तो हम इसकी जांच करा लेंगे और जांच के बाद उचित कार्यवाही की जायेगी । जहां तक मुआवजा देने की बात है तो इसमें 14 गांव आते हैं जिनको मुआवजा देने की बात है । चकबन्दी के कारण मुआवजा देने में दिक्कत होती है । इसलिए धारा 52 के प्रकाशन के बाद 13 गांव को मुआवजा देने के आदेश दे दिये गये हैं, एक गांव शेष है उसको भी धारा 52 में प्रकाशन के बाद मुआवजा दे दिया जायेगा ।

श्री भीखा लाल—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि चकबन्दी का काम चलते हुए आप जमीन तो ले लेंगे इसमें आपको कठिनाई नहीं होती है परन्तु चकबन्दी के कारण आपको मुआवजा देने में कठिनाई होती है, ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जब धारा 52 हो जायेगी तो जिसकी जमीन है, उसका हक हो जायेगा और उसको मुआवजा दिया जायेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस प्रदेश में ऐसी जगह भी हैं जहां कि दस-दस साल हो गये हैं और उनकी जमीनें लेने के बाद आज तक उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है । मैं अपने क्षेत्र में पुरैना माईनर की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां के लोगों की जमीनें लिए हुए 10 साल हो गये हैं, वे लोग परेशान हो रहे हैं, किसानों को टैक्स देना पड़ रहा है लेकिन अभी तक उनकी जमीनों का मुआवजा नहीं मिला है तो क्या मंत्री जी कोई सुनिश्चित आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि किसानों की जमीन लेने के बाद इतने दिनों के अन्दर उनको मुआवजा दिला दिया जाया करेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पहले ऐसा जरूर हुआ है परन्तु अब इसमें सिंचाई विभाग ने सुधार किया है

कि अब वे जो जमीनें लेते हैं तो उसका कुछ पैसा उनको पहले देकर तब उस पर काम शुरू करते हैं। अब इसमें देख रहे हैं, जितनी जमीनें बची हैं उनका जल्दी से जल्दी एक्युजीशन करा करके उनको मुआवजा दिला देंगे।

बलिया जनपद में गोंड जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान

*3--श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि 12 जिलों के नमूना लेखा परीक्षा में यह पाया गया है कि लगभग 1.15 लाख रुपये की छात्रवृत्ति तथा 46,000 रुपये अनावर्तक सहायता गोंड समुदाय के 213 विद्यार्थियों को वर्ष 1974-75 से वर्ष 1980-81 की अवधि में दी गयी ? यदि हां, तो क्या गोंड समुदाय अनुसूचित जाति में आता है ? यदि नहीं, तो यह भुगतान क्यों किया गया और उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

वर्ष 1974-75 से 1980-81 की अवधि में केवल बलिया जनपद में गोंड जाति के उन छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान किया गया है जिन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा गोंड जाति का अनुसूचित जाति होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

अतः गलत भुगतान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, गोंड जाति अनुसूचित जाति नहीं है और हरिजन छात्रों का कई लाख रुपया किसी अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर गोंड जाति के छात्रों को दे दिया गया। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के अंतिम लाइन में लिखा है कि गोंड जाति का अनुसूचित जाति होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया था, गलत प्रमाण पत्र देकर हरिजनों की छात्रवृत्ति ले ली गयी। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने गलत प्रमाण-पत्र दिया है उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जो हरिजन जातियों की सूची 29 अगस्त, 1977 को निकाली गयी है, उसके अनुसार नम्बर 36 पर गोंड जाति को अनुसूचित जाति माना गया है।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय ने इस सदन के एक सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी क्योंकि वह अनुसूचित जाति के रिजर्व स्थान से चुनाव लड़े थे, और उनको अनुसूचित जाति का नहीं माना गया। गोंड जाति अनुसूचित जाति नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस गोंड जाति को अनुसूचित जाति मानती है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मेरी सूचना के अनुसार गोंड जाति अनुसूचित जाति में आती है और इसी के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया गया।

श्री मोहन सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि क्या गोंड और गोंड़ दोनों एक ही हैं, क्या इसको सुनिश्चित करने के लिये शासन द्वारा छानबीन की जायेगी। गोंड़ कहां कहां पर आते हैं। गोंड जाति के लोग भी अपने को गोंड़ कहकर सुविधायें लेने लगे, इसीलिए उनके जिले घोषित हो गये और उनको अनुसूचित जाति नहीं माना जाता है, तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बलिया जिले के गोंड लोग भी अनुसूचित जाति में माने जाते हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सक्षम अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर उनको छात्रवृत्ति दी गयी। गोंड अलग हैं और गौंड अलग हैं। मैं तो गोंड की बात कह रही हूं।

श्री हरदेव—

मैं माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री को अवगत कराना चाहता हूं कि बलिया में तथा पूर्वान्चल के आजमगढ़, गाजीपुर और देवरिया में गोंड जाति है, वह पानी पिलाने वाली जाति है, अनुसूचित जाति में नहीं आती है। उनको अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र देकर अनुसूचित जाति के हितों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से मांग कर रहा हूं कि क्या वे इस सम्बन्ध में पुनः जांच करेंगे और हरिजनों के हितों की रक्षा करेंगे मैं साथ ही मन्त्री जी से यह भी चाहूंगा कि वे निर्बल जातियों को सुविधा दें और अधिकारियों को दंडित करें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, हमारे आदरणीय सदस्य महोदय ने जांच के लिये कहा है। मान्यवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं वहां पर किसी उच्च धिकारी को भेजकर जांच करा लूंगी और जो भी गल्ती उसमें पायी गयी उस पर सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जायेगा। इसके साथ ही अगर माननीय पंचानन राय कोई ऐसा केस बता दें कि किसी छात्र को गोड़ जाति का होते हुये भी गोड़ का प्रमाण-पत्र दिया गया तो उसके ऊपर अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैंने प्रश्न में कहा है कि लगभग पौने दो लाख रुपये की छात्र-वृत्ति असत्य प्रमाण-पत्र देकर दूसरे लोगों को बलिया में दी गई। इस पर मन्त्री जी ने बताया कि जांच होगी। जब यह बात साबित हो गई है कि असत्य प्रमाण-पत्र दिया गया तो कार्य-वाही करने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि हरिजन छात्रों के साथ छात्रवृत्ति में इस तरह से खिलवाड़ किया गया। या तो सरकार यह कहे कि बलिया में गोंड़ जाति अनुसूचित जाति है तो वहां के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाय। नहीं तो जिसने फर्जी प्रमाण-पत्र दिये उनको दंडित करें। अन्यथा मान्यवर, इस सवाल को आप स्थगित कर दें और जब पूरी सूचना आ जायेगी तब इसको लें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मुझे जो सूचना मिली थी, वह मैंने आपको दे दी। महालेखाकार और जिले से जो सूचना मिली थी, वह मैंने प्रस्तुत कर दी। बलिया में गोंड जाति के लोगों को ही छात्रवृत्ति दी गयी है। हमारी सूचना यह है कि गौड जाति के लोगों को ही प्रमाण-पत्र मिला है। लेकिन फिर भी आपके लोगों की चिन्ता हमारी चिन्ता है। इसकी छानबीन अच्छी तरह से करा लूंगा। मैं आपको आश्वासन देती हूं कि इस पर दुबारा जांच हाई लेबुल से करा लूंगी।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द कर रहा हूं ताकि इस पर विस्तार से जांच हो सके।

शारदा सहायक नहर के अन्तर्गत ली गयी भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में पत्र

*4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 28 फरवरी, 1983 (जिसके पाने की स्वीकृति आपके पत्र संख्या 439, दिनांक 5 मार्च, 1983 द्वारा दी गयी

है) जिसमें शारदा सहायक नहर के अन्तर्गत ली गयी भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में लिखा है, के सम्बन्ध में शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उन्हें मुआवजा दिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय विधायक का पत्र दिनांक 28 फरवरी, 1983 उपलब्ध नहीं हो रहा है। यदि वे पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करा देंगे तो उस पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, प्रश्न पूछने से पहले मैं आपका यह संरक्षण चाहूंगा कि आप प्रश्न को देख लें। प्रश्न में यह था और मैंने लिखा था कि जो पत्र मैंने माननीय मन्त्री जी को लिखा था उसकी प्राप्ति की सूचना मुझे मिल गई है। मान्यवर, इससे साबित हो गया कि उनके यहां मेरा पत्र पहुंच गया है। उसकी पुष्टि मुझे मिले एक पत्र जो कि शेर सिंह ने लिखा है, में कहा गया है कि मुख्य अभियन्ता को आपका पत्र मिल गया है। उसमें उन्होंने यह भी लिखा है कि जो पत्र आपने भेजा था उसकी प्राप्ति की सूचना आपको भेज दी गई है फिर भी उस पत्र की प्रतिलिपि आप भेज दें। मान्यवर, मेरे जनपद में शारदा सहायक जब बनी और उसके अन्तर्गत जिन लोगों की भूमि अधिगृहीत की गई उसका मुआवजा उनको अभी तक नहीं मिला। उनकी भूमि सीपेज के कारण बरबाद हो गयी। मेरे पास कोई स्टेनों तो नहीं है, मैंने स्वयं हाथ से लिखकर माननीय मन्त्री जी को इसके सम्बन्ध में पत्र लिखा कि उनका मुआवजा दिलाया जाय। अब मन्त्री जी कहते हैं कि उनको वह पत्र नहीं मिला जब कि मुझे उसकी प्राप्ति की सूचना मिल गयी। उस पत्र की प्रतिलिपि मेरे पास अब नहीं है।

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय सदस्य का पत्र हमारे यहां आया था। प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय में वह गया है और वहां पर वह पड़ा हुआ है। अब वह पत्र कहां है, कहां पहुंच गया है उसको ट्रेस करने में दिक्कत हो रही है इसलिये माननीय सदस्य से मुख्य अभियन्ता ने कहा कि हमें दिला दें ताकि कार्यवाही कर लें। वैसे मैंने जांच के लिये कह दिया है कि वह कहां गया, कहीं जिले में तो नहीं भेज दिया गया है उसका पता लगा कर बतायें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं यह आरोप मन्त्री जी पर नहीं लगाना चाहता हूं कि उनकी इसमें कोई साजिश है। लेकिन यह जरूर है कि इनके विभाग मुख्य अभियन्ता और शासन के विभाग गरीब किसान के प्रति कितने संवेदनशील हैं इसका इससे पता लगता है। अब मेरे पास उस पत्र की प्रतिलिपि नहीं है फिर भी मैं प्रश्न द्वारा जानना चाहता हूं कि सीतापुर जनपद तथा पास पड़ोस के जिलों में शारदा सहायक नहर के कारण जो जमीन अधिगृहीत की गयी और जो बरबाद हो गयी, जिसका मुआवजा देने की बात मैंने कही है क्या सरकार ने उस जमीन का, जो जमीन अधिगृहीत हो गयी है उसका मुआवजा बंटवा दिया है ? यदि नहीं बटवाया है तो कब तक बटवा दिय जायेगा ? दूसरा यह कि जो जमीन सीपेज के कारण बरबाद हो गयी है उसकी फसल का मुआवजा काश्तकारों को न देने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, दो बातें कही गयी। एक तो यह कि जो जमीन अधिगृहीत की गयी है उसका मुआवजा दे दिया गया है तो मान्यवर, मैं देखूंगा कि कौन जमीन अधिगृहीत की गयी है उसके कंपनसियेशन का केस बना या नहीं और यदि एक्वायर नहीं की गयी है तो उसकी

जल्दी से जल्दी प्रोसीडिंग बनायें ताकि जितनी जमीन सिंचाई विभाग ने ली है उसके मुआवजे का भुगतान करा दिया जायेगा। दूसरा प्रश्न जो सोपेज का है जो जमीन डूबी हुई है उससे फसल का मुआवजा देने का अभी तक मैं समझता हूं प्रोवीजन नहीं किया गया है। बात हो रही है वित्त विभाग से कि इस पर क्या कार्यवाही की जा सकती है। मेरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उस जमीन पर पैदावार हो उसके बाद देखा जायेगा कि क्या होने वाला है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त --

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये यह बताने की कृपा करेंगे कि अधिगृहीत जमीन का मुआवजा बंटवाने के लिए कोई समय की सीमा निर्धारित करेंगे कि कब तक वह मुआवजा बंट जायेगा और जो जमीन बरबाद हुई है उसके लिये शासन कब तक कोई नीति निर्धारित कर लेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, बात चल रही है रेवेन्यू विभाग से कि हम क्या कर सकते हैं उसके लिये कुछ करना पड़ेगा। दूसरी बात कि कब तक बांट दिया जायेगा, मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी बंट जाय। राजस्व विभाग से कहा जायेगा कि जल्दी से जल्दी करा दिया जाय।

[बुधवार, 14 मार्च, 1984 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद चमोली में शीतगृह निर्माण का प्रस्ताव

*1—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में सेब, आलू, माल्टा आदि काफी मात्रा में पैदा किया जाता है ? क्या भंडारण की उचित व्यवस्था न होने की वजह से काश्तकारों को अपनी उपज का अच्छा दाम नहीं मिल पाता ? यदि हां, तो जनपद चमोली में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

जी हां।

जनपद के काश्तकारों को अपनी उपज को स्थानीय रूप से प्राइवेट ट्रेडरों से मुख्यतः यात्रा सीजन में बेचने पर अच्छा लाभ मिल जाता है। फिर भी उद्यान विकास की विश्व बैंक योजना में जनपद चमोली में एक शीतगृह निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन सी फसल ऐसी है सीजन में जो ज्यादा बिकती है और जिनसे किसानों का भी लाभ होता है। दूसरा यह कि जो आपने बताया कि कोल्ड स्टोरेज लगाने पर विचार कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा स्थान चयन किया है और कितनी लागत का कोल्ड स्टोरेज लगा रहे हैं और कब तक वह निर्मित हो जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, इसके बारे में मेरे से ज्यादा जानकारी माननीय सदस्य को है, वहीं के वह रहने वाले हैं। सेब, माल्टा, आलू आदि फल हैं। 57 करोड़ की विश्व बैंक की योजना है जिसमें तमाम फलों की पैदावार, विपणन, कोल्ड स्टोरेज तक का प्रबन्ध किया जा रहा है। इसमें चमोली में जो उपयुक्त स्थान मिलेगा उसका प्रस्ताव किया है। इस्टीमेट वगैरह बाद में बनाया जायेगा क्योंकि अभी यह योजना विश्व बैंक से स्वीकृत होनी है।

(श्री मुख्तार अनीस द्वारा बिना सिर झुकाए बैठने पर।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय, अनीस साहब खड़े हो जायं। आप इस प्रकार से न आया करें। तीन बार कह चुका हूं। आगे से यहां पर खड़ा कर दिया जायेगा।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, सर झुका कर आया।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

माननीय अध्यक्ष महोदय, देश को आजाद हुए 37 वर्ष हो गये हैं, इसमें पर्वतीय अंचल के जो सेब, माल्टा, आलू, खूबानी तमाम फल होते हैं, जिनकी अच्छी कीमत वहां नहीं मिलती है और वह बरबाद होते जा रहे हैं, इसलिये जनता की मांग है कि वहां पर कोल्ड स्टोरेज बनाये जायं, तो मंत्री जी एक निश्चित समय बता दें कि कब तक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना कर देंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि पर्वतीय क्षेत्र में फल के उत्पादन प्रक्रिया, बिक्री के सम्बन्ध में विश्व बैंक की योजना दी गयी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से योजना स्वीकृत हो जायेगी और उसमें सभी पर्वतीय जिलों में सभी चीजों का उचित प्रबन्ध कर पायेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, यह जो समस्या पहाड़ में है वह कोल्ड स्टोरेज से पूरी नहीं होगी क्योंकि दिल्ली के एजेन्ट एडवांस देकर इन फलों की एडवांस में बुकिंग कर लेते हैं और फल उत्पादकों को लूटते हैं। तो क्या सरकार इस समस्या को हल करने के लिये कोई योजना बनायगी कि उनको कोई एडवांस न दे सकें ताकि वह उनकी लूट से बच सकें।

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, विश्व बैंक का मैंने जिक्र किया तो उसके अन्तर्गत यह सब प्रबन्ध किया जायेगा।

श्री ऊदल--

मान्यवर, इस बात को देखते हुए कि रानीखेत अल्मोड़ा में जो सरकार का फल उद्यान है और पर्वतीय अंचल में जो लाखों रुपये के सेब, जो आलू से भी सस्ते देश में बिक रहा है जिसके रखरखाव का प्रबन्ध अभी तक नहीं हो पाया है, इसलिये क्या सरकार सेब और आलू जो वहां की मुख्य फसल है उसके उचित रखरखाव पर विचार करेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, विश्व बैंक की योजना इसी उद्देश्य से बनायी गयी है और पहाड़ के आठों जिलों में यह लागू होगी।

सिंचाई कार्य खंड, गोन्डा के अन्तर्गत जनपद बहराइच में तृतीय उपखंड के सहायक अभियन्ता श्री इनामुल्ला के विरुद्ध गबन की जांच

*2--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई कार्य खण्ड गोण्डा के अन्तर्गत बहराइच जनपद में तृतीय उपखण्ड के सहायक अभियन्ता (श्री इनामुल्ला) ने अगस्त, 1982 में एक लाख 42 हजार कैश चस्ट से सीधे गबन कर लिया, जिसका मार्च, 1983 तक बिल व बाउचर विभाग में नहीं प्रस्तुत किया गया, इसलिए अधिशासी अभियन्ता सिंचाई कार्य खण्ड गोण्डा ने उपरोक्त धनराशि की रिकवरी सहायक अभियन्ता व दो अवर अभियन्ताओं से करने के लिए 8 अप्रैल, 1983 को लिखा है ? यदि

हां, तो क्या उक्त धनराशि की रिकवरी कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

रिकवरी का प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मेरे प्रश्न में जो 8 अप्रैल, 1983 का उल्लेख है, क्या कोई पत्र 8 तारीख या उसके आस-पास किसी दिन लिखा गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इस पत्र की जानकारी मुझे नहीं है ।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । मैं पूछना चाहती हूं कि जो मेरे प्रश्न में 8 अप्रैल, 1983 का उल्लेख है तो क्या वह पत्र 8 को या उसके आस-पास किसी दिन लिखा गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इन्होंने जो पत्र में कहा है कि सहायक अभियंता ने माह अगस्त, 1982 में 1,42,000 रुपये का कैश चेस्ट से सीधे गबन कर लिया जिसके लिये सहायक अभियंता को 8 अप्रैल, 1983 को लिखा गया है । तो इस पत्र की मेरे पास कापी नहीं है ।

श्रीमती गौरी देवी--

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि मैंने जो आरोप लगाये थे उसकी जांच किससे करवायी गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जो सवाल किया, उसका उत्तर दिया गया है । अब किस पत्र में आरोप लगाये वह नहीं है । लेकिन जो उत्तर विभाग से प्राप्त हुआ उसमें इन्होंने सवाल में कहा है कि सहायक अभियंता ने माह अगस्त में 1,42,000 रुपये का कैश चेस्ट से सीधे गबन कर लिया, तो जो सवाल आया है उसमें 1,42,000 रुपये का गबन कर लिया गया । कुल उसके पास 1 लाख 10 हजार 8 सौ रुपया नगद उपलब्ध था, अब उसमें से 1 लाख 42 हजार का गबन कर लेने की बात समझ में नहीं आती है । बाकी जो भी काम किये गये हैं, उनमें यह देखा गया कि उनमें कोई अनियमितता तो नहीं हुई है या नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है, तो उसमें भी जांच में यह पाया गया कि रूल्स और नियम का पालन हुआ है । यदि रूल या नियमों का पालन नहीं होता है और गबन पाया जाता है तो जांच करायी जाती है, लेकिन वह सब ठीक पाया गया और सारे खर्चे के बाउचर आदि लगे पाये गये । इसलिए गबन का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री मसरूर जाफरी--

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि इनामुल्ला, सहायक अभियन्ता के सम्बन्ध में विधायिका जी ने पहला प्रश्न 7 मार्च को किया था और उसमें उन पर पाकिस्तानी होने का आरोप लगाया था ? जब उसका जवाब आ गया कि पाकिस्तानी नहीं था, तो विधायिका जी ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या एक लाख 42 हजार का उनके खिलाफ गबन है, तो क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जहां पर अब श्री इनामुल्ला गये हैं वहां पर पहले श्री मुरली धर श्रीवास्तव, सहायक अभियंता कार्यरत थे, जो विधायिका के क्षेत्र के रहने वाले हैं, यह श्री श्रीवास्तव सीधे चार्ज नहीं दे रहे थे, फरार हो गये थे और अन्त में सिंचाई अधिकारियों ने एस० डी० एम० बहराइच और पुलिस की सहायता

से इनका ताला तोड़कर इन श्री इनामुल्ला को चार्ज दिलाया था ? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती गौरी देवी अपने क्षेत्र के इस सहायक अभियन्ता से इस तरह प्रभावित होने के कारण श्री इनामुल्ला के खिलाफ इस तरह के बार-बार चार्ज लगा रही हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

प्रश्न में एक बात स्पष्ट है कि मार्च, 1983 तक बिल और बाउचर्स विभाग को प्राप्त नहीं हुए थे, तो क्या उन्होंने इसकी जांच कराई है कि मार्च, 1983 तक बिल व बाउचर्स विभाग को प्राप्त हुए थे या नहीं ? और नहीं तो क्यों नहीं प्राप्त हुए थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मार्च, 1982 तक बाउचर्स और बिल्स प्राप्त हो गये थ ?

भिक्यासैंण, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा में 30 शैय्याओं के चिकित्सालय खोले जाने की मांग

*3--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भ0 पू0 वित्त मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा भिक्यासैंण, तहसील रानीखेत जनपद अल्मोड़ा में सन् 1976-77 में 30 शैय्याओं के चिकित्सालय खोले जाने की घोषणा की गयी थी ? क्या यह सही है कि अब केवल आठ शैय्याओं का ही चिकित्सालय भिक्यासैंण में बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष--

वित्त मंत्री जी एक बात बताइये, आपके इस उत्तर में लिखा हुआ है--"अल्मोड़ा में सन् 1978-77" तो यह क्या बला है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

वह 1976-77 है ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

श्रीमन्, मेरे प्रश्न को देखने का कष्ट करें, यह 7-10-83 का है, तब से रोम से भी खबर मंगाने की बात होती तो कितनी बार मंगा लेते । उसमें एक अस्पताल का मामला है, जिसमें उद्योग मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने उसका उद्घाटन किया था और उन्होंने पब्लिक में घोषणा की थी कि यहां पर 30 शैय्याओं वाला अस्पताल खुलेगा । उससे वहां के लोग बहुत प्रभावित थे । मैं भी उस समय वहां उपस्थित था और उस समय ब्लाक प्रमुख था । इस समय जो हमारे क्षेत्र के सांसद हैं हरीशचन्द्र सिंह रावत, वह भी ब्लाक प्रमुख थे । उसके बावजूद अब जाकर गत वर्ष केवल 8 बेड्स का वहां अस्पताल बना । वहां की जनता अब भी इस विश्वास पर है कि 30 शैय्या वाला बनेगा । लोग मुझसे लड़ते हैं कि एक तरफ तो हमारे उद्योग मंत्री भारत सरकार ने घोषणा की थी कि 30 शैय्या वाला बनेगा, लेकिन मेरी कमजोरी की वजह से बना है 8 वाला । अब मुझ पर लांछन लगता है, तो इसलिए मैंने यह प्रश्न किया, ताकि वहां की जनता के सामने सही बात आ सके, तो इसमें कब तक इसकी सूचना एकत्र हो जाएगी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

इसकी सूचना अपर्याप्त रूप से तो आ गयी थी ।

तिवारी जी ने घोषणा की थी 76–77 में, लेकिन वहां पर जो भूमि उपलब्ध थी वह आवश्यकता से कम थी। अब भूमि उपलब्ध करा दी गयी है और जसे ही जिला समिति का निर्णय हो जायेगा, उसका आंकलन आदि तैयार कराकर उसे बनवा दिया जायेगा।

श्री जसवंत सिंह विष्ट––

जिला समिति द्वारा 30 शैय्याओं के अस्पताल के लिए प्रस्ताव पास कर दिया गया है, तो क्या आप उसे तत्काल बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त––

अगर जिला समिति ने इसके लिए प्रस्ताव कर दिया है तो उसका प्रस्ताव मिलते ही एस्टिमेट बनाकर काम शुरू कर दिया जायेगा।

देवरिया डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के कार्यालय से फाइलों की चोरी

*4––श्री रियासत हुसैन––

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के कार्यालय में फरवरी, 1983 के प्रथम सप्ताह में 20 निलम्बित कर्मचारियों की फाइलें रहस्यमय ढंग से चोरी चली गयी हैं ? यदि हां, तो कार्यालय से कौन-कौन से और कितने के सामानों की चोरी हुई है और तथ्य क्या हैं ;

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रवीन कुमार शर्मा)––

गोरखपुर क्षेत्र के देवरिया डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के कार्यालय से 29–30 जनवरी, 1983 की रात में 12 निलम्बित एवं 17 अन्य छोटे मामलों से सम्बन्धित कर्मचारियों की पत्रावलियां कार्यालय की अलमारी का ताला तोड़ कर चोरी चली गयीं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामानों की चोरी नहीं हुई। इस चोरी की प्रथम सूचना थाना कोतवाली देवरिया में दिनांक 30–1–83 को दर्ज करा दी गयी थी।

श्री रियासत हुसैन––

मान्यवर, एफ0 आई0 आर0 लिखे हुए एक वर्ष हो गया। उसके बाद क्या प्रगति हुई, यह मैं जानना चाहता हूं। दूसरी बात यह कि जिन लोगों से सम्बन्धित यह फाइलें थीं उनके मामलों में क्या हो रहा है ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा––

एफ0 आई0 आर0 30–1–83 को लिखायी गयी। उसकी जांच अभी चल रही है।

इन 29 गायब पत्रावलियों में से 17 में दूसरी प्रति मंगाकर सहायक क्षत्रीय प्रबन्धक द्वारा विभागीय कार्यवाही की जा रही है। अन्य 12 मामलों में विवरण क्षेत्रीय प्रबन्धक (गोरखपुर) द्वारा एकत्र किए जा रहे हैं तथा इनका निस्तारण विभागीय नियमानुसार होगा। चौकीदार गामा यादव को 31–1–83 को निलम्बित किया गया लापरवाही के लिए। जांच के बाद निलम्बन अवधि का अवशेष वेतन काटा गया तथा 5 वर्ष के लिए प्रारम्भिक वेतन पर प्रत्यावर्तित किया गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

मान्यवर, एक भूतपूर्व विधायक श्री हरिकेवल प्रसाद ने तथा मैंने भी लिखित आरोप लगाये थे कि जानबूझ कर पत्रावलियों को गायब कर दिया गया, मिस प्लेस किया गया, बल्कि चोरी नहीं हुई। तो जो आरोप मैंने लगाये थे उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा––

मैंने पहले ही बताया कि जांच अभी हो रही है, जब पूरी जांच हो जायेगी तभी पता चलेगा क्या मामला था।

श्री रियासत हुसैन––

इस बारे में एक भूतपूर्व विधायक ने भी शिकायत की तथा माननीय ओझा

जी ने भी जैसा अभी बताया लिखा, इसमें चोरी का मामला दिखाया गया है, तो इस मामले में अभी तक कोई जांच का नतीजा नहीं निकला और न ही कोई ऐक्शन किसी के खिलाफ लिया गया ? तो इन दोनों चीजों को जोड़कर इसके ऊपर किसी जिम्मेवार आदमी से जांच करायेंगे और ए0 आर0 एम0 के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मान्यवर, जैसा मैंने पहले भी बतलाया है इसकी जांच चल रही है और पुलिस भी इसकी जांच कर रही है । जांच लगभग एक वर्ष से चल रही है । ज्योंही जांच पूरी होगी पूरे तथ्य सामने रख दिये जायेंगे और यदि आवश्यकता इस बात की होगी और किसी दूसरी ऐजेंसी से या बड़े स्तर पर जांच कराने की जरूरत पड़ेगी तो जरूर करायी जायेगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरा प्रश्न दूसरा था । मेरे और श्री हरिकेवल प्रसाद के आरोप यह थे कि सहायक प्रबन्धक ने जान-बूझकर चूंकि जो निलम्बित किये गये हैं वह क्लास 4 के कर्मचारी हैं और यूनियन के पदाधिकारी हैं इसलिए उनको जानबूझकर निलम्बित किया गया है और पत्रावलियों को सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक ने जानबूझकर गायब करवा दिया है, चोरी नहीं हुई है । जब तक इस की जांच नहीं होगी सारे तथ्य सामने नहीं आयेंगे । क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक को तत्काल हटाकर मैंने जो सुनिश्चित और सुस्पष्ट आरोप लगाये हैं उनकी जांच करायेंगे ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

जैसा मैंने पहले भी बताया है इसका पुलिस भी जांच कर रही है और साथ-साथ विभागीय जांच भी चल रही है । मैं फिर आश्वासन देता हूं कि कोई ऐसी चीज जांच से सामने आयेगी तो अवश्य कड़ा से कड़ी कार्यवाही, चाहे कोई किसी भी पद का क्यों न हो, उसके खिलाफ की जायगी ।

उन्नाव के निकट गंगा नदी पर बने पुल से बस गिरने की दुर्घटना की मैजिस्टीरियल जांच

*5 --श्री पंचानन राय--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह अक्तूबर, 1983 के उत्तरार्द्ध में उन्नाव के निकट गंगा नदी पर बने पुल (जाजमऊ पुल) पर जो यात्री बस पुल से नीचे नदी में गिर गयी, उस दुर्घटना में कितने व्यक्तियों की जान गयी तथा कितने घायल हुए ? क्या यह भी कृपया बतायेंगे कि उक्त दुर्घटना की कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या निकले हैं और दोषी व्यक्तियों को क्या दण्ड दिये जा रहे हैं तथा इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 27-10-83 को सायं लगभग 7 बजे एक निजी बस संख्या यू0 आर0 के0 2663 गंगा नदी पर बने जाजमऊ पुल से नदी में गिर गयी जिसके फल-स्वरूप 71 जानें गयीं तथा 10 यात्री घायल हुए । 29 यात्री लापता हैं । दुर्घटना की मैजिस्टीरियल जांच परगना मैजिस्ट्रेट, उन्नाव से कराई जा रही है । जांच रिपोर्ट अभी अपेक्षित है । मैजिस्टीरियल जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथा आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, यह एक बहुत ही दुखद घटना है । 71 जानें चली गयीं और जांच मैजिस्ट्रेट से करा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि

क्या इस दुर्घटना की कोई उच्चस्तरीय जांच करायेंगे और उसके आधार पर कोई ऐसा उपाय करेंगे ताकि ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मान्यवर, जिस स्तर की आवश्यक समझी गयी तो मैजिस्टेरियल जांच करायी जा रही है। ऐसी दुर्घटनायें न हों उसके बारे में कड़े निर्देश दे दिये गये हैं और संभागीय परिवहन अधिकारी कानपुर की ओर से दुर्घटना की रोकथाम के लिए प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि शराब पीकर कोई भी गाड़ी न चलाये तथा गति पर कंट्रोल रखें।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, उन्होंने बताया कि उन्नाव के परगनाधिकारी जांच कर रहे हैं। क्या उन्होंने परिवहन विभाग या उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों को मौके पर भेजा और उनके विभागीय अधिकारियों ने प्रारम्भिक रिपोर्ट शासन को क्या दी यह बताने कृपा की करेंगे ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मान्यवर, इसकी विभागीय जांच उप परिवहन आयुक्त, लखनऊ जोन से करायी गयी। यह बस देवां मेला जा रही थी। इसकी सारी जांच करा ली गयी और यह जो गाड़ी थी जितनी भी आवश्यकतायें उसके सम्बन्ध में होती हैं वह पूरी थीं। तो यह आवश्यक समझा गया कि इसकी मैजिस्टेरियल जांच करायी जाय, क्योंकि यह जांच जरुरी मानी गयी और कर ली गयी।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेले में बस जा रही थी और अखबारों में छपा है कि बस मेले से वापस आ रही थी, तो कितनी इनके पास सूचना है, इसी से स्पष्ट हो जाता है। इन्होंने पहले उत्तर में कहा कि जिस स्तर की जांच उचित समझा गया, मैजिस्टेरियल जांच कराई जा रही है। मान्यवर, 71 लोगों की जानें गयी, इससे बड़ी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, तो इसकी जांच हाई कोर्ट के जज से कराने में क्या आपत्ति है ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मान्यवर, यह बस देवा शरीफ के मेले से लौट रही थी। जहां तक माननीय सदस्य का कहना है कि 71 जानें गयीं, तो वह एक एक्सीडेंट हुआ है, उसकी मैजिस्टेरियल जांच कराई जा रही है। जो कुछ किया जा सकता था, वह किया गया, इसमें 67 व्यक्तियों को 5 लाख 31 हजार रुपये वितरित किया जा चुका है। तीन व्यक्ति जो भी हैं, उनके निकटस्थ वारिसान का पता नहीं चल सका है, ज्यों ही उनका पता चल जायगा, उनको भी वितरित कर दिया जायगा। मैजिस्टेरियल जांच कराई जा रही है।

श्री कुंवर बहादुर मिश्र--

मान्यवर, यह जांच पूरी किए जाने की अवधि नहीं निश्चित की गयी है ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मान्यवर, मैजिस्टेरियल इन्क्वायरीज आम तौर पर ऐसी कोई अवधि या तारीख नहीं तय की जाती है। यह कहा जाता है कि जल्द से जल्द जांच पूरी की जाय और उनसे यह निवेदन किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जांच पूरी कीजिए।

श्री मोहा लाल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि गाड़ी के सम्बन्ध में जितने आवश्यक नियम होते हैं, वह सब पूरे थे, बस में 101 सवारियां थीं, तो क्या यह भी नियमानुकूल था ? यदि नहीं था, तो बस में ओवर-लोडिंग की जो घटनाएं होती हैं, इसको रोकने के लिए कोई कदम उठायेंगे ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

मान्यवर, इस बस में जो ओवर-लोडिंग थी, यह भी जांच में आ जायगा कि पूरे तरीके से ओवरलोडिंग थी कि नहीं थी और इसकी पूरी जांच होने पर सारी बातें सामने आ जायेंगी। इसमें 71 जानें गयीं और 10 यात्री घायल हुए तथा 20 यात्री लापता हैं। मान्यवर, ओवरलोडिंग को रोकने के लिए कड़े नियम हैं। जो भी उससे सम्बन्धित विभागीय अधिकारी हैं, उनके द्वारा जगह-जगह पर चेकिंग होती है। सोहरमऊ पर जिस समय बस जा रही थी, उस समय भीड़ अधिक होने के कारण लौटते समय उसकी जांच नहीं हो पायी थी। लेकिन यह समझना कि विभाग जांच नहीं कर रहा है गलत है, विभाग पूरी तरह सतर्क है।

श्री अध्यक्ष —

क्या परिवहन मन्त्री जी, इस बात के लिए आप तैयार हैं कि जो पहाड़ों में और अन्य जगहों पर ओवरलोडिंग के कारण प्रदेश में अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, क्या वह सदन के दो-तीन माननीय सदस्यों की कोई समिति बनाने पर विचार कर रहे हैं?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

अगर मान्यवर, आदेश करें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह आदेश तो हो ही गया।

मथुरा रिफाइनरी से पेट्रोल तथा डीजल आयल से बिक्री कर के रूप में प्राप्त आय

*6—श्री सरदार सिंह—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा रिफाइनरी से प्रतिवर्ष प्रदेश को कितनी धनराशि एक्साइज ड्यूटी से प्राप्त होती है? क्या शासन इस धनराशि को मथुरा के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए केवल मथुरा जनपद पर ही व्यय करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

मथुरा रिफाइनरी से पेट्रोल तथा डीजल आयल की बिक्री जनवरी, 1982 से प्रारम्भ हुई। इस रिफाइनरी से सप्लाई किए गये पेट्रोल तथा डीजल आयल की बिक्री के बिक्री कर के रूप में प्राप्त आय का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है—

अवधि	बिक्रीकर के रूप में जमा की गयी धनराशि रु0
जनवरी, 1982 से मार्च, 1982 तक	34,89,000
अप्रैल, 82 से मार्च, 1983 तक	6,60,51,000
अप्रैल, 83 से नवम्बर, 1983 तक	5,45,57,000
योग ..	12,40,97,000

जी नहीं। सभी विभागों में विभिन्न मदों में राजस्व की जो प्राप्ति होती है वह सरकार की कुल आय में सम्मिलित होती है अतः किसी मद विशेष की समस्त आय किसी एक ही जनपद पर व्यय किया जाना जनहित में नहीं होगा।

(आबकारी मंत्री के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप अस्वस्थ हैं, बैठ के पढ़ दीजिए।

श्री वासुदेव सिंह—

नहीं, ठीक हूं। धन्यवाद।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, आज ये अवध के सामन्ती वेष-भूषा में हैं।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, जब मथुरा रिफाइनरी बनी थी तो मथुरा के लोगों को उम्मीद हुई थी कि उनको रोजगार मिलेगा, कुछ सम्पन्नता आयेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो अधिकारी बाहर से आये दूसरे प्रदेशों के उन्होंने अपने प्रदेश के लोगों को लाकर रोजगार दफ्तर में पंजीकृत करा दिया और छोटे-छोटे पदों पर उनको नौकरी दे दी। वहां के लोगों को जमीन गयी और उत्तर प्रदेश को बहुत राजस्व उससे मिल रहा है। लेकिन वहां के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है। मथुरा के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कोई अन्य प्रकार की औद्योगिक इकाई प्रदेश की तरफ से लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

जैसा माननीय सदस्य ने कहा औद्योगिक इकाई जहां लगे, उसमें स्थानीय लोगों को काम मिलना चाहिये। सिद्धांतः सही है, लेकिन इसका परिपालन बहुत कम होता है। मथुरा के लिए अगर माननीय सदस्य चाहें, तो शासन दूसरे मद से जो सम्मिलित मद हैं, सहायता कर सकता है, उद्योग स्थापित कर सकता है। लेकिन माननीय सदस्य का प्रश्न है कि मथुरा से जो धन प्राप्त होता है, वह मथुरा को दे दिया जाय। शायद माननीय सदस्य भी यदि सरकार बनाये तब भी यह सम्भव नहीं होगा।

श्री सरदार सिंह--

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा मेरा मतलब वही है। क्या उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से ऐसी व्यवस्था करायेंगे कि वहां रोजगार दफ्तरों में बाहरी लोगों का रजिस्ट्रेशन न हो, जो छोटी नौकरियों में आ रहे हैं। पर्यावरण की समस्या के कारण वह छोटे उद्योग नहीं लग पा रहे हैं, बाई प्रोडक्ट से बहुत से छोटे कारखाने लग सकते थे, लेकिन नहीं लग पा रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुये छाता, कोसी, बाजना...

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री सरदार सिंह--

बाजना जिनकी दूरी ताज से अधिक है, वहां उद्योग लगाने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

शासन का ध्यान आकृष्ट करूंगा। मथुरा की आवश्यकता के अनुरूप समुचित विकास के लिये, जो योजनायें हैं, उन पर शासन विचार करे। वैसे शासन मथुरा को शुद्ध पानी देने पर विचार कर रहा है। वहां का पानी नमकीन और खारा है। जो मूल प्रश्न है वह हमारे विभाग से सम्बन्धित है, इसमें माननीय सदस्य सारे विभागों को सम्मिलित करना चाहते हैं और ऐसा करा सकें, तो निश्चित रूप से माननीय सदस्य की अभिलाषा और आकांक्षा सफल होगी।

(एक मंत्री के सदन में साथ आने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी आपने आते वक्त, जो सदन में आने की परम्परा है उसके शिष्टाचार का पालन किया ? जो मंत्री लोग शिष्टाचार का पालन नहीं करेंगे उनको यहां सामने आना पड़ेगा।

(हंसी)

आटो ट्रैक्टर लिमिटेड, प्रतापगढ़ में प्रताप ट्रैक्टर बनाने का लक्ष्य

*7--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आटो ट्रैक्टर लिमिटेड, प्रतापगढ़ में प्रताप ट्रैक्टर बनाने का कितना लक्ष्य 1982-83 में था और कितना उत्पादन हुआ ? पूरा लक्ष्य प्राप्त न करने का क्या कारण था ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वित्तीय वर्ष 1982-83 में ट्रैक्टर उत्पादन का लक्ष्य 2,000 ट्रैक्टर निर्धारित किया गया था तथा इस लक्ष्य के विपरीत 381 ट्रैक्टरों का उत्पादन हुआ।

उत्पादन लक्ष्य प्राप्त न होने का मुख्य कारण ट्रैक्टर में उपयोग होने वाले अवयवों (कम्पोनेन्ट्स) के स्वदेशी स्रोतों से वांछित मात्रा तथा क्वालिटी का समय से न प्राप्त होना था। प्रतापगढ़ के पिछड़ेपन के फलस्वरूप संचार एवं यातायात के साधनों की कमी के फलस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं के विकास, विकसित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अवयवों (कम्पोनेन्ट्स) की आपूर्ति की कठिनाइयों, आनुषंगिक इकाइयों (एनसिलिरी यूनिट्स) का व्यापक स्तर पर विकसित न हो पाना तथा कुशल एवं वांछित स्तर के कर्मचारियों का अभाव भी अन्य कारणों में रहे हैं।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि 2,000 ट्रैक्टर का लक्ष्य था तो जब से यह ट्रैक्टर फैक्टरी बनी है कितने का नुकसान हुआ है ? कब तक यह लक्ष्य पूरा कर लेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जो मैंने उत्तर दिया और बताया कि क्या-क्या कठिनाई है। मान्यवर, आटोमोबाइल्स जो होता है इसमें जो कम्पोनेंट होता है उसमें 85 प्रतिशत बाहर से लेते हैं। और 15 प्रतिशत यहीं का होता है। जो जितने कम्पोनेन्ट की आवश्यकता इनको थी वह नहीं मिल पाया। यह इनको बाहर से खरीदना पड़ता है। जब बाहर से खरीदते हैं तो उस क्वालिटी का नहीं मिलता है यह भी सही है कि हर जगह से इसके मिलने में कठिनाई हो रही है तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है, कम्पोनेन्ट की है। बाजार से खरीदते हैं लेकिन जिस तरह का चाहते हैं वह नहीं मिल पाता तो इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी फैक्ट्री लग गयी जाय।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, जो जवाब मैंने पूछा, वह नहीं दिया है। गोल-मोल जवाब दे दिया जिससे मतलब नहीं है। मैंने पूछा कब तक यह कमी पूरी कर लेंगे कब तक जितना उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, पूरा कर लेंगे ? और किस वजह से यह फैक्ट्री घाटे में चल रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह ट्रैक्टर फैक्ट्री काफी घाटे में है। अभी तक जो सूचना है वह लगभग छः करोड़ का घाटा इस पर हुआ है। मान्यवर, यह ट्रैक्टर फैक्ट्री जिस समय बनी उसका इतिहास बताया जाए तो यह 1972-73 में शुरू की गई प्राइवेट कम्पनी के रूप में। उसके बाद भारत सरकार ने 1976-77 में टेकओवर कर लिया और अधिग्रहण होना था जो, वह 1979 में हुआ तो मान्यवर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी अपने उत्पादन के लक्ष्य को पूरा कर ले। प्रतापगढ़ पिछड़ा एरिया है; दूसरी बात टेलेक्स की सुविधा नहीं है बहुत सी दिक्कतें हैं तो जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं एन्सेलरी लगाते हैं वह अब वहां नहीं लगा रहे हैं तो जितना कम्पोनेन्टस लगाना चाहते थे वह नहीं लगवाये हैं केवल दो एन्सिलरी लग पायी हैं। 8 के लिये बात चल रही है। वार्ता हो गयी है करीब-करीब, 10-12 के लिये और कहा गया है। प्रतापगढ़ में भारत सरकार ने 10 प्रतिशत सबसिडी दी है, उसके बाद वहां लोगों ने जाना शुरू किया है। आशा है कि धीरे-धीरे सफलता मिलेगी।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह बहुत दुख की बात है कि सरकार की जितनी कम्पनियां हैं, उनके अपने लक्ष्य और उपलब्धि दोनों में भीषण

अंतराल है । जब लक्ष्य निर्धारित हुआ होगा 1982-83 में कि दो हजार ट्रैक्टर्स का उत्पादन करेंगे, तो लक्ष्य निर्धारित करते समय यह बात दिमाग में रही होगी कि दो हजार ट्रैक्टर के निर्माण के लिये आवश्यक उपकरण उपलब्ध होंगे या नहीं। इसके विपरीत 300 ट्रैक्टर का उत्पादन किया । यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । एक दूसरी स्थिति यह भी है कि केन्द्र सरकार ने सन 1972 में स्वराज ट्रैक्टर्स, पंजाब को और आटो ट्रैक्टर्स, उत्तर प्रदेश को कारखाना लगाने की अनुमति दी । पंजाब सरकार का स्वराज ट्रैक्टर का उत्पादन 1974 में ही शुरू हो गया और आटो ट्रैक्टर 1980 में शुरू हुआ । मैं माननीय मंत्री जी से साफ तौर से जानना चाहता हूं कि अमेठी और रायबरेली में जो स्वीकृत हुई वहां लोगों ने इकाइयां स्थापित कर लीं, जब कि इनके जो उपकरण हैं, उनके उत्पादन के लिये जो आवश्यक सहयोगी इकाइयां होनी चाहिये, उनके लगाए जाने में शासन ने जो शिथिलता बरती है, 15 प्रतिशत उत्पादन की जो योजना है केन्द्र सरकार की वह 1978 में लागू कर दी गयी थी और प्रतापगढ़ को अति पिछड़ा जिला 1978 में ही घोषित कर दिया गया था । अतः यह केवल इस प्रदेश के उद्योग विभाग के निकम्मेपन का प्रमाण है कि आटो ट्रैक्टर की सहयोगी इकाइयां नहीं लग सकीं । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ट्रैक्टर उत्पादन का प्रतिवर्ष का जो लक्ष्य है, उसके लिये आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु अभी तक कितनी सहयोगी इकाइयों ने अपनी इकाई स्थापित करने के बारे में शासन से अनुमति मांगी है और शासन ने कितनी इकाइयों को अनुमति दी है, या सहयोग दिया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय, मैंने कहा कि 8 के लिये बात हो चुकी है, 12 लोगों के प्रार्थना-पत्र पड़े हैं, प्रयास किया जा रहा है कि वे जल्द से जल्द लग जायं । मोहन सिंह जी को जो चिंता है, सरकार को उससे कम चिंता नहीं है ।

लखनऊ से कानपुर जाने वाली बसों को उन्नाव बस स्टेशन से होकर जाने के आदेश

*8—श्री भीखालाल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन के ऐसे आदेश हैं कि लखनऊ से कानपुर की ओर जाने वाला प्रत्येक बस उन्नाव बस स्टेशन होकर जायेगी लेकिन इस आदेश का उल्लंघन करके प्रायः सभी बसें बाई पास से सीधे कानपुर चली जाती हैं ? यदि हां, तो आदेशों के पालन न करने का कारण क्या है ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

केवल लखनऊ, कानपुर एवं फैजाबाद क्षेत्रों की जो बस सेवायें लखनऊ से कानपुर की ओर जाती-आती हैं, के उन्नाव बस स्टेशन से होकर जाने के आदेश किये गये थे परन्तु उन्नाव बस स्टेशन मार्ग पर भीड़ एवं अतिक्रमण, यातायात अवरोध, लम्बी दूरी वाले यात्रियों को समय अधिक लगने से होने वाली असुविधा आदि व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण उक्त क्षेत्रों की बस सेवाओं का उन्नाव बस स्टेशन होकर जाना संभव नहीं हो पा रहा है ।

उन्नाव नगर के यात्रियों की कठिनाई दूर करने हेतु उन्नाव बाईपास पर ही बुकिंग स्टाल खोल दिया गया है जहां सभी बस सेवाओं को रोक कर बुकिंग सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है ।

श्री भीखालाल—

माननीय, मैं परिवहन मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो आपने अपने उत्तर में बताया है कि लखनऊ, कानपुर और फैजाबाद क्षेत्र की बसों को उन्नाव जाने के लिए आदेश दिये गये थे, परन्तु उन्नाव बस स्टेशन पर भीड़ एवं अतिक्रमण, यातायात अवरोध होता है, इसलिए लम्बी दूरी वाले यात्रियों को समय ज्यादा लगता है, इसलिए यह सम्भव नहीं हो पाता । मेरा माननीय

मंत्रीजी से कहना है कि यह केवल बहाना मात्र है, कल्पना है । उन्नाव बस स्टेशन पर कानपुर के कलक्टरगंज बस स्टेशन से ज्यादा भीड़ नहीं होती । वहां उन्नाव से 10 गुना ज्यादा बसें आती हैं । जो बसें केवल लखनऊ और कानपुर के बीच में चलती हैं, उनमें लम्बी यात्रा वाले यात्री नहीं होते और समय ज्यादा नहीं लगता, वह बसें क्यों नहीं जातीं उन्नाव स्टेशन होकर ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मान्यवर, माननीय सदस्य जी ने जो अभी बताया है, यह गलत है, ऐसा नहीं है । मैं स्वयं उधर गया हूं । आपने देखा होगा कि उस मार्ग से अन्दर जाते हैं, उन्नाव शहर के रास्ते से तो एक रेलवे क्रासिंग पड़ता है जो अक्सर बन्द पड़ी रहती है और लांग रूट की बसें खड़ी रह जाती हैं । यात्री जो चलते हैं वह वास्तव में लांग रूट के होते हैं, लम्बे सफर के होते हैं । जगह जगह भीड़ रहता हैं । बसें वहां पहुंचने पर 25 मिनट से एक घंटे तक लेट हो जाती हैं । यह वास्तव में कठिनाई है। वैसे हमन उन्नाव बस स्टेशन से होकर उन्नाव डिपो की 6 बसों द्वारा प्रतिदिन 12 चक्रीय सेवायें कानपुर-लखनऊ मार्ग से संचालित की जा रही हैं, जो उन्नाव बस स्टेशन होकर जाती हैं । लखनऊ के लिए प्रतिदिन 10 अप और 10 डाउन की सेवायें लगायी जा रही हैं और कानपुर की ओर के लिए प्रतिदिन 39 ट्रिप लगायी जा रही हैं जो उन्नाव बस स्टेशन होकर जा रही हैं । मैंने पहले भी कहा था, कि वहां से लगभग 1 किलोमीटर हटकर, जहां बाई-पास है, निगम ने एक बुकिंग-स्टाल खोला है । जितनी भी बसें वहां पर होकर जाती हैं, वे इस स्टाल पर रुकती हैं । वहां बुकिंग इत्यादि होता है ।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, जैसा कि माननीय श्री भैरों लाल जी ने अभी कहा कि बाई-पास से होकर बसें निकल जाती हैं । इसी प्रकार की समस्या बुलन्दशहर में भी है, वहां भी बसें बाई-पास से निकल जाती हैं, फलस्वरूप यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है । दिल्ली-बुलन्दशहर मार्ग पर ऐसा होता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि जितनी भी बसें डाइरेक्ट रूट की हैं, उनके लिए जो बस स्टेशन नियुक्त है, जहां पर उनको रूकना चाहिए, क्या आप इस प्रकार का कोई सख्त आदेश देने की कृपा करेंगे कि वे बसें बस-स्टेशन के भीतर जायं और इन करने के बाद बाहर आये ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि जिन्होंने बताया कि रेलवे फाटक पड़ता है, उसके लिए रोकना पड़ता है, उससे तो ऐसा लगता है कि वह 10 साल से उन्नाव गये ही नहीं है । जिस रेलवे फाटक की बात की जा रही है, वह आटोमेटिक है और एशिया का पहला फाटक ऐसा है, उनको इसकी जानकारी नहीं है । दूसरी बात यह है कि उसी रास्ते में डग्गा भार बसें प्राइवेट आपरेटर्स की चल रही हैं और उनको कोई असुविधा नहीं हो रही है और सरकारी बसों को वहां पर चलाने में असुविधा बतायी जा रही है । क्या प्राइवेट आपरेटर्स के साथ निगम ने सांठ-गांठ करके उन्नाव में बसें न ले जाने का कोई षड्यंत्र तो नहीं किया है ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मान्यवर, मुझे पता नहीं था कि वहां पर कोई आटोमेटिक गेट लग गया है, जो बसों को देखते ही खुल जाता है ।

श्री अध्यक्ष--

आप दुबारा जाकर देख आइये ।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

माननीय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि उन्नाव बस स्टेशन होकर उन्नाव डिपो को 6 बसों द्वारा प्रतिदिन 12 चक्कोय सेवायें कानपुर-लखनऊ मार्ग से संचालित की जा रही हैं, जो उन्नाव बस स्टेशन होकर जाती हैं। इसके अलावा माननीय...

श्री अध्यक्ष--

इस बात को तो आप पहले प्रश्न के उत्तर में कह चुके ह। इसे दुबारा आप क्यों कह रहे हैं ?

श्री कुंवर बहादुर मिश्र--

माननीय, कई बसे लम्बी सर्विस करती हे और उन्हें लौटकर फिर अपने गंतव्य स्थान पर जाना होता है। निःसन्देह उन्नाव जाने में आधा घंटा या एक घंटा लग जाता है और यात्रियों में भड़भड़ाहट हो जाती है। तो क्या माननीय मंत्री जी लांग-रूट की बसों को कोई अन्य सुविधा देने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा लांग-रूट की बसों को अन्य सुविधायें देने पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

इस पर आप माननीय मंत्री जी विचार कर रहे हैं कि बस स्टेशन को वहां से हटा दिया जाय और उसकी स्थापना वहां पर कर दी जाय जहां आपका बुकिंग स्टाल है ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

माननीय सदस्य स्वयं सहमत नहीं होंगे कि बस स्टेशन को हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाय। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि निगम ने वहां पर एक बुकिंग स्टाल खोल दिया है।

श्री भीखा लाल--

अपने उत्तर के दूसरे अंश में माननीय मंत्री जी ने बताया हैं कि बाई-पास पर एक बुकिंग स्टाल खोल दिया गया हैं और जहां पर लांग-रूट की बसें रुकती हैं। माननीय मंत्री जी अगर आप वहां पर गये हैं और आपने देखा हैं, तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि वहां पर कोई स्टाल नहीं खुला हैं। यह जरूर है कि वहां पर एक लकड़ी की आलमारी पड़ी हुई है और उसमें लिखा है "बुकिंग स्टाल" वहां पर कोई आदमी नहीं बैठता है। इस-लिए क्या आप वहां पर लांग-रूट की गाड़ियों की रुकने की व्यवस्था तथा बुकिंग क्लर्क को वहां पर बुकिंग हेतु बैठने के आदेश निर्गत करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

वहां पर जो आदेश हैं, 19 फरवरी, 1984 से जो किए गए हैं वह यह है कि 6 बजे प्रातः से 10 बजे रात्रि तक के किए गये हैं कि वहां पर इस बात की चेकिंग हो बुकिंग स्टाल चालू रहे और दो बुकिंग क्लर्क रहें। फिर भी चूंकि आपने एक बात बतलायी तो शीघ्र ही जांच करायेंगे, मैं इसे देख लूंगा और कड़ाई से इसका पालन करायेंग। मैं यह आश्वासन देता हूं।

श्री छत्तर सिंह--

माननीय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरी जानकारी को सही मानकर कि जितनी भी रोड-वेज की बसे हैं, अपने निर्धारित स्थान पर न रुककर, कहीं होटलों या चाय के खोखों पर रुकती हैं। तो, क्या उस समय को बचाने का कष्ट करेंगे और इसका कड़ाई से पालन करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इनका कहना है कि जो बीच-बीच में चाय आदि के लिए रोक देते हैं।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

इसके लिए यह निर्देश दिये जा रहे हैं कि जो समय सारणी है, उसके अनुसार कड़ाई से पालन करें। यह निर्देश हैं। लेकिन, अगर माननीय सदस्य किसी विशेष स्थिति की ओर ध्यान दिलायेंगे कि कोई विशेष बस ऐसा कर रही है, तो उसकी जांच तुरन्त करायी जायेगी। वैसे सबके लिए यह किया गया है कि जांच की जा रही है और कड़ाई से की जायेगी। आप इससे बिल्कुल निश्चिन्त रहें।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप चुपचाप कपड़े बदल कर के, किसी बस में बैठकर, इस प्रकार की जानकारी आदि करें।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

मैं आपके आदेश का पालन करूंगा।

श्री मुख्तार अनीस—

मंत्री लोग वर्दी पहनते ही नहीं हैं। यह लोग नंगे ही होकर जायं या बुर्का पहन लें या भिखारी के भेष में चले जायं।

जनपद सीतापुर में शारदा सहायक नहर के कटने के कारणों की जांच

*9—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक नहर, सीतापुर जिले में पोगलीपुर ग्राम के पास दि0 21-6-83 को फट गई, जिससे अनेक गांव बह गए तथा सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो गयी है? नहर फटने का कारण क्या है? क्या कटान की पूर्व सूचना अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक को थी? यदि हां, तो उन्होंने क्या कार्यवाही की थी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

परन्तु कोई गांव नहीं बहे। रात्रि में ही नहर बन्द कर दी गई थी और पानी सड़क को काटता हुआ पास के नाले से निकल गया। नहर कटने के कारणों की जांच की जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, सीतापुर जनपद में जल रिसाव से जो समस्या उत्पन्न है, वह कई बार कही जा चुकी है और इसकी बाबत बातें कई बार सदन में उठ चुकी हैं। रात्रि में मान्यवर, देर में नहर एकदम फट गई। यह तो भगवान की कुछ कृपा थी कि उस गांव में एक शादी थी और उस समारोह की वजह से लोग जाग रहे थे, अन्यथा गांव के साथ आदमी भी बह जाते। मैं जानना यह चाहता हूं कि कितने मकान उस पानी से बह गए और क्षतिग्रस्त हुए और जो मुआवजा दिया गया, उसकी धनराशि क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह नहर के टूटने से 2 गांव—पोंगलीपुर एवं अकबरपुर प्रभावित हुए। ग्राम पोंगलीपुर में मकानों की क्षति, अनाज की क्षति एवं घरेलू सामान की क्षति हेतु 7.30 लाख रु0 बांटे जा चुके हैं। ग्राम अकबरपुर में यह हानि केवल 3,000 (तीन हजार) आंकी गई है, जिसको बांटने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

इस पर आखिरी सवाल करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि नहर कटने के

कारणों की जांच की जा रही हैं, तो यह जांच कौन कर रहा है और इनको जांच के आदेश कब हुए और उसमें कौन बिन्दु संदर्भित किया गया है और आज तक उसकी जांच रिपोर्ट न आने के क्या कारण हैं ? दूसरी बात यह जानना चाहूंगा कि वहां पर यह सीपेज की समस्या है, जगह-जगह पानी बहता रहता है, क्या सरकार की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे कि गांव वालों को ऐसी सूचना मिल जाय कि यह तुम्हारे ऊपर आपदा आने वाली है ? मान्यवर, मैं यह यूं कह रहा हूं मैंने स्वयं वहां जाकर देखा कि पानी तेज धार से भी बहता रहता है अधिकारियों ने गलत सूचना गांव वालों को दी कि अगर गन्दा पानी है, तो समझ लें यह समस्या नहीं आ रही है और यदि सफेद पानी है, तो यह बात है। मान्यवर, यह सफेद और गन्दे पानी का अंदाजा गांव वाले नहीं कर सकते हैं। तो, ऐसी कोई व्यवस्था की जाएगी कि इस नहर में पेट्रोलिंग की व्यवस्था हो जाय, जैसे कि और नहरों में है । यदि यह है, तो ठीक है, अगर नहीं है, तो क्या व्यवस्था की जाएगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

एक तो इन्होंने यह कहा कि जांच कौन कर रहा है, तो जांच श्री के0 पी0 जैन, मुख्य अभियन्ता कर रहे हैं, 2-8-83 को जांच करने के लिए दिया गया है । जहां तक पेट्रोलिंग की बात है, यह देखभाल होती रहती है कि वहां पर क्या हो रहा है ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

ग्राम सभा पयांकोटी, जनपद टिहरी गढ़वाल में बाल विकास योजना का प्रारम्भ तथा व्यय

*10--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा पयांकोटी, वि0 खन्ड कीर्तिनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल में बाल विकास योजना कब से आरम्भ की गई ? उसके लिए वहां पर क्या-क्या सामान भेजा गया तथा इस योजना पर आरम्भ से 30-10-83 तक कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के शिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों को अनावर्तक अनुदान

*11--मित्रसेन--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1982-83 में अनुसूचित एवं अन्य पिछड़े वर्ग के शिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनावर्तक अनुदान जनपद फैजाबाद के किन-किन विद्यालयों को कितना-कितना दिया गया ? इनकी वांछित शर्तें क्या थीं तथा शिक्षण संस्थाओं की अनुदान राशि की भिन्नता का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

वर्ष 1982-83 में अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के शिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नांकित पांच विद्यालयों

को अनावर्तक अनुदान दिया गया था--

(1) प्राइमरी पाठशाला किसान विद्यालय, बनकटा फैजाबाद । (5,000 रु 0)

(2) श्रीमती पुष्पादेवी हरिजन प्राइमरी पाठशाला शेखपुर, मलपुरा, फैजाबाद । (2,500 रु0)

(3) डा0 अम्बेडकर हरिजन प्राइमरी पाठशाला, कुतुबपुर, फैजाबाद । (2,500 रु0)

(4) आदिवासी हरिजन प्राइमरी पाठशाला घूरेहट बीकापुर, फैजाबाद । (8,000 रु0)

(5) हरिजन प्राइमरी पाठशाला ढेगावेश्य, फैजाबाद ।(12,000 रु0)

अनुदान विषयक नियमावली संलग्न है ।

इन विद्यालयों को अनावर्तक अनुदान की धनराशि में भिन्नता का कारण निश्चित नीति शिक्षण कार्य की तिथि एवं विद्यालयों में छात्रों की संख्याओं की उपलब्धता है ।

बदायूं-दिल्ली मार्ग हेतु बस सेवा का प्रारम्भ तथा अस्थायी परमिट

*12--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि परिवहन विभाग बदायूं डिपो की बसें कुछ दिन पूर्व से बदायूं, सहसवान, गुन्नौर होते हुऐ दिल्ली की सेवाएं दे रही है ? यदि हां, तो क्या परिवहन निगम ने नियमानुसार स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी लखनऊ से स्थायी अथवा अस्थायी परमिट इस मार्ग हेतु अपनी बसों के लिए प्राप्त किए हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस गंभीर कानूनी संचालन को तुरन्त रुकवाने का कष्ट करेगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 15-11-83, जो ए0 आर0 एम0 बदायूं, मन्त्री परिवहन एवं जनरल मैनेजर, परिवहन निगम, उ0 प्र0 लखनऊ एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को भेजा गया है, पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

परिवहन मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

जी हां ।

प्रश्नगत बदायूं-दिल्ली सेवा चलाई जा रही है ।

सम्भागीय परिवहन-प्राधिकरण बरेली से प्रश्नगत मार्ग के लिए अस्थायी परमिट प्राप्त किए गए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सदस्य महोदय के पत्र दिनांक 15 नवम्बर, 1983 में इन सेवाओं को बन्द करने की मांग की गई है । जनता की आवश्यकता को देखते हुए इस अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।

बारी रजबहा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मस्टर रोल द्वारा मिट्टी के कार्य का भुगतान

*13--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि शारदा सहायक खंड 30 के अन्तर्गत बारी रजबाहा में 20.750 कि0 मी0 से 20.850 कि0 मी0 के बीच में सम्बन्धित अवर अभियन्ता ने 80 प्रतिशत जाली हस्ताक्षरों एवं अंगूठा निशानों के आधार पर फर्जी मस्टर-रोल तैयार करके 62,000 रुपये के सरकारी धन का फर्जी भुगतान किया है ? क्या यह सही है कि कार्य सिर्फ 15,000 रुपये से ज्यादा का नहीं हुआ है ? यदि हां,

†(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 185 पर ।)

तो क्या सरकारी धन के दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार के गम्भीर मामले की जांच उच्च विशेषज्ञ अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बारी रजबहा में 20.750 कि0 मी0 से 20.850 कि0 मी0 के बीच राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मस्टर-रोल द्वारा 2,704.5 घनमीटर मिट्टी कार्य हुआ है, जिसकी 33 प्रतिशत काम सहायक अभियन्ता द्वारा चेक कराने के बाद केवल रु0 22,988 का भुगतान किया गया है। मस्टर रोल पर अंगूठों के निशान अवर अभियन्ता द्वारा प्रमाणित किये गये हैं। अतः किसी अग्रेतर जांच की आवश्यकता नहीं है।

देवरिया डिपो में कार्यरत स्टेशन इंचार्ज का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण

*14--श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया डिपो में कितने स्टेशन इंचार्ज हैं और वे देवरिया में ही कितने दिनों से कार्यरत हैं ? क्या यह भी सत्य है कि ऐसे भी स्टेशन इंचार्ज हैं जो बी0 सी0, टी0 आई0, जे0 एस0 आई0 एवं एस0 आई0 भी यहीं हैं ? यदि हां, तो क्या ऐसे लोगों को तत्काल इस परिक्षेत्र से बाहर स्थानान्तरण करने का कष्ट करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

देवरिया डिपो में इस समय 7 स्टेशन इंचार्ज हैं जिनमें 6 जूनियर स्टेशन इंचार्ज एवं एक सीनियर स्टेशन इंचार्ज हैं। उनकी तैनाती की तिथि प्रत्येक के सामने अंकित है--

1--श्री स्वामी नाथ, 20-2-82
जू0 स्टेशन इंचार्ज

2--श्री विष्णु माष्कर मणि, 29-5-78
जू0 स्टेशन इंचार्ज

3--श्री शकर जी मिश्र, 3-1-81
जू0 स्टेशन इंचार्ज

4--श्री एस0 एन0 गुप्ता, 1-12-83
जू0 स्टेशन इंचार्ज

5--श्री एस0 एन0 त्रिपाठी, 15-12-76
जू0 स्टेशन इंचार्ज

6--श्री एस0 एन0 लाल, 11-8-81
जू0 स्टेशन इंचार्ज

7--श्री दीप नारायण तिवारी, 3-2-84
सीनियर स्टेशन इंचार्ज

ऐसा कोई स्टेशन इंचार्ज नहीं है जो बी0 सी0, टी0 आई0/जे0 एस0 आई0 एवं एस0 आई0 भी नहीं है। किसी का स्थानान्तरण इस समय विचाराधीन नहीं है।

*15--श्री राम स्वरूप वर्मा--

[दिनांक 7-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-61 द्वारा उत्तरित]

सिंचाई विभाग में दैनिक भत्ते पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवायें नियमित किये जाने की मांग

*16--श्री अब्बुल कलाम--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में जो कर्मचारी 3 वर्ष से अधिक समय से दैनिक भत्ते पर लगातार सिंचाई विभाग में कार्यरत हैं उनकी सेवायें नियमित करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सिंचाई विभाग में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत मस्टर रोल पर लगे कर्मचारियों को नियमित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

मस्टर रोल पर कर्मचारियों को कार्य पर आवश्यकतानुसार दैनिक मजदूरी पर लगाया जाता है । इन कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान में लेने का नियम नहीं है ।

वक्फ आयुक्त, उ0 प्र0 के अधीनस्थ कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*17--श्री सत्यपाल सिंह, श्री सिकन्दर अली खां तथा श्री साहब सिंह --

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या ई0 एम0 248 कार्तिक 4-18, दिनांक 9 फरवरी, 1981 में 5 वर्षों से अधिक चल चुके विभागों में 3 वर्ष तक कार्यरत कर्मचारियों के स्थायीकरण के स्पष्ट आदेश हैं ? यदि हां, तो क्या वक्फ आयुक्त, उ0 प्र0 के अधीनस्थ कार्यरत ऐसे वक्फ कर्मचारियों का स्थायीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जेल एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नइतर)--

मामले का परीक्षण किया जा रहा है ।

उ0प्र0 निर्यात निगम लि0 द्वारा गलीचा बुनाई प्रशिक्षण योजना तथा देय सुविधायें

*18--श्री मोहन सिंह--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 निर्यात निगम लि0 द्वारा गलीचा बुनाई प्रशिक्षण योजना कब से चलाई जा रही है ? कुल कितने प्रशिक्षण केन्द्र 1980 से 1983 के बीच खोले गये हैं ? प्रशिक्षण केन्द्रों के आवंटन का मापदण्ड क्या है तथा प्रशिक्षित बुनकरों को क्या सुविधा दी जाती है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

वर्ष 1976-77 से ।

284

केन्द्रों के आवंटन के मापदण्ड अनुलग्नक में दिये जा रहे हैं । इस योजना के अन्तर्गत सहयोगी-निर्माता द्वारा प्रशिक्षणकाल की समाप्ति के पश्चात् अनुबन्धानुसार 3 वर्षों तक रोजगार दिये जाने की व्यवस्था है ।

(देखिये नत्थो "ख" आगे पृष्ठ 187 पर ।)

जिला योजना समिति की स्वीकृति के अन्तर्गत नलकूपों का निर्माण कार्य

*19--श्री मुईद अहमद--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सुल्तानपुर के जिला योजना समिति की स्वीकृति के बिना ही सन् 1983-84 के प्लान में ट्यूबवेल हेतु विश्व बैंक को एक करोड़ छब्बीस लाख रुपया शासन अथवा प्रशासन अधिकारी स्तर पर ही दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार विश्व बैंक को दी गयी इस धनराशि का पुनः अनुमोदन जिला योजना समिति की मीटिंग में करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सुल्तानपुर जनपद में विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से निर्मित होने वाले पब्लिक नलकूपों के लिए वर्ष 1983-84 में राजकीय लघु सिंचाई (नलकूप) के अन्तर्गत 25 नये नलकूपों के निर्माण व 5 पुराने नलकूपों के आधुनीकरण के लिए 126.40 लाख रुपया शासन द्वारा आवंटित हुआ है । जिला योजना समिति की स्वीकृति लघु सिंचाई (नलकूप) के अन्तर्गत नलकूपों के निर्माण कार्यों के लिए की जाती है । अतः जिला योजना समिति से पुनः अनुमोदन कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

*20—श्री बनवारी राम—

[19वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तगत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

ग्राम समूह चक हबीबुल्लाह आदि, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ की जल निकासी के सम्बन्ध में पत्र

1—श्री राजकुमार राय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-11-83 ग्राम समूह चक हबीबुल्लाह आदि, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ की जल निकासी के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या आदेश हुआ तथा जल निकासी के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है जिसके पश्चात् ही अग्रिम निर्णय व कार्यवाही की जा सकेगी।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में औद्योगिक प्रगति

2—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के विकास खण्ड, जैतीपुर व तिलहर एवं खुदागंज में विगत दो वर्षों में वार्षिक औद्योगिक प्रगति क्या रही है ? क्या यह सच है कि तत्कालीन असिस्टेंट मैनेजर, उद्योग के स्थानान्तरण के फलस्वरूप औद्योगिक प्रगति में गिरावट आई है ? यदि हां, तो क्या शासन किसी योग्य असिस्टेंट इंडस्ट्री आफिसर अथवा मू0 पू0 अ0 इ0 आफिसर को पुनः नियुक्ति तिलहर में करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

मथुरा जिले के गोकुल के पास बैराज बनाने की योजना

3—श्री सरदार सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना नदी पर मथुरा जिले के गोकुल के पास बैराज बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ? इस योजना पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बैराज बनाने के प्रस्ताव पर अभी साध्यता प्रतिवेदन बनाये जाने हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य हो रहा है। समीक्षा के उपरान्त यदि यह योजना लाभदायक पायी गयी तो इसका विस्तृत सर्वेक्षण कार्य पूरा कराकर विस्तृत प्रायोजना प्राक्कलन बनाया जायेगा। इसके पश्चात् ही योजना की लागत ज्ञात हो सकेगी।

मांट ब्रांच कैनाल, मथुरा के कुरसन्ठा रजबहा के कुलाबों की बारबन्दी

4—श्री सरदार सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मांट ब्रांच कैनाल, मथुरा के कुरसन्डा रजबहा के कुलाबों की बारबन्दी (ओसराबन्दी) हो रही है और मौजा नगला हरी, तहसील मांठ के चक नम्बर 31, 43 एवं 45 रजबहा के अति निकट है ? यदि हां, तो बारबन्दी करते समय इनको मांठ ब्रांच कैनाल के कुलाबों के अन्तर्गत लगाने का क्या औचित्य है ? क्या शासन उक्त चकों की ओसराबन्दी कुरसन्डा रजबहा से कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां,

कृषक की प्रार्थना पर इन चकों को मांट ब्रांच के कमांड से हटाकर कुरसन्डा राजबाहा के कमांड में ले लिया गया हैं तथा इनको बारबन्दी भी कुरसण्डा राजबाहा पर की जा रही है ।

मथुरा जनपद में मथुरा रिफाइनरी के सामने यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 द्वारा निर्मित दुकानों के आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र तथा कार्यवाही

5—श्री सरदार सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में मथुरा रिफाइनरी के सामने औद्योगिक क्षेत्र में दुकान आवंटित करने हेतु अ वंटियों से 500-500 रुपये अग्रिम धनराशि के रूप में यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 की आगरा शाखा ने जमा कराए थे ? यदि हां, तो दूकानें निर्मित हो जाने के बाद अग्रिम धनराशि देने वालों को दुकानों का आवंटन क्यों नहीं हो रहा है ? क्या शासन शीघ्र ही अग्रिम धनराशि देने वालों को बिना नीलामी के दुकान आवंटित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । मथुरा औद्योगिक क्षेत्र में मथुरा रिफाइनरी के सामने यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 द्वारा निर्मित दुकानों के आवंटन हेतु 500 रु0 तथा 1000 रु0 के साथ इच्छुक व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ।

यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 के निदेशक मंडल ने दुकानों को 90 वर्ष के पट्टे पर नीलाम किये जाने का निर्णय लिया था परन्तु आवंटियों की मांग कई गुना बढ़ जाने के कारण निगम इस विषय को निदेशक मंडल के पुनर्विचार हेतु भेज रहा है । निदेशक मंडल के निर्णय होने के उपरान्त निर्णयानुसार कार्यवाही की जायगी ।

जनपद मथुरा में उद्योग लगाने के प्रतिबन्ध को हटाने की मांग

6—श्री सरदार सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा शहर से 30 कि0 मी0 दूरी की परिधि में उद्योगों का लगाना वर्जित है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन जनपद के पिछड़ेपन एवं रिफाइनरी के बाई-प्रोडक्शन के उपयोग को देखते हुए उद्योग लगाने के प्रतिबन्ध को हटाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नहीं, मथुरा-आगरा के एक निर्धारित क्षेत्र में केवल ऐसे उद्योग लगाना वर्जित है जो वायु प्रदूषण करते हैं । यह इसलिये किया गया है कि वायु प्रदूषण से ताजमहल व अन्य प्राचीन भवनों को क्षति पहुंचती है ।

मथुरा जनपद एक पिछड़ा जनपद घोषित है एवं वहां पिछड़े जिलों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये अन्य जिलों की भांति सुविधायें एवं प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं । रिफाइनरी के बाई प्रोडक्शन पर आधारित ऐसे उद्योग लगाये जाने पर जो वायु प्रदूषणता न करते हों, प्रतिबन्ध नहीं है । जिन वायु प्रदूषणता उद्योगों पर प्रतिबन्ध लगा है उसे हटाने का विचार नहीं है क्योंकि वायु प्रदूषण कम करने के ध्येय से ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे वायु प्रदूषण न हो अथवा उद्योग नई तकनीकी का प्रयोग करें ।

टेहरी उत्तरकाशी मार्ग पर माली देवल ग्राम में बस स्टेशन बनाने पर विचार

7--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में टिहरी उत्तरकाशी मार्ग पर टिहरी नगर के बाद मालीदेवल ग्राम में बस स्टेशन बनाने पर विचार करेंगे ? क्या इस सम्बन्ध में परिवहन विभाग को प्रश्नकर्त्ता के सुझाव जनवरी, 83 में प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गुलाब सेहरा--

टिहरी उत्तरकाशी मार्ग पूर्णतया अराष्ट्रीकृत है, जिस पर निजी बसों का संचालन होता है । परिवहन निगम द्वारा जनता की मार्ग पर कुछ सेवायें देहरादून व हरिद्वार से संचालित की जा रही हैं ।

उपरोक्त स्थिति में परिवहन निगम का बस स्टेशन बनाया जाना सम्भव नहीं है ।

देहरादून टकोली रोडवेज सेवा को श्रीनगर तक बढ़ाने की मांग

8—श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून टकोली रोडवेज सेवा को श्रीनगर तक बढ़ाने का आश्वासन लिखित रूप में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ० प्र० राजकीय सड़क परिवहन निगम, देहरादून ने अप्रैल, 83 में तथा अन्य कई बार दिये हैं ? यदि हां, तो इस सेवा को श्रीनगर तक कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री गुलाब सेहरा--

देहरादून टकोली बस सेवा को श्रीनगर तक बढ़ाने के विषय में कार्यालय अभिलेख के अनुसार कोई लिखित अथवा मौखिक आश्वासन सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, देहरादून द्वारा नहीं किया गया है ।

देहरादून टकौली बस सेवा जो अस्थायी परमिट पर संचालित है, को श्रीनगर तक बढ़ाकर सेवा करना नियमानुसार सम्भव नहीं है ।

परिवहन विभाग, टेहरी जनपद में व्यक्तिगत बस सेवा शुरू करने पर विचार

9--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग, टेहरी जनपद में एक ऐसी व्यक्तिगत बस सेवा शुरू करने पर विचार करेगा जो सुबह घणाशाली से चलकर जागधार के टिहरी की ओर जाने के बजाय सीधी श्रीनगर जाय और फिर तह० मुख्यालय, देवप्रयाग पहुंचकर संध्याकाल तक घणाशाली उसी मार्ग के श्रीनगर जागधार होते हुए लौट आए ? यदि हां, तो कब से ?

श्री गुलाब सेहरा—

प्रश्नगत बस सेवा शुरू करने हेतु आर० टी० ए०, देहरादून द्वारा आवश्यक जांच करने के उपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

हरिद्वार बड़ियारगढ़ रोडवेज बस सेवा को पुनः चालू किये जाने की मांग

10--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार बडियारगढ़ रोडवेज बस सेवा बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो इसके बन्द किये जाने का क्या कारण है ? यह सेवा कितने वर्षों से चल रही थी और क्या इसे पुनः शुरू करने पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां ।

इस बस सेवा की आय प्रति कि0 मी0 एवं लोड फैक्टर में गिरावट होने एवं संचालन अलाभकारी होने के कारण बन्द करनी पड़ी ।

प्रश्नगत बस सेवा 23-1-78 से 20-9-79 तक व पुनः 5-2-80 से 16-5-83 तक संचालित की गई ।

निगम के बस बेड़े में हिल बसों (166 व्हील बेस) की कमी तथा संचालन अलाभकारी होने के कारण प्रश्नगत बस सेवा पुनः संचालित करना सम्भव नहीं है ।

श्रीनगर गढ़वाल में परिवहन विभाग का डिपो खोले जाने की मांग

11--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीनगर गढ़वाल में उ0 प्र0 राज्य सरकार सड़क परिवहन निगम का डिपो खोले जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो वह डिपो कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भटवाड़ी से हरिद्वार हेतु बस सेवा की समय सारिणी में परिवर्तन

12--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने दिनांक 14 जनवरी, 83 को प्रश्नकर्ता को उत्तरकाशी में यह मौखिक आश्वासन राज्य सड़क परिवहन निगम के सक्षम अधिकारी से विचार-विमर्श करने के उपरान्त दिया था कि रोडवेज की एक सेवा 11 बजे दिन में भटवाड़ी से प्रारम्भ की जायेगी जो 1 बजे उत्तरकाशी से तथा 4 बजे टिहरी से हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेगी ? यदि हां, तो यह सेवा कब से शुरू की जा रही है ?

श्री गुलाब सेहरा--

माननीय विधायक जी के सुझाव पर भटवाड़ी से हरिद्वार के लिये प्रातः 6.20 संचालित हो रही बस सेवा की समय सारिणी में परिवर्तन कर उसे 11 बजे दिन में भटवाड़ी से संचालित किया गया था । यह बस सेवा सफल नहीं हुई । आय प्रति कि0 मी0 में काफी गिरावट हुई । अतएव जनता की सुविधा एवं आय प्रति कि0 मी0 को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 15-5-83 से पुनः 6.20 बजे प्रातः भटवाड़ी से हरिद्वार के लिए उक्त बस सेवा संचालित की जा रही है । आय को दृष्टिगत रखते हुए पुनः समय सारिणी में परिवर्तन करना सम्भव नहीं है ।

श्रीनगर गढ़वाल से हरिद्वार के लिये बस सेवा तथा ऊखीमठ से हरिद्वार तक बस सेवा शुरू करने का मांग

13--श्री विद्या सागर नौटियाल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीनगर गढ़वाल से हरिद्वार के लिये रोडवेज की कोई सेवा दिनांक 11 बजे के बाद नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऊखीमठ रोडवेज की एक ऐसी सेवा शुरू करने पर विचार करेगी जो उखीमठ से 12 बजे, रुद्रप्रयाग से 2 बजे और श्रीनगर से 4 बजे संध्या को हरिद्वार के लिये प्रस्थान करे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीनगर गढ़वाल से हरिद्वार के लिये 11.10 बजे तथा 11.40 बजे दो सेवायें सुलभ हैं जो क्रमशः गरसेण व

मंडल से 6 बजे प्रातः चलती है और 16.30 व 17.00 बजे हरिद्वार पहुंचती है ।

अलीगढ़ से हरिद्वार की दूरी 217 कि0 मी0 है जिसके लिये लगभग 9 घंटे का समय लगेगा और यह सेवा 9 बजे रात्रि में हरिद्वार पहुंचेगी । रात्रि में पर्वतीय क्षेत्र में बस सेवा चलाना सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है । हरिद्वार रात्रि में 9 बजे पहुंचने पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व अन्य स्थानों को जाने वाले यात्रियों को यात्रा सुविधा भी नहीं मिल पायेगी और उन्हें हरिद्वार में रात्रि विश्राम करना पड़ेगा । अतएव यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये उक्त बस सेवा संचालित करना उपयुक्त नहीं है ।

देवप्रयाग टिहरी-गढ़वाल से डिडोला खाल होते हुये टिहरी नगर का बस सेवा के समय को बदले जाने का नोटिफिकेशन

14—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवप्रयाग टिहरी-गढ़वाल से डिडाल खाल होते हुये टिहरी नगर के लिये 4 बजे संध्या को प्रस्थान करने वाली प्राइवेट गाड़ियों को अब देव प्रयाग से दिन के 1 बजे प्रस्थान करना होता है ? यदि हां, तो समय सारिणी में कब परिवर्तन किया गया और उसे गजट में कब प्रकाशित किया गया ? क्या इस सेवा के समय को बदले जाने का अलग से नोटिफिकेशन किया गया था ? यदि नही, तो यात्री वाहनों की सेवाओं के समय को राज्य सरकार के परिवहन विभाग के अधिकारियों के स्थान पर प्राइवेट बस कंपनियों के मालिकान संचालित करने हेतु सक्षम हैं ? क्या ऐसा कोई राजकीय घोषणा जारी की गयी है ? यदि हां, तो कब ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सवारी गाड़ियों की समय सारिणी बनाते समय स्थानीय विधायकों की सम्मति लेने की मांग

15—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल तथा देहरादून संभागों में चलने वाली व्यक्तिगत कंपनियों की सवारी गाड़ियों की समय सारिणी बनाते समय स्थानीय विधायकों की सम्मति ली जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी नहीं ।

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 के अन्तर्गत स्थानीय विधायकों से ऐसे मामलों में सम्मति मांगने का कोई प्राविधान नहीं है ।

देहरादून के संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा किये गये दौरे

16—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून स्थित संभागीय परिवहन अधिकारी ने सन् 1980-81, 1982 तथा 1983 में प्रश्न की तिथि तक टिहरी तथा उत्तरकाशी जनपदों के कुल कितने दौरे किन-किन तिथियों को तथा किन-किन स्थानों के किये ?

श्री गुलाब सेहरा—

प्रश्नगत अवधि में संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून ने निम्नानुसार दौरे किये—

(1) दिनांक 31 जून, 1981 को देहरादून से ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, श्रीनगर होते हुये पौड़ी गये ।

(2) दिनांक 1 सितम्बर, 1981 को पौड़ी से श्रीनगर होते हुये देहरादून वापिस ।

(3) दिनांक 14 जून, 1983 को देहरादून से श्रीनगर रात्रि विश्राम श्रीनगर ।

(4) दिनांक 15 जून, 1983 को श्रीनगर से पौड़ी रात्रि विश्राम पौड़ी ।

(5) दिनांक 16 जून, 1983 को श्रीनगर/पौड़ी ।

(6) दिनांक 17 जून, 1983 पौड़ी आर0 टी0 ए0 बैठक ।

(7) दिनांक 18 जून, 1983 पौड़ी से रुद्रप्रयाग होते हुये श्रीनगर तथा पौड़ी वापस (रात्रि विश्राम पौड़ी) ।

(8) दिनांक 19 जून, 1983 पौड़ी से श्रीनगर, श्रीनगर से उत्तर-काशी तथा वापस टिहरी ।

(9) दिनांक 20 जून, 1983 पौड़ी से टिहरी, उत्तरकाशी तथा वापस टिहरी ।

(10) दिनांक 21 जून, 1983 टिहरी से मुरादाबाद (रात्रि विश्राम मुरादाबाद) ।

(11) दिनांक 22 जून, 1983 मुरादाबाद से देहरादून वापस ।

टिहरी-गढ़वाल जनपद के तीन विकास खंडों में विभाजित किये जाने का कथित आश्वासन

17—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल जनपद के जरवोली विकास खंड को हुलाणाखाल, सिद्धसौड़ तथा जखोली तीन विकास खंडों में विभाजित करने का आश्वासन उन्होंने तारीख 14 जनवरी, 1983 को उत्तर-काशी में हुलाण खाल क्षेत्र की जनता के एक शिष्ट मंडल को दिया था ? यदि हां, तो इस दिशा में शासन द्वारा कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

18—श्री विद्यासागर नौटियाल—

[6ठें सोनवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद टिहरी गढ़वाल में मार्गों पर कार्यरत परिवहन निगम की बसें तथा बुकिंग स्टाल बनाने हेतु सुझाव

19—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की गाड़ियां कुल कितने किलोमीटर लम्बे मार्ग पर कार्यरत हैं । क्या यह सत्य है कि यात्रियों को सुविधा के लिए टिहरी जनपद में बुकिंग स्टाल टेलीफोन युक्त दफ्तर या साधारण कार्यालय वेटिंग रूम, प्रतीक्षालय, प्याऊ आदि सुविधाओं की संख्या शून्य है ? टिहरी नगर में एक बुकिंग स्टाल बनाने हेतु मोटर अड्डे पर नगरपालिका टिहरी से किराये पर एक कमरा लेने विषयक प्रश्नकर्त्ता का सुझाव 14 मार्च, 1983 में परिवहन मंत्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गुलाब सेहरा—

जनपद टिहरी गढ़वाल में 230 सड़क कि0 क्षेत्र में परिवहन निगम की बस सेवायें संचालित हैं ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के समस्त मोटर मार्ग अराष्ट्रीयकृत हैं केवल ऋषिकेश से नरेन्द्रनगर 10 कि0 मी0 तथा ऋषिकेश से लक्ष्मण झूला 5 कि0 मी0 मार्ग ही राष्ट्रीयकृत है । सभी अराष्ट्रीय-कृत मार्गों पर निजी बसों का संचालन है ।

परिवहन निगम द्वारा जनता जन प्रतिनिधियों की प्रबल मांग को दृष्टिगत रखते हुए देहरादून का हरिद्वार से जनपद टिहरी गढ़वाल व गढ़वाल मण्डल के विभिन्न स्थानों के लिए अस्थायी परमिट प्राप्त कर सीधी बस सेवायें संचालित की जा रही हैं जो जनपद व मण्डल में निजी बसों के संचालन की तुलना में नगण्य हैं। अतः जनपद टिहरी गढ़वाल के टिहरी नगर जो कि अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर स्थित है परिवहन निगम का बुकिंग कार्यालय, प्रतीक्षालय रनिंग रूम, प्याऊ आदि की व्यवस्था करना संभव नहीं है।

मलौनी बांध को महोबा से
मिर्जापुर तक चौड़ा व
पक्का करने की मांग

20--श्रीमती गौरीदेवी--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के पत्र संख्या सी-451/ई-ई0 एम0 सी-24-10-81 द्वारा मलौनी बांध, जनपद गोरखपुर के कि0 मी0 12 तक अर्थात् महोबा से मिर्जापुर तक मलौनी बांध को चौड़ा करके उसे पक्की सड़क के रूप में बनाने की योजना को तत्काल लागू करने के लिए इस संबंध में प्रश्न कर्त्री द्वारा दिनांक 25-11-83 को सिंचाई मन्त्री को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो क्या वित्तीय वर्ष 1984-85 में इस मलौनी बांध को महोबा से मिर्जापुर तक चौड़ा व पक्का कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नकर्त्री का दिनांक 25-11-83 का नहीं बल्कि दिनांक 20-11-83 का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें मलौनी बांध को महेवा से मिर्जापुर तक चौड़ा व पक्का करने की मांग की गई है। मलौनी बांध को चौड़ा करने, बांध की पिचिंग करने तथा उसे पक्का करने की परियोजना की कुल लागत 185-50 लाख रुपया होगी। प्रथम चरण में बांध को चौड़ा करने का कार्य स्वीकृत हो चुका है जिस पर कार्य प्रगति पर है। अन्य परियोजनाओं पर धनराशि की उपलब्धता के अनुसार ही कार्य किया जाना संभव हो सकेगा। धन की कमी के कारण वर्ष 1984-85 में यह कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकेगा।

कानपुर पनकी में वेस्पा एक्स "ई"
स्कूटरों के आवंटन में विधायकों
को प्राथमिकता दिये जाने
की मांग

21--श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री राम गोविन्द--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर पनकी में जो वेस्पा एक्स "ई" स्कूटर बन रहा है उसे सरकार विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गुलाब सेहरा--

स्कूटरों के आवंटन में कोई कोटा शासन के अधीन आरक्षित नहीं है। इसलिए स्कूटरों के आवंटन में शासन द्वारा प्राथमिकता निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी व फैजाबाद में बहने
वाली भडही नदी
की खुदाई

22--श्री माधव प्रसाद--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी फैजाबाद में बहने वाली भडही नदी जिससे लाखों एकड़ जमीन बाढ़ से डूब जाती है की नहरीकरण योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी खोदाई कब तक की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

सोहावल विधान सभा क्षेत्र में सरजू नदी के कटान से ठोकर बनाने की योजना

23--श्री माधव प्रसाद--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सोहावल विधान सभा क्षेत्र में सरजू नदी के कटान से भगनासी ग्राम कट गया है उसके बचाव के लिए ठोकर बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कब तक सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

सोहावल विधान सभा क्षेत्र में सरजू नदी के कटान से मुगलसी (भगनासी नदी) ग्राम में कृषि योग्य भूमि को क्षति हुई है तथा इस ग्राम की सुरक्षा हेतु परियोजना उ0 प्र0 राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत हो चुकी है ।

धन उपलब्ध होने पर उक्त परियोजना पर कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा ।

जनजाति हरिजन बाल उत्थान, शिक्षा निकेतन पिपरहिया, नौतनवां को कथित अनुदान

24--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जनजाति हरिजन बाल उत्थान, शिक्षा निकेतन पिपरहिया, विकास क्षेत्र नौतनवां (गोरखपुर) को माह जुलाई, 1983 में कोई अनुदान दिया गया ? यदि हां, तो उसका वितरण करा दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनजाति बाल उत्थान शिक्षा निकेतन पिपरहिया, विकास क्षेत्र नौतनवां, गोरखपुर को माह जुलाई, 1983 में कोई अनुदान नहीं स्वीकृत किया गया है ।

कोई प्रश्न नही उठता ।

गोंडा डिपो में तैनात सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के कार्यालय में बिना टिकट यात्री ले जाने के मामले

25--श्री भीखालाल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 परिवहन निगम गोंडा डिपो में तैनात सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के कार्यालय में उनके उप क्षेत्र में बिना टिकट यात्री ले जाने के कितने मामले पकड़े गये हैं और इन मामलों से संबंधित कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध पृथक् पृथक् क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

परिवहन निगम गोंडा डिपो में हेराफेरी का मामला

26--श्री भीखालाल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 परिवहन निगम गोंडा डिपो में 1 जुलाई, 1983 से 31 दिसम्बर, 1983 तक की अवधि में जाली टिकट, ब्लैंक बुक, मार्ग पत्र आदि से हजारों रुपये की हेराफेरी का कोई मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो उन मामलों में दोषी पाये गये अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिवहन निगम, गोंडा डिपो, क्षेत्र फैजाबाद में ब्लैंक बुक टिकट, मार्ग पत्र आदि की हेराफेरी का मामला

27--श्री जटाशंकर सिंह--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 परिवहन निगम, गोंडा

डिपो, क्षेत्र फैजाबाद में विगत 5–6 माह की अवधि में लाखों रुपये के टिकट, ब्लैंक बुक टिकट, मार्ग पत्र आदि की हेराफेरी का कोई मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो उन मामलों में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

28--श्री राम आसरे वर्मा--

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।]

भिक्षु कर्मशाला, शिवकुटी, इलाहाबाद की अधीक्षिका, श्रीमती माया बिरमानी के खिलाफ जांच रिपोर्ट

28--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि भिक्षु कर्मशाला, शिवकुटी, इलाहाबाद की अधीक्षिका, श्रीमती माया बिरमानी के खिलाफ जब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने स्थानान्तरण करके जांच कराने की सिफारिश अपनी रिपोर्ट दिनांक 15-9-82 में की थी, तो उक्त अधीक्षिका का स्थानान्तरण करके भ्रष्टाचार की जांच न कराने का कारण क्या है ? यदि कोई जांच की गयी है तो उसका परिणाम क्या निकला ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इलाहाबाद की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह निर्णय लिया गया कि इस मामले में प्रशासनिक जांच की जाय और प्रशासनिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । प्रशासनिक जांच सम्पन्न हो चुकी है एवं उसकी रिपोर्ट भी प्राप्त हो गयी है । इस रिपोर्ट के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ।

रिग्स डिवीजन, बरेली में व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा गुण्डागर्दी के सम्बन्ध में पत्र

30--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लाखन सिंह, महामंत्री, राष्ट्रीय युवा लोकदल के पत्र संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दिनांक 30-11-1983 व पत्र संख्या 9, दिनांक 1-12-1983, पत्र संख्या 10, दिनांक 1-12-83 जो रिग्स डिवीजन, बरेली में व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा गुण्डागर्दी के सम्बन्ध में हैं, शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

शिकायती पत्रों में वर्णित आरोपों की जांच के आदेश दिए गए हैं । जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

जनपद वाराणसी में विकास क्षेत्र भदोही के ग्राम मई हरदोपट्टी में नलकूप के पम्प हाउस का निर्माण

31--श्री बनवारी राम--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में विकास क्षेत्र भदोही के ग्राम मई हरदोपट्टी में लगा नया नलकूप और पम्प हाउस अब तक न चालू करने का क्या कारण है ? नलकूप कब तक चालू करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद वाराणसी में विकास क्षेत्र भदोही के ग्राम मई हरदोपट्टी के नलकूप के पम्प हाउस का निर्माण 12/82 में हो चुका था तथा इसका बी० एण्ड

एल0 फार्म माह 1/83 में विद्युत् विभाग को भेजा जा चुका है। नलकूप का विद्युतीकरण न होने के कारण वह चालू नहीं हुआ है। उसके शीघ्र चालू हो जाने की आशा है।

जनपद वाराणसी में अनुसूचित जाति के छात्रों के गार्जियन को प्रोत्साहन (अपार-च्युनिटी कास्ट) के रूप में सहायता की योजना

32—श्री बनवारी राम—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में पूर्व मा0 विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के गार्जियन को 15 रुपये प्रतिमास प्रोत्साहन देने हेतु सन् 1980-81 तथा 1981-82 में कितनी धनराशि जिले में आवंटित की गई थी और वह धन किस-किस विकास खंड में वितरित किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के माता-पिता/अभिभावक को 15 रु0 प्रतिमाह देने की योजना नहीं है, अतएव वाराणसी जिले को कोई धनराशि आवंटित करने और विकास खंड में वितरित किए जाने का प्रश्न ही नहीं होता।

उल्लेखनीय है कि 15 रु0 प्रतिमाह प्रोत्साहन (अपारच्युनिटी कास्ट) के रूप में सहायता की योजना प्राइमरी कक्षाओं की केवल बालिकाओं के लिए है।

जनपद वाराणसी में विमुक्त जाति के व्यक्तियों को कुटीर उद्योग हेतु आवंटित धनराशि

33—श्री बनवारी राम—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक वाराणसी जिले में विमुक्त जाति के लोगों को कृषि एवं कुटीर उद्योग हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई थी ? उसमें से कितनी धनराशि वर्षवार भुगतान की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद वाराणसी में विमुक्त जाति के व्यक्तियों को कृषि एवं कुटीर उद्योग हेतु वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक कुल 54,000 रुपये की धनराशि आवंटित की गयी है। जिसका वर्षवार भुगतान निम्न प्रकार किया गया है :—

वर्ष	आवंटित धनराशि	भुगतान की गई धनराशि
1980-81	12,000	..
1981-82	30,000	21,600
1982-83	12,000	8,700

गोण्डा डिपो की गौरी चौकी से कानपुर की बस सेवा को पुनः संचालित करने का निर्देश

34—श्री बनवारी राम—

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि गोण्डा डिपो की गौरी चौकी से कानपुर की बस सेवा दिनांक 17-7-83 को बन्द कर दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या परिवहन मन्त्री गौरी चौकी से कानपुर तक सीधे यात्रियों की सुविधा हेतु इस बस सेवा को पुनः चालू करने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां।

यह बस सेवा यात्रियों की उपलब्धता में हुई कमी के कारण बन्द की गयी थी।

यात्रियों की सुविधा हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक, फैजाबाद को उक्त गौरा चौकी, कानपुर बस सेवा को पुनः संचालित करने के निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं ।

कक्षा 9 व 10 में अनुसूचित जाति के छात्रों को अनिवार्य छात्रवृत्ति

35--श्री बनवारी राम--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कक्षा 9 व 10 में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति अनिवार्य कर दी गयी है ? यदि हां, तो यह आदेश कब से लागू होगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

कक्षा 9 व 10 में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने वाले समस्त अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति जिनके माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय 500 रु0 प्रति माह तक है, शासनादेश संख्या 3371/25--1-82--2/82, दिनांक 13 सितम्बर, 1982 के द्वारा अनिवार्य कर दी गयी है । यह आदेश वर्ष 1982-83 से लागू किया गया है ।

जनपद वाराणसी में प्रधान स्टेशन अध्यक्ष का कथित पद

36--श्री बनवारी राम--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में बाइस प्रधान स्टेशन अध्यक्ष हैं ? क्या इनमें अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या कोटा पूरा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

परिवहन निगम में प्रधान स्टेशन अध्यक्ष के नाम से कोई पद नहीं है । अतः उक्त पदों पर अनुसूचित जाति का कोटा पूरा होने का प्रश्न नही उठता ।

हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग में जिला स्तरीय कर्मचारियों की सेवा नियमावली

37--श्री बनवारी राम--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग में जिला स्तरीय कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनी है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त नियमावली बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्श--

जी नहीं ।

नियमावली बनाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

जनपद वाराणसी में विमुक्त जाति के छात्रों के लिये छात्रावास हेतु स्वीकृत धनराशि

38--श्री बनवारी राम--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि जनपद वाराणसी में विगत कई वर्षों से 55 हजार रुपया ज्ञानपुर तहसील में विमुक्त जाति छात्रावासों के लिए धन पड़ा है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि विमुक्त जाति छात्रावास, ज्ञानपुर के लिए खर्च की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद वाराणसी में विमुक्त जाति के छात्रों के लिए छात्रावास हेतु वर्ष 1980-81 में 55,000 रु0 की धनराशि स्वीकृत हुई है । यह धनराशि ज्ञानपुर तहसील के लिए ही नहीं है बल्कि जनपद वाराणसी हेतु है ।

उक्त धनराशि उपभोग न होने का कारण यह है कि जनपद में उपयुक्त भवन एवं स्वैच्छिक संस्था न मिलने के कारण छात्रावास का संचालन प्रारम्भ न हो सका है । उक्त धनराशि विमुक्त जाति छात्रावास, ज्ञानपुर के लिए ही नहीं व्यय की जायेगी बल्कि विमुक्त जाति के बाहुल्य क्षेत्र में छात्रों एवं भवन के उपलब्ध होने पर व्यय की जायेगी ।

जनपद वाराणसी में जिला हरिजन कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति बिल पास करके लैप्स हो जाने की जाँच

39—श्री बनवारी राम—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में जिला हरिजन कल्याण विभाग में 1982–83 में 3 लाख रुपये के बिल पास करके अपने पास रखे रहे, संस्थाओं को नहीं दिए ? दूसरा बिल 60 हजार रुपये का कक्षा 10 के छात्रों का छात्रवृत्ति बिल पास करके रखे थे, वह भी लैप्स हो गया ? क्या मन्त्री जी जांच करके उचित कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

यह सत्य है कि जनपद वाराणसी में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में वर्ष 1982–83 में 3 लाख रुपये की बिले जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित तथा उससे 2,22,793 रु0 की बिल कोषागार से पास होने के बाद भी सम्बन्धित संस्थाओं को प्राप्त नहीं हो सके दूसरी बिल जो पूर्व दशम कक्षाओं के छात्रों की छात्रवृत्ति से सम्बन्धित 53,252 रु0 की थी उसकी धनराशि भी व्ययगत हो गयी ।

छात्रवृत्ति की यह बिलें जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी द्वारा मार्च, 83 के अंतिम दिनों में प्रति-हस्ताक्षरित की गयी थी । समयाभाव के कारण उक्त बिलों की धनराशि सम्बन्धित छात्रों के खातों में स्थानान्तरित नहीं हो सकी और व्ययगत हो गयी ।

अब वर्ष 1983–84 में उपरोक्त व्ययगत सभी बिलों की स्वीकृति जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1983–84 के आय-व्ययक में उपलब्ध करायी गयी धनराशि से पुनः कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी में जिला हरिजन कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति लैप्स हो जाने की जांच

40—श्री बनवारी राम—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में जिला हरिजन कल्याण विभाग में 1982–83 में अनुसूचित जाति के छात्रों को 10 लाख रुपया छात्रवृत्ति लैप्स हो गई ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । वस्तुस्थिति यह है कि वाराणसी जनपद में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के निवर्तन वर्ष 1982–83 में अनुसूचित जाति की दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिये 10 लाख रुपये की धनराशि का आवंटन निदेशालय से दिनांक 26–3–1983 को तार द्वारा भेजा गया था परन्तु डाक व तार विभाग द्वारा समय से तार जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी को पहुंचाया नहीं जा सका । परिणामस्वरूप स्वीकृत 10 लाख रुपये की धनराशि लैप्स हो गयी जिसके लिये कोई विभागीय कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया है ।

जनपद मिर्जापुर में गड़बड़ा मेले में राष्ट्रीयकृत मार्ग पर रोडवेज बसों की व्यवस्था

41—श्री बनवारी राम—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में दिसम्बर,

1982 में गड़बड़ा मेले में राष्ट्रीयकृत मार्ग पर कितने रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई थी ? क्या यह सत्य है कि रोडवेज बस की व्यवस्था होने के बावजूद भी 32 प्राइवेट बसों को मेला हेतु परमिट दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

गड़बड़ा मेला दिसम्बर 1982 के लिये 34 रोडवेज बसों की व्यवस्था की गयी थी ।

जी हां । मेला में दर्शनार्थियों की संख्या को देखते हुए रोडवेज बसों की संख्या पर्याप्त नहीं थी । अतः दर्शनार्थियों की सुविधा की दृष्टिकोण से जिलाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा 32 प्राइवेट बसों को मेला हेतु अस्थायी परमिट जारी किये गये थे ।

जनपद वाराणसी के ग्राम नेवादा खुर्द के नलकूप नं0 60 पर से रबी की फसल को सिंचाई

42--श्री बनवारी राम--

क्या सिंचाई मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के विकास खंड, भदोही के ग्राम नेवादा खुर्द के नलकूप नं0 60 की मोटर फरवरी, 1983 में चोरी हो गयी थी, जिससे किसानों की रबी की पूरी फसल सूख गई तथा आज तक उक्त नलकूप की नई मोटर नहीं लगाई गई ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक उक्त मोटर लगा दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । वर्ष 1982-83 में रबी की फसल में यह कूप 678 घंटे चला । अतः रबी की फसल में सिंचाई की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम रैंयलपुर का नलकूप नं0 150 को चालू कराने की मांग

43--श्री बनवारी राम--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के विकास खंड भदोही के ग्राम रैंमलपुर का नलकूप नं0 150 वर्ष 1982-83 में कितने दिन चला ? क्या उक्त नलकूप वर्ष भर में मात्र 34 दिन ही चला था ? यदि हां, तो नलकूप बन्द होने का क्या कारण था ? क्या उक्त नलकूप शीघ्र चालू कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद वाराणसी के विकास खंड, भदोही के ग्राम रैंमलपुर का नलकूप नं0 150 वर्ष 1982-83 में 79 दिन चला। नलकूप यांत्रिक व विद्युत् दोषों एवं पानी की मांग न होने के कारण कभी-कभी बन्द रहा । वर्तमान समय में नलकूप सिंचाई हेतु चल रहा है ।

नलकूप प्रखंड प्रथम, जनपद वाराणसी के अधिशासी अभियन्ता श्री वाई0 एन0 राय को पदोन्नति का आधार

44--श्री वनवारी राम--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप प्रखंड प्रथम जनपद वाराणसी के अधिशासी अभियन्ता, भदोही (श्री वाई0 एन0 राय) के विरुद्ध डेढ़ लाख रुपये के गबन का केस चल रहा है ? क्या यह सही है कि इसी बीच उनकी पदोन्नति सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर की गई ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

शासन के आदेश दिनांक 29 सितम्बर, 1983 द्वारा श्री वाई0 एन0 राय की पदोन्नति अधिशासी अभियन्ता के पद पर नियमानुसार की गई है ।

बाबतपुर राजवाहा, जौनपुर हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि के सम्बन्ध में भू0 पू0 प्रधान श्री हनीफ द्वारा दायर की गई याचिका तथा प्रतिकर वितरण की कार्यवाही

45—श्री ऊवल—

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 38वां खंड, बाबतपुर राजवाहा, जौनपुर के लिये गांव बरही नेवादा, परगना पन्द्रह, तहसील व जिला वाराणसी की जमीन (काश्तकारी) बिला एक्वायर किये ही किसानों ने उक्त नहर के लिये दे दिया था ? क्या यह सही है कि उक्त बरही नेवादा के भू0 पू0 प्रधान हनीफ ने अपनी जमीन के बारे में एक रिट मा0 हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया जिससे सभी किसानों की जिनके जमीन में नहर खोद दी गयी है और उनका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि सिर्फ हनीफ ने अकेले मुकदमा किया है तो बाकी किसानों से भूमि अध्याप्त अधिकारी वाराणसी ने हलफनामा लेकर मुआवजा अब तक क्यों नहीं दिया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी हां । मु0 हनीफ तथा अन्य द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद से दिनांक 16-12-1981 को स्थगन आदेश प्राप्त किया गया जिस पर शासन की ओर से पैरवी की गयी परन्तु दिनांक 23-5-1983 को पुनः स्थगन आदेश उच्च न्यायालय द्वारा कनफर्म कर दिया गया । स्थगन आदेश निरस्त कराने हेतु कार्यवाही चल रही है ।

क्योंकि मुकदमा मु0 हनीफ द्वारा ग्राम प्रधान की हैसियत से पूरे ग्राम की ओर से दायर किया गया था अतः स्थगन आदेश से पूरा ग्राम प्रभावित हुआ माना गया ।

प्रभावित कृषकों द्वारा हलफनामा में माह जनवरी, 1984 में दाखिल होने पर माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के परिपालन में याचीगण की प्रभावित भूमि 0·958 एकड़ छोड़कर शेष भूमि 8-169 एकड़ भूमि का प्रस्तावित अभिनिर्णय आयुक्त महोदय वाराणसी मंडल वाराणसी के यहां पूर्व स्वीकृति हेतु दिनांक 28-1-1984 को भेज दिया गया है । स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रतिकर वितरण की कार्यवाही अतिशीघ्र नियमानुसार की जावेगी अस्तु अब किसी जांच का औचित्य नहीं है ।

46—श्री ऊवल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक, 38वां खंड, जौनपुर ने अपने पत्रांक 1145/शा0 स0 खं0-38, दिनांक 2 मई, 1983 के द्वारा प्रश्नकर्त्ता को लिखा है कि जिलाधिकारी, वाराणसी हलफनामा लेकर मुआवजा बांटने के प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं और उनका कहना है कि काश्तकार उच्च न्यायालय में उक्त याचिका के विरुद्ध हलफनामा दाखिल करें ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार इस प्रश्न पर जांच करायेगी कि एक व्यक्ति को छोड़कर किसी काश्तकार ने याचिका उच्च न्यायालय में नहीं दाखिल किया है ? जिन्होंने नहीं दाखिल किया है उनको पांच वर्षों से मुआवजा न देने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

उक्त सूचना विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, संयुक्त संगठन, वाराणसी ने अपने पत्र संख्या 1379, दिनांक 30-4-83 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खंड 38, जौनपुर को काश्तकारों को तद्नुसार सूचित करने हेतु दी है ।

मु0 हनीफ की मृत्यु हो चुकी है। प्रधान पद पर अन्य व्यक्ति निर्वाचित हो चुका है। चूंकि प्रभावित काश्तकारों ने हलफनामें माह जनवरी, 1984 में दाखिल किये हैं तभी अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकी है। आयुक्त, वाराणसी मंडल से स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद गाजीपुर में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि तथा व्यय

47—श्री राम नारायण सिंह, एडवोकेट—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत दिनांक 1-1-79 से 31-12-83 तक कितनी धनराशि सरकार द्वारा दी गयी थी तथा किन-किन विकास खंडों में इस योजना पर कितना खर्च किन-किन मदों में किया गया है? क्या यह सत्य है कि दी गयी धनराशि का उपयोग एवं उपभोग पात्र व्यक्तियों के हित में न करके सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा फर्जी बिल वाउचर बनाकर हड़प लिया गया है? क्या मन्त्री जी कोई आडिट दल भेज कर इन आरोपों एवं तथ्यों की जांच करायेंगे?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ अहरौला से माहुल-फूलपुर होते हुए बस सेवा को पुनः चलाये जाने की मांग

48—श्री अबुल कलाम—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ अहरौला से माहुल-फूलपुर होते हुए आजमगढ़ के लिए जो एक बस चलती थी उसे बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या कारण है और पुनः उक्त बस कब चलायी जायेगी?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

अहरौला कैनाल के चार नम्बर कुलाबा माइनर बनाने के सम्बन्ध में पत्र

49—श्री रामचरण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र दिनांक 29-11-83 को अहरौला कैनाल के चार नम्बर कुलाबा को माइनर बनाने के सम्बन्ध में लिखा था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

पत्र में बड़के मदरा क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु अहरौरा कैनाल के कुलाबा नं0 4 से नई माइनर के निर्माण का सुझाव दिया गया था, जो व्यवहारिक नहीं पाया गया।

बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों की जांच

50—श्री राम नारायण सिंह, एडवोकेट—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में वर्ष 1982 एवं 1983 में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में कुल कितनी नियुक्तियां की गयी हैं? सम्बन्धित नियुक्त व्यक्तियों के नाम पता, जाति एवं शिक्षा क्या है? क्या यह सत्य है कि उक्त नियुक्तियों में पात्र व्यक्तियों को नियुक्त न करके पैसे के आधार पर सकूनत एवं गलत शिक्षा का प्रमाण-पत्र जमा करके नियुक्तियां की गयी हैं? यदि नहीं, तो क्या मन्त्री जी इन आरोपों की जांच मुख्यालय सी0 आई0 डी0 व अपाधर विभाग से करायेंगे?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

51—श्री राम नारायण सिंह, एडवोकेट—

[दिनांक 15-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 49 द्वारा उत्तरित ।]

ग्राम सरौका, तहसील सगड़ी में राजकीय नलकूप के मोटर को चालू किया जाना

52—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के ग्राम तरौका में स्थित राजकीय नलकूप का मोटर जल जाने के कारण एक वर्ष से बेकार पड़ा है ? यदि हां, तो इससे कितनी फसल की हानि हुई है और इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । ग्राम सरौका, तहसील सगड़ी में स्थित राजकीय नलकूप मोटर जलने से एक वर्ष से बन्द नहीं है । बल्कि नलकूप चल रहा है ।

अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम छितरापार, तहसील नौगढ़, जनपद बस्ती में बूढ़ी राप्ती नदी के कटाव से प्रभावित भूमि

53—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम छितरापार, तहसील नौगढ़, जनपद बस्ती में नदी के कटाव से कितनी भूमि प्रभावित हुई है तथा उक्त ग्राम के कितने घर तथा स्कूल नदी में कट कर गिर गये हैं ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त कटाव को रोकने के लिये सरकार में कोई आश्वासन वर्ष 80 से 83 तक दिया था तथा सम्बन्धित योजना के क्रियान्वयन की व्यवस्था कब तक होगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम छितरापार, तहसील नौगढ़, जनपद बस्ती में बढ़ी राप्ती नदी के कटाव से वर्ष 1983 में लगभग 4 एकड़ भूमि प्रभावित हुई थी तथा ग्राम के जूनियर हाई स्कूल की दीवाल भी कट गई थी। घर कटने की सूचना सिंचाई विभाग को नहीं है । ग्राम छितरापार पर कोई आश्वासन नहीं है । तथापि उक्त कटाव को रोकने के लिये नदी के किनारे ठोकर बनाने की परियोजना मुख्य अभियन्ता समिति को दिनांक 23/24-12-1980 को प्रस्तुत की गयी थी जो अस्वीकृत कर दी गयी । मुख्य अभियन्ता समिति ने नदी के घुमाव को देखते हुए नदी के लूप को काटकर नदी को सीधा करने का सुझाव दिया । तदनुसार वर्ष 1983 की बाढ़ के पूर्व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत लूप काटने का प्रयास किया गया था परन्तु निकटवर्ती ग्राम झुमकी के निवासियों के तीव्र विरोध के कारण यह कार्य नहीं हो सका । परियोजना पुनः मुख्य अभियन्ता समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत की जायेगी । समिति के निर्णय के पश्चात् ही आगामी कार्यवाही सम्भव होगी ।

मेजा कताई मिल, जनपद इलाहाबाद में बाहर के लोगों को नियुक्त करने का औचित्य

54—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मेजा कताई मिल, जनपद इलाहाबाद में जो तकनीकी लोग रखे गये हैं, उसमें मेजा के लोगों का कितना प्रतिशत है ? बाहर के लोगों को रखने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रतिशत शून्य है ।

तकनीकी पद हेतु वांछित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले मेज़ा तहसील निवासी किसी भी व्यक्ति का प्रार्थना–पत्र न प्राप्त होने तथा स्थानीय सेवायोजन कार्यालय द्वारा योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न कराये जा सकने की दशा में समाचार–पत्रों में विज्ञापन देकर वांछित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले बाहर के लोगों का चयन करके नियुक्त किया गया ।

जनपदों में प्रस्तावित खाद के कारखाने

55––श्री रेवती रमण सिंह––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में जो खाद के कारखाने खुलने थे, वे कब तक खुलेंगे और प्रत्येक में कितनी लागत आयेगी तथा किन–किन स्थानों में खुलेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

खाद के कारखाने प्रदेश के निम्न–लिखित जनपदों में स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं :––

1––जगदीशपुर (सुल्तानपुर) ।

2––आंवला (बरेली) ।

3––शाहजहांपुर ।

4––बबराला (बदायूं) ।

प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 700 करोड़ रु0 होगी । जगदीशपुर तथा आंवला परियोजनायें अक्तूबर, 1987 तक पूरी होने के लिय प्रस्तावित हैं । अन्य दोनों परियोजनाओं में एक वर्ष तक कार्य आरम्भ हो सकने की सम्भावना है और वे 36–39 माह में पूरी की जा सकेगी ।

सठियांव से जहानागंज मार्ग, जनपद आजमगढ़ पर पुल का निर्माण

56––श्री दूधनाथ राजभर––

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सठियांव से जहानागंज मार्ग, जनपद आजमगढ़ पर ग्राम बजहा के पास विभाग द्वारा पुल का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उसमें विलम्ब का कारण क्या है ? तथा पुल का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी हां ।

धनाभाव के कारण पुल के स्लेब का निर्माण कार्य नहीं हो सका है ।

धन उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा ।

जनपद आजमगढ़ में अनधिकृत रूप से निजी क्षेत्रों में चालित बसें

57––श्री दूधनाथ राजभर––

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में तमाम बसें अनधिकृत रूप से निजी क्षेत्रों को चलती हैं, जिसके कारण सरकार को लाखों रुपये की क्षति प्रतिवर्ष होती है ? क्या सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए दिनांक 31–12–1983 तक कदम उठाए है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा––

कुछ बसों को अवसर पाकर बिना परमिट चलाने के प्रयास किए जाते हैं । ऐसी बसों की परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा निरन्तर चेकिंग की जाती है । इसके अतिरिक्त समय–समय पर जिला प्रशासन, पुलिस तथा परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ संयुक्त चेकिंग भी की जाती है और जो वाहन अनियमित रूप से चलते पाये जाते हैं उनके नियमानुसार चालान करके मोटर गाड़ी अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार दोषी व्यक्तियों को दन्डित किया जाता है ।

आजमगढ़ जनपद में दिनांक 1–4–1983 से 31–12–1983 तक की

अवधि में अनधिकृत संचालन के अभियोग में 44 बसों के 58 चालान किए गय और उनमें से 29 बसें थान में बन्द की गयीं ।

शारदा सहायक परियोजना में नैनपुर अल्पिका हेतु भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही

58--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक परियोजना नहर की शाखा नईनपुर माइनर जो जपानागंज में ग्राम चक्रपानपुर, कनैला होते हुए ग्राम सरछा की तरफ निकल जाती है, उक्त माइनर में किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि का दिनांक 3-12-1983 तककितना मुआवजा किसानों को दिया गया है ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं और इस अधूरे माइनर को पूरा कराने में क्या कठिनाई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

शारदा सहायक परियोजना में नईमपुर नाम की कोई अल्पिका नहीं है बल्कि नैनपुर अल्पिका है । उक्त अल्पिका के लिए भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही विचाराधीन है । कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् कृषकों का मुआवजा तथा नहर को पूर्ण कराना सम्भव हो सकेगा ।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम के वर्तमान वरिष्ठ प्रबन्धक की समाप्त सेवायें तथा पुनर्नियुक्ति

59--श्री अकबाल हुसैन--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 निर्यात नियम के वर्तमान वरिष्ठ प्रबन्धक (क्रय) को विभागीय अनियमितताओं के लिए मुअत्तल करके उनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया था ? यदि हां, तो वरिष्ठ प्रबन्धक के निलम्बन व मुकदमें में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0, कानपुर के वर्तमान वरिष्ठ प्रबन्धक (क्रय) श्री बी0 के0 गैंड की सेवायें अगस्त, 1981 में, जब वे अधिशासी (क्रय) के पद पर कार्य कर रहे थे, बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर जाने आदि के आरोपों के आधार पर निगम द्वारा समाप्त कर दी गयी थीं । उक्त आदेश के विरुद्ध उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) में एक याचिका दायर की और अन्तरिम स्थगनादेश प्राप्त किया । कालान्तर में उनके द्वारा क्षमा-याचना किये जाने तथा उनके और निगम के मध्य दिनांक 28-4-1983 को हुए समझौते के आधार पर सेवा समापन आदेश वापस लेते हुए उन्हें पुनः सेवा में ले लिया गया । इस बीच स्थगनादेश निरस्त हो गया, किन्तु सम्बन्धित अधिकारी को चयनोपरान्त वरिष्ठ प्रबन्धक (क्र0) के वर्तमान पद पर दिनांक 6-8-1983 से नियुक्त किया गया है । उक्त समझौते की प्रतिलिपि माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका के खारिज किये जाने के आशय से दाखिल कर दी गयी है, जिस पर अन्तिम आदेश प्रतीक्षित है ।

विकास खंड मनकापुर के मछलीगांव ग्राम में कार्यरत नलकूप चालक एवं उनका स्थानान्तरण

60--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मछलीगांव, डाकघर-मछलीगांव, तहसील उत्तरौल, ब्लाक मनकापुर, जनपद गोंडा में कितने पम्प आपरेटर गत 10-15 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? उन्हे दूसरे स्थान पर क्यों नहीं स्थानान्तरित किया जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

विकास खंड मनकापुर के मछलीगांव ग्राम में राजकीय नलकूप पर एक नलकूप चालक वर्ष 1969 से कार्यरत हैं। उन्हें स्थानान्तरित किया जा रहा है।

राज्य सड़क परिवहन निगम को निजी बसों से आय तथा परिचालकों एवं चालकों के वेतन पर व्यय

61--श्री पंचानन राय--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1983 में राज्य सड़क परिवहन निगम को अपनी निजी बसों से कुल कितनी आय हुई तथा इस महीने में इन पर नियुक्त परिचालकों एवं चालकों के वेतन पर कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को अपनी निजी बसों से माह अक्तूबर, 1983 में 714·99 लाख रुपया की आय हुई और इस महीने में परिचालकों एवं चालकों के वेतन एवं भत्तों पर कुल लगभग 118·25 लाख रुपये व्यय हुआ।

62--श्री पंचानन राय--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर में राज्य सड़क परिवहन निगम को अपनी निजी बसों से कितनी आय हुई तथा इस महीने में इन पर नियुक्त परिचालकों एवं चालकों के वेतन पर कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा--

सितम्बर, 1983 में उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम को अपनी निजी बसों से कुल रुपया 633·86 लाख की आय हुई, तथा इन पर नियुक्त परिचालकों एवं चालकों के वेतन एवं भत्तों पर लगभग 120·24 लाख रुपये व्यय हुआ।

जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में अनिर्मित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में कार्यवाही

63--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय वन अधिनियम लागू हो जाने से जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के क्रमशः कौन-कौन से मोटर मार्ग निर्मित होने से रुक गये हैं और कौन-कौन से मोटर मार्ग अधूरे छूट गए हैं ? सरकार ने इस विषय में क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

सूचना †संलग्न परिशिष्ट (क) एवं परिशिष्ट (ख) के अनुसार है।

64--श्री सिकन्दर अली खां 'नवाब'--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

शारदा सहायक परियोजना नहर शाखा, आजमगढ़ का बांध टूट जाने से कृषकों को कथित क्षति

65--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक परियोजना नहर शाखा आजमगढ़ रजबाहा जो ग्राम टाढ़ी से घनार बांध भटगांवा भुजही आदि गांवों से होकर जाती है उसके ग्राम घनार बांध के पास टूट जाने से प्रतिवर्ष कृषकों की फसल को

†छापी नहीं गयी।

भारी नुकसान होता है ? यदि हां, तो इसे कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? अभी तक ठीक न कराए जाने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऐनवा माइनर के निर्माण में कृषकों की अध्याप्त की गयी भूमि के प्रतिकर का भुगतान

66—श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मकसूद अहमद पुत्र श्री मुस्ताक अहमद, चक नं0-49 गाटा नम्बर-44 व श्री जयश्री पुत्र श्री टिम्मल व श्री बाबूराम आशाराम चक नं0-23 गाटा नम्बर-40 ग्राम ऐनवां, टांडा, फैजाबाद की उक्त भूमि थमुआ पर बाय अवसानपुर माइनर निर्माण से प्रभावित हुई है ? यदि हां, तो कुल कितना रकबा है और अब भूमि का प्रतिकर न दिए जाने का क्या कारण रहा और कब तक प्रभावित भूमि का प्रतिकर भुगतान कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । ऐनवा माइनर के निर्माण में प्रश्नगत कृषकों की प्रश्नगत भूमि प्रभावित हुई है ।

कुल रकबा 0.141 एकड़ तथा 5 बिस्वा लिया गया है । भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है जिसके पूर्ण होने पर प्रतिकर वितरित किया जायेगा ।

प्रदेश में खोले गये नए कल-कारखाने तथा विद्युत् व्यवस्था

67—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में सन् 80 से 83 के बीच में कितने नए कल-कारखाने एक करोड़ से अधिक के खोले गये ? क्या सभी को विद्युत् उपलब्ध करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और कब उपलब्ध करा दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आश्रम पद्धति विद्यालय, तालबेहट, ललितपुर में वर्ष 81-82 में 88 विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था

68—श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आश्रम पद्धति विद्यालय, तालबेहट, ललितपुर में सम्प्रेक्षण के दौरान यह पाया गया कि 88 विद्यार्थियों को दो कमरों में वर्ष 81-82 में रखा गया, जिनका आच्छादित क्षेत्रफल केवल 378 वर्गफीट था, वह कैसे सम्भव पाया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, बांदा में रजिस्ट्री पत्र प्राप्त रजिस्टर का उपयोग

69—प्रोफेसर चन्द्रप्रकाश शर्मा--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, बांदा ने वर्ष 80-81, 81-82 एवं 82-83 में रजिस्ट्री पत्र प्राप्त रजिस्टर का उपयोग किया है ? यदि हां, तो वर्षवार कितनी रजिस्ट्री प्राप्त हुई और उन पर पत्रों की क्या संख्या थी ? यदि नहीं, तो ऐसे महत्वपूर्ण रजिस्टर को कार्यालय पर क्यों नहीं रखा गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता । रजिस्ट्री पत्रों को अंकित करने के लिए अलग से पंजिका

बनाने का प्राविधान नहीं है । एक ही पंजिका में साधारण तथा पंजीकृत पत्रों को अंकित किया जाता है । कुल प्राप्त पत्रों जिनमें रजिस्ट्री पत्र भी शामिल हैं, की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है—

वर्ष	कुल पत्रों की संख्या
1980–81	1045
1981–82	682
1982–83	914

जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, बांदा में ऋण अनुदान आवेदन–पत्रों की पंजिका

70—प्रोफेसर चन्द्रप्रकाश शर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 80-81, 81–82 एवं 82–83 में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, बांदा में ऋण अनुदान आवेदन–पत्रों की पंजिका रखी गयी है ? यदि हां, तो वर्षवार तथा उद्योगवार कितने आवेदन–पत्र प्राप्त हुए हैं और आवेदन–पत्रों का वरिष्ठता किस आधार पर मानी गयी है, स थ ही आवेदन–पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि पंजिका नहीं बनायी गयी है, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

वर्षवार, उद्योगवार प्राप्त आवेदन–पत्रों एवं उन पर की गयी कार्यवाही परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है । उक्त वर्षों में जितने आवेदन–पत्र प्राप्त हुए सब जिला वित्त समिति द्वारा स्वीकृत कर दिये गये । अतः वरिष्ठता के आधार पर धन स्वीकृत किए जाने का प्रश्न नहीं था । ग्रामोद्योग अधिकारी को जानकारी न होने के कारण प्रश्नगत पंजिका नहीं बनायी गयी थी जो अब बनायी जा रही है ।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 188 पर ।)

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, बांदा द्वारा ऋण एवं अनुदान का वितरण

71—प्रोफेसर चन्द्रप्रकाश शर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 74–75, 81–82 में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, बांदा ने एक ही सम्पत्ति को एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों का स्वामित्व दिखाकर विभिन्न सदस्यों को अलग–अलग ऋण एवं अनुदान स्वीकृत एवं वितरित किया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, बांदा ने वर्ष 74–75 व 81–82 में राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित मूल्यांकन के आधार पर ऋण एवं अनुदान वितरित किया है ।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद बांदा में उद्योगवार आवंटित धनराशि

72—प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद बांदा के लिये वर्ष 1980–81, 1981–82, 1982–83 में उद्योगवार कितनी इकाइयों हेतु कितना–कितना धन आवंटित किया गया था ? वर्षवार कितना अग्रिम धन उपलब्ध कराया गया था एवं वर्षवार किन–किन उद्यमियों को कितना–कितना धन किस–किस उद्योग में स्वीकृत एवं वितरित किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वांछित सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। वर्षवार अग्रिम धन की स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	अग्रिम धन (लाख रुपयों म)
1980-81	2·00
1981-82	5·00
1982-83	4·00

वांछित सूचना परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न† है।

टी0 वी0 तथा रेडियो सेटों के ऊपर नाम तथा मोहरें लगाने के सम्बन्ध में उठाये गये कदम

73--श्री मुहम्मद अजम खां--

क्या उद्योग मन्त्री बतायेंगे कि रामपुर में बनने वाला जाली टी0 वी0 एवं जाली रेडियो जो कि निक्को रेडियो के नाम से भी जाना जाता है, के बने सेटों पर लगाई गयी मोहरों पर किन कारणों से हेड आफिस या कम्पनी का पता नहीं लिखा जाता है। सरकार ने इसके विरुद्ध क्या कदम उठाए? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सामान्यतः टी0 वी0 तथा रेडियो सेटों के ऊपर उनका नाम लिखा जाता है। मोहर पर पता लिखने या न लिखने के लिये उत्पादक संयंत्र होते हैं। अतः उत्पादकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

†छापी नहीं गयी।

शारदा सहायक सिंचाई परियोजना की नहरों से पानी बंसों नदी व मगई नदी में छोड़े जाने से फसलों को क्षति

74--श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के तहसील सैदपुर एवं गाजीपुर के कृषकों को हजारों एकड़ रबी की फसल बोने के बाद ही शारदा सहायक सिंचाई परियोजना के नहरों से गलत ढंग से पानी बंसों नदी एवं मंगई नदी में छोड़ देने के कारण नष्ट हो जाती है? इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गए? जिसकी वजह से करोड़ों रुपए की कृषकों को प्रत्येक वर्ष हानि उठानी पड़ रही है? यदि हां, तो क्या सरकार कृषकों को लगान में छूट देने के अलावा क्षतिपूर्ति देने को तैयार है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं। बंसों नदी में किसी जगह पानी नहीं छोड़ा गया। आजमगढ़ ब्रांच का अधिक पानी आवश्यकता कम हो जाने पर छोड़ने के लिये स्केप बने हैं जो मगई नदी में गिरते हैं। पानी इतना नहीं छोड़ा गया जिससे किसानों की फसलों को क्षति हुई हो।

प्रश्न नहीं उठता।

75--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 160 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

नवगवां कैनाल नामक पम्प नहर द्वारा पानी न मिलने से कृषकों की क्षति संबंधी शिकायती पत्र पर कार्यवाही

76--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 23--11-1983 के साथ जनपद बाराबंकी

के अन्तर्गत विकास खंड भवई के गांव हंसराजपुर आदि के किसानों का एक शिकायती प्रार्थना-पत्र नवगवां कैनाल नामक पम्प नहर द्वारा पानी न मिलने के कारण काफी नुकसान होने के सम्बन्ध में मिला है ? यदि हां, तो उक्त नहर का निर्माण कब हुआ था और उसके निर्माण में शासन का कितना रुपया खर्च किया गया ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रतिवर्ष कितनी जमीन अब तक सींची जाती रही है और अब तक सरकार को राजस्व के रूप में कितना रुपया मिल चुका है और क्या यह सही है कि उक्त पम्प नहर मौके पर अधूरी है और सरकारी कागजात में पूर्ण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम कामपुर मंजर जैसुखपुर के निवासियों का झील के पानी निकासी हेतु ड्रेन बनाए जाने के सम्बन्ध में पत्र

77--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खंड मवई के अन्तर्गत ग्राम कामापुर मंजर जैसुखपुर के निवासियों का एक शिकायती-पत्र दिनांक 21-9-1983 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 12-10-1983 के साथ मुस्तकिल जल भराव की समस्या के समाधान हेतु झील के पानी निकासी हेतु ड्रेन बनाए जाने से सम्बन्धित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जल निकासी हेतु आवश्यक सर्वेक्षण कार्य प्रगति में है ।

जिला कारागर, आगरा में उद्योगों से लाभ, केन्द्रीय कारागर, तथा आगरा में उद्योगों का स्थानान्तरण

78--श्री पंचानन राय--

क्या कारागर, मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागर, आगरा में वर्ष 1980-81 1981-82 तथा 1982-83 में उद्योगों से क्या लाभ हुआ है ? क्या यह सही है कि जिला कारागार से कुछ प्रमुख उद्योग केन्द्रीय कारागार आगरा, को स्थानान्तरित कर दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

लाभ यह हुआ कि प्रदेश के कारागारों को आवश्यकता पूर्ति इन वर्षों में चलाये गये उद्योगों के उत्पादों से हो सकी ।

जी हां ।

वर्ष 1976 में केन्द्रीय कारागार, आगरा के अस्थायी तौर पर बन्द करने के कारण वहां चल रहे कुछ उद्योग अन्य कारागरों को स्थानान्तरित कर दिये गये थे । अब केन्द्रीय कारागार, आगरा के नवनिर्मित भवन में पुनः चालू हो जाने पर कुछ उद्योग जिला कारागार आगरा से वहां स्थानान्तरित कर दिये गये हैं ।

आजमगढ़ जनपद में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत अवर अभियन्ता

79--श्री पंचाननराय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग, आजमगढ़ जनपद में इस समय आवश्यकता से अधिक अवर अभियन्ता कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने अवर अभियन्ता कार्यरत हैं ? निर्धारित संख्या से अधिक कार्यरत होने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, सिंचाई खंड, आजमगढ़ में स्वीकृत 13 पद के विरुद्ध 18 अवर-अभियन्ता कार्यरत हैं। स्थानान्तरित किए गए अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरित आदेश स्थगित हो जाने के फलस्वरूप ऐसा हुआ है।

जनपद आजमगढ़ के हरैया विकास खंड को विशेष समन्वित योजना में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी-पत्र

80—श्री पंचानन राय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के हरैया विकास खंड को विशेष समन्वित योजना (स्पेशल कम्पोनेंट प्लान्ट) में सम्मिलित किये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 28-12-82 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान्ट पूरे प्रदेश में लागू है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के सघनीकृत विकास कार्यक्रमों के लिए जो विकास खंड चुने गये हैं, उनमें विकास खंड हरैया नहीं है, क्योंकि सघनीकृत विकास के लिये खंडों के चयन हेतु जो मानक निर्धारित हैं, उसके अन्तर्गत उपरोक्त विकास खंड नहीं आता है।

अजमतगढ़ विकास खंड में बाल विकास परियोजना प्रारम्भ किये जाने से सम्बन्धित-पत्र

81—श्री पंचानन राय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ विकास खंड में बाल विकास परियोजना प्रारम्भ किये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 18-12-82 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ विकास खंड में बाल विकास परियोजना प्रारम्भ करने की संस्तुति भारत सरकार को भेजी गयी थी। प्रश्नगत विकास खंड में बाल विकास परियोजना आरम्भ करना अभी सम्भव नहीं है।

आजमगढ़ जनपद की जौनपुर टाउन एरिया को विकास केन्द्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में पत्र

82—श्री पंचानन राय—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की जौनपुर टाउन एरिया को विकास केन्द्र घोषित किये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 17-9-82 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

आजमगढ़ जनपद की जौनपुर टाउन एरिया को विकास केन्द्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र आजमगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उद्योग निदेशालय में किया जा रहा है।

83—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[4थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 68 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गांव महेशपुर, जिला वाराणसी में राजकीय नलकूप के निर्माण की मांग

84—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव महेशपुर नम्बर 2, ब्लाक काशी विद्यापीठ, जिला वाराणसी में सिंचाई हेतु रा0 नलकूप नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार महेशपुर में एक राजकीय ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

राजकीय नलकूप का निर्माण जिला योजना के अन्तर्गत जिला सिंचाई सलाहकार समिति एवं स्थल चयन समिति के संस्तुति के आधार पर किया जायेगा ।

85—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महेशपुर के पूरब नलकूप सरहरी, उत्तर मिट्ठलपुर ट्यूबवेल व दक्षिण में बखरिया ट्यूबवेल व पश्चिम में मंगलपुर ट्यूबवेल काफी दूर-दूर पर है, जिनकी वजह से महेशपुर का 180 एकड़ तथा उपरोक्त नलकूपों के कमाण्ड की सैकड़ों एकड़ भूमि बीच में असिंचित रह जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त असिंचित एरिया महेशपुर के लिये स्पेशल सरकारी आदेश से नलकूप लगा देगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

ग्राम सरहरी विहलपुर व मंगलपुर के नलकूपों पर पर्याप्त विद्युत न मिलने के कारण काफी क्षेत्र असिंचित रह जाता है ।

नलकूपों का निर्माण जिला प्लान के अन्तर्गत जिला सिंचाई सलाहकार समिति और जिला स्थल चयन समिति की संस्तुति पर किया जाता है ।

86—श्री ऊदल—

क्या सरकार नलकूप सरहरी, मिट्ठलपुर बखरिया एवं मंगलपुर नलकूप एरिया के पूरे कमान्ड की जांच करायेगी ? क्या यह सही है कि सभी नलकूपों का कमाण्ड 4 सौ एकड़ से 500 एकड़ के ऊपर रखा गया है ? क्या सरकार उक्त नलकूपों से महेशपुर की तरफ आने वाली नाली के कमान्ड को काटकर नलकूप महेशपुर में लगायेगी ? क्या सरकार यह भी जांच करायेगी कि उपरोक्त नलकूपों की नालियों को जो कमान्ड बनाते वक्त बनाई गई है और नक्शे में भी दर्ज है लेकिन मौके पर नाली नहीं है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सभी नलकूपों का कमान्ड केवल बिहलपुर को छोड़कर 4 सौ एकड़ के नीचे ही रखा गया है । नलकूप बिहलपुर का कमान्ड 443 एकड़ है ।

जिला प्लान के अन्तर्गत जिला सिंचाई सलाहकार समिति और जिला स्थल चयन समिति की संस्तुति के अनुसार राजकीय नलकूप का निर्माण किया जाता है ।

इन नलकूपों पर मौके पर नालियां वही हैं जो नक्शे पर हैं ।

अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को जेल सेवाओं में समुचित प्रतिनिधित्व दिये जाने की मांग

87—श्री भोला लाल—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री कमर इकबाल, जेल विजिटर, जेल रोड, रामपुर का पत्र दिनांक 5-12-83, प्राप्त हुआ है जिसमें अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की जेल

सेवाओं में समुचित प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग की गयी है ? यदि हां, तो शासन ने विचारोपरान्त उस पर क्या निर्णय लिया है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

जी हां ।

प्रस्ताव का विधिक दृष्टि से परीक्षण किया जा रहा है ।

जनपद गाजीपुर के वि0 खं0 विरनो, मनिहारी, देवकली में बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा किये गये दौरे

88—श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के वि0 खं0 विरनो, वि0 खं0 मनिहारी, वि0 खं0 देवकली में बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने वर्ष 1983 में कितने दौरे अपने क्षेत्रों में कियेतथा इनके दौरों पर खर्च का क्या विवरण है ? उक्त अधिकारियों ने अपने क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, ब्लाक प्रमुखों एव जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क कर के या बैठकें बुलाकर अपनी योजना की प्रगति बताने एवं सहयोग प्राप्त करने के कौन से कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

गाजीपुर जनपद के बाल विकास परियोजना अधिकारी विरनो तथा मनिहारी द्वारा अपने-अपन क्षेत्रों में वर्ष 1982-83 में क्रमशः 170 तथा 135 दौरे किये गये और उनके दौरों पर क्रमशः 2,777 रु0 तथा 862 रु0 व्यय हुआ । विकास खंड देवकली नाम से कोई बाल विकास परियोजना नहीं है बल्कि परियोजना सैदपुर के नाम से है । बाल विकास परियोजना अधिकारी सैदपुर के 160 दौरे पर वर्ष 1982-83 में रुपया 1,470 व्यय हुआ ।

परियोजना अधिकारी विरनो द्वारा अपने क्षेत्र में ग्राम प्रधान तथा जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क स्थापित कर योजना की प्रगति के लिए 15 गोष्ठियां आयोजित की गयी । परियोजना अधिकारी मनिहारी एवं सैदपुर द्वारा दौरे के समय ग्राम प्रधानों से तथा जन-प्रतिनिधियों से योजना की प्रगति तथा प्रचार के लिए सम्पर्क कर विचार-विमर्श किया गया ।

बस्ती-हरैया परशुरामपुर मार्ग पर संचालित बस सेवा तथा आय

89—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 रा0 स0 प0 निगम की बस बस्ती के परशुरामपुर से हरैया जिला बस्ती में वर्ष 1980 से चलती है ? यदि हां, तो सन् 1980 से अगस्त, 1983 तक प्रत्येक वर्षों में उक्त बस द्वारा कितनी आय हुई ?

श्री गुलाब सेहरा—

हरैया-परशुरामपुर मार्ग पर अलग से बस सेवा संचालित नहीं की गयी है अपितु बस्ती-हरैया परशुरामपुर पूरे मार्ग पर बस सेवा संचालित की जा रही है ।

उक्त बस सेवा से वर्ष 1980 से अगस्त 1983 तक वर्षवार आय निम्नवत् प्राप्त हुई है :—

वर्ष 1980 रु0 55,775.69 ।

वर्ष 1981 रु0 93,002.85 ।

वर्ष 1982 रु0 92,847.71 ।

वर्ष 1983 (अगस्त तक) रु0 69,114.65 ।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा द्वारा छात्रवृत्ति के बिल का आहरण तथा जांच

90--श्री सरदार सिंह--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने कृपा करेंगे कि जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा ने वित्तीय वर्ष 1982-83 को समाप्ति पर विद्यालयों से छात्रवृत्ति के बिल बिना प्राप्त किये हुये ही तीन लाख रुपये का आहरण (ड्रा) किया था ? यदि हां, तो उस धन को किस खाते में डाला गया और उसका ब्याज किस खाते में जमा किया गया था ? इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारी के खिलाफ शासन नें अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

91--श्री राम स्वरूप वर्मा--

[4थे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

रायबरेली वार्डेन श्री हरिश्चन्द्र वर्मा द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच

92--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित श्री रामसेवक वर्मा, अध्यक्ष छात्र संघ, मूल भारतीय छात्रावास, सिविल लाइन, जिला रायबरेली का प्रार्थना-पत्र दिनांक 7-10-83 को उक्त छात्रावास के वार्डेन श्री हरिश्चन्द्र वर्मा द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त मामले की जांच किस अधिकारी से करायी और जांच का परिणाम क्या निकला ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय परिवहन निगम को किराया बढ़ाये जाने से लाभ

93--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में उ0 प्र0 रा0 प0 निगम द्वारा किराया बढ़ाये जाने पर कितना लाभ हुआ है और अब कितना घाटा है ?

श्री गुलाब सेहरा--

दिनांक 20-9-83 से उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की यात्री गाड़ियों के किराये में 25 प्रतिशत वृद्धि के उपरान्त माह सितम्बर, 1983 से जनवरी, 1984 तक लाभ/हानि के विवरण निम्न प्रकार हैं ।

माह	लाभ/हानि रु0,
सितम्बर, 1983	(-) 1,27,97,951
अक्तूबर, 1983	(-) 58,48,215
नवम्बर, 1983	(-) 39,19,852
दिसम्बर 1983	(-) 136,69,042
जनवरी, 1984	(-) 1,02,49,467

जनपद इटावा के बुनकरों को हथकरघा निगम द्वारा सूती धागा तथा कच्चा माल उपलब्ध किया जाना

94--श्री मित्रसेन--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इटावा के बुनकरों की उ0 प्र0 हथकरघा निगम द्वारा सूती धागा तथा दूसरा कच्चा माल उपलब्ध कराया जा रहा है ? यदि हां, तो दिनांक 18 नवम्बर से लगातार चल रही बुनकरों

की भूख हड़ताल तथा सत्याग्रह के क्या कारण हैं और उक्त जनपद में कितनी बुनकर समितियों के रजिस्ट्रेशन हैं ? उनमें से कितनी कार्यरत हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

बुनकर हथकरघा निगम द्वारा ऋण के रूप में या तो रु0 5000 या इतने मूल्य का सूत दिए जाने की मांग कर रहे हैं जो निगम की नीति के अंतर्गत देय नहीं है ।

इटावा जनपद में 220 बुनकर समितियों के रजिस्ट्रेशन हैं । इनमें से 202 समितियां कार्यरत हैं ।

जनपद गाजीपुर में विश्व बैंक योजना द्वारा बनाये गए नलकूपों का विद्युतीकरण

95—श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में 1 जनवरी 1980 से 31-12-83 तक कुल कितने राजकीय नलकूप विश्व बैंक योजना द्वारा बनाए गए हैं तथा इनका अब तक विद्युतीकरण न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद गाजीपुर में कुल 43 नलकूप 1 जनवरी, 1980 से 31-12-83 तक विश्व बैंक योजना द्वारा लगाये गये हैं । सभी नलकूपों का विद्युतीकरण हो चुका है ।

उ0 प्र0 नलकूप निगम कर्मचारी संगठन के ज्ञापन पर कृत कार्यवाही

96—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 नलकूप निगम कर्मचारी संगठन के ज्ञापन सहित प्रश्नकर्ता का दिनांक 29 सितम्बर, 1983 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

ज्ञापन अभी नियम के विचाराधीन है ।

आजमगढ़ जिले के सिंचाई विभाग में अवर अभियन्ता का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण

97—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के सिंचाई विभाग में कौन-कौन से अवर अभियन्ता ऐसे हैं जिन्हें इसी जिले में 6 वर्ष से अधिक हो गया है और जिनका स्थानान्तरण गत तीन वर्षों में लगातार स्थगित हो चुका है ? इनमें से कौन से ऐसे हैं, जिन्हें नवम्बर-दिसम्बर, 1983 में स्थानान्तरित किया गया है ? क्या उन्होंने चार्ज दे दिया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आजमगढ़ जिले में सिंचाई विभाग में केवल एक अवर अभियन्ता श्री विद्या-सागर प्रसाद ऐसे हैं जिन्हें इसी जिले में 6 वर्ष से अधिक हो गया है और जिनका स्थानान्तरण दिनांक 19-6-81 को किया गया था, तब से यह स्थानान्तरण स्थगित होता रहा । अब इन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है । किसी भी अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण नवम्बर/दिसम्बर, 1983 में नहीं किया गया । अतएव चार्ज देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद फैजाबाद के हरिजन प्राइमरी पाठशाला सोनहरा में श्री कन्हैया लाल, अध्यापक की नियुक्ति के अनुमोदन का औचित्य

98—श्री पंचानन राय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन प्रा0 पा0 सोनहरा, जनपद आजमगढ़ में श्री कन्हैया लाल की नियुक्ति अवैधानिक होने के कारण जिला हरिजन कल्याण अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं की गई ? क्या निदेशक, हरिजन समाज कल्याण द्वारा दिनांक 16-10-81 को उक्त नियुक्ति का अनुमोदन किया गया ? यदि हां, तो अनुमोदन का क्या औचित्य था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद फैजाबाद के हरिजन प्राइमरी पाठशाला सोनहर में श्री कन्हैया लाल की नियुक्ति स्वैच्छिक संस्था के प्रबन्धक द्वारा की गई थी । प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत विवरण के परीक्षण पर तत्कालीन निदेशक, हरिजन समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा अध्यापक की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया था ।

क्योंकि इस संस्था में छात्रों की संख्या देखते हुए अतिरिक्त अध्यापक का औचित्य था ।

सरयू नहर परियोजना की प्रगति तथा आवंटित धनराशि

99—श्री मित्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरयू परियोजना नकद साख सीमा धन न मिलने से इस वर्ष ठप कर दी गई है और विभागीय कर्मचारियों को बिना कार्य किए ही वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो वर्तमान वर्ष 1983-84 में उक्त परियोजना की नकद साख सीमा क्या है एवं कार्य प्रगति क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सरयू नहर परियोजना का कार्य नकदसाख सीमा धन के न मिलने के कारण ठप नहीं किया गया है और न ही बिना कार्य के कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है । वर्तमान वर्ष 1983-84 में सरयू मुख्य अभियन्ता के संगठन में सरयू परियोजना के कार्यों हेतु 1746.70 लाख रु0 का धनावंटन किया गया है जिसके प्रति रु0 1484.70 लाख की साख सीमा विभिन्न मन्डलों एवं खन्डों को प्राप्त कराई जा चुकी है । सरयू परियोजना के विभिन्न कार्यों के निर्माण हेतु आवंटित 1746.70 लाख रु0 की धनराशि के विरुद्ध माह जनवरी, 1984 के अन्त तक रु0 1590.719 लाख व्यय किया जा चुका है । परियोजना के विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति का विस्तृत विवरण † संलग्न है ।

सिंचाई कार्य मंडल, कानपुर के अन्तर्गत प्रखंड, जोपे तथा जोप एक्सीडेन्ट में अधिकारियों की मौतें

100—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई कार्य मंडल कानपुर के अन्तर्गत कितने प्रखंड हैं और उनमें से कितनी जोपें हैं तथा उनमें से कितनी कन्डम घोषित हैं जो अब तक नीलाम नहीं की गई हैं और उक्त मंडल में अब तक कितने जोप एक्सीडेंट हुये हैं तथा उनमें कितने अधिकारियों की मौतें 1 जनवरी, 1979 से 31 दिसम्बर, 1983 के बीच हुयी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई कार्य मंडल कानपुर के अन्तर्गत 4 प्रखंड हैं और उनमें कुल 10 जोपें हैं । इनमें से किसी को भी

†(छापा नहीं गया ।)

अभी कन्डम घोषित नहीं किया गया है। इस मंडल के अन्तर्गत दो जीप एक्सीडेन्ट हुये थे। पहली दुर्घटना रामगंगा चैनल निर्माण खंड, इलाहाबाद (अब सिंचाई खंड-2, इलाहाबाद) के अन्तर्गत दिनांक 16 फरवरी, 1979 को हुई थी जिसमें श्री अनीस अहमद अलवी, अधिशासी अभियन्ता की मृत्यु हो गयी थी तथा दूसरी दुर्घटना सिंचाई निर्माण खंड-2, कानपुर के अन्तर्गत दिनांक 25 जनवरी, 1982 को हुई थी जिसमें श्री के0 के0 जैन, अधिशासी अभियन्ता की मृत्यु हो गयी थी।

जनपद वाराणसी के ग्राम रामनगर के द्वितीय नलकूप को चालू किये जाने की मांग

101—श्री बनवारी राम—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में वि0 खंड, सुरियांवा के ग्राम रामनगर के द्वितीय नलकूप लगभग 5 वर्षों से बन्द पड़ा है? यदि हां, तो क्यों? क्या रिबोर कराकर उक्त नलकूप को शीघ्र चालू कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह नलकूप वर्ष 1980-81 से बन्द है।

कूप का निकास कम हो गया था।

जी हां।

वर्ष 1984-85 में चालू हो जायेगा।

टनकपुर से तवाघाट में यातायात हेतु संचालित बस सेवा

102—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टनकपुर से तवाघाट में यातायात हेतु जनता की आवश्यकताओं को देखते हुये समानान्तर बस सेवा उपलब्ध कराने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गुलाब सेहरा—

टनकपुर से तवाघाट कोई सीधी बस सेवा संचालित नहीं है अपितु टनकपुर से धारचूला तथा धारचूला से तवाघाट दो अंशों में निगम की बस सेवायें संचालित हैं।

वर्तमान समय में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से कुछ निजी बसें भी टनकपुर-धारचूला मार्ग पर संचालित हो रही हैं। धारचूला-तवाघाट मार्ग पर केवल निगम द्वारा बस सेवायें संचालित की जा रही हैं।

उपर्युक्त टनकपुर-धारचूला तथा धारचूला-तवाघाट मार्ग पूर्णतया राष्ट्रीयकृत मार्ग है जिस पर जनता की आवश्यकतानुसार बस सेवायें संचालित की जा रही हैं। अतः समानान्तर बस सेवा उपलब्ध कराने पर सरकार द्वारा विचार किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

103—श्री साहब सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

जिला कानपुर देहात, विकास क्षेत्र डेरापुर में नलकूपों का छिद्रण

104—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर देहात के विकास क्षेत्र डेरापुर के अन्तर्गत कितने राजकीय नलकूप 31 दिसम्बर, 1983 तक लग चुके हैं, उनमें से कितने नलकूपों से सिंचाई हो रही है तथा राजकीय नलकूपों 11 डी0 ज0 ग्राम हारामऊ कब लगाया गया था, इससे अब तक सिंचाई हुयी है या नहीं? इसी प्रकार 45 डी ज0 चिलौली की क्या स्थिति है? इन दोनों नलकूपों से काश्तकारों को पानी कब तक मिल सकेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जिला कानपुर देहात के विकास क्षेत्र डेरापुर में 31 दिसम्बर, 1983 तक 22 नलकूपों का छिद्रण हुआ है, उनमें से 13 नलकूप सिंचन कर रहे हैं।

राजकीय नलकूप संख्या 11 डेरापुर ग्रुप का छिद्रण वर्ष 1977 में तथा विद्युतीकरण वर्ष 1981 में हुआ था। इस नलकूप द्वारा क्रमशः वर्ष 1981-82, 1982-83 व 1983-84 में अब तक 17, 1 व 9 एकड़ क्षेत्र सिंचित हुआ है। इस नलकूप के बोर में मोटर गिर जाने के कारण निकास बहुत कम हो गया है। अतः कूप का पुनः निर्माण स्वीकृत कर दिया गया है।

कूप संख्या 45 डेरापुर समूह का छिद्रण नवम्बर, 1981 में हुआ था। इस कूप के बोर में अवांछनीय तत्वों द्वारा ईंटें भर दी गई हैं जिसके कारण कूप चालू नहीं हो पाया।

वर्ष 1984-85 में कूप संख्या 11 डेरापुर समूह के पुनः निर्माण के उपरान्त व कूप संख्या 45 डेरापुर समूह के बोर को साफ करके चालू किया जाना प्रस्तावित है। इन कूपों के चालू होने के पश्चात् ही काश्तकारों को पानी दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

105--श्री राम स्वरूप वर्मा--

[5वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

विकास क्षेत्र डेरापुर, जिला कानपुर देहात के अन्तर्गत पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में पत्र

106--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वि0 क्षे0, डेरापुर, जिला कानपुर देहात के अन्तर्गत नहर विभाग के उपखंड रूरा के अन्तर्गत आने वाली माइनर विसौहा पर ग्राम सभा उदनापुर और बड़ा गांव भिकली के मध्य आवागमन हेतु एक पुलिया का निर्माण कब कराया गया था? क्या यह पुलिया लोगों के आवागमन के लिए उपयुक्त है? यदि नहीं, तो अब तक इसे आवागमन योग्य क्यों नहीं बनाया गया है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रइनगत माइनर के मील 3-4-0 पर एक पुल का निर्माण वर्ष 1980-81 में किया गया था।

जी नहीं।

पुल का लेबिल सामान्य भूमि तल से ऊपर होने के कारण आवागमन में असुविधा है। पुल को भूमि तल से मिलाने हेतु समीप के खेतों से मिट्टी लेने में स्थानीय कृषकों द्वारा आपत्ति किए जाने के कारण यह कार्य नहीं किया जा सका। अब कृषकगण खेतों से मिट्टी देने के लिए सहमत हो गये हैं। यह कार्य शीघ्र पूरा करा लिया जायेगा।

जनपद गोरखपुर के पाण्डेपार बाजार में कम्बल उद्योग एवं कालीन प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में कार्यवाही

107--श्रीमती गौरी देवी--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्री द्वारा 28 नवम्बर, 1983 को उन्हें लिखा गया पत्र, जो गोरखपुर जनपद के पाण्डेपार बाजार में कम्बल उद्योग एवं 5 अन्य स्थानों पर कालीन प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के संबंध में था, प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

कम्बल योजना के अन्तर्गत पाण्डेपार बाजार, गोरखपुर के स्थान पर उक्त

जनपद के खजनी ब्लाक में कम्बल कार-खाना स्थापित किये जाने की कार्यवाही खादी बोर्ड द्वारा की जा रही है। जहां तक कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने का सम्बन्ध है, माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्या द्वारा उनके संदर्भित पत्र में इंगित स्थानों में से किसी भी स्थान पर केन्द्र आवंटन के लिये किसी सहयोगी निर्माता द्वारा आवेदन न किए जाने के कारण, केन्द्र खोलना सम्भव नहीं हो सका।

एक पृथक परियोजना गोरखपुर के लिये अनुमोदित की गई है जिसके अन्तर्गत उ० प्र० निर्यात निगम के माध्यम से कारपेट काम्पलेक्स स्थापित किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत एक सामूहिक सुविधा केन्द्र होगा और उससे सम्बद्ध प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किए जायेंगे।

सहायक अभियन्ता द्वितीय, सिंचाई खंड, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

108--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 4 अगस्त, 1983 को मुख्य मंत्री जी को सहायक अभियन्ता द्वितीय, सिंचाई खंड, आजमगढ़ के विरुद्ध एक शिकायती पत्र प्रश्नकर्त्ता ने भेजा था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नकर्त्ता मा० सदस्या का प्रश्न में संदर्भित सहायक अभियन्ता के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र दिनांक 6-9-83 न कि 4-8-1983 प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच के आदेश मुख्य अभियन्ता (गण्डक) को दे दिये गये हैं।

पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत निर्माणाधीन मोटर मार्ग

109--श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कौन-कौन से मोटर मार्ग निर्माणाधीन हैं और इनकी स्वीकृति शासन द्वारा कब-कब दी गई और प्रत्येक की निर्माणाधीन लम्बाई क्या है तथा स्वीकृत स्थान तक की प्रत्येक मार्ग की अवशेष लम्बाई क्या है तथा इस अवशेष मार्ग का निर्माण कब तक होने की सम्भावना है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला कारागार, गोरखपुर के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों के सम्बन्ध में तार

110--श्रीमती गौरी देवी--

क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि मई, 1983 के प्रथम सप्ताह में श्याम जी त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, जिला जनता पार्टी, गोरखपुर ने तार द्वारा उप कारागार महानिरीक्षक, गोरखपुर व मंत्री जी का लाकप जेल, गोरखपुर से एक कैदी के भाग जाने तथा जिला कारागार, गोरखपुर के अधिकारियों द्वारा घटना को छिपाने आदि शिकायतों की सूचना दी थी ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

जी हां।

तार में की गयी शिकायतों की जांच करायी गयी थी। शिकायतें निराधार पायी गयीं।

गोरखपुर ड्रेनेज खंड के सहायक अभियन्ता श्री श्याम लाल के विरुद्ध गबन की जांच

111--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर ड्रेनेज खंड में दिसम्बर, 1982 में सहायक अभियन्ता श्री श्याम लाल ने चार हजार छः सौ पचपन रुपये का

गबन किया था, जिसकी रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खंड, गोरखपुर ने शासन को नहीं भेजा ? यदि हां, तो क्यों और यदि रिपोर्ट शासन को भेजी गयी तो वह क्या थी और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अधिशासी अभियन्ता ने दिसम्बर, 1982 में 4,655 रु0 गबन किए जाने की सूचना मुख्य अभियन्ता (गण्डक) को तथा महालेखाकार को भेजी थी। इस मामले की जांच करायी गयी और श्री श्याम लाल, सहायक अभियन्ता द्वारा गबन किया जाना नहीं पाया गया बल्कि श्री बाबू लाल गुप्ता, आलेखक-प्रालेखक को दोषी पाया गया जिन्हें दण्डित करने के लिए नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। नियमों के अनुसार अधिशासी अभियन्ता द्वारा यह रिपोर्ट शासन को नहीं भेजी जानी थी।

सहायक अभियन्ताओं की प्रोन्नति का मामला

112--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर, 1982 में 17 सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति का मामला सरकार के विचाराधीन लम्बित है ? यदि हां, तो उस पर निर्णय कब तक कर लिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

सहायक अभियन्ताओं की प्रोन्नति का मामला माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के फलस्वरूप अवरुद्ध है।

लखनऊ, कानपुर व वाराणसी में आबकारी निरीक्षकों का निलम्बन तथा बहाली

113--श्रीमती गौरी देवी--

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1981-82 व 1982-83 में लखनऊ, कानपुर व वाराणसी में जिन 17 आबकारी निरीक्षकों को निलम्बित किया गया था उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं और उन्हें आरोप-पत्र दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उन आबकारी निरीक्षकों में से 8 को बहाल करने पर विचार किया जा रहा है ?

श्री बासुदेव सिंह--

वर्ष 1981-82 व 1982-83 में लखनऊ, कानपुर व वाराणसी तथा प्रदेश के अन्य जनपदों में कुल 17 आबकारी निरीक्षकों को निलंबित किया गया था जिनके विरुद्ध कुल कार्यवाही का पूर्ण विवरण संलग्न है। इनमें से 16 आबकारी निरीक्षकों को सेवा में पुनर्स्थापित किया जा चुका है ?

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 189 पर।)

114--श्रीमती गौरी देवी--

[दिनांक 15-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-132 द्वारा उत्तरित]

जनपद [गोरखपुर के भौवापुरी बेला और कौड़ीराम गजपुर बांधों में खड़ंजा बिछाने हेतु पत्र

115--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के भौवापार बेला और कौड़ीराम गजपुर बांधों को पूरा करके, खड़ंजा बिछाने हेतु मार्च, 1983 में प्रश्नकर्त्री द्वारा भेजा गया कोई पत्र सिंचाई मंत्री को प्राप्त हुआ था, जिस पर उन्होंने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (बाढ़ व गंडक), गोरखपुर को बांध पूरा करने एवं खड़ंज करवाने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो अब तक उस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 24 फरवरी, 1983 गोरखपुर जनपद के भौवापार बेला और कौड़ीराम गजपुर बांधों की खड़ंजा बिछाने हेतु मार्च, 1983 में प्राप्त हुआ था ।

भौवापार बेला बांध पर सोलिंग हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि की मांग जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गोरखपुर से की गयी है उक्त धनराशि के उपलब्ध होने पर उपरोक्त कार्य को किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

कौड़ीराम गजपुर बांध निर्माणाधीन है । इसके पूर्ण हो जाने तथा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से धन प्राप्त होने पर सोलिंग का कार्य किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

पर्वतीय क्षेत्र हेतु अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन के लिए भवन की व्यवस्था की मांग

116--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन के लिए भवन की व्यवस्था कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के विकास खंड में बाल विकास परियोजना को उपलब्ध सुविधा

117--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में बाल विकास परियोजना की सुविधा किन-किन ब्लाकों में उपलब्ध करायी गयी है तथा दिसम्बर, 1983 तक इस योजना पर कितनी धनराशि का व्यय हुआ है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

आजमगढ़ में बाल विकास परियोजना पवई, रानीपुर एवं मोहम्मदाबाद विकास खंडों में वर्तमान में संचालित है । व्यय की सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ के विकास खंड, जहानागंज में हरिजन एवं निर्बल वर्ग के लोगों को ऋण तथा स्वीकृत अनुदान

118--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ के ब्लाक जहानागंज में दिसम्बर, 1984 तक कितने हरिजन एवं निर्बल वर्ग के लोगों को स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत ऋण तथा अनुदान की स्वीकृति की गयी है ? उक्त योजना के अन्तर्गत उक्त सुविधा प्रदान करने के आधार क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत केवल अनुसूचित जाति के लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है । इस योजना के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ के विकास खंड, जहानागंज में दिसम्बर, 1983 तक 646 लोगों को ऋण तथा अनुदान स्वीकृत किया गया है । उक्त सुविधा अनुसूचित जाति के उन परिवारों को प्रदान की जाती है जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 3,500 रु0 से कम होती है ताकि वे स्वरोजगार स्थापित करके आर्थिक विकास कर सकें ।

ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में कालीन एवं चिकन कढ़ाई केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में पत्र

119--श्री बाबूराम---

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, विधायक का पत्र दिनांक 25-9-83, जो ग्राम रसूलपुर, विकास खंड शुकुलबाजार, जिला सुल्तानपुर में कालीन एवं चिकन कढ़ाई केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मामले में अभी तक कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

दिनांक 25-9-83 का नहीं, वरन् 22-9-83 को हस्ताक्षरित एक पत्र शासन को प्राप्त हुआ था जिसकी प्राप्ति की सूचना माननीय सदस्य को भेज दी गयी थी ।

उक्त पत्र के साथ अग्रसारित ग्राम रसूलपुर के निवासियों के कालीन बुनाई एवं चिकन प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने विषयक प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में आवश्यक जांच कराई गयी, परन्तु कालीन बुनाई में कार्यरत किसी उद्यमी द्वारा केन्द्र आवंटन का आवेदन न किए जाने के कारण वहां कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र खोलना संभव नहीं हो सका । जहां तक चिकन कढ़ाई केन्द्र की स्थापना का प्रश्न है, सर्वेक्षणोपरान्त यह पाया गया है कि कथित क्षेत्र में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध न होने एवं एतदर्थ क्षेत्र अविकसित होने के कारण इस समय चिकन कढ़ाई केन्द्र वहां खोला जाना सम्भव नहीं है ।

ग्रुप भदोही, जिला वाराणसी के राजकीय नलकूप नं0 73 को पुनः चालू किया जाना

120---श्री ऊदल---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुरासी नलकूप नं0 73 ग्रुप भदोही, जिला वाराणसी एक माह से खराब है ? क्या यह सही है कि इसका पम्प खोल दिया गया है ? इसको बनाकर अब तक न लगाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

राजकीय नलकूप नं0 73 ग्रुप भदोही, जिला वाराणसी दिनांक 4 जनवरी, 1984 को पम्प दोष के कारण खराब हो गया था । इस नलकूप का पम्प खोला गया था तथा उसकी मरम्मत करके इसे पुनः दिनांक 8 फरवरी, 1984 को चालू कर दिया गया था । अतः इसकी जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला वाराणसी के नलकूप नं0 303 के पाइप की चोरी के सम्बन्ध में दर्ज रिपोर्ट

121---श्री ऊदल---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप नं0 303 लखनपुर ग्रुप, भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी की 7 पाइप चोरी चली गयी है, इसकी रिपोर्ट दिनांक 24-12-82 को पुलिस स्टेशन भदोही, जिला वाराणसी में कूप चालक अशोक कुमार दुबे ने की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि बिना विभागीय जांच के ही 1670 रु0 की वसूली उक्त आपरेटर से की जा रही है, ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां ।

इसकी रिपोर्ट श्री अशोक कुमार दुबे ने दिनांक 24-12-82 को पुलिस स्टेशन, भदोही, जिला वाराणसी में की थी । थानाध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मुलजिम का कुछ पता नहीं चला है ।

यह सही नहीं है कि सम्बन्धित आपरेटर से बिना विभागीय जांच किये ही वसूली की जा रही है।

मेरठ रीजन में ठेके की बसें एवं उनके निर्धारित कार्य

122--श्री मंजूर अहमद--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के पास इस समय मेरठ रीजन में कितनी ठेके की बसें हैं जो चल रही हैं ? बसों की पंजीकृत संख्या नम्बर व उनका माडल क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

123--श्री मंजूर अहमद--

क्या परिवहन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 रा0 प0 प0 निगम के पास मेरठ रीजन में कितनी बसें चलने योग्य हैं और किन-किन मार्गों पर चल रही हैं ? अनुबन्धित बसें कितनी हैं और किन-किन मार्गों पर कितनी बसें चल रही हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

गोरखपुर बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा कतिपय ग्रामों में सेतुओं के निर्माण की मांग

124--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा ग्राम खोरठा, कइली, चारखानी, बांगखानी, तालकन्दला, गयघाट, बरीगांव, गौरव-खइत व अपडंडिया उर्फ गोपालपुर में ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कराया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

गोरखपुर जनपद में आमी नदी के तटबन्धों को बांधने के लिए योजना

125--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में आमी नदी की बाढ़ से बचाव के लिए आमी नदी के दोनों तटबन्धों को बांधने के लिए कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना की स्वीकृति होने तथा कार्य प्रारम्भ होने में विलम्ब का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोरखपुर म पिपरौली बाजार में पीतल उद्योग को विकसित करने की योजना

126--श्रीमती गौरी देवी--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में पिपरौली बाजार में पीतल उद्योग को विकसित करने के लिए कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो योजना का क्या प्रारूप होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

पीतल उद्योग को विकसित करने के लिए उ0 प्र0 राज्य ब्रासवेयर निगम लि0, मुरादाबाद द्वारा वर्ष 1984-85 में पिपरौली बाजार में एक कच्चा माल डिपो तथ एक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जा रहा है।

"संजय मृग वाटिका" मंगलौर, सहारनपुर को फेयर बस स्टाप घोषित किये जाने के आदेश

127--श्री रामस्वरूप निम--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय मृग वाटिका, मंगलौर, सहारनपुर, बस रोकने तथा स्टेज बनाने के विषय पर 7 दिसम्बर, 1983 को उन्होंने आदेश दिये थे ? यदि हां, तो वह आदेश अब तक कार्यान्वित क्यों नहीं किये गये ? उन पर अमल कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां ।

"संजय मृग वाटिका" मंगलौर, सहारनपुर के क्षेत्रीय प्रबन्धक, मेरठ द्वारा फेयर बस स्टाप घोषित कर दिया गया है और अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों को उक्त स्थान से यात्रियों को चढ़ने उतरने हेतु सुविधा सुलभ कराये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये थे ।

128--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद मथुरा में चर्मशोधन एवं जूता बनाने हेतु दिया गया ऋण एवं अनुदान

129--श्री कन्हैया लाल--

क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के माध्यम से चर्म-शोधन एवं जूता बनाने हेतु वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 के वर्षों में किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना रुपया ऋण एवं अनुदान स्वरूप दिया गया ? इन लोगों में से कितने व्यक्ति का उचित उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को प्राप्त हो गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वांछित सूचना संलग्न है† ।

वर्ष 1981-82 में 143 वित्तपोषित इकाइयों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है ।

वर्तमान जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को पुनः दिये गये अधिकार तथा स्थानान्तरण का निरस्त किया जाना

130--श्री कन्हैयालाल--

क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि गत वर्ष मथुरा जनपद के वर्तमान जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का आहरण वितरण अधिकार सरकार द्वारा इनसे छीनकर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, आगरा को दे दिया था एवं इनका स्थानान्तरण टेहरी-गढ़वाल कर दिया था ? यदि हां, तो क्या कारण है कि लगभग 3 मास के उपरान्त इन्हें मथुरा जनपद में पुनः नियुक्त कर दिया गया और समस्त अधिकार इनको पुनः दे दिये गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

तत्कालीन जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, मथुरा एवं वहां के कर्मकारियों के मध्य उत्पन्न विवाद के कारण उनसे आहरण वितरण अधिकार ले लिये गये थे बाद में स्थिति सामान्य होने पर उन्हें पुनः वे अधिकार दे दिये गये ।

प्रशासनिक कारणों से उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण निरस्त कर उन्हें देवरिया स्थानान्तरित कर दिया गया है, जहां उक्त अधिकारी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

---

†छापी नहीं गयी ।

ट्यूबवेल नं0 63, जिला वाराणसी के नलकूप चालक के खिलाफ प्रार्थना-पत्र

131--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्यूबवेल नं0 63, हरिचन्दनपुर, ब्लाक भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के नलकूप चालक के खिलाफ 7-12-1983 को प्रधान तथा नागरिकों ने एक प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता, नलकूप, भदोही, वाराणसी को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या गांव हरिचन्दनपुर, अमवां कलां के किसानों से कोई जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद वाराणसी को शिक्षित बेरोजगारों के लिए एस0 एस0 आई0 ऋण बांटने हेतु स्वीकृत धन

132 --श्री बनवारी राम--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी को शिक्षित बेरोजगारों के लिए एस0 एस0 आई0 ऋण बांटने हेतु वर्ष 1983-84 में कितना धन स्वीकृत किया गया है और इसमें किन-किन विकास खन्डों को कितने-कितने धन का आबंटन किया गया है और उसका आधार क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत एस0 एस0 आई0 ऋण का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है । साथ ही इस योजना के अन्तर्गत धनराशि का कोई अलग से लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है । प्रत्येक विकास खंड में वर्ष 1983-84 में कम से कम 25 शिक्षित बेरोजगारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विपरीत जनपद वाराणसी के 32 विकास खंडों में कुल 732 शिक्षित बेरोजगारों का चयन किया जा चुका है ।

श्रम समितियों को बालू निकासी का स्थगित ठेका

133--श्री ऊदल--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र संख्या 5676/8-12-199-83 उद्योग अनुभाग-12, दिनांक 31 अक्तूबर, 1983 के द्वारा सभी जिलाधीशों को लिखा है कि श्रम समितियों को बालू निकास का ठेका स्थगित कर दिया है जबकि 14 जून, सन् 1981 का आदेश था कि तीन वर्षों का ठेका रकम का एक तिहाई श्रम समितियों को देना था ! ऐसा क्यों ? क्या सरकार नये आदेश को वापस लेकर श्रमिक सहकारी समितियों को ठेका देगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 31 अक्तूबर, 1983 द्वारा मल्लाहों को प्राथमिकता के आधार पर खनन पट्टा स्वीकृत करने की प्रक्रिया (आदेश) को स्थगित कर दिया गया है । मामले से सम्बन्धित आदेश 14 जून सन् 1979 का है न कि 14 जून 1981 का । विधिक कठिनाइयों के कारण 14 जून, 1979 के आदेशों का कार्यान्वयन स्थगित कर दिया गया है । आदेश वापस लेने के बारे में शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

राजकीय नलकूप गोपाल पट्टी नं0 82 की कच्ची नाली के जमीन के सम्बन्ध में कार्यवाही

134--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप गोपाल पट्टी

नं0 82 के कच्चो नालो के सम्बन्ध में जमीन प्राप्त करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, नलकूप, भदोही, वाराणसी ने पत्र संख्या 3583 डिस्पैच, दिनांक 22-12-1980 को अतिरिक्त जिलाधिकारी (ई), वाराणसी को भेजा है ? यदि हां, तो जमीन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

यह पत्र दिनांक 21-12-1983 (22-12-1982 को नहीं) । अपर जिलाधिकारी (विकास) वाराणसी को भेजा गया है । उन्होंने तहसीलदार, ज्ञानपुर को पूर्ण प्रकरण रीक्यूजीशन हेतु भेज दिया है ।

जनपद गोरखपुर के बांधों के निर्माण हेतु ली गयी भूमि तथा देय मुआवजा

135--श्रीमती गौरा देवी--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के भौवापार-बेला, कौड़ीराम--सोहगौरा तथा मलौली-गजपुर बांधों में वर्ष 1979-80 में जिन किसानों की भूमि अध्याप्ति कर ली गयी थी उनकी भूमि के मुआवजे की धनराशि भुगतान कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उन किसानों को भूमि का मुआवजा दे दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1979-80 में गोरखपुर जनपद के जिन किसानों की भौवापार व बेला बांध कौड़ीराम-मलौनी (सोहगौरा नदी) तथा मलौनी-गजपुर बांध के निर्माण हेतु भूमि ली गयी थी। उनमें से भौवापार-बेला बांध के निर्माण हेतु ली गयी भूमि का मुआवजा, आंशिक रूप से 1,10,651 रुपये का भुगतान विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी गोरखपुर द्वारा कर दिया गया है। शेष का अभी मुआवजा नहीं दिया गया है । मुआवजा वितरण करने का कार्य भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा किया जाता है जिसके लिए भूमि अध्याप्ति अधिकारी को 2,60,575 रुपये सिंचाई विभाग द्वारा दिया जा चुका है । भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही उक्त अधिकारी द्वारा की जा रही है । भूमि अध्याप्ति कार्यवाही पूर्ण होने पर भुगतान किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

प्रदेश में कताई मिलें स्थापित करने का निर्णय

136-श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि प्रदेश में 12 कताई मिलें स्थापित होने वाली हैं ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर 12 कताई मिलें लगायी जा रही है और उनके उन स्थानों पर स्थापित करने का क्या औचित्य है ? क्या गोरखपुर जनपद के सर्वाधिक हस्तकरघा उद्योग के घने क्षेत्र गोरखनाथ तथा पिपरौली में भी कताई मिल स्थापित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में जसपुर, मेजा, बांदा, बलिया तथा जौनपुर में एवं सहकारिता क्षेत्र में बहादुरगंज, बहेड़ी, अमरोहा, मऊआइमा, फतेहपुर, सीतापुर तथा फर्रुखाबाद में सुनियोजित औद्योगिक विकास, बुनकरों की सूत की आवश्यकता एवं आपूर्ति आदि को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा मिलें स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ।

वर्तमान में गोरखनाथ तथा पिपरौली में कताई मिल की स्थापना का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

उत्तर प्रदेश हैण्डलूम बोर्ड का गठन

137--श्री मंजूर अहमद--

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1980 से अब तक उत्तर प्रदेश हैण्डलूम बोर्ड का गठन किन कारणों से नहीं हो पाया ? क्या यह भी सही है कि यू० पी० का कानपुर यू०पी० हैण्डलूम कारपोरेशन यू० पी० इटावा कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल आदि का अब तक गठन न होने के कारण समस्त उत्तर प्रदेश के बुनकरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो किन कारणों से गठन नहीं हो पाया कारण सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्न में उल्लिखित स्थिति निम्नानुसार है--

1--उत्तर प्रदेश हण्डलूम बोर्ड का गठन शासन के विचाराधीन है ।

2--यू० पी० हैण्डलूम कारपोरेशन निगम के "आर्टिकिल्स आफ एसोसिएशन" के अनुसार निदेशक मण्डल का गठन हो चुका है ।

3--यूपिका कानपुर--सहकारिता अधिनियम के अनुसार जून, 1983 में यूपिका का प्रबन्ध समिति के सदस्यों के चयन हेतु सम्पन्न हुये निर्वाचन के सम्बन्ध में एक रिट याचिका उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है । वर्तमान में यूपिका प्रशासक के अधीन है, जो कि बुनकरों की समस्याओं के प्रति सजग है ।

4--वर्तमान इटावा कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स प्रशासक के अधीन कार्यरत हैं जो कि बुनकरों की समस्याओं के प्रति जागरूक हैं । अतः उक्त मिल्स की प्रबन्ध समिति का गठन न होने के कारण बुनकरों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है ।

5--प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ क्षेत्र में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें

138--श्री मन्जूर अहमद--

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० रा० सा० प० निगम ने मेरठ रीजन में क्षेत्रीय प्रबन्धक, मेरठ के अधीन कितनी बसें हैं जो उ० प्र० रा० स० प० निगम से सम्बन्धित हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

मेरठ क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 38 बसें तथा 112 निजी अनुबन्धित बसें हैं जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, मेरठ के अधीन हैं ।

राजकीय मूक बधिर विद्यालय, आगरा के प्रधानाचार्य श्री महेश्वरी नारायण श्रीवास्तव द्वारा गबन व घोटाला का मामला

139--श्री भीखा लाल--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मूक बधिर विद्यालय, आगरा के प्रधानाचार्य श्री महेश्वरी नारायण श्रीवास्तव द्वारा वर्ष 1975 में लगभग सोलह हजार रुपये के गबन व घोटाला करने का मामला प्रकाश में आया था जिसकी जांच बरेली रेन्ज की सी० आई० डी० द्वारा कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या गबन का आरोप सिद्ध हुआ अथवा नहीं ? यदि सिद्ध हुआ तो सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सहायक अभियन्ता, शारदा, नहर लखनऊ, खण्ड 2 के स्थानान्तरण के कारण

140--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती-पत्र किसी सहायक अभियन्ता, शारदा नहर लखनऊ, खण्ड 2 के स्थानान्तरण के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित होने तथा क्षेत्र सिंचाई से सम्बन्धित लंबित कार्यों के सम्बन्ध में सिंचाई सचिव को दिनांक 8 नवम्बर, 1983 को दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी और 6 माह से लम्बित कार्यों के सम्पादन की शासन द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

सम्बन्धित सहायक अभियन्ता का कार्य उसी खण्ड के अन्य सहायक अभियन्ता द्वारा अपने कार्य के अतिरिक्त देखा जा रहा था । अब इनके प्रतिस्थानों के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं ।

बुन्देलखंड में बाढ़ नियंत्रण के लिये सरकार द्वारा किये जा रहे उपाय

141--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड में बाढ़ नियंत्रण के लिये सरकार क्या-क्या उपाय कर रही है ? क्या बाढ़ से आने वाले अतिरिक्त जल को एकत्रित करके सिंचाई के रूप में प्रयोग करने के सम्बन्ध में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बुन्देलखंड में बाढ़ नियन्त्रण के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है --

1--बेतवा नदी पर माताटीला बांध के जल ग्रहण क्षेत्र, जो मध्य प्रदेश में है, में वायरलेस संचार व्यवस्था की स्थापन हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया जा रहा है ताकि बाढ़ के बारे में पहले सूचना उपलब्ध हो सकें ।

2--हमीरपुर शहर को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु योजना तैयार करने हेतु शासन द्वारा एक समिति गठित की गयी है ?

3--बांदा शहर को बाढ़ से बचाने हेतु निम्न नाले की योजना बनायी गयी है ।

4--भीषण बाढ़ के अतिरिक्त जल को सिंचाई हेतु जलाशय में एकत्रित करना सम्भव नहीं है । सिंचाई हेतु जलाशयों में केवल साधारण वर्ष में मिलने वाले पानी को ही एकत्रित किया जाता है । बाढ़ के प्रकोप को कम करने हेतु जलाशय का निर्माण किया जा सकता है । बेतवा नदी पर राजघाट एवं माताटीला बांधों के मध्य में धुरवारा स्थान पर एक ऐसे जलाशय का सर्वेक्षण प्रस्तावित है ।

मौजा सरवनपुर में बोरिंग किए गए सरकारी ट्यूबवेल को चालू कराने की मांग

142--श्री राम गोविन्द--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि श्री द्रोणाचार्य चौबे, ग्राम प्रधान, सूरही, ब्लाक सोहांव ने जिलाधिकारी, बलिया को जून, 1983 में एक आवेदन पत्र दिया है जिसमें मौजा सरवनपुर में बोरिंग किए गए सरकारी ट्यूबवेल पर पम्प हाउस एवं विद्युतीकरण की बाबत

कही गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मन्त्री महोदय इस नलकूप को चालू करने हेतु विभाग को आदेश देने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिटी बस लखनऊ के सीनियर फोरमैन श्री के0 बी0 मैनन का कार्यकाल तथा उनके विरुद्ध लिखित शिकायत पर की गयी कार्यवाही तथा स्थानान्तरण

143--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सिटी बस लखनऊ के सीनियर फोरमैन (श्री0 के0 बी0 मैनन) कब से कार्यरत हैं और क्या जुलाई, 1983 में नगर बस में कार्यरत कर्मचारियों में से लगभग 170 कर्मचारियों ने श्री मेनन के विरुद्ध एक लिखित शिकायत श्री कमल टावरी, प्रबन्ध निदेशक से की थी ? यदि हां, तो उस लिखित शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

144--श्री मोती लाल देलहवी--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि सीनियर फोरमैन, कार्यशाला नगर बस, लखनऊ (श्री के0 बी0 मेनन) के विरुद्ध सन् 1980-81 में हुई 3 दिन की हड़ताल के बाद परिवहन मन्त्री द्वारा एक लिखित समझौता में लिखा गया था कि श्री मेनन को एक माह पश्चात् लखनऊ से स्थानान्तरित कर दिया जायगा ? यदि हां, तो समझौते के अनुसार श्री मेनन को अभी तक स्थानान्तरित न करने का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी नहीं, परिवहन मन्त्री द्वारा इस प्रकार का कोई समझौता नहीं किया गया था ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति के आर0 टी0 ओ0 की संख्या

145--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने आर0 टी0 ओ0 हैं और उनमें अनुसूचित जाति के आर0 टी0 ओ0 की संख्या क्या है ? क्या अनुसूचित जाति का आरक्षित कोटा पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कोटा कब तक पूरा कर लिया जायगा ?

श्री गुलाब सेहरा--

प्रदेश में सम्प्रति 14 आर0 टी0 ओ0 के स्वीकृत पदों के विरुद्ध 13 अधिकारी कार्यरत हैं उनमें एक अधिकारी अनुसूचित जाति के हैं । समय-समय पर रिक्त हुये पदों को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के विभिन्न पदों पर कार्यरत अभ्यर्थियों में से नियमानुसार पात्रता क्षेत्र में आने वाले पात्र अभ्यर्थियों में से प्रोन्नति हेतु चयन किया जाना होता है । अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण से उनके प्रतिनिधित्व में कमी है । भविष्य में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को पात्रता क्षेत्र में उपलब्धता पर उनको प्रोन्नत करने की कार्यवाही की जायेगी ।

विधायक श्री मोहन सिंह व श्री मोती लाल देहलवी के आबकारी सम्बन्धी पत्र में वर्णित तथ्य व कार्यवाही

146--श्री मोती लाल देहलवी--

प्रथम सत्र 1983 के 2रे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 152 तथा अता0 प्र0 सं0 153 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि

तत्सम्बन्धी जांच कार्यवाही क्या पूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो श्री सिद्दकी के विरुद्ध दन्डात्मक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी नहीं ।

अभी प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में आर० टी० ओ० अफिस में कार्यरत ए० आर० ओ० तथा आरक्षण कोटा

147—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में आर० टी० ओ० आफिस में कुल कितने ए० आर० टी० ओ० हैं और वह कितने-कितने सालों से कार्यरत हैं तथा उनमें अनुसूचित जाति के कुल कितने ए० आर० टी० ओ० हैं और कितने सालों से ए० आर० टी० ओ० के पद पर हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

प्रश्न के उत्तर में वांछित विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 192 पर ।)

आर० टी० ओ० आफिस के अधिकारियों की सेवा नियमावली

148—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या आर० टी० ओ० आफिस के अधिकारियों की सेवा नियमावली बनी हुई है ? यदि हां, तो यह नियमावली कब से प्रभावी हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सेवा नियमावली बनाया जाना विचाराधीन है ?

श्री गुलाब सेहरा—

आर० टी० ओ० आफिस में कार्यरत अधिकारियों में से पी० टी० ओ० तथा जी० टी० ओ० की सेवा नियमावली बन चुकी है जिसे दिनांक 23-8-1980 से प्रभावी किया जा चुका है । जहां तक अन्य राजपत्रित अधिकारियों का प्रश्न है उनके सम्बन्ध में सेवा नियमावली का आलेख तैयार हो चुका है । उस पर लोक सेवा आयोग, उ० प्र० का अभिमत मांगा गया है जिसके प्राप्त होने के उपरान्त सेवा नियमावली को प्रख्यापित किये जाने हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में शोध अधिकारी के पद हेतु निर्धारित अर्हताएं एवं अनुभव तथा बी०एन० गुप्ता की पदोन्नति का आधार

149—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या उनके विभाग में शोध अधिकारी के पद हेतु अर्हताएं एवं अनुभव निर्धारित हैं ? यदि हां, तो क्या श्री बी० एन० गुप्ता की पदोन्नति में उन अर्हताओं व अनुभव के प्राविधान को समाप्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

150—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विभागीय प्रस्तावित सेवा नियमावली में शोध अधिकारी के पदों पर पदोन्नति केवल क्षेत्रीय अन्वेषकों के किए जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो श्री बी०एन० गुप्ता, तदर्थ हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी को पदोन्नति शोध अधिकारी के पद पर किस आधार पर की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अभी नियमावली प्रस्तावित है, अतः उसके अनुसार कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है। श्री गुप्ता को पदोन्नति कार्यकारी आदेश (एक्जीक्यूटिव आर्डर्स) में निर्धारित अर्हतायें एवं अनुभव के आधार पर की गई है।

आजमगढ़ क्षेत्र के कार्यवाहक डिपो प्रबन्धक श्री टी0 एन0 सिंह के भ्रष्टाचार, उत्पीड़न तथा मनमानी के विरुद्ध अनशन

151—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि आजमगढ़ क्षेत्र के कार्यवाहक डिपो प्रबन्धक (श्री टी0 एन0 सिंह) के भ्रष्टाचार, उत्पीड़न तथा मनमानी के विरुद्ध रोडवेज मजदूर सभा, आजमगढ़ द्वारा विगत 27 फरवरी, 1983 से प्रश्न भेजने की तिथि तक आमरण अनशन जारी है ? क्या यह भी जानकारी हुई है कि अनशनकारी श्री शफीक अहमद पर अनशन कैम्प में प्राणघातक हमला कराया गया, जिसकी रिपोर्ट आजमगढ़ के थाना कोतवाली में दिनांक 1-3-83 को ही दर्ज हुई ? यदि हां, तो इस पर श्री टी0 एन0 सिंह के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

टिहरी बांध परियोजना पर व्यय तथा कार्य

152—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि टिहरी बांध परियोजना पर अब तक कितना व्यय हो चुका है तथा उक्त योजना के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य पूरे हो चुके हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

टिहरी बांध परियोजना पर दिसम्बर, 1983 तक 134·13 करोड़ रुपया व्यय हो चुका है।

बायीं व्यावर्तन सुरंगों का लगभग सम्पूर्ण कार्य पूर्ण हो चुका है।

153—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में जल भराव के कारण नाले के किनारे बांध बनाने की व्यवस्था पर विचार

154—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, विकास खंड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में बरसात के दिनों में जल भराव के कारण ग्रामवासियों के आवागमन का कोई साधन नहीं रह जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार गांव के पानी निकासी हेतु ग्राम की मुख्य सड़क को गन्दा नाला के रूप में परिवर्तित करके ग्राम दौलतपुर निसरा के नाले में मिलाने तथा नाले के किनारे-किनारे बांध बनाकर लोगों के आवागमन के लिए व्यवस्था करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय की स्थापना तथा उपलब्ध फर्नीचर व दवायें

155—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी

विकास खंड कोतिनगर के घारी डुण्डसिर, राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय कब खोला गया, जब से उक्त अस्पताल खुला है इसमें कोई डाक्टर, दवाइयां, फर्नीचर आदि नहीं है । इस राजकोय एलोपैथिक चिकित्सालय में उक्त व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, डुण्डसिर 8-2-80 को स्थापित किया गया । चिकित्सालय में फर्नीचर व दवायें उपलब्ध हैं । जनवरी 1983 में चिकित्सक की नियुक्ति भी हुई थी किन्तु उसने वहां कार्यभार ग्रहण नहीं किया । चिकित्सक के पद पर नियुक्ति शासन के चिकित्सा विभाग द्वारा की जा रही है । एक-एक फार्मेसिस्ट, वार्ड ब्वाय व सफाई-सेवक-कम-चौकीदार नियुक्त हैं ।

जनपद गोरखपुर, निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज में बलिया, रेहाव व नदाव नालों पर स्वीकृत नया पुल

156--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज में कुल कितने पुल किन-किन स्थानों पर बलिया, रेहाव व नदाव नाला पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हैं ? इनकी क्षमता क्या है तथा प्रत्येक पर कितनी लागत लगेगी और कब तक बनकर तैयार हो जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद गोरखपुर, निर्वाचन क्षेत्र महराजगंज में बलिया, रेहाव व नदाव नालों पर चालू वित्तीय वर्ष 1983-84 में अभी तक कोई नया पुल स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

157--श्री निर्मल खत्री--

[7वें मंगलवार मे अतारांकित प्रश्न संख्या 172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद गाजीपुर में बस एवं मोटर दुर्घटनाएं तथा घायल एवं मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता

158--श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में 1-1-79 से 1-1-84 तक कुल कितनी बस एवं मोटर दुर्घटनाएं हुई हैं तथा कुल कितने लोग मरे तथा कितने घायल एवं मृतक परिवारों को सरकार द्वारा कौन सी आर्थिक राहत प्रदान की गयी है तथा दोषी जनों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शारदा सहायक नहर की नालियों के कमजोर होने से सम्बन्धित पत्र

159--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम लच्छन सिंह, ग्राम प्रधान, चकलाल चन्द्र, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ का प्रार्थना-पत्र शारदा सहायक नहर की नालियों के कमजोर होने से सम्बन्धित दिनांक 29-8-83 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 24-9-83 के साथ जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़, ग्राम गठमोहन तथा ऊंचाडोह सलेमपुर के निवासियों का जल निकासी को व्यवस्था से सम्बन्धित पत्र

160--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ को सगड़ी तहसील में ग्राम गठमोहन तथा ग्राम ऊंचाडोह सलेमपुर के निवासियों का जल निकास को व्यवस्था से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 29-10-83 के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना अभी एकत्रित की जा रही है ।

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पुष्टाहार योजना तथा उस पर व्यय

161--प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पुष्टाहार योजना कब से लागू की गयी ? वर्ष 80-81, 81-82, 82-83 तथा 83-84 में अब तक किन-किन ग्रामों को इस योजना में लिया गया तथा कितना-कितना धन व्यय हुआ ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम सभा अलाउद्दीन पट्टी के नलकूप संख्या 83 के पूरब नहर में साइफन बनाये जाने के सम्बन्ध में पत्र

162--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करगे कि ग्राम सभा अलाउद्दीन पट्टी, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के निवासियों का उक्त गांव के नलकूप संख्या 83 के पूरब नहर में साइफन बनाये जाने से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 23-7-83 के साथ अधिशासी अभियन्ता, नलकूप, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

ग्राम सभा अलाउद्दीन पट्टी, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के नलकूप सं० 83 सगड़ी समूह की पूरबी पक्की नाली को तोड़कर शारदा सहायक नहर का निर्माण हो गया है और इस तोड़ी गयी गूल का कमाण्ड शारदा सहायक नहर को कमाण्ड में है । अतः साइफन बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

सिंचाई विभाग में सींचपाल के रिक्त पद तथा स्थायी किये जाने पर विचार

163--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग नहर में बहुत से स्थान सींचपालों के रिक्त पड़े हुए हैं और बाराबंकी, सुल्तानपुर, लखनऊ, उन्नाव में भी खाली हैं ? यदि हां, तो अस्थायी तौर पर नियुक्ति क्यों की गयी है, उनको स्थायी क्यों नहीं किया गया है ? क्या सरकार को पता है, सुल्तानपुर, बाराबंकी एवं रायबरेली में कार्य करने वाले सींचपाल बहुत से अस्थायी हैं ? क्या सरकार उनको स्थायी करने पर विचार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बाराबंकी, सुल्तानपुर, लखनऊ जनपदों में सींचपालों का कोई स्थान रिक्त नहीं है । अस्थायी पदों पर अस्थायी नियुक्तियां की जाती हैं और जैसे-जैसे स्थायी पद उपलब्ध होते हैं, उन पर अस्थायी सींचपालों

का स्थायीकरण किया जाता है। सुल्तानपुर, बाराबंकी एवं रायबरेली में कार्यरत बहुत से सींचपाल अस्थायी हैं। इन्हें पद उपलब्ध होने पर स्थायी किया जाता है।

बबराला (बदायूं) में उर्वरक का कारखाना लगाने की योजना

164—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जनपद बदायूं में इस वर्ष कितने उद्योग और किस-किस श्रेणी के खोलने की योजना है ? जनपद बदायूं को उद्योग में पिछड़ा जनपद मानते हुए क्या सरकार उक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बबराला (बदायूं) में वर्ष 1983-84 में बृहत उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत गैस पर आधारित एक उर्वरक का कारखाना लगाने की योजना है। इसके अतिरिक्त जनपद में विभिन्न प्रकार के 250 लघु तथा लघुत्तर उद्योगों की स्थापना की योजना बनाई गई है जिसमें 228 उद्योग स्थापित हो चुके हैं।

जनपद बहराइच में तटवर्ती बांध की लम्बाई तथा कराये गये कार्यों का भुगतान

165—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि तटवर्ती बांध, बहराइच की वास्तविक लम्बाई क्या है तथा 91.500 कि0मी0 से 95 कि0मी0 तक सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नहीं है ? क्या यह सच है कि सहायक अभियन्ता, तृतीय उपखंड सिंचाई कार्य खंड, गोंडा द्वारा विगत दो वर्षों 81-82 व 82-83 में इस बांध के उपरोक्त कि0मी0 जो विभागीय बांध नहीं है, में लगभग 11 लाख रुपया फर्जी भुगतान किया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद बहराइच में तटवर्ती बांध की लम्बाई 95 कि0मी0 है। जो सम्पूर्ण सिंचाई विभाग के अन्तर्गत है। इस बांध के 91.5 कि0मी0 से 95.0 तक वर्ष 1981-82 एवं 82-83 में कुल 2.26 लाख रुपया का कार्य कराया गया है। अतः 11 लाख रुपया के तथाकथित फर्जी भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है तथा किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न भी नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्र में कतिपय बांध की परियोजनाओं का निर्माण कार्य

166—श्री गोवर्द्धन तिवारी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में जमरानी बांध, टिहरी बांध, मनेरी भाली बांध, विष्णु प्रयाग बांध, लखवाड़ बांध तथा धौली गंगा बांध की परियोजनाओं का निर्माण कार्य धनाभाव के कारण रोक दिया गया है ? यदि हां, तो मार्च, 1983 तक इन योजनाओं पर पृथक-पृथक कुल कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

धनाभाव के कारण निर्माण कार्यों की प्रगति मन्द अवश्य है।

प्रश्नगत परियोजनाओं पर किया गया व्यय निम्न है—

	करोड़ रु0
1—जमरानी बांध	7.7
2—टिहरी बांध	117.20
3—मनेरी भाली बांध (प्रथम चरण)	48.84
4—विष्णु प्रयाग बांध	10.05
5—लखवाड़ व्यासी बांध	35.18
6—धौली गंगा बांध	

(घोलीगंगा) रेला गाड

जल विद्युत् परियोजना 0.061

यह परियोजना, भारत सरकार (राष्ट्रीय जल विद्युत् ऊर्जा निगम) को हस्तान्तरित की जा चुकी है । उपरोक्त व्यय सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 द्वारा इस योजना के सर्वेक्षण आदि पर किया गया है ।

फैजाबाद के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र

167—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र फैजाबाद के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 12 जनवरी, 1983 का उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या इस मामले की जांच कराकर कृषकों को सिंचाई सुविधाएं दी गयीं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा मखदूम नगर, फैजाबाद के ग्रामवासियों से सम्बन्धित पत्र पर कार्यवाही

168—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा मखदूम नगर, तहसील टांडा, फैजाबाद के ग्रामवासियों से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का दि0 18 जनवरी, 1983 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा कार्यवाही का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय सड़क परिवहन निगम शाहजहांपुर में रिटायर बुकिंग क्लर्कों को पेंशन, ग्रेच्युटी का भुगतान

169—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय सड़क परिवहन निगम, शाहजहांपुर में दिनांक 31-12-82 को रिटायर होने वाले बुकिंग क्लर्कों को पेन्शन, ग्रेच्युटी उपार्जित अवकाश, प्रावीडेंट फण्ड, जमानत की धनराशि एवं प्रति नियुक्ति भत्ता का भुगतान कब किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री गुलाब सेहरा—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बरेली क्षेत्र के शाहजहांपुर उप क्षेत्र में दिनांक 31-12-82 को केवल एक कर्मचारी श्री सरस्वती प्रसाद बुकिंग क्लर्क सेवा निवृत्त हुए थे श्री सरस्वती प्रसाद पूर्ववर्ती राजकीय रोडवेज एवं वर्तमान परिवहन निगम में बुकिंग क्लर्क के नान-पेंशनेबुल पद पर कार्यरत थे । अतः इन्हें पेंशन देय नहीं है श्री सरस्वती प्रसाद को ग्रेच्युटी की धनराशि रुपये 15,445.15 पैसे तथा बीमा की धनराशि रुपए 1160.00 का भुगतान क्रमशः दिनांक 21-12-83 तथा 14-7-83 को किया जा चुका है । दिनांक 21-10-83 को जमानत भी रिलीज कर दी गयी है । 140 दिन का उपार्जित अवकाश दिनांक 10-1-84 का स्वीकृत किया जा चुका है । अवकाश का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जायेगा । ई0 पी0 एफ0 के भुगतान के सम्बन्ध में समस्त प्रपत्र ई0 पी0 एफ0 कमिश्नर को भेजे जा चुके हैं । ई0 पी0 एफ0 का भुगतान ई0 पी0 एफ0 कमिश्नर द्वारा सीधे किया जाता है ।

श्री सरस्वती प्रसाद को नियमानुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं है ।

बसन्त पेपर मिल, रामनगर पर किसानों की बकाया धनराशि

170–श्री प्रभुनारायण सिंह–

क्या उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि जनपद वाराणसी के अन्तर्गत बसन्त पेपर मिल, रामनगर पर क्षेत्रीय किसानों का लाखों रुपये बकाया है ? क्या सरकार इस मिल को नियमित रूप से चलवाकर क्षेत्रीय किसानों के बकाए धन का शीघ्र भुगतान करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विभिन्न जनपदों में स्थापित हरिजन छात्रावासों में छात्रों के प्रवेश की नीति

171–श्री कन्हैया लाल–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न जनपदों में स्थापित हरिजन छात्रावासों में छात्रों के प्रवेश हेतु शासन की क्या नीति है एवं प्रवेश करने हेतु सक्षम अधिकारी कौन है ? मथुरा के हरिजन छात्रावास में इस वर्ष अब तक कितने छात्रों को प्रवेश दिया जा चुका है ? इनमें से कितन हरिजन ह एवं कितन गर हरिजन ? क्या यह सही है कि समस्त गैर हरिजन छात्र एक ही विशेष वर्ग के हैं जिससे अन्य वर्ग के गैर हरिजन छात्रों में असन्तोष व्याप्त है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

विभिन्न जनपदों में स्थापित हरिजन छात्राओं में भेदभाव की भावनाओं को दूर करने के दृष्टिकोण शासकीय नीति के अनुसार छात्रों के प्रवेश हेतु 80 प्रतिशत स्थान हरिजन छात्रों के लिए तथा 20 प्रतिशत स्थान गैर हरिजन छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित हैं, विभाग द्वारा निर्मित हरिजन छात्रावासों में करने हेतु सक्षम अधिकारी जिले का जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी होता है और स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से विभाग के शत प्रतिशत अनुदान संचालित हरिजन छात्रावासों में छात्रों के प्रवेश हेतु सब अधिकार सम्बन्धित छात्रावास का प्रबन्धक अथवा अधीक्षक है तथा ऐसे छात्रावासों में 75 प्रतिशत स्थान हरिजन छात्रों के लिये सुरक्षित रहते हैं ।

मथुरा जनपद में विभाग द्वारा नव-निर्मित हरिजन छात्रावास भवन में इस वर्ष अब तक 42 छात्रों को प्रवेश दिया गया है । जिसमें से 37 छात्र हरिजन हैं तथा 5 छात्र गैर हरिजन हैं । जो नहीं, गैर हरिजन छात्रों में मल्लाह, मुसलमान, फकीर अहीर तथा सवर्ण जाति के छात्र हैं ।

शारदा सहायक नहर पर पैदल पुलिया बनाये जाने से सम्बन्धित पत्र

172–श्री पंचानन राय–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्रिका सिंह, ग्राम गंगापुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ का सहायक नहर पर पैदल पुलिया बनाये जाने से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ उन्हें अक्तूबर, 1983 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

दोहरी घाट लिंक नहर पर जहां पैदल पुल की मांग की गयी है, से 200 मीटर ऊपर की ओर एवं 330 मीटर नीचे की ओर पुल विद्यमान है । प्रस्तावित पुल निर्माण की मांग का कोई औचित्य नहीं है ।

मुसहर जनजाति के परिवारों को बसाने की योजना

173--श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुसहर जनजाति के परिवारों को फिर से बसाने की कोई योजना वर्ष 1978-79 में प्रारम्भ की गयी ? यदि हां, तो यह योजना किन-किन जनपदों में प्रारम्भ की गयी है ? आजमगढ़ जनपद में इस योजना के प्रारम्भ न किये जाने का क्या कारण है इस योजना पर 1978-79 से 1982-83 की अवधि में प्रतिवर्ष अलग-अलग कितनी धनराशि आवंटित की गयी और उसमें से कितनी प्रयुक्त हुई ? पूरे धन के प्रयुक्त न होने का क्या कारण था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राज्य सड़क परिवहन निगम के पास निजी बसें व प्राइवेट बसें, आय तथा परिचालकों के वेतन पर व्यय

174--श्री पंचानन राय--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 अक्तूबर, 1983 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के पास कितनी अपनी निजी बसें थीं तथा कितनी प्राइवेट बसों को अनुबन्धित किया गया था ? अनुबन्धित बसों से मास अक्तूबर, 1983 में कुल कितनी आय हुई और उसमें से उन्हें कितना भुगतान किया गया तथा उन पर नियुक्त परिचालकों के वेतन पर कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के पास 31 अक्तूबर, 1983 को 5,874 अपनी निजी बस थीं तथा 1081 प्राइवेट बसों को अनुबन्धित किया गया था ।

अनुबन्धित बसों से माह अक्तूबर, 1983 में 306.12 लाख रुपये की आय हुई और अनुबन्धित बस मालिकों को 197.92 लाख रुपये का भुगतान किया गया । इन पर नियुक्त परिचालकों के वेतन पर लगभग 16.19 लाख रुपये व्यय किया गया ।

पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को स्वीकृत छात्रवृत्ति का भुगतान

175--श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि विभागीय आदेशानुसार अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों (आय के आधार पर) के दूसरे,तीसरे वर्ष आदि के लिए कोई नयी छात्रवृत्ति स्वीकृति नहीं करनी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि आगरा जिले में वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 की अवधि में 63 ऐसे विद्यार्थियों को 22,000 रुपये का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में मिनी सीमेन्ट प्लान्ट स्थापित करने हेतु योजना

176--श्री पंचानन राय--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में मिनी सीमेंट प्लान्ट स्थापित करने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उक्त मिनी प्लान्ट लगाने के लिए जो कच्चा माल प्रदेश में उपलब्ध है, उसका कोई सर्वेक्षण सरकार ने कराया है और उसके क्या परिणाम सामने आए हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। मिनी सीमेन्ट प्लान्ट लगाने के लिये कच्चा माल की उपलब्धता का सर्वेक्षण कराया गया था और मिनी सीमेन्ट प्लान्ट के लिये प्रदेश में कच्चा माल उपलब्ध है।

कानपुर जिले में दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत भुगतान

177--श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले में 1980-81 तथा 1981-82 की अवधि में दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत 14 विद्यार्थियों को 45,000 रुपये का भुगतान सामान्य शैक्षिक सत्र से लम्बी अवधि के लिए किया गया है ? यदि हां, तो उसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर व कानपुर जनपद में दशमोत्तर छात्रवृत्ति का नवीनीकरण

178--श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर व कानपुर जनपद में 36,000 रुपये की दशमोत्तर छात्रवृत्ति का नवीनीकरण विद्यार्थियों की पढ़ाई पूर्ण हो जाने के बाद 1980-81 तथा 1981-82 की अवधि में किया गया ? इसके प्रमुख कारण क्या हैं और इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

आई0 टी0 आई0, दुगड्डा (गढ़वाल) में दीक्षारत अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

179--श्री कुवंर सिंह नेगी--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0 टी0 आई0, दुगड्डा (गढ़वाल) में दीक्षारत अनुसूचित जाति के छात्रों को वर्ष 1981 एवं 1982 में विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और उन्हें देय छात्रवृत्तियों का भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

वर्ष 1981-82 में आई0 टी0 आई0, दुगड्डा (गढ़वाल) में दीक्षारत अनुसूचित जाति के छात्रों का कोई भी आवेदन पत्र जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी-गढ़वाल के कार्यालय में उपलब्ध न होने के परिणाम-स्वरूप इन्हें कोई भी छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकी।

वर्ष 1982-83 में 15 अनुसूचित जाति के छात्रों को 3,676 रुपये की छात्रवृत्ति स्वीकार की गयी और इसका भुगतान भी कर दिया गया।

जनपद चमोली में जूनियर हाई स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण पर व्यय

180--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में जनपद चमोली में जूनियर हाई स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को अलग-अलग कितना धन विद्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए दिया गया है और उसमें से प्रत्येक वर्ष आवंटित धनराशि में से कितनी व्यय हुई है और कितनी नहीं हुई है तथा

जिन कार्यों के लिए वह धनराशि दी गयी है, वे कब पूरे किये गये हैं ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

वांछित विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ 197 पर ।)

जनपद फैजाबाद में भारी उद्योग की स्थापना पर विचार

181--श्री निर्मल खत्री--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे की फैजाबाद जनपद में किसी भारी उद्योग की स्थापना के सन्दर्भ में शासन विचार कर रहा है ? क्या शासन की नीति प्रत्येक जनपद में एक भारी उद्योग स्थापित करने की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

हरदोई में तैनात कंडक्टर श्री एस0 आर0 पी0 दीक्षित को सेवाच्युत करने का कथित आदेश

182--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई में तैनात कंडक्टर श्री एस0 आर0 पी0 दीक्षित को उनके अनियमित एवं भ्रष्ट कार्यों के कारण दिसम्बर, 1981 से सेवाच्युत करने के आदेश ए0 आर0 एम0, शाहजहांपुर द्वारा पत्रावली पर किये गये थे ? यदि हां, तो आदेश के क्रियान्वयन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्री एस0 आर0 पी0 दीक्षित को विभागीय कार्यवाही में सेवाच्युत करने का निर्णय तत्कालीन सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, शाहजहांपुर, श्री मोहम्मद हुसैन ने दिनांक 16-11-81 को पत्रावली पर दिये थे । इस बीच श्री हुसैन स्थानान्तरित हो गये और सेवाच्युत के आदेश जारी नहीं हो सके । श्री हुसैन के उत्तराधिकारी श्री मकबूल अली, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक ने इस प्रकरण की समीक्षा कर पाया कि श्री दीक्षित राजकीय कर्मचारी हैं और श्री मोहम्मद हुसैन, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, जो निगम के द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं; श्री दीक्षित को सेवाच्युत करने के आदेश देने कि लिये वैधानिक रूप से सक्षम नहीं थे । अतः उनके द्वारा पारित आदेश जारी नहीं किये गये । इस बीच विभागीय कार्यवाही की पत्रावली अन्य शिकायत के प्रकरण में क्षेत्रीय प्रबन्धक, बरेली के कार्यालय में चली गयी इसलिये इस मामले में निस्तारण नहीं हो सका । उक्त दोनों सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों को इस प्रकरण के लिये प्रतिकूल प्रविष्टि देकर दण्डित किया गया है तथा इस प्रकरण को शीघ्र निस्तारित करने के लिये निर्देश दे दिये गये हैं ।

हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ को बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु प्रदान की गयी धनराशि

183--श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ को 1982 तक बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गयी तथा लड़कों के छात्रावास निर्माण हेतु निगम द्वारा कुल कितना ऋण एकत्रित किया गया ? इस धनराशि से नवम्बर, 1983 तक कितना निर्माण कार्य हुआ है तथा इस प्रकार निर्मित छात्रावासों का क्या उपयोग किया जा रहा है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में शारदा सहायक नहर के पानी से गांवों को क्षति

184--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1983 में शारदा सहायक नहर के पानी से किन-किन गांवों में कितनी-कितनी हानि हुई है ? इसके लिए कितना प्रतिकर दिया गया है तथा हानि के लिए कौन उत्तरदायी है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

आजमगढ़ जनपद के सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1983 "खरीफ फसली" में शारदा सहायक नहर के पानी से ग्राम चकलाल चन्द में 1.020 एकड़ ग्राम-गड़ौरा-मझौरा में 4.102 एकड़ तथा ग्राम-वहरीपुर में 1.384 एकड़ अरहर की फसल को हानि हुई है ।

इस हानि के लिये कोई प्रतिकर नहीं दिया गया है ।

इस हानि के लिये स्वयं स्थानीय काश्तकार ही उत्तरदायी हैं क्योंकि भूमि का अधिग्रहण होने के पश्चात् भी नहर की खुदाई में अवरोध उत्पन्न करने के कारण क्षति हुई । उत्तरदायी काश्तकारों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गयी है ।

(12 बजकर 20 मिनट पर)

वाराणसी में विद्युत् की कटौती के कारण फसलों की सिंचाई न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत जितनी सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनमें से माननीय श्री ऊदल, श्री भीखालाल, श्री रामधनी, प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री प्रभू नारायण सिंह, श्री बदन सिंह, तथा श्री किरनपाल सिंह की सूचना को स्वीकार किया है और शेष को अस्वीकार किया है । अस्वीकृत सूचनाओं में श्री नन्द किशोर सिंह की सूचना 200 शब्दों से अधिक होने के कारण अस्वीकृत की गयी है, श्री राधे श्याम पटेल की सूचना पर पहले से ही वक्तव्य निर्धारित है तथा श्री जसवन्त सिंह विष्ट की सूचना भी 200 शब्दों से अधिक होने के कारण अस्वीकृत की गई है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरी सूचना आपने स्वीकार नहीं की है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये, नियमों के अनुसार जो अधिकार आपने मुझे दिये हैं, उसके हिसाब से मैंने ले लिया है ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, वाराणसी जिले में करीब दस दिनों से अभूतपूर्व विद्युत् संकट है जबकि देहातों में गेहूं की सिंचाई की अति आवश्यकता है । बिजली न मिलने से राजकीय नलकूप, पम्पिंग सेट एवं शहरों तथा देहातों के पेयजल नलकूप नहीं चल रहे हैं । कभी-कभी एक-दो घंटे बिजली मिल जाती है । शहरों एवं देहातों में अंधाकूप है । सात तारीख से लगातार 10 मार्च तक बिजली बिल्कुल नहीं आयी । विद्युत् स्टेशन पिंडरा, चोलापुर, हरहुआ, अनेई, राजा तालाब एवं ज्ञानपुर, चकिया-चन्दौली के सभी नलकूप बन्द रहते हैं । पता लगाने पर मालूम हुआ कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत्, वाराणसी ने अपने आदेश संख्या एम-57-एस0-154 एम0 एल0 55--903 वी0 डी0 कट 2 सी/एम, दिनांक 22-2-1984 के द्वारा विद्युत कटौती करके चार घंटे बिजली देने का आदेश दिया है जबकि विद्युत् कटौती बहुत पहले ही समाप्त कर दी गयी है । बिजली कटौती से वाराणसी

जिले के किसानों उपभोक्ताओं में व्यापक असंतोष है और पूरा जन-जीवन प्रभावित हो गया है। किसानों के सामने घोर अंधकार छाया है। गेहूं की फसल संकट में पड़ गयी है। इसलिये इस लोक महत्व के प्रश्न को माननीय विधान सभा के संज्ञान में लाकर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उस आदेश को वापस लेने एवं अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

श्रीमती भगौनिया देवी यादव, सेविका, कन्या जूनियर हाई स्कूल, कमासिन, बांदा को पूर्ण वेतन न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीखा लाल--

मैं एक निश्चित विषय शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। सचिव, उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद के पत्रांक बे0 शि0 प0/3268/एक-2/70-79, दिनांक 19 फरवरी, 1979 के द्वारा श्री भगौनिया देवी यादव, सेविका, कन्या जूनियर हाई स्कूल, कमासिन विकास खंड, कमासिन, जिला बांदा का समायोजन किया गया और उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका, बांदा के पत्र दिनांक 14-5-1981 द्वारा श्रीमती भगौनिया देवी यादव को आदेश दिया गया कि वह कन्या जूनियर हाई स्कूल कमासिन में अपने नये पद का भार ग्रहण कर ले और उनका वेतन 165 रु0 प्रतिमाह निश्चित किया गया। श्रीमती भगौनिया देवी यादव ने अपने नये पद का भार 15-5-1981 को ग्रहण कर लिया, जिसको प्रधान अध्यापिका श्रीमती विमल कुमारी मिश्रा ने प्रमाणित करके उप विद्यालय निरीक्षिका के कार्यालय में भेज दिया। श्रीमती भगौनिया देवी यादव 15-5-1981 से अपने नये पद सेविका पर कार्य कर रही हैं किन्तु खेद है कि अभी तक इनको निश्चित वेतन 165 रु0 प्रति माह के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है।

अतएव इस निश्चित विषय को शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में श्रीमती भगौनिया देवी यादव का पूर्ण वेतन चार्ज लेने की तिथि से दिलाया जाय।

सर्वोदय डिग्री कालेज, घोसी, आजमगढ़ में चयनित प्राचार्य को कार्यभार न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम धनी--

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अधिनियम, 1980 के अनुसार सर्वोदय डिग्री कालेज, घोसी, आजमगढ़ के प्राचार्य पद पर उच्चतर शिक्षा आयोग ने 21 दिसम्बर, 1983 को डा0 बैकुंठ राय का चयन किया है। डा0 राय ने 31 दिसम्बर, 1983 को कार्यालय द्वारा अपनी उपस्थिति की सूचना प्रबंध समिति को दे दी। नियमतः तदर्थ प्राचार्य का कार्यकाल आयोग द्वारा चयनित प्राचार्य के सेवायोजन सूचना के साथ ही समाप्त हो गया।

तदर्थ प्राचार्य ने प्रबन्ध समिति की साजिश से 6 जनवरी, 1984 को उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था जो 19 जनवरी, 1984 को निरस्त हो चुका है। 4 फरवरी, 1984 को उच्च शिक्षा निदेशक के लिखित निर्देश को भी प्रबन्ध समिति ने ठुकरा दिया है। फिर भी उच्च शिक्षा निदेशक ने विश्वविद्यालय अधिनियम, 1983 की धारा 57 (2) एवं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की धारा 14-15 तथा 25 के तहत चयनित प्राचार्य को कार्यभार दिलाने की कोई कार्यवाही नहीं की।

अतः मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को सदन और सरकार के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संज्ञान में लाकर उक्त समस्या के स्थायी समाधान की मांग करता हूं ।

रनगवां बांध का फाटक बन्द किए जाने से बांदा जिले की फसल नष्ट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा--

आपकी अनुमति से इस आदरणीय सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि छतरपुर (म० प्र०) की जनता पार्टी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने रनगवां बांध की मुख्य नहर का फाटक बन्द कर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले को पानी की सप्लाई रोक दी है । रनगवां बांध छतरपुर जिले की भूमि पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है और वहां से नहरों द्वारा बांदा जिले को पानी पहुंचाया जाता है । पानी की सप्लाई रोक दिये जाने से जनपद बांदा की लगभग 1.60 लाख एकड़ की रबी की फसल के नष्ट हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है । फसल के लिए तत्काल पानी की आवश्यकता है । मध्य प्रदेश जनता पार्टी विगत कई वर्षों से इस तरह का आन्दोलन कर रही है । इसके पूर्व माननीय सदन में मैंने 18-9-1981 व 23-2-1982 को भी रनगवां से संबंधित मामले को उठा चुका हूं ।

अतः इस सुनिश्चित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं तथा मांग करता हूं कि शासन शीघ्र प्रभावी कार्यवाही करे जिससे कि जनपद बांदा में रबी की फसल को नुकसान न पहुंच तथा रनगवां बांध पर कार्यरत उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की सुरक्षा सम्भव हो सके ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन है कि एक घंटा चर्चा के लिए निर्धारित है बिजली के बारे में इसलिए आप उस समय सदन में अवश्य रहें क्योंकि इससे संबंध सिंचाई का भी है और इसके लिए आप तयार रह ताकि कोई परेशानी न हो ।

सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

माननीय, मैं इस सिलसिले में यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर बिजली पर आज चर्चा करते हैं तो सिंचाई को आज न लीजिए इसे किसी और दिन के लिए रख दीजिए और इसे इस चर्चा के स्थान मिलाइये ।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा ।

जौनपुर के विकास क्षेत्र, मुफ्तीगंज के नदी-नालों पर स्थित पुलों का निर्माण कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 से अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रभू नारायण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र, मुफ्तीगंज के लगभग 37 गांव या तो सई-गोमती नदियों के बीच में या किनारे बसे हुए हैं । इन लोगों के आवागमन हेतु एक मार्ग सिरकोनी से राजेपुर (संगम) तक जाता है । यह मार्ग अभी निर्माणाधीन है और राजेपुर ग्राम में संगम से पूर्व नाले पर पुल का निर्माण भी नहीं हुआ है । दूसरा मार्ग जफराबाद से देवकली (तकिया) तक जाता है । यह मार्ग बेलगांव ग्राम में गोमती नदी को पार करता है । गोमती नदी पर न तो पुल बना है और न पीपे के पुल की ही व्यवस्था की गई है । इसी मार्ग पर भीषण गठिया नाला भी पड़ता है । इस नाले पर एक जर्जर, सकरा एवं नीचा पुल बना हुआ है, जो चार महीने पानी में डूबा रहता है । इन मार्गों और इन पर स्थित पुलों के शीघ्र न बनने के कारण इस क्षेत्र के निवासियों के आवागमन में घोर असुविधा होती है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि इन मार्गों और उन पर स्थित पुलों का शीघ्र निर्माण कराया जाये।

अछनेरा (आगरा) थानान्तर्गत पड़ रही डकैतियों से नागरिकों में व्याप्त भय के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बदन सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनपद आगरा के थाना अछनेरा के अन्तर्गत ग्राम रामपुर में 29/1 मार्च, 1984 को डकैत एक ही परिवार के बद्री प्रसाद, बांके लाल, मुनेश व धनीराम की हत्या कर गये और दाता राम को प्राणघातक चोट पहुंचाकर गम्भीर रूप से घायल किये। इससे पूर्व दिनांक 16–17 फरवरी को नगला गड़ोमा में गोपाल सिंह नाम के एक फौजी की हत्या भी डकैतों द्वारा की गयी तथा 4–5 जनवरी को पनवारी ग्राम के प्रधान रतन सिंह के यहां डकैती डालकर उसकी सेमी आटोमेटिक राइफल ले गये। 24/25 फरवरी में अगनपुरा के ख्याली राम प्रधान एवं अन्य ग्रामीणों को लूटा। इस तरह क्षेत्र में डकैती डाल–डाल कर हथियार छीन रहे हैं और हत्यायें कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस के रोके डकैत नहीं रुक पा रहे हैं पर जिला पुलिस प्रशासन निष्क्रिय और हाथ पर हाथ धरे बैठा है। ग्रामीणों में डकैतों का भारी भय व्याप्त है। वे रात–रात भर सो नहीं पाते तथा ग्राम छोड़–छोड़ कर शहरों में बसने को भाग रहे हैं।

अस्तु, इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि अछनेरा थाना क्षेत्र डकैतग्रस्त घोषित कर नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिये शासन प्रभावी कदम उठावे।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विभिन्न राज मार्गों पर लगे सूचक पटों के अंग्रेजी में लिखे होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किरनपाल सिंह—

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर आपका व सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गत कुछ माह से प्रदेश के अन्दर विभिन्न राज–मार्गों पर मार्ग निर्देशन संकेत तथा सावधानी सूचक सन्देश जो मातृभाषा हिन्दी में लगे हुये थे, उनको हटा कर उनके स्थान पर अंग्रेजी भाषा में उन्हें स्थापित किया जा रहा है। उदाहरण के लिये लखनऊ–कानपुर मार्ग पर कई सौ ऐसे सूचक संकेत पट लगाये गये हैं जो अंग्रेजी भाषा में हैं तथा इन पर काफी रुपया खर्च किया जा रहा है। ऐसा करना मातृभाषा हिन्दी का तो अपमान है ही साथ ही साथ जिनके लिये वह लगाये गये हैं उनमें अधिकतर (बालक) अंग्रेजी भाषा जानते ही नहीं हैं। इसलिये ऐसे सूचक संकेत पटों की सार्थकता कुछ रह नहीं जाती।

अस्तु, आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये मांग करता हूं कि ऐसे तमाम अंग्रेजी भाषा में लिखे सूचक पटों को हटाया जाय तथा आदेश किया जाय कि भविष्य में ऐसा न हो। ऐसा करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी मांग करता हूं।

मदन मोहन मालवीय पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, भाटपार रानी, देवरिया में छात्र आन्दोलन के सम्बन्ध में दिनांक 21 फरवरी, 1984 को श्री अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

मुझे 4 औचित्य के प्रश्न प्राप्त हुए हैं और इसे मैं एक-एक करके लूंगा ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय, इस आदरणीय सदन में पिछली 21 तारीख को एक कार्य-स्थगन का प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया था कि मदन मोहन मालवीय पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, भाटपाररानी, देवरिया के दो छात्र आन्दोलन पर बठे हुये हैं और उनकी पिटाई न केवल पुलिस ने की बल्कि देवरिया कालेज के ही पहले कालेज के प्रबन्धक के लड़कों ने उनकी पिटाई की । विषय की गम्भीरता को देखते हुये आपने शासन को यह निर्देश दिया था कि वह जिला प्रशासक, देवरिया से सम्पर्क स्थापित करके इस मामले को देखें । परन्तु कोई सम्पर्क नहीं स्थापित किया गया, छात्रों की केवल एक मांग थी यूनियन बनाने के सम्बन्ध में । आपने निर्देश दिया था कि वह हमसे तथा श्री कुबेर मंडारी से सम्पर्क स्थापित करें परन्तु आपके निर्देश पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी । दूसरे दिन फिर मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया तो आपने अपने कक्ष में बुला कर मुझे सुना और संसदीय कार्य मन्त्री से भी बात की और हमें बताया कि उन्होंने कहा है कि इस सम्बन्ध में डी0 एम0 को निर्देश कर दिये गये हैं कि वह इसको देखें और जो दोषी कर्मचारी हैं जिन्होंने लड़कों के साथ अभद्र व्यवहार किया है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस आदरणीय सदन की इच्छा तथा आपके स्पष्ट निर्देश के बावजूद इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । अब प्रेक्टिकल परीक्षायें चल रही हैं उससे उन लड़कों के नाम काट दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप इतना लम्बा औचित्य के प्रश्न पर क्यों बोल रहे हैं ? लिख करके तो आपने सब दे ही दिया है तो आप संक्षेप में अपनी बात को कहें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय, मैं अपनी बात कर रहा हूं ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

माननीय, यह तो औचित्य का प्रश्न बनता ही नहीं है ।

*श्री काशी नाथ मिश्र—

माननीय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, कल से मैं देख रहा हूं कि ऐसे-ऐसे औचित्य के प्रश्न इस सदन में आते हैं, कई बार यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि केवल संविधान से ही सम्बन्धित विषयों पर औचित्य के प्रश्न उठाये जा सकते हैं, तभी औचित्य के प्रश्न बन सकते हैं । किसी घटना को लेकर औचित्य का प्रश्न नहीं बन सकता है । ओझा जी पुराने सदस्य हैं, इन्होंने एक घटना को लेकर औचित्य का प्रश्न उठा दिया है । नियम 300 में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि औचित्य का प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है....

(व्यवधान)

मैं, नियमावली से पढ़ रहा हूं । ओझा जी, संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला दे रहे हैं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मुख्तार अनीस—

इनको अपनी बुद्धि का अपच हो गया है ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

मान्यवर, इस पर जिलाधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं, कार्यवाही हो रही है तो किन परिस्थितियों में इन्होंने औचित्य का प्रश्न उठाया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, प्रबन्धक जो हैं उनके इनके साथ मधुर सम्बन्ध हैं । मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न है, सदन की गरिमा को रक्षा करने के लिये, मैंने इसको उठाया है । आपने स्पष्ट निर्देश दिया था जिलाधिकारी, देवरिया से सम्पर्क स्थापित किया जाय । लेकिन जिलाधिकारी देवरिया ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है, लड़के आमरण अनशन पर बैठे हैं, यह सरकार छात्र विरोधी सरकार है, आप निर्देश दें, कि जिन लड़कों का नाम काट दिया गया है, उनको वापस लिया जाये, उनकी जो मांगें हैं उनको पूरा किया जाये ।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जो बात ओझा जी ने कही है, आपके कक्ष म हुई थी, मैंने निवेदन किया था सारे मामले के बारे में जिलाधिकारी को लिख दिया जायेगा कि सारे प्रकरण को जांच करें और जो शिक्षा निदेशक हैं उनको भी लिखा जायेगा । यह सूचना भेजी गयी कि सारे मामले की जांच करें, जो सूचना प्राप्त होगी वह आपके कक्ष में भेज दी जायेगी । लेकिन यह प्रश्न औचित्य का बनता है या नहीं बनता है इसको तो आप ही तय करेंगे ।

श्री मुख्तार अनीस—

नियमावली के कारण देवरिया में अशान्ति हो जायेगी, आप हत्या करा देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय सदस्य अब कृपया मेरी बात सुन लें ।

श्री कुबेर भंडारी—

मन्त्री जी के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे ।)

श्री अध्यक्ष—

मैं किसी को आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

एक शब्द भी नहीं लिखा जायेगा । माननीय कुबेर जी, आप तो कुबेर हैं ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, प्रश्न यह है कि माननीय ओझा जी ने जो बात कही कि प्रधानाचार्य को मजबूर किया जायेगा कि यूनियन बनायें । मान्यवर, शिक्षण संस्थाओं को हम फैक्ट्री नहीं बनने देना चाहते हैं । ये जो शिक्षा संस्थायें हैं, इनके लिये अगर इस तरह से किया जायेगा तो उसकी जो स्वायत्तता है वह समाप्त हो जायेगी और फिर आप कहने लगेंगे कि वाइस चांसलर को कहा जायेगा कि यूनियन बनायें । तो शिक्षा का जो सही मकसद है....

(व्यवधान)

अनीस जी, आप तो विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, मुझे सुन लें । इन शिक्षण संस्थाओं में किस तरह से काम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चले, वहां की स्थिति क्या है, वहां के छात्रों का स्थिति क्या है और अगर गवर्नमेंट से इस तरह से कोई डाइरेक्टिव हर विद्यालय को जाने लगे कि वहां आप यूनियन खोलिये, इसको अधिकारी बनायें, इसको सचिव बनायें और इसको अध्यक्ष बनायें तो मान्यवर, जो शिक्षा का आज ढांचा है जो कि पूरी तरह से राजनीतिक दखलनदाजी से प्रभावित है, वह और बढ़ जायेगा । यह बात केवल इस सदन की हो नहीं है । यह महत्व-पूर्ण मामला है कि किस कालेज में यूनियन हो और सरकार यह डाइरेक्टिव भेजे तो कम से कम जब तक मैं शिक्षा मन्त्री हूं, इस तरह का कोई डाइरेक्टिव नहीं दिया जायेगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से नुक्ताचीनी नहीं करें । मैंने माननीय ओझा जी को और माननीय शिक्षा मन्त्री को सुना....

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

क्यों सुनें, किसलिये सुनें । आप अपनी बात कह चुके हैं । अब आपको कोई बात कहने का अधिकार नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मन्त्री जी तथ्यों पर परदा डाल रहे हैं । सत्य नहीं बोल रहे हैं । मेरा कहना है कि यूनियन बने या नहीं बने । वहां पर प्रशासन बिलकुल ठप हो गया है, अव्यवस्था पैदा हो गई है, पुलिस हस्तक्षेप कर रही है, विद्यार्थियों की प्रेक्टिकल परीक्षा नहीं हो पा रही है, छात्रों की पिटाई हो रही है

(व्यवधान)

प्रश्न डाइरेक्टिव भेजने का नहीं है कि वह कैसे बने । किन्तु बात यह है कि उनका नाम काट दिया गया है, उनका नाम लिखा जाय, वे प्रेक्टिकल परीक्षाओं में शरीक हों और कालेज के अन्दर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, वह दूर हो । लाखों रुपया भाई-भतीजावाद के नाम पर खर्चा किया जा रहा है । वहां के प्रिन्सिपल रिटायर होने के बाद उसे मैनेजर बना दिया गया है, अपने भाई भतीजों को प्रिन्सिपल और लेक्चरार बना दिया गया है । इस तरह से भ्रष्टाचार वहां पर फैला हुआ है । इसकी जांच करायें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री अम्मार रिजवी--

जो संवैधानिक बात थी, वह मैंने बता दी । अगर ला-एन्ड-आर्डर की कोई बात हो, कोई इस तरह की चीज हो तो कल शाम तक पूरी सूचना मंगाकर हम आप को दे देंगे ।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, आप संविधान की धारा 19 (सी) देखने की कृपा करें, जिसमें और चीजों के अलावा यह भी दिया गया है कि हिन्दुस्तान के हर नागरिक को फ्रीडम आफ एसोसिएशन या फ्रीडम आफ स्पीच देने की बात कही गयी है । उसी में फ्रीडम टु फार्म यूनियन है ।

श्री अध्यक्ष--

वह आप मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

चूंकि माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने कहा जब तक मैं शिक्षा मन्त्री हूं किसी भी इंस्टीट्यूशन में यूनियन बनने की बात नहीं होगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह बात कही कि जब तक मैं शिक्षा मन्त्री हूं यहां से यूनियन बनाने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नहीं भेजी जायेगी। यह नहीं कहा कि यूनियन नहीं बनेगी, लेकिन इसके डाइरेक्टिव यहां से नहीं भेजे जायेंगे।

श्री रियासत हुसैन—

यह बात इस माननीय सदन में पहले भी आई और आज ओझा जी ने औचित्य के रूप में प्रस्तुत किया है उस पर माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने, जो संसदीय मन्त्री हैं अपने विचार स्पष्ट किये कि यूनियन के अधिकार को जो मांग कर रहे हैं, उसके लिये हम यहां से नहीं कहेंगे कि यूनियन बनाने दी जाय, इसलिए मैंने यह संवैधानिक प्रश्न उठाया।

श्री अम्मार रिजवी—

मैं मान्यवर, सिर्फ इतना कहूंगा कि जो इन्होंने संविधान का हवाला दिया है, उसी में 2 और 3 को भी पढ़ लें जो इस तरह के यूनियन्स के रिस्ट्रिक्शन के बारे में हैं जो डाइरेक्टिव दिये हैं, उसको वह देख लें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय शिक्षा मन्त्री और माननीय ओझा जी को सुना। जहां तक औचित्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, वह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि जो संविधान है और जो हमारी प्रक्रिया नियमावली है, उनके किसी प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है। फिर भी म माननीय मन्त्री जी से अपेक्षा करूंगा कि मेरे कक्ष में जो विचार विमर्श हुआ है और जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार आप कार्यवाही कर ताकि विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की समस्या का समाधान हो सके।

श्री कुबेर भंडारी—

यह कुछ नहीं कर पायेंगे।

दिनांक 13 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 68 के एक भाग का उत्तर जनहित के नाम पर न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न उठाया है। कल का आप प्रश्न देख लें। अतारांकित प्रश्न संख्या 68, जिसमें पूछा गया था "क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1 अप्रैल, 1982 से 31 मार्च, 1983 के बीच कानपुर व लखनऊ नगरों के आर्म्स बेचने के लाइसेंस होल्डर दुकानदारों में से किन-किन ने 315 बोर की कितनी-कितनी रायफलें बिक्री हेतु प्राप्त कीं और उन्हें किन-किन लाइसेन्स होल्डरों को कब-कब कितने-कितने दामों में बेचा?

श्री अध्यक्ष—

यह मेरे पास है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

तो उसका जो उत्तर दिया गया है, उसमें लिखा है "प्राप्त सूचनानुसार लखनऊ तथा कानपुर नगरों के शस्त्र व्यवसायियों द्वारा प्रश्नगत अवधि में बिक्री हेतु प्राप्त की गयी 315 बोर की राइफलों का विवरण संलग्न है, जिनकी बिक्री इंडियन आर्डिनेन्स फैक्ट्री द्वारा निर्धारित मूल्य तथा देय कर आदि के योग पर की गई। उक्त राइफलें जिन लाइसेन्सधारियों को बिक्री की गई, उनके नाम देना जनहित में न होगा।"

तो मान्यवर, अब प्रश्न यह है कि सरकार हर काम को जनहित के नाम पर छुपाना चाहती है। इसमें क्या जनहित की बात है और जो लाइसेन्स होल्डर हैं, उनके नाम बता दें, उससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कौन सी परेशानी है ? वह इसलिये है कि वह बन्दूकें डाकुओं को बेची गई हैं या फिर सत्ता पक्ष वालों को दी गई है, जिनका आपराधिक चरित्र रहा है । अगर उनका नाम आ जायेगा तो फिर उनके खिलाफ यहां प्रश्न उठेंगे कि इन हिस्ट्रीशीटर को क्यों दिया गया । नहीं तो इसमें कौन सा जनहित का प्रश्न है ? जब लाइसेन्स देते हैं तो वह पब्लिकली देते हैं । तो उसमें सरकार कहती है कि जनहित में बताना ठीक नहीं है । इसका दूसरा अंश देखें । जो राइफलें दी गयीं, वह किस दाम पर दी गयीं ? 3,500 रुपये की साढ़े सात हजार में बेच रहे हैं, उसमें सरकार के आदमी और दुकानदार मिलकर नाजायज फायदा उठा रहे हैं । इसमें दाम नहीं दिये गये हैं । इसमें लिस्ट लगा देते कि फलां को बेची, किसने बेचा, और किस लाइसेन्स होल्डर को बेची, उसका क्या नाम है, किस तारीख को बेची तो इससे पता लग जाता कि किसको बेची बताना नहीं चाहते हैं, इसमें एक बड़ा रैकेट चल रहा है, अब सरकार उनको बताना नहीं चाहती है और जनहित का सहारा लेती है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हर काम को जनहित कहकर छिपा सकती है ? जो बात सार्वजनिक है, उसको भी सरकार क्या छिपा सकती है ? इससे हमारे अधिकारों का हनन होता है, इसलिये सरकार इसमें बताये ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं भी आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि कोई चीज सदन में आ गई ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं । इस तरह की परम्परा न डालें कि एक चीज पर सभी सदस्य कहेंगे । जो माननीय सदस्य ज्यादा चाहते थे, उन्होंने अपनी बात कह दी, यह नहीं कि कोई चीज सदन में आ गई तो क्या सभी लोग बोलेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आप मेरा बिन्दु सुन लें, जो वर्मा जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया है, उसकी वस्तुस्थिति में मुझे टिप्पणी नहीं करना है । मान्यवर, जनहित के मुद्दे को उठाया गया है, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे नियमों में व्यवस्था है ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, सामने देखें, क्या हो रहा है। हमको तो टोकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय बृज किशोर मिश्रा जी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, नियमों में व्यवस्था है, अध्यक्ष पीठ से पूर्व के दृष्टांत हैं कि सरकार कहती है कि जनहित में उत्तर देना ठीक नहीं है । तो आप उसकी पत्रावली मांग और देख सकते हैं और फिर अपने विवेक से तय करेंगे कि वास्तव में उत्तर जनहित में देना आवश्यक है कि नहीं ? इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार ने यह उत्तर दिया कि जनहित में उत्तर देना ठीक नहीं है, क्या आपसे इस सम्बन्ध में परामर्श लिया गया और आप को उसके कारण बताये गये ? यदि बताये गये हैं, मैं सरकार का आदमी नहीं हूं, पत्रावली देखने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपसे संरक्षण चाहता हूं कि यदि गोपनीय नहीं है तो आपसे मुझे जानने का अधिकार है कि आपके पास में कौन से तथ्य आये हैं, जिनके आधार पर आपने अनुमति दे दिया और जनहित का बहाना लेकर ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को जो लाइसेन्स देने में भ्रष्टाचार हो रहा है, यह मेरी सही जानकारी है और आप भी इससे सहमत होंगे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, प्रदेश में असामाजिक तत्वों को लाइसेन्स प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन आज कोई सम्मानित व्यक्ति लाइसेन्स प्राप्त करना चाहते हैं तो कानून बन्धक बनता है चूंकि प्रशासनिक प्रक्रिया ऐसी जटिल है, जिससे चरित्रवान् व्यक्ति लाइसेन्स नहीं पायेगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जनहित का बहाना लेकर सरकार ने उत्तर देने से बचने की चेष्टा किया है, तो क्या मान्यवर, आपका समाधान हो गया है और पत्रावली देख लिया है ?

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय वर्मा जी वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं और राजेन्द्र कुमार गुप्त जी इस नियमावली के पन्डित हैं, मैं उनका ध्यान, जो उत्तर दिया गया है, उसी के सिलसिले में, उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 38 (3) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, उसमें स.फ लिखा है—

"यदि मन्त्री को यह राय हो कि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना लोक हित में नहीं दी जा सकती तो वे ऐसा कहेंगे इस आधार पर मन्त्री की सूचना देने से इंकार करना विशेषाधिकार का विषय नहीं बनाया जा सकता और न इस आधार पर सदन के स्थगन का प्रस्ताव ही लाया जा सकता है।"

तो जो जनहित का सहारा लिया गया है, उसके सम्बन्ध में यह है।

मान्यवर, अब श्री गुप्त ने बताया कि आपकी पीठ से बहुत से फैसले ऐसे हुये हैं, तो मैं उनका ध्यान-अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन खंड 276 से खंड 336 के अन्तर्गत, नियम 38 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

(38) यदि कोई मंत्री यह उत्तर देता है कि प्रश्न का उत्तर देना जनहित में नहीं है तो उसको उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 7 अक्तूबर, 1977 को प्रश्नोत्तर के समय पुलिस अधीक्षक जिला सीतापुर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सत्यदेव त्रिपाठी ने कहा "चूंकि प्रारम्भिक जांच करने के बाद मामले की जांच चल रही है इसलिए उन शिकायतों और जांच अधिकारी का नाम बताना जनहित में नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

देखिए इसमें उन्होंने कारण बता दिया है और वही मैं जानना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी को इस विषय में क्या कारण बताया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

यह मेरी बात तो पहले पूरी सुन लें, उनकी सब बात मैं सुना करता हूं। तो जनहित में कोई बात बताना या न बताना सरकार का अधिकार है। यह हो सकता है कि जो बात हमारे लिए जनहित में बताना उचित नहीं है वह बात आपके लिए जनहित में न हो। हम समझते हैं कि उस पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की जा सकती है। यह प्रश्न जैसा मैं समझता हूं 13/3 को आया था और जब उस दिन प्रश्नों का समय समाप्त हो गया था, उस पर व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया जा सकता था। लेकिन राम स्वरूप वर्मा जी इसको औचित्य का प्रश्न बनायेंगे इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। समझ में नहीं आता है कि उन्होंने संविधान की किस धारा में, विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के किस नियम में और अध्यक्ष पीठ से दिये गये किस व्यवस्था के आधार पर इसको आपके सामने रखा है। इसलिए साथ ही मेरा एक निवेदन यह भी है कि आप इस तरह से औचित्य के प्रश्न लेने के पूर्व औचित्य के प्रश्न की स्क्रीनिंग करा लिया करें

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

तभी इसको यहां रखा जाया करे। औचित्य से प्रश्न को उठाने का यह तरीका नहीं है, औचित्य के प्रश्न का तरीका अनौचित्य का नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय गुप्त जी को, वर्मा जी की और शिक्षा मंत्री जी को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। जो हमारे नियम बने हैं, उसकी तरफ माननीय मंत्री जी ने ध्यान आकर्षित किया है, उसको भी मैंने देखा। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 38 (3) में, जिसको आपने संक्षेप में बताया है, मंत्रिगण को यह अधिकार है कि वह किसी सदस्य द्वारा मांगी गयी सूचना को लोकहित में देने से इन्कार कर सकते हैं। उक्त नियम में यह भी लिखा हुआ है कि जब वह उत्तर देने से इन्कार करें तो उसे विशेषाधिकार का अथवा कार्यस्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों के संकलन (1969–78) के पृष्ठ 67 पर यह निर्णय अंकित है कि प्रश्नों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न नहीं उठता। उसी पुस्तक में पृष्ठ 69 पर यह भी निर्णय दिया गया है कि ऐसे मामलों में मंत्री को बाध्य नहीं किया जा सकता। जहां तक जो आपने औचित्य का प्रश्न उठाया है, यह औचित्य का कोई प्रश्न नहीं बनता है और न इसकी मैं आज्ञा देता हूं। मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने जो बिन्दु उठाये वह आपने नहीं लिए।

श्री अध्यक्ष—

आवश्यक नहीं है कि सबको देख लिया जाय।

अतारांकित प्रश्नों के उत्तर ठीक न दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री विद्यासागर नौटियाल—

माध्यवर, मुझे प्रश्नों के सम्बन्ध में निवेदन करना है, अतारांकित प्रश्न जो हमारे होते हैं, उसके इतने बेढंगे उत्तर आ रहे हैं, जिसके बारे में मैंने श्रीमन्, को लिखकर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

क्या आपने लिखकर दिया है, इस तरह के बारे में कि मैं प्रश्न करना चाहता हूं ?

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मैंने दो प्रतियों में आपको लिखकर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

क्या आपने कोई सूचना दी है ?

श्री विद्यासागर नौटियाल—

आपके सचिव को दी है और मेरे पास उसकी तीसरी प्रति है।

श्री अध्यक्ष—

आगे चलिए, मान लेता हूं।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

"सूचना एकत्र की जा रही है यह उत्तर आता है। हमारे प्रश्न का जब सदन में यह उत्तर आ गया कि सूचना एकत्र की जा रही है, तो तारांकित प्रश्न हो तो ठीक है, उसको दुबारा ले लिया जायेगा, लेकिन अतारांकित प्रश्न का जब यह उत्तर आता है तो प्रश्न समाप्त हो गया या तो हम फिर उसी प्रक्रिया से गुजरें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सभ्यक्ष—

वह तो जिस प्रकार से तारांकित प्रश्नों की सूचनायें आती हैं, उसी प्रकार अतारांकित प्रश्नों की भी सूचनायें आती हैं ।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर पूछा जाता है । आप मेरे अतारांकित प्रश्न 7 को देखें और उसके उत्तर को देखें । प्रश्न पूछा गया है और उत्तर कुछ दिया गया है । मेरे कई प्रश्न अतारांकित आज के एजेन्डे से हैं, जो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 इन सभी के उत्तर ठीक प्रकार से नहीं दिये गये हैं ।

श्री सभ्यक्ष—

अगर आप किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप नियम 49 में उस पर चर्चा की मांग कर सकते हैं । उसके लिए आप लिखकर दे दें ।

(व्यवधान)

सत्र प्रारम्भ होने के एक माह के अन्दर उपाध्यक्ष पद का चुनाव न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं बड़े दुःख के साथ इस औचित्य के प्रश्न को सदन के सम्मुख उठा रहा हूं । हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम 9 (1) (ख) में यह लिखा है कि सत्र आरम्भ होने के एक माह के अन्दर उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिये । यह अधिकार आपमें और इस आदरणीय सदन में निहित है । किसी बाहरी आदमी से इसका वास्ता नहीं है । 3 बार माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने माननीय सदन से उनके चुनाव को स्थगित करवाया और उसके स्थगन का प्रस्ताव पास किया गया । पर इस बार एक महीना कल बीत गया, अभी तक माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इसकी अहमियत को नहीं समझा और इतना भी आवश्यक नहीं समझा कि इसको फिर स्थगित करवा लेते । उसका प्रस्ताव पहले की तरह ले आते । उपाध्यक्ष का पद न भरने से एक प्रकार से माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने विरोध पक्ष के अधिकारों को अवहेलना की है क्योंकि वह पद विरोध पक्ष की ओर से भरा जाना है इससे सत्ता पक्ष की नीयत साफ नहीं है । 3 बार न मालूम किस मजबूरीवश उसको स्थगित करवाया गया । इस बार उन्होंने उसको भी जरूरत नहीं समझी । चूंकि श्रीमन, यह प्रक्रिया आपकी तरफ से होनी है, इस आदरणीय सदन के द्वारा होनी है, इसलिये मैं आपके इस औचित्य के प्रश्न को उठा रहा हूं, चुनाव न कराने से नियमों की अवहेलना है ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्बिका शरण रिजवी)—

अध्यक्ष जी, माननीय रियासत साहब ने नियमावली के नियम 9 की तरफ ध्यान आकर्षित किया है । इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जो बात उस नियम की कही है वह उसमें लिखी हुई है ।

मान्यवर, संविधान के क्लाज 178 को देखें तो उसमें कोई समय निश्चित नहीं है, उसमें है 'एवरी लेजिस्लेटिव असेम्बली आफ ए स्टेट शैल एज सून एज मे बी, चूज टू मेम्बर्स आफ दि असेम्बली.....' तो इसमें विलम्ब हुआ है इससे इंकार नहीं किया जा सकता । यह मान्यवर, आपका अधिकार है जो प्रक्रिया आप निर्धारित कर देंगे उसको उस हिसाब से कार्यान्वित करेंगे ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रियासत हुसैन—

30 दिन की गिनती याद नहीं है ?

*श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, संविधान की धारा 178 में लिखा है "ऐज सून ऐज पासिबिल" तो इतना अर्सा बीत गया है और आपका "ऐज सून ऐज पासिबिल" पूरा नहीं हो पा रहा है । यह विधान सभा भी एक साल की रह गई है । हमेशा जब विधान सभा शुरू होती थी तो एजेन्डे के अन्दर डिप्टी स्पीकर के चुनाव का मुद्दा होता था । इसको नहीं रखा गया । तो मैं जानना चाहता हूं कि "ऐज सून ऐज पासिबिल" कब पूरा होगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, संविधान में किसी प्रावधान का अमेंडमेंट करने की एक प्रक्रिया है उसके बगैर संविधान में संशोधन नहीं हो सकता । लेकिन मान्यवर, उस दल के लोग जो हैं वह संविधान में संशोधन करने के लिए किसी नियम का पालन नहीं करते हैं । इसमें लिखा है कि "ऐस सून ऐज मे" इसको उन्होंने "ऐज सून ऐज पासिबिल" कर दिया । तो मेरा अनुरोध है कि जो प्रक्रिया निर्धारित है उसी के अनुसार होना है जो ये कह रहे हैं वैसा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय रियासत हुसैन, माननीय संसदीय कार्यमंत्री को उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे में सुना । माननीय उपाध्यक्ष का जो पद है वह दिनांक 14 दिसम्बर, 1982 से रिक्त हुआ था । उस समय विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा था । प्रक्रिया नियमावली के नियम 9(1) (ख) के अनुसार उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु दिनांक 25 फरवरी, 1983 की तिथि निर्धारित की गई थी, जो उपवेशन के प्रारम्भ होने के 30 दिनों के भीतर की थी । इस प्रकार नियमों का पालन किया जा चुका है ।

दिनांक 24 फरवरी, 1983 को इस सदन ने यह प्रस्ताव पारित किया कि नियमों को निलम्बित करते हुए उपाध्यक्ष के निर्वाचन की दूसरी तिथि माननीय अध्यक्ष घोषित करें । वर्ष 1983 के बजट सत्र में इस निर्वाचन हेतु मैंने 3 तिथियां निर्धारित कीं और प्रत्येक बार सदन के प्रस्ताव द्वारा उसे स्थगित कर दिया गया । संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया था कि उपाध्यक्ष के निर्वाचन का जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उसको निरस्त कर दिया जाय और आगामी सत्र के दौरान नई तिथि निर्धारित करें । वर्ष 1983 के मानसून सत्र में भी निर्वाचन हेतु 6 सितम्बर, 1983 की तिथि निर्धारित की गई थी और सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार मुझे प्राधिकृत किया गया कि मैं अनुवर्ती सत्र में पुनः तिथि निर्धारित करूं । उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु नई तिथि शीघ्र ही निर्धारित की जायेगी । मैं सलाह-मशिवरा करके, आप लोगों से, उसकी तिथि जल्दी ही घोषित कर दूंगा । जब एक बार नियम 9(1)(ख) के अनुसार तिथि निर्धारित की जा चुकी है और सदन द्वारा नियमों को निलम्बित करते हुए मुझे प्राधिकृत किया गया था तो नियमों की अवहेलना का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता या औचित्य का कोई प्रश्न नहीं बनता है । लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा कि जल्दी से जल्दी घोषणा करने के बारे में इसकी कार्यवाही करूं ।

श्री रियासत हुसैन—

जो आपको अधिकार दिया गया था तो अब तक आप प्रयत्न करके तिथि की घोषणा न कर दें उस समय तक के लिए नियम 9 (1) (ख) को निलम्बित कर दें तो अच्छा हो ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो नियम निलम्बित हो चुका है ।

श्री रियासत हुसैन--

नियम 9, जब सत्र प्रारम्भ हो गया तो 30 दिन फिर लागू हो गये । जब यह सत्र शुरू हो गया, तो उस दिन से नियम 9 जो है, वह फिर लागू हो गया और वह आप कर नहीं पाये । एक बार निलम्बित जब हुआ, उसके बाद सितम्बर में आपने फिर तिथि रखी और फिर आपको अधिकृत किया गया था तो नियम 9 का (ख) जो है, वह फिर लागू हो गया । हमेशा के लिए वह थोड़ी निलम्बित हो गया था ? तो इसको आप निलम्बित कीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

उसे निलम्बित कर दिया गया है । उसमें लिखा है कि सदन के दौरान में . . .

श्री रियासत हुसैन--

30 दिन की बात जो है, उसे आप निलम्बित कीजिए। 30 दिन अपनी जगह पर स्टैंड रहे और मान लीजिए सत्र ढाई महीने चले या तो आप अपनी एथारिटी रखिये या सत्र के दौरान 3 महीने या डेढ़ महीने के बाद रखें, लेकिन नियम अपनी जगह पर है और आपकी एथारिटी अपनी जगह पर है । दोनों में क्लेश होगा ।

श्री अध्यक्ष--

यह निश्चित किया गया था कि अगले सत्र में कोई तिथि निर्धारित कर दें । मैंने इसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री जी से सलाह मशविरा किया । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर ध्यान दें और उसके अनुसार आप कार्यवाही करें ।

दिनांक 5 सितम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 112 के उत्तर के विषय में करण संख्या 218 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मैंने पिछले सत्र से दिनांक 5-9-83 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 112 के माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा असत्य एवं तथ्यहीन उत्तर देने के सम्बन्ध में करण 218 के अन्तर्गत एक सूचना आपको दी थी । इस कारण 218 से सदन का कार्य नियमित होता है और इसी करण के अन्तर्गत शासन द्वारा दी गई जानकारी अथवा उत्तर की सत्यता सुनिश्चित करने का प्राविधान है । मेरे उपरोक्त सूचना देने के पश्चात् साधारणतया मंत्री जी को 15 दिन के अन्दर अपने उत्तर की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण अथवा तर्क आपको भेज दिये जाने चाहिये थे । विशेष परिस्थिति में और उनके ऐसा आग्रह करने पर आप 15 दिन का समय और दे सकते थे । आपके संसदीय अनुभाग से 5 रिमाइंडर माननीय शिक्षा मंत्री जी को दिये जा चुके हैं । लेकिन फिर भी 6 महीने का समय बीतने पर भी उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण अथवा तर्क आपको नहीं भेजे हैं । नीचे के अधिकारी जानबूझ कर मंत्री जी के पास उत्तर नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि वह मेरे प्रमाण और व्यक्तिगत जानकारी का प्रतिवाद करने में असमर्थ हैं । अधिकारी जब झूठा उत्तर देते हैं, तो उसकी परेशानी और कष्ट माननीय मंत्री जी को उठाना पड़ता है । स्पष्टतया यह मात्र असत्य और तथ्यहीन उत्तर का ही मामला नहीं, बल्कि प्रक्रिया सम्बन्धी करण 218 जिससे सदन की कार्यवाही नियमित होती है, उसकी भी घोर अवहेलना का मामला है । यदि सदन में सही जानकारी नहीं आती है और नियम

का पालन नहीं होता है, तो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है। इसलिए आवश्यक है कि झूठे और तथ्यहीन उत्तर देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने एवं सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए मुझे इस विषय को औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति दें, ताकि ऐसे जो झूठे अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो सके।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, माननीय बरार साहब ने इस ओर ध्यान आकर्षित करवाया, सारे सदन का और सरकार का भी, यह मामला काफी पुराना है। मैं आपके माध्यम से उनसे दरख्वास्त करूंगा और आपसे भी निवेदन करूंगा कि थोड़ा समय मुझे और दे दें ताकि सारे तथ्यों से मान्यवर, मैं अवगत करा सकूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय जयदीप सिंह बरार ने दिनांक 6-9-83 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री द्वारा उत्तरित अपने अतारांकित प्रश्न संख्या 112 के विषय में करण संख्या 218 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने की अनुमति मांगी है। मैंने इस सचिवालय की सम्बद्ध पत्रावली का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि माननीय सदस्य को उक्त सूचना, संलग्नक सहित, 25-10-83 को इस सचिवालय में प्राप्त हुई और उसकी प्रतिलिपि तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री को दो सप्ताह के अन्दर वस्तुस्थिति की जानकारी मुझे भेजने के अनुरोध के साथ नवम्बर, 1983 में भेज दी गई थी। इसके पश्चात् शासन को इस सम्बन्ध में 4 रिमाइन्डर भेजे गये हैं। प्रश्नगत मामले में शासन की ओर से वांछित सूचना लगभग 4 महीने के भीतर भी नहीं प्राप्त हुई। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में नियम और प्रक्रिया सम्बन्धी करण का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाया करे। प्रश्नगत मामले में वांछित सूचना मुझे एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त हो जानी चाहिये। औचित्य के प्रश्न के रूप में इसे मैं अस्वीकार करता हूं

(व्यवधान)

गोपीनाथ वर्मा का औचित्य का प्रश्न 12·50 पर प्राप्त हुआ है, इसको कल ले लेंगे।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

हां मान्यवर, लेट हो गया।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, निर्णय तो दिया नहीं औचित्य के प्रश्न पर ?

श्री अध्यक्ष--

निर्णय दे चुका हूं।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। माननीय सरदार सिंह को प्रदेश में निरन्तर बैंक डकैतियों से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में है। माननीय मोती लाल देहलवी की भी यही है। माननीय कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री शिवानन्द नौटियाल की, घोर भ्रष्टाचार एवं गलत नीतियों से प्रदेश में मत्स्य विकास कार्यक्रम का सुचारु रूप से न चलने के सम्बन्ध में है। माननीय किरन पाल सिंह की, श्री जोखई गांव शंखपुरा, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर की कच्ची दीवार तोड़ कर कुछ लोगों द्वारा अपना मकान बनाने के सम्बन्ध में है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री किरन पाल सिंह--

यह बहुत गम्भीर है

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्तार अनीस को, स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के सम्बन्ध में है । माननीय हरिवंश सहाय को, जिला देवरिया में शीलिंग, बंजर, ग्राम समाज की भूमि को असरदार लोगों द्वारा हड़पने के सम्बन्ध में है । माननीय मसरूर जाफरी, माननीय विश्वनाथ, माननीय मुहम्मद आजम खां की, जनपद गोंडा की तहसील बलरामपुर के बालिका इंटर कालेज के प्रांगण में एक नौकरानी की लाश बरामद किये जाने के सम्बन्ध में है । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की, प्रदेश के वकीलों पर पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हो रहे अत्याचार के सम्बन्ध में है । माननीय शेर भंडारी की, मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटपार रानी, देवरिया के छात्रों द्वारा छात्र संगठन के गठन हेतु आन्दोलन किये जाने के सम्बन्ध में है । माननीय फिरंगी प्रसाद विशारद की, जनपद गोरखपुर के थाना महाराजगंज में पड़ने वाली डकैती में पुलिस के सहयोग के सम्बन्ध में है । माननीय रियासत हुसैन और माननीय अकबर हुसैन की, कैपिटल सिनेमा लखनऊ में फिल्म देखते हुए श्री रियाज महमद विधायक के ऊपर पंखा गिरने से चोट लगने के सम्बन्ध में है । माननीय जसवन्त सिंह विष्ट की, उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में तदर्थ रूप से नियुक्त प्रवक्ताओं के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में है । माननीय छत्तर सिंह की, बुलन्दशहर स्थित महादेव मन्दिर के निकट कुएं में 8 व्यक्तियों के गिरने के सम्बन्ध में है ।

श्री रियासत हुसैन--

मैं कुछ कहूं । बेहतर होगा कि आप रियाज साहब को सुन लें ।

*श्री रियाज अहमद--

मैं रात में करीब 9 बजे कैपिटल पर टिकट लेने के लिये पहुंचा । टिकट लेने के बाद दाखलशफा गया । 10 बजे वहां पहुंचा गेटकीपर आया । पहले से टिकट लेकर सीट पर बैठाने पहुंचा । 10 मिनट फिल्म चली होगी कि पंखा मेरे सिर पर गिरा । आधा पंखा मेरे सिर पर गिरा और आधा बेकर पर गिरा । एक महिला का काफी कटा और लोगों को चोटें आयीं । मुझे मारने की यह साजिश थी । मेरी हत्या करने की योजना बनायी गई थी । इसमें सिनेमा मालिक का बराबर का हाथ है । मैं चाहता हूं कि कार्य-स्थगन के माध्यम से इस पर चर्चा करा लें ।

(1 बजकर 20 मिनट से)

श्री छत्तर सिंह--

मान्यवर, मोहरसा, थाना अनूप शहर, जनपद बुलन्दशहर गंगा के किनारे एक मन्दिर है, जहां शिवरात्री को बहुत बड़ा मेला लगता है । मान्यवर, 27-28 की रात को बहुत भीड़ थी मेले की वजह से, नौटंकी भी चल रही थी वहां के लोग नौटंकी देख रहे थे । वहां एस0 ओ0, साहब भी कुर्सी पर बैठकर नौटंकी देख रहे थे । भीड़ में किसी बात पर शोर हो गया मान्यवर, एस0 ओ0 साहब ने भीड़ पर लाठी चार्ज करवा दिया । अंधेरे में भीड़ यह नहीं देख पाई कि किधर रास्ता है किधर कुंआ है । भीड़ में आठ लोग कुंए में गिर पड़े उन लोगों को कुंए से निकालने नहीं दिया गया मान्यवर, जब कि वहां रस्सी बल्ले सभी कुछ मौजूद था । लोगों ने काफी कोशिश की लेकिन नहीं निकालने दिया गया । मान्यवर, उस क्षेत्र की जनता में असन्तोष व्याप्त है वहां दो लाशें निकाली गयीं । मान्यवर, लोगों को

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

कुंए में डुबोकर हत्या की गयी है। जो पुलिस के द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है जो पुलिस के लोग तबाही मचा रहे हैं उसको दूर किया जाए।

*श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, पिछले दिनों से प्रदेश के कानपुर में, गाजियाबाद में, वृन्दावन में, मेरठ में, बाजना में डकैतियां पड़ी हैं। सबसे बड़ी डकैती मान्यवर, रुद्रपुर में पड़ी है जो नैनीताल जिले में है। जिसमें स्टेनगनों का प्रयोग किया गया था। आठ लाख रुपये बरेली कारपोरेशन के बैंक था, वहां से लेकर भाग गये। मान्यवर, कार में वह आए और स्ट्रांग रूम से पैसा निकाला और उसी रूम में लोगों को बन्द कर चले गये तो मान्यवर, प्रदेश में उग्रवादी आ चुके हैं। गढ़मुक्तेश्वर में डकैती पड़ी उसमें सिक्ख थे।

मान्यवर, अब जो डकैती पड़ रही हैं उसमें एक न एक सिक्ख जरूर होता है। इससे प्रतीत होता है की पंजाब के उग्रवादी प्रदेश में घुस आए हैं और सरकार उसको रोकने में असफल रही है। पत्रकारों को धमकाया जा रहा है मान्यवर, पुलिस का कहना है कि स्टेनगन पाकिस्तान की बनी हुई थी। पाकिस्तान की स्टेनगन से बैंक लूटा गया है। मान्यवर, कानून व्यवस्था का सवाल है इस पर चर्चा कराएं।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, यह डकैती के बारे में कहा यह पूरी घटना जो है उसकी किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच करायी जाएगी यदि जरूरत हुई तो सी० आई० डी० से जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

जो दो और हैं उन पर आपको कुछ कहना है। इसमें रियासत हुसेन जी का आ जाए कैपिटल सिनेमा के सम्बन्ध में और श्री छत्तर सिंह का आ जाए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इसमें हमारा भी है।

श्री अम्मार रिजवी—

यदि सिनेमा देखने माननीय सदस्य गये थे दुर्भाग्य से पंखा गिर गया था यह कहना कि यह किसी तरह की साजिश थी या लोगों को पता था कि माननीय सदस्य यहां सिनेमा देखने जाएंगे, यह मुनासिब नहीं है, क्योंकि कम से कम माननीय सदस्य की गरिमा के लिये, इस सदन की गरिमा बनाए रखने के लिये, इस तरह की बात कार्य-स्थगन के रूप में आए, ठीक नहीं है। माननीय सदस्य जख्मी हुए, चोट लगी, इसमें हमें उनसे हमदर्दी है और मैं समझता हूं कि जितने सम्मानित सदस्य यहां बैठे हैं, उनको दुख है और हम इस बात की दुआ करेंगे कि माननीय सदस्य जल्द ठीक हो जाएंगे और मैं उनसे यह भी निवेदन करूंगा कि सिनेमा देखना थोड़ा कम कर दें।

श्री छत्तर सिंह ने जो यह सूचना दी जिसमें नौटंकी के अवसर पर कुछ लोग कुंए में गिर गये, मैं उसकी जांच करा लूंगा और यदि लोगों के कुंए में गिरने में किसी अधिकारी का कोई सहयोग है या असहयोग है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी।

*श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, बलरामपुर में एक बालिका विद्यालय में...

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान)

वहां की प्रिंसिपल हैं आशा श्रीवास्तव उनका एक नौजवान पुत्र वहां कालेज प्राउण्ड में रहता है । मान्यवर, वहीं एक नौकरानी, जिसकी उमर 22-23 साल की थी, मान्यवर, एक दिन उसका गला घोंट कर कुएं में डाल दिया गया । वह गर्भवती थी । उसको छिपाने के लिये आशा श्रीवास्तव के लड़कों ने गला घोटकर उसको कुंए में डाल दिया । बाद में जब लोगों को पता चला कि कुंए में एक औरत मरी पड़ी है तो पुलिस आयी और उसने निकाला । उसकी डाक्टरी रिपोर्ट आयी है । रिपोर्ट में लिखा है स्पष्ट कि यह आत्म हत्या नहीं है । गले में निशान बना है । ऐसा प्रतीत होता है कि गला घोटकर पानी में डाल दिया गया । चूंकि पूरे माह का बच्चा पेट में था इसलिये उस प्रिंसिपल ने अपने लड़के के गलत कार्य को बचाने के लिये यह हत्याकांड करवा दिया है । पुलिस में 302 का मुकदमा लिखा है । प्रधानाचार्या और उनके सहयोगी पुलिस पर दबाव डालकर इस मुकदमें को दबाना चाहते हैं । मैं चाहता हूं मान्यवर, कि चूंकि वहां लड़कियां पढ़ती हैं उनके इस कार्य से परेशान हैं । प्रधानाचार्या के दो नौजवान लड़के हैं । वे अन्य किसी बालिका के साथ भी ऐसा कर सकते हैं । मैं चाहता हूं कि इस मामले को पुलिस दबा रही है, इसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा होनी चाहिये । यह एक अहम मामला है, लिहाजा कार्य-स्थगन के रूप में मान्यवर, इस पर चर्चा करा दें और मंत्री जी से कह दें कि इस मामले की सी0आई0 डी0 से जांच करा दें । मान्यवर, यह बहुत बड़ा कान्ड हुआ है और वहां पढ़ने वाली बालिकाओं को इससे परेशानी है ।

श्री किरनपाल सिंह---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है । मान्यवर, मैंने नियम 56 के अन्तर्गत जो लिख कर दिया है, तो मेरा विषय तो कुछ और है, लेकिन यहां के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने हेडिंग बदल कर आपको कुछ और दिया है, इसलिये विषय की गम्भीरता कम हो गयी है । यह सबसे गम्भीर विषय है । मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है ।

श्री किरनपाल सिंह के सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री किरनपाल सिंह---

मान्यवर, हेडिंग बदल दी है ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने पढ़ लिया है ।

(व्यवधान)

(श्री किरन पाल सिंह अपनी सीट के ऊपर खड़े हो गये ।)

श्री अध्यक्ष--

श्री किरन पाल सिंह अपने स्थान पर बैठें । श्री किरन पाल सिंह अपने स्थान पर बैठें (श्री किरन पाल सिंह के अपने स्थान पर न बैठने पर) श्री किरन पाल सिंह सदन छोड़ें ।

(श्री किरन पाल सिंह के अपनी सीट पर खड़े रहने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

श्री किरन पाल सिंह सदन छोड़ें । (माननीय सदस्य के सदन न छोड़ने पर) माननीय संसदीय कार्य मंत्री, मैं श्री किरन पाल सिंह को सस्पेन्ड करता हूं

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय किरन पाल सिंह जी को सदन से निलम्बित किया जाय ।

श्री किरन पाल सिंह—

मैं नहीं जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री किरन पाल सिंह को सदन से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, श्री किरन पाल सिंह को सदन के बाहर ले जायं ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं आप लोगों को आज्ञा नहीं दे रहा हूं । कृपया आप सभी लोग बैठ जायं ।

(मार्शल तथा गार्डों के श्री किरन पाल सिंह के पास पहुंचने पर श्री मुहम्मद आजम खां, श्री छत्तर सिंह, श्री रुद्र प्रताप सिंह और श्री कुबेर गंजारी तथा अन्य कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर खड़े हो गये और कहने लगे कि हम सदन नहीं चलने देंगे । हमें भी सदन से बाहर निकाला जाय ।)

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 32 मिनट पर सदन 15 मिनट के लिए स्थगित हुआ । 1 बजकर 47 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए और स्थगित कर दी है । तदुपरान्त 2 बजकर 17 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री किरन पाल सिंह के सदन से निलम्बन को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, कभी-कभी सदन में ऐसा कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है हालांकि मैं और मेरा दल उसका समर्थन नहीं करते हैं और वह सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं है, लेकिन यह बात भी सही है कि कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जिसमें कोई माननीय सदस्य अपने मन को अपनी परिस्थिति को सम्भाल नहीं पाता है और ऐसा हो जाता है । इसको अपवादस्वरूप समझना चाहिये । आज ऐसी परिस्थिति उठी, माननीय किरन पाल सिंह कल भी एक व्यवस्था उठाना चाहते थे । यह संयोग की बात है कि उसमें हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री का भी इन्वाल्वमेंट है । नियमों में चाहे वह आता हो या न आता हो, आपके विवेक को मैं कोई चुनौती नहीं देता । आपको पूरा-पूरा अधिकार है कि जिस बात को जिस नियम में हम उठाना चाहते हैं, आप उसकी अनुमति दें या न दें, लेकिन यह बात सही है कि कभी-कभी ऐसा गम्भीर मामला आता है कि जिससे व्यक्तिगत नहीं बल्कि सम्पूर्ण प्रदेश का तात्पर्य होता है और ऐसे व्यक्तित्वों का इन्वाल्वमेंट होता है कि उसका असर प्रदेश के शासन और प्रशासन पर पड़ता है । ऐसा विषय माननीय किरन पाल सिंह उठाना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहते थे । वह अन्दर चले गये, बहुत अच्छा नहीं हुआ । मैं फिर कहूंगा कि कभी-कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि बगावत करना फर्ज बन जाता है । इसके साथ ही मैं माननीय संसदीय कार्य मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि अपवाद स्वरूप घटना समझ कर जो निलम्बन का प्रस्ताव हुआ है, उसको वापस ले लें । माननीय मुख्य मन्त्री के व्यक्तित्व के ऊपर एक आक्षेप जरूर लगा है । सदन में भी बात आयी, सदन के बाहर समाचार-पत्रों में भी लिखा है । मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी स्वयं आकर वस्तुस्थिति से अवगत करायें ताकि प्रमाणों के आधार पर अगर सफाई करना चाहेंगे तो हम भी कुछ पूछ सकेंगे ।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री खम्मार रिजवी)—

माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने कुछ माननीय सदस्यों के आचरण के बारे में बताया, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं और उस पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करूंगा । पहली बात जो उन्होंने प्रस्ताव को वापस लेने के सम्बन्ध में कही है, वह तो बाद में कहूंगा । माननीय मुख्य मन्त्री जी के बारे में कल जो बात कही थी, मैंने उसी समय कहा था कि स्पष्टीकरण हो चुका है और कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसका उत्तर न दिया गया हो या न दिया जा सकता हो । अगर वह चाहते हैं और कोई बात नहीं है तो वे स्वयं आकर उसका स्पष्टीकरण कर दें । हमारी पब्लिक लाइफ बहुत खुली हुई किताब है, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे छिपाना चाहते हों । अगर वह कुछ जानना चाहते हैं तो वह किताब खोलें और पढ़ लें ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय किरण पाल सिंह जी के निलम्बन के प्रस्ताव को निरस्त किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री किरण पाल सिंह के निलम्बन के प्रस्ताव को निरस्त किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के बारे में कहना चाहता हूं कि आज तो मैं लिये लेता हूं, लेकिन मैंने यह निर्णय लिया है कि कल से तीन माननीय सदस्यों को ही बोलने की इजाजत दूंगा ।

(व्यवधान)

*श्री काशीनाथ मिश्र—

3 का क्यों कर रहे हैं, यह किस नियम में है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि नियम 301, नियम 51 और नियम 56 में पहले 10 बजे तक सूचना आया करती थी । अब उसका समय 10 बजे के स्थान पर 9.30 बजे तक रहेगा । 9 30 बजे तक जो सूचनायें नियम 56, 301 और 51 के अन्तर्गत प्राप्त हो जायेंगी, वह ली जायेंगी ताकि उसे देखने का मुझे समय मिल जाये और मेरे सचिवालय को समय मिल जाये । आज मैंने जो नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें सुनने का निर्णय किया है, वह सर्वश्री कुंवर सिंह नेगी, मुख्तार अनीस, और राजेन्द्र कुमार गुप्त की है । उन्हीं को सुनूंगा और बाकी किसी को नहीं सुनूंगा ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, अभी आपने कहा कि नियम 56 की इतनी-इतनी सूचनाएं आयी हैं और मैं इतने-इतने को सुनूंगा तो क्या अगर एक साथ 20 एडजोर्नमेंट मोशन आ जायेंगे तो क्या आप उन सब को सुनेंगे तो क्या यह सदन अध्यक्ष की स्वेच्छा से चलेगा, या स्वयं विवेक से या कार्य-संचालन नियमावली के तहत चलेगा ? यह मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, माननीय काशीनाथ जी तो इस सदन के बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं ।

(व्यवधान)

श्री काशी नाथ मिश्र—

माननीय, मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि यह सदन आपकी स्वेच्छा पर चलेगा या स्वंय विवेक पर या नियमावली के अनुसार चलेगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह सदन चलेगा जो अधिकार आपने मुझे दिये हैं उसके तहत और नियमों के तहत चलेगा ।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मैं एक महत्वपूर्ण बिन्दु उठाना चाहता हूं कि आपने जो नियम 56 के बारे में स्पष्ट रूप से ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

माननीय, नियम 56 के अन्तर्गत कितने मामले पढ़े जायेंगे एक पढ़ा जायेगा या तीन-तीन पढ़े जायेंगे या कितने पढ़े जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

तीन पढ़े जायेंगे ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

फिर माननीय, बाकी को फाड़कर फेंक दीजिये, यह क्या है ? लगता है यह विधान सभा नहीं है बल्कि गांव का एक पंचायत घर है या एक चौपाल है या बाजार है, क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

यह विधान सभा है, न पंचायत घर है और न मुर्गीखाना या बाजार है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, माननीय काशीनाथ जी ने नियम जब पढ़े थे, तब वह प्रतिपक्ष में थे, लेकिन आज वह सदन को गांव की एक चौपाल कह रहे हैं बड़े दुख के साथ..

(शोर)

श्री काशीनाथ मिश्र—

जी हां, सन् 62 में भी यही कहा था जब मैं उधर बैठता था कि यह विधान सभा है, चौपाल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

तीन पढ़े जायेंगे ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

फिर माननीय, बाकी को फाड़कर फेंक दीजिये आज भी मैं यह बात कहता हूं कि यह सदन है, चौपाल नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, काशीनाथ जी ने जो नियमावली पढ़ी थी तो वह जब वे प्रतिपक्ष में थे उस समय की नियमावली पढ़ी होगी । मेरी व्यवस्था यह है कि आपके निर्णय देने के बावजूद, आपके

निर्णय के खिलाफ क्या कोई सदस्य चुनौती दे सकता है ? आपने समय-समय पर व्यवस्था दे कर प्रक्रिया सम्बन्धी जो कारण बनाये हैं कि 200 शब्द से अधिक न हो, 8 दिन से पुरानी घटना न हो तथा आप दो या तीन सदस्यों को ही सुनेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपकी व्यवस्था को इस सदन में कोई चुनौती दे सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

नहीं दे सकता है ।

(श्री काशी नाथ मिश्र, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल तथा डाक्टर बृज किशोर मिश्र द्वारा घोर व्यवधान) माननीय काशीनाथ मिश्र जी, अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये कारण में यह लिखा हुआ है कि नियम 56 के अन्तर्गत किसी उपवेशन के लिये प्राप्त सूचनाओं में से अधिकतम तीन सूचनाओं को ग्राह्यता पर निर्णय देने हेतु सदन में पढ़ने की अनुज्ञा दी जा सकेगी । जो कि 200 शब्द से अधिक न हो, सूचना 8 दिन से अधिक पुरानी न हो । इसे आप उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण के षष्ठ संस्करण के पृष्ठ 6 तथा अध्याय 4 पर देख लें ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

अधिकार डज नाट मीन रेगुलर रोटीन ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, इन अंग्रेज को बाहर कर दिये ।

(व्यवधान)

मान्यवर, उस समय सदन में कार्यस्थगन की सूचनाएं चल रही थीं जिस पर श्री मसरूर जाफरी बोल रहे थे, इस बीच एक दूसरे मामले को लेकर हाउस एग्जर्न हो गया ।

श्री अध्यक्ष--

करण संख्या 17 में यह लिखा है कि "यदि नियम 56 के अधीन प्राप्त किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर हों, अथवा एक ही विषय पर दो या दो से अधिक सदस्यों द्वारा अलग-अलग सूचना दी गयी हो, तो अध्यक्ष अपने विवेकानुसार किसी एक सदस्य को करण संख्या 15 के अधीन अनुज्ञा प्रदान कर सकेंगे ।" और उसी के अनुसार मैंने कार्यवाही की है ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मेरे भी हस्ताक्षर हैं, आप देखें । आपका विवेक चाहता हूं । मान्यवर, यह बड़ा संगीन हादसा है । जिन दो लड़कों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 लाज है वह दोनों वहां के प्रिन्सिपल के लड़के हैं और उसी कैम्पस में रहते हैं । मान्यवर, क्योंकि वह लड़कियों का कालेज है और दूसरी लड़कियां खौफ जदा हैं उन दो लड़कों की क्योंकि नानजद रपट है और चूंकि वह प्रिन्सिपल के लड़के हैं इसलिये कोई कार्यवाही नहीं हो रही है इसलिये मैं इस सदन में उनके गिरफ्तारी की मांग करता हूं । और यह भी मांग करता हूं कि इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाय लेकिन दफा 302/1/2 के तहत गिरफ्तारी फौरन की जाय ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, आप एक कमरे में बैठकर जो बात आप करते हैं उस पर यहां चर्चा नहीं हो सकती है । आज आपने हम लोगों से बातचीत की और आपने कहा कि मैं तीन सूचनाओं को सुनूंगा । और आपने उसी पर अपना निर्णय दे दिया । अब जो रूलिंग पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, वह आपके निर्णय को चुनौती देते हैं तो यहां पर हंगामा जरूर होगा । इसको आप देख लीजियेगा और उसके बाद भविष्य में आप निर्णय दीजिये ।

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

में लोक महत्व का विषय आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, मान्यवर हमारे प्रदेश में मत्स्य पालन की अपार सम्भावनायें हैं। इसी को देखते हुए वर्ष 1966 में मत्स्य विभाग स्वतन्त्र रूप से स्थापित किया गया और वर्ष 1979-80 में मत्स्य बीज विकास निगम की स्थापना की गयी और विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश में मत्स्य विकास के लिए 70 करोड़ रुपये मिले। मान्यवर, उस निगम की स्थापना हुए 5 वर्ष हो गए हैं, परन्तु अभी तक यह निगम एक भी हेचरी नहीं बना सका है। इस कारण लोगों को मत्स्य बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में जो हेचरी बनायी जा रही हैं, वह तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं और अनुभवहीन लोगों द्वारा यह बनायी जा रही हैं। में इसका एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। जनपद सीतापुर में महमूदाबाद में 45 लाख की एक हेचरी बनायी जा रही है, जिसके विषय म तकनीकी राय यह है कि यह गलत है, फिर भी उसको वहीं पर बनाया जा रहा है। इसमें भारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। मत्स्य बीज उत्पादन के काम पर सारे जलाशय इस निगम ने अपने कब्जे में ले लिए हैं और लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। जो मत्स्य विभाग का स्टाफ था, जो अनुभव वाले कर्मचारी थे उनसे काम न लेकर अनुभवहीन कर्मचारियों से काम चलाया जा रहा है। इससे मत्स्य पालन, जो हमारे प्रदेश का प्रमुख व्यवसाय है, बर्बाद हो रहा है। इसके साथ ही साथ मत्स्य बीज नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, इससे लोगों में घोर असन्तोष है, घोर आक्रोश है, मान्यवर, वर्तमान में इस विकास निगम और मत्स्य विकास में घोर टकराव की स्थिति पैदा हो गयी है और इन दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता है और कोई काम नहीं होता है। इस विभाग की जो दुर्व्यवस्था है, उससे जो गरीब और आम आदमी है उसको हानि हो रही है, तो मेरा अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर अवश्य ही चर्चा करा दें।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर खिलाड़ी बनाने के लिए एक ओर अच्छे खिलाड़ी की व्यवस्था करने के लिए एक स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना की गयी है। हम लोगों की मांग यह है कि कोई भी आई० ए० एस० या पी० सी० एस० अधिकारी किसी कालेज का प्रिंसिपल नहीं हो सकता है, लेकिन इस मान्यता को तोड़ कर स्पोर्ट्स कालेज में के० एस० सिरोही को प्रिन्सिपल बना दिया गया है। मान्यवर, यह कहां तक उचित है कि एक बी० ए० पास व्यक्ति जिसने पी० सी० एस० कर लिया हो वह प्रिन्सिपल बना दिया जाये। प्रिंसिपल के लिए एम० ए० पास होना जरूरी है। सारे नियमों को इस सरकार ने तोड़ दिया है और उनकी अवहेलना की है और सिरोही को स्पोर्ट्स कालेज का प्रिंसिपल बना दिया है। जो आई० ए० एस० और पी० सी० एस० करते हैं वही चीज वह भी कर रहे हैं, गेस्ट हाउस का सारा फर्नीचर उनके घर पर चला गया है।

मान्यवर, अभी पश्चिम जर्मनी से जूनियर हाकी टीम को आमंत्रित किया मैच खेलने के लिए, उस टीम को गाय और सुअर का मांस खिलाने की व्यवस्था की गयी और मान्यवर, उस टीम को गाय और सुअर का गोश्त खिलाने के लिये पूरी परमीशन दी गई। इसका वहां के बैरों ने, कर्मचारियों ने तथा खानसामा ने विरोध किया कि हम यह चीजें नहीं पका सकते हैं। इस पर उनको धमकी दी गई। इससे कालेज के छात्रों और कर्मचारियों में घोर असन्तोष व्याप्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो गया है। जब लड़कों ने इसका विरोध किया तो प्रधानाचार्य द्वारा श्री अजय चन्देल, श्री अमरीश जौहरी, श्री जोगराज भदौरिया जो कि हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं तथा श्री बृजेन्द्र नाथ अग्रवाल, श्री प्रकाश चन्द्र विद्यार्थी, श्री सुनील कुमार गुप्ता तथा श्री विनय कान्त राय, जिनको कि इन्टर की परीक्षा देनी है और जिन्हें कि उसके लिये प्रवेश-पत्र भी जारी हो गये हैं, उसके बावजूद भी उन्हें विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया है। इन विद्यार्थियों को इम्तिहान देने से रुकवा दिया है।

वहां पर इससे असन्तोष का वातावरण फैला हुआ है। इस मामले को लेकर विद्यालय के छात्रों का 313 व्यक्तियों का एक डेलीगेशन मुख्य मन्त्री जी से भी मिला था। इस से विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो रहा है। माननीय मुख्य मन्त्री जी इस घटना की जांच बाद में करें और इन लड़कों के इम्तिहान देने की व्यवस्था पहले करें और बाद में सारी घटना की जांच विस्तार से करें। इसके अलावा जो सिरोही साहब इस कालेज के प्रिंसिपल बनाये गये हैं, वह नियम विरुद्ध है। जांच होने पर सारी बातें आ जायेंगी कि वहां पर कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कितना असन्तोष है, कालेज के अन्दर जो गेस्ट हाउस है उसकी जांच हो जाय तो सारी बातें सामने आ जायेंगी। इसके अतिरिक्त किसी भी विद्यालय या कालेज का प्रधानचार्य जो है वह सरकारी कर्मचारी न बनाया जाय उत्तर प्रदेश के अन्दर पहली नजीर यह दी गई थी कि हमारे विश्वविद्यालय में श्री त्रिपाठी को बनारस से बुलाकर वाइस चांसलर बना दिया गया था और तत्कालीन मुख्य मंत्री ने बनाया था। उससे विश्वविद्यालय के लिये खतरा पैदा हो गया था, छात्रों में घोर असंतोष व्याप्त हो गया था, विश्वविद्यालय में वातावरण खराब हो गया। जिसका नतीजा यह हुआ कि मुख्य मंत्री को ही यहां से बदलना पड़ा और यहां पर प्रेसीडेन्ट रूल हो गया। इस तरह से कोई स्कूल या कालेज नहीं चल सकता है?

श्री अध्यक्ष--

कृपया कार्य-स्थगन पर ही बोलें।

श्री मुख्तार अनीस--

आज जो ये स्पोर्ट्स कालेज के प्रिंसिपल बनाये गये हैं, इनकी वजह से वहां पर असन्तोष व्याप्त है, भ्रष्टाचार का वह अड्डा बना हुआ है। इसलिये इस पर शासन की ओर से वक्तव्य आना चाहिए और सारी घटना की जांच होनी चाहिए।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जो विषय मैंने आज आपको दिया है वह अविलम्बनीय लोक महत्व का है। वह यह है कि हमारे वकील जो कि हमारे प्रदेश के बुद्धिजीवी वर्ग के प्रमुख लोग हैं, आज उनकी स्थिति यह है कि उनके ऊपर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी प्रहार कर रहे हैं। मान्यवर, शाहाबाद में एक महीने से वकील लोग हड़ताल कर रहे हैं। वहां पर जब एक वकील जमानत के लिये आये तो उनको भी प्रताड़ित किया गया। एस0 डी0 एम0 ने तहसीलदार को बुलाकर एक फर्जी एफ0 आई0 आर0 लिखाकर सोते हुये उनको जगाया और जेल भेज दिया। इस तरह से नृशंस व्यवहार प्रशासन इन वकीलों के साथ कर रहा है। मान्यवर, माननीय शाहाबाद के सदस्य बैठे हुये हैं। उनसे आप स्थिति स्पष्ट करा सकते हैं। इसी तरह से लखनऊ की इटौंजा तहसील में एक वकील को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। जिसकी वजह से वकीलों ने अपना काम बन्द कर दिया है। शासन ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ न तो कोई कार्यवाही की है और न ही उसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एलान किया है। मान्यवर, यह घटना सत्काल घटी है। आज शाहाबाद के सारे वकील हड़ताल पर हैं। इसके अतिरिक्त सेन्ट्रल बार एसोसियेशन ने भी प्रस्ताव पास किया है कि यदि उनकी समुचित मांगें नहीं मानी गई, उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया गया तो वे भी पूरे देश में आन्दोलन शुरू कर देंगे ?

मान्यवर, मेरी यह कार्य-स्थगन की सूचना दो सौ शब्दों से कम है। अतः मैं प्रार्थना करूंगा कि यह जो नीतिगत मामला है, प्रदेशव्यापी है, अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है, पुलिस वकीलों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो सके। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कुंवर सिंह नेगी जी ने हैचरीज के बारे में कहा जो वर्ल्ड बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में बन रही हैं। उन्होंने अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव में कहा है, वैसे यह किसी सूरत में कार्य-स्थगन का प्रस्ताव नहीं बनता है, कि जो हैचरीज स्वीकृत हुई थी उनको बनाया नहीं जा रहा है और उसमें से थोड़ी सी ही बन पा रही हैं तो मैं उनको सूचित करना चाहूंगा कि इस वक्त 7 निर्माणाधीन हैं कुल 8 बनाने का लक्ष्य था वर्ल्ड बैंक की सहायता से। उन्होंने यह भी कहा कि जो साइट सेलेक्शन हुआ है वह सही नहीं हुआ है तो यह बात भी सत्य से परे है क्योंकि बाकायदा एक्सपर्ट्स की टीम ने देखा और जो प्रेसक्राइब मेथड है उनके अनुसार हैचरीज बनायी गयी हैं। उन जगहों में वर्ल्ड बैंक की टीम ने जाकर देखा है और उसमें यहां के अधिकारियों की टीम में जो लोग गये उन्होंने भी जाकर देखा। कुछ और अनियमितताओं की तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित कराया। उनकी जांच करके जो भी उचित कार्यवाही होगी की जायेगी।

माननीय मुख्तार अनीस साहब ने स्पोर्ट्स कालेज के बारे में कहा। जहां तक एडमिशन का सवाल है मैं निवेदन करना चाहता हूं और पहले भी बता चुका हूं कि वहां के प्रधानाचार्य को या ऐसी संस्थाओं के वी० सी० का अधिकार है कि किनको वह यूनिवर्सिटीज में या विद्यालयों में एडमिट करें।

श्री मुख्तार अनीस--

मैंने इम्तहान में बैठने की बात कही।

श्री अम्मार रिजवी--

इम्तहान में बैठने दें या न बैठने दें। उनकी एक स्वतंत्र एकेडेमिक लाइफ है उसमें सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई और शिकायतें हैं जो मुख्तार अनीस साहब ने कही हैं उनको दिखा लिया जायेगा।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, इस पर वक्तव्य दिलवा दीजिये।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह कार्य-स्थगन का प्रस्ताव किसी तरह नहीं बनता है। आपकी मेहरबानी है कि हम लोगों को एलाऊ कर देते हैं। लेकिन कार्य-स्थगन प्रस्ताव यह किसी तरह नहीं बनता है।

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने वकीलों की हड़ताल के बारे में कहा। वहां पर काफी दिनों से हड़ताल चल रही है, काफी गंभीर बात है। इसकी जांच कराई जायेगी, जो भी दोषी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई ऐसी बात की है जिसके कारण यह बातें हुई हैं या वकीलों के साथ ज्यादती हुई है। आवश्यकता हुई तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां से स्थानान्तरण भी कर दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय सरदार सिंह, माननीय कुंवर सिंह नेगी तथा माननीय मुख्तार अनीस की सूचनाओं को शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा श्री मारूर जाफरी की सूचना को जांच के लिए और यदि जांच से सरकार संतुष्ट न हो तो उसके बाद सी० आई० डी० की जांच किये जाने हेतु शासन को भेज दिया है । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना के विषय को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है ।

माननीय रियासत हुसैन और माननीय अकबर हुसैन की सूचना के सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य-मंत्री से माननीय विधायक की बात हो गयी है । माननीय छत्तर सिंह की सूचना के बारे में जांच की जाय । नियम 56 में जितनी सूचनायें आई हैं उन सब को मैंने अस्वीकार कर दिया है ।

वित्तीय वर्ष 1983-84 के तृतीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा

श्री अध्यक्ष—

वित्तीय वर्ष 1983-84 के तृतीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी । इसके लिये 4 बजे तक का समय निर्धारित है क्योंकि फिर वोटिंग भी होनी है ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, थोड़ा समय लूंगा । मान्यवर, अनुपूरक मांग वह सरकार प्रस्तुत करती है जिसके पास अपने खर्चे की संभावनाओं का पता लगाने का ज्ञान नहीं हुआ करता है । विगत कई वर्षों से इनकी कोई कल्पना इस सरकार में बैठे मंत्रियों और उसके कर्मचारियों तथा अधिकारियों में नहीं है कि इस वित्तीय वर्ष में हमें कितना खर्च करना है ।

(इस समय 2 बज कर 49 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त पीठासीन हुए ।)

या क्या-क्या काम करने हैं मान्यवर, जब यह बात नहीं हो पाती है तो उसका परिणाम यह होता है कि इनके ऊपर वित्तीय अनुशासन नहीं रहता है । जिसके अभाव में मंत्रीगण और इनके अधिकारीगण अनाप-सनाप खर्च कर देते हैं और फिर इस सम्मानित सदन के समक्ष उसे अनुपूरक मांगों के रूप में लाते हैं । मान्यवर, इन मंत्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है जहां कहीं यह जाते हैं वहां कोई नई घोषणा कर देते हैं और अपने बड़े-बड़े नेताओं को रिझाने के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और वोट के लालच में कार्य प्रारम्भ करने के लिए फण्ड से पैसा निकाल करके खर्च कर देते हैं और फिर उसे यहां पर उसे नियमित कराते हैं ।

मान्यवर, जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें आपने देखा होगा कि सुल्तानपुर और रायबरेली के 10 ब्लाकों में उद्योग लगाने हेतु 30 लाख रूपये की व्यवस्था की गयी है । यह राजीव गांधी के ब्लाकों के लिए व्यवस्था है । जब राजीव गांधी वहां गये होंगे और उद्योग मंत्री, जो मंत्रिमंडल के बाद हैं, वह भी गये होंगे तो वहां जब राजीव गांधी ने घोषणा किया होगा तो उसको पूरा करने के लिए इन पर निर्देश होगा, इसलिए राजीव गांधी के 10 ब्लाकों के लिए 30 लाख रूपये की व्यवस्था की गयी है ।

मान्यवर, देहरादून में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र की स्थापना हेतु 71 लाख 38 हजार रुपये का ऋण दिलाया जा रहा है । चूंकि इनके राज्य खनिज विकास निगम के पास इतना धन नहीं है कि यह देहरादून में पर्यावरण प्रदूषण संयन्त्र लगा सकें, इसलिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शासन कारपोरेशन को ऋण दे रहा है सरकारी खजाने से, जबकि निगम घाटे में है जिससे कोई लाभ नहीं है ।

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो मंडलीय निगम बना है । उसकी सारी मिलें बन्द हैं और तीन साल से कोई काम नही हो रहा है और जो बैंको का कर्जा है उस पर ब्याज बढ़ रहा है और उत्पादन नहीं हो रहा है । जिसके लिए मन्त्री जी ने कोई व्यवस्था नहीं किया है । मैं कहना चाहता हूं कि जो सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं, 80 वर्ष के बूढ़े के लिए वायुयान की जो पहले व्यवस्था की गयी थी उसमें जब अमेरिका से खरीदने की बात की गयी तो 2–3 लाख रुपये और अलग से व्यवस्था करना पड़ा । इसी तरह मान्यवर, 12 लाख रुपये मन्त्रियों के यात्रा भत्ता में व्यय हुआ । मुझे आश्चर्य है कि कैबिनेट के मन्त्री दूसरे मन्त्रियों के कोई काम नहीं देते जैसे श्री गोपाल राम दास, जैराज गौतम तो वह मंत्री अपने क्षेत्रों का दौरा करते हैं और स्वाभाविक है कि जब मंत्रियों के पास काम नहीं है तो वह अपने क्षेत्रों का दौरा करेंगे । इसलिए जब मंत्रियों के यात्रा भत्ते पर 12 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी और यहां सदन में कहा जाता है कि हम मितव्ययिता करेंगे, तो कम से कम मंत्रिमंडल के सदस्यों को सोचना चाहिए कि जो नियमित बजट है उसमें वित्तीय अनुशासन अपने ऊपर पहले लागू करें । लेकिन जो मंत्री अपने मंत्रिमंडल के बनाए हुए वित्तीय नियमों को अपने ऊपर लागू नहीं करते तो उनसे इस प्रदेश के विकास की कैसे कल्पना की जा सकती है । मान्यवर, यहीं नहीं और मदों में भी खर्चा बढ़ा है । इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मंडलीय विकास निगम के लिए जो गरीबों को रोजगार देते हैं और छोटी छोटी जगहों पर हैं, जो घाटे में हैं और जिनका घाटा बढ़ता जा रहा है उनके लिए धन की अलग से व्यवस्था करें ।

मान्यवर, यही नहीं विद्युतीकरण की बात की गयी । मान्यवर, कुंभ मेला माघ मेला और अयोध्या का मेला, मेरी समझ में नहीं आता कि मंत्री खर्च करते हैं या कलेक्टर जो लिखकर भेज देता है उसको दे देते हैं । अयोध्या में सावन मेला के लिए अनुपूरक मांग 1,10,000 रुपये की आयी है । मेले में शायद शुक्ला मंत्री जी भी गये हों, मैं तो गया था तो वहां की व्यवस्था देखा तो वहा शौचालय की व्यवस्था तक नहीं थी । सबसे बड़ा कष्ट उस अयोध्या के झूले मेले में जो पूर्वी उ० प्र० में ही नहीं पूरे भारत वर्ष में राम का जन्म स्थान माना जाता है । हम कहते हैं कि उत्तरी भारत ने हमेशा भगवान पैदा किया और दक्षिणी भारत ने आचार्य पैदा किया । तो अयोध्या में जब भी यात्री आते हैं, तो उनके पीने, के पानी की व्यवस्था नहीं है और वह पण्डे जो थे उन पर भी मंत्री जी की तरफ से कोई टैक्स लग गया जिससे वह अपना काम समेट कर बैठ गये, अतः उनके यहां भी अब यात्रियों के रहने की व्यवस्था नहीं रही । तो जो पिछली बार खर्च हुआ था उस पर अनुमान लगाकर यह खर्च की व्यवस्था करते तो आज यह नौबत न आती ।

कुंभ मेले में बिजली खर्च के लिए अनूपूरक मांग हर बार आई है, अबकी बार भी 27 लाख आ गया । होता यह है कि यह अधिकारी लोग जो वहां के हैं और उससे सम्बन्धित हैं मेले में अपने भाई बन्धुओं को बुलवाते हैं, उनको खिलाते हैं और खूब आदर सत्कार करते हैं, और बाद में वह इस तरह हुए सारे खर्चे को सरकारी खर्च में जोड़कर किसी न किसी रूप में आपको दिखा देते हैं, उनकी गाड़ियों का और गाड़ियों के पेट्रोल का खर्च बढ़ा है । मैं अभी बहुत बातें बोलना चाहता था लेकिन अपने साथियों के लिए समय छोड़ देना चाहता हूं, अतः थोड़े में अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि मैं इस मंत्रि–मंडल, जो

नपुंसक और संकल्पहीन मंत्रि-मंडल है, जिसके पास पता ही नहीं है कि आने वाले समय में कितने रुपयों की आवश्यकता होगी यह सोच सके, उस मंत्रि-मंडल और सरकार द्वारा प्रस्तुत तृतीय अनुपूरक मांगों का मैं विरोध करता हूं ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री अधिष्ठाता---

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि कृपया थोड़ा-थोड़ा समय बोलने के लिए लें ।

श्री ऊदल--

मेरा निवेदन है कि आप सात मिनट कर दें ।

श्री अधिष्ठाता--

श्री ऊदल जी की बात को सही मानते हुए 7 मिनट का समय प्रत्येक माननीय सदस्य के लिए है ।

श्री पंचानन राय---

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत तृतीय अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए संक्षेप में आपके आदेशानुसार अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, प्रश्नकाल में सीवेज का सवाल जब आप यहां पर बैठे थे, बराबर उठाया गया है । हमारे निर्वाचन क्षेत्र में शारदा सहायक-दोहरी घाट लिंक कैनाल बन रही है, जो दोहरी घाट से टांडा तक जाती है । इस नहर को जून, 1980 में पूरा हो जाना चाहिए था । 1984 आ गया लेकिन आज तक वह पूरी नहीं बनी है । पिछले दिनों इसी सत्र में जब इस पर मेरे द्वारा सवाल किया गया था तो जवाब आया कि उसके लिए 476 करोड़ रुपया और चाहिए तो योजनाओं में जो रुपया लगता है पर प्रोजेक्ट समय से और शीघ्र पूरी नहीं होती है, तो एक तरफ उस पर खर्च किए गये पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाता है और दूसरी तरफ उसकी कास्ट आफ कांस्ट्रक्शन बढ़ती जाती है । इसलिए मेरा पहला सुझाव यह है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी योजना हो वह समय से और शीघ्र पूरी हो । उसके मार्ग में कोई बाधा न उत्पन्न होने पावे, धन की कमी हो तो उसे सरकार उपलब्ध कराये अथवा अन्त में जो बाधाएं पैदा हो उनका शीघ्र निराकरण करें । एक नहर जो इतनी बड़ी सिंचन क्षमता दे सकती थी, प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीस सूत्रीय कार्यक्रम में सिंचन क्षमता में वृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली हुई है, यह नहर सन् 1977 में श्री नारायण दत्त तिवारी के मुख्य मंत्रित्व काल में बनना स्वीकार हुई थी तीन साल में जनता पार्टी के शासन काल में कुछ काम नहीं हुआ, अब जब काम शुरू हुआ है तो उसे त्वरित गति से पूरा करा दिया जाए, ताकि पूर्वांचल का यह क्षेत्र जो अत्यधिक पिछड़ा हुआ है, सिंचाई क्षमता में वृद्धि से कृषि उत्पादन की दृष्टि से सम्पन्न हो सके ।

इसके अतिरिक्त दूसरी प्रमुख समस्या है घाघरा में भीषण कटाव हो रहा है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई गांव पिछले दो तीन साल से कट रहे हैं । जिसको तमाम मुख्य मंत्रियों ने वहां जाकर देखने का कष्ट किया है और वहां की जनता को उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जो कटाव हो रहा है घाघरा नदी में, उसको रोकने के लिए समुचित उपाय वहां पर किए जायेंगे । अतः कटान को रोकने के लिए शीघ्र और समुचित उपाय वहां पर किए जाएं ।

तीसरी बात मैं हरिजनों के बारे में कहना चाहता हूं, हमारी सरकार हरिजनों को उठाने के लिए वचनबद्ध और कृतसंकल्प है। इसीलिए विशेष समन्वित योजना के अन्तर्गत इस प्रदेश के कुछ विकास खंडों को चुना गया है। जिसमें हरिजनों को अनेक प्रकार की सुविधायें देकर सरकार उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन करना चाहती है।

हमारे क्षेत्र मे एक अजमत गढ़ विकास खंड है, वहां पर समन्वित योजना के अन्तर्गत 1982-83 में जो धन आबंटित किया गया था वह पूरा खर्च ही नहीं किया गया और केवल 10 प्रतिशत धन खर्च हो पाया। इस वर्ष 5 लाख रुपया इसलिये रख गया है कि पिछले वर्षों में पूरा आवंटित धन खर्च नहीं हो पाया। इस तरह से आप देखेंगे कि हरिजनों के उत्थान एवं उनकी भलाई के लिये जो योजनायें बनायी जाती हैं तथा उनके लिये जो धन आवंटित किया जाता है वह खर्च ही नहीं किया जाता। जब पिछला धन ही खर्च नहीं किया गया तो मुझे तो संदेह है कि यह जो 5 लाख रुपया आवंटित किया गया है यह कैसे खर्च होगा ? सरकार को चाहिये कि जो योजना बनाये जाये उसका कार्यान्वयन दृढ़ता के साथ किया जाये। जिस कल्याणकारी राज्य की हमने कल्पना की थी, अगर उसको वास्तव में हम पूरा करना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार की योजनाओं को प्राथमिकता देनी होगी।

मान्यवर, चूंकि समय कम है, मैं एक बात शिक्षा के विषय में और कहना चाहता हूं। आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी आज हमारे यहां दोहरी शिक्षा प्रणाली चल रही है और वह उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। हमने अपने संविधान में भी और सन् 1980 के चुनाव घोषणा-पत्र में भी जनता से इस बात का वायदा किया था कि हम एक तरह की शिक्षा प्रणाली उपलब्ध करायेंगे। आज हमारे यहां समान्य जनता के लिये जो बेसिक शिक्षा उपलब्ध है, उसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास भवन तक नहीं है और दूसरी ओर जो धनाढ्य लोग हैं उनके लिये हर प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं। आप कम से कम निर्धन और धनवान दोनों के लिये एक ही शिक्षा उपलब्ध करायें।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जब तक शिक्षा का माध्यम केवल राष्ट्रभाषा नहीं होगी तब तक प्रदेश का विकास नहीं हो पायेगा। इस पर भी दृढ़ता के साथ सरकार को कदम उठाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

*श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, यह जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है यह एक चुनावी बजट है और आगामी चुनाव को सामने रख कर इसे प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर, कलकत्ता सम्मेलन में इन कांग्रेस वालों को यह हिदायत दी गयी कि वे जनता के बीच जायें। पिछले सालों में लूटखसोट, चोरी-डकैती, गुण्डागर्दी आदि के अतिरिक्त कोई काम नहीं हुये हैं।

(व्यवधान)

आगामी चुनाव जीतने के लिये यह बजट प्रस्तुत किया गया है ताकि गांवों में जनता के सामने जाकर यह कह सकें कि हमने यह यह योजनायें बनायी हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं पूरे सदन का ध्यान नियमावली के नियम 195 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें यह है अनुपूरक अनुदानों पर वाद-विवाद केवल उसकी मदों तक ही सीमित रहेगा जब तक चर्चाधीन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिये आवश्यक न हो, मूल अनुदानों पर या उनमें अन्तर्निहित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य कृपया इसको ध्यान में रखें।

श्री विजय सिंह राना--

माननीय, अनुपूरक अनुदानों की यह जो पुस्तक मिली है इसको देखने से पता चलेगा कि इसमें जो भी खर्च है वह वेतन भत्ते, महंगाई भत्ते, भवन निर्माण, पुल निर्माण आदि-आदि पर है।

महोदय, मैं पूछना चाहता हूं केवल एक बात मंत्री जी से कि अनुपूरक अनुदान का मतलब क्या है ? यह वह अनुदान है, जो तात्कालिक आवश्यकताओं को लेकर रखे जाते हैं। सरकार के सामने कौन सी तात्कालिक आवश्यकता का प्रश्न पड़ गया जिसके लिए अनुपूरक बजट रखने की आवश्यकता पड़ी ? क्या बजट में पैसा नहीं था ? जिन मदों के लिए बजट में पैसे का प्राविधान किया है, उन्हें अनुपूरक बजट के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, जैसे भवन निर्माण बोनस, देना, वेतन भुगतान आदि का व्यय बजट में समायोजित था, इसलिए उस पर अनुपूरक अनुदान लाया जाना न्यायसंगत नहीं है। इसी प्रकार कुछ स्थायी निर्माण के कार्य हैं, जैसे पुलों का निर्माण, भवनों का निर्माण, सड़कों का निर्माण आदि ये सब कार्य पहले से ही सरकारी योजना के अन्तर्गत सम्मिलित होते हैं और योजनाओं के तहत उन्हें नियमानुसार विभागीय बजट में सम्मिलित किया जाता है। इसीलिए यह कार्य अनुपूरक अनुदान के अन्तर्गत नहीं आते। अनुपूरक अनुदान में इस तरह से केवल वे खर्चे आ सकते हैं जो पूर्व योजना में घाटा-बढ़ी के माध्यम से तात्कालिक प्रभाव से सामने आ गये हैं परन्तु इनकी बजट पुस्तिका देखने से यह साफ हो जाता है कि इस बजट पुस्तिका में कहीं कोई ऐसी तात्कालिक आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए अनुपूरक बजट रखने की आवश्यकता पड़ती।

यह सरकार तीन साल में जनता में अपना विश्वास खो चुकी है। ये लोग जो सामने बैठे हैं, वे साढ़े 3 साल तक बेईमानी दंद-फंद हेरा-फेरी लूट-खसोट में लगे रहे जनता में उनकी साख समाप्त हो गयी है। अब चुनाव की सरगर्मी तेज हो गयी है। कलकत्ता अधिवेशन में इन्हें प्रताड़ित किया गया है कि जनता में जायं और जनता का विश्वास हासिल करें। इसीलिए इस चुनाव को ध्यान में रख कर इनके दिमाग में और जनता के बीच जनता को धोखा देने के लिए कुछ काम कर दिखाने की तमन्ना जागी है और उसी के लिए यह अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है। इसलिए इसे अनुपूरक बजट न कह कर चुनावी बजट कहा जाय तो ज्यादा अच्छा है, पर इस चुनावी बजट में भी सब बड़े-बड़े मंत्री और केन्द्रीय नेताओं ने ही पूरे बजट को हड़प लिया है। जो भी कम होगा, वह रायबरेली, सुलतानपुर, सीतापुर को ध्यान में रख करके किया जा रहा है, क्योंकि सुलतानपुर, अमेठी इनके बाबा साहब और दादी साहिबा के चुनाव क्षेत्र हैं और इन दोनों क्षेत्रों को इनकी चाची साहिबा [×××] ने चुनौती दे रखी है।

श्री राम औतार दीक्षित--

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है। यह बाबा साहब और दादी साहिबा और चाची साहिबा का प्रयोग कहां तक उपयुक्त होगा, इस पर आप व्यवस्था दे दें ?

नोट--[×××] यह अंश माननीय अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता--

उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अगर किसी पर लांछन किया होगा, तो मैं उसको देख लूंगा। यह किसी पर लांछन नहीं है।

श्री विजय सिंह राना--

रायबरेली और सुलतानपुर के 10 ब्लाकों में नये औद्योगिक संस्थान बनेंगे और बहर इच तथा सीतापुर मार्ग पर घाघरा नदी पर ईंटों का पुल बनेगा। रायबरेली और गोरखपुर में कारपेट काम्पलेक्स स्थापित किया जायेगा। रायबरेली में शवबाहगृह बनेगा और इस प्रकार यह सब काम सुलतानपुर, रायबरेली और सीतापुर को ध्यान में रख कर ही केन्द्रित किया गया है। हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रारम्भ से ही बहुत ही चतुर राजनीतिक खिलाड़ी और नगटंकीबाज रहे हैं। वह सारे सुलहाकुल के नाम से मुशायरा या कवि सम्मेलन के नाम से जनता के बीच में अपनी राजनीतिक नौटंकी दिखाते रहे हैं। इस सदन में तो वह केवल आश्वासन मंत्री हैं। आश्वासन के नाम पर हम विरोधी पक्ष में बैठने वाले तथा उधर से सत्ता पक्ष में बैठने वाले लोगों को वह झांसा देते रहते हैं और प्रदेश की जनता को भी इन्होंने साढ़े 3 वर्ष तक कोरे झांसे में रखा है। अब वह चुनाव जीतने के लिए नौटंकी रचेंगे और जनता को झांसा देंगे कि उन्होंने कौन-कौन से 7वें आसमान के तारे तोड़ कर धरती पर उतार लाये हैं? बस यही इस बजट का मुख्य मुद्दा है। इसीलिए इसके लिए सुल्तानपुर में कौमी एकता के नाम पर, कवि सम्मेलन मुशायरा बुलाया गया है। रामपुर, मथुरा तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर में एक लाख रुपये में रामायण मेले का आयोजन किया है और कादीपुर, सुल्तानपुर में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। यह सब सांस्कृतिक मेलों के नाम पर राजनीतिक नौटंकी रची जा रही है।

इस बजट में जो खर्चे हैं, वह तीन प्रकार के हैं। पहले वेतन, बोनस, महंगाई-भत्ता आदि का भुगतान दूसरे ऐशो-हसरत और ऐय्याशी का खर्चा और तीसरा चुनाव जीतने के लिए सड़क व पुल आदि का निर्माण। यह स्पष्ट है कि ये तीनों प्रकार के कार्य अनुपूरक बजट के अन्तर्गत किसी प्रकार सम्मिलित नहीं किये जा सकते। ऐशो-हसरत के नाम पर हमारे सामने बैठे मंत्रियों का खर्चा सातवें आसमान तक पहुंच गया है। आठ महीने में 25 मंत्री 30 लाख रुपये की चाय पी गए। पेट्रोल आदि का खर्चा न जाने कहां तक पहुंच गया है। यहीं के खर्चे नहीं बल्कि बाहर के खर्चे भी बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश भवन में अतिथि साज-सज्जा के नाम पर इन्होंने अनुपूरक अनुदान मांगा है। ताज का सौन्दर्य बढ़ायेंगे। वही सब इनके खर्चे हैं, जो इनकी ऐय्याशी से सम्बन्धित हैं। इसलिए प्रदेश की जनता के बजट से इनका कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं अन्त में इस चुनावी बजट और ऐय्याशी के बजट का घनघोर विरोध करता हूं और इस बजट को वापस लिए जाने की मांग करता हूं।

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

माननीय राना जी, जब यू0 पी0 निवास जायं तो इनके लिए आज्ञा दे दी जाय कि इनके लिए पलंग, कुर्सी, कालीन कुछ नहीं मिलेगा, सब बाहर निकाल दिये जायं।

श्री विजय सिंह राना--

स्वास्थ्य मंत्री जी, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपके पिता जी के घर जा करके सो जाऊंगा, क्योंकि हमें तो किसी पंडित का सहारा चाहिए।

*श्री प्रभू नारायण सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अनुपूरक अनुदानों पर विचार प्रकट करने का अवसर दिया। यह अनिवार्यता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है किसी सरकार के चलाने के लिये, किसी प्रदेश के विकास के लिये अनुपूरक अनुदान रखा जाय । यह किसी प्रदेश या देश की प्रगति का द्योतक है । यह इसीलिये पेश किया गया है, इसमें किसी को चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन इसमें कुछ अपेक्षा की गई थी । जो पिछड़े हुये क्षेत्र हैं, उनके लिये कुछ विशेष प्राविधान किया जायेगा । हमारा निर्वाचन क्षेत्र बयालसी जिला जौनपुर पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । हमारे क्षेत्र में सई और गोमती दोनों नदियां हैं और उसी क्षेत्र में राजेपुर स्थान पर उनका संगम है । अपेक्षा की गई थी कि नदियों के बीच वाले जो क्षेत्र हैं, हमारे 37 गांव ऐसे हैं जिनमें आज भी आवागमन के साधन नहीं है । एक तरफ सई बहती है और दूसरी तरफ गोमती बहती है । उसके दो रास्ते हैं । दोनों पर भीषण नाले हैं । वहां पर कोई पुल की व्यवस्था नहीं की गई है । मैं चाहता हूं कि जब तक कोई पुल की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक बेलांव में पीपे का पुल दे दिया जाय । उससे आवागमन का साधन हो जायेगा । राजेपुर से पहले एक नाला पड़ता है, हैदरपुर का नाला । बरसात के दिनों में 4 सौ आदमियों का यह गांव टापू बन जाता है । मैं चाहता हूं कि इस नाले पर पुल बनवा दिया जाय । जिससे लोगों के आवागमन का साधन हो जाय ।

जौनपुर जिले में केराकत तहसील है जहां का मैं निवासी हूं । इसके एक तरफ से गोमती बहती है और पूरे तहसील को दो भागों में बांट देती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि केराकत में गोमती पर कोई पुल नहीं दिया गया । यह अपेक्षा थी कि अनुपूरक अनुदानों में आवागमन के साधनों की व्यवस्था की जायेगी । केराकत तहसील मुख्यालय है, वहां पर पुल की व्यवस्था की जाय । जौनपुर-आजमगढ़ मार्ग पर एक गौरा बादशाहपुर कस्बा है जिसको आज तक टाउन एरिया नहीं घोषित किया गया । मुझे बार-बार आश्वासन दिया गया लेकिन आजतक उसको टाउन एरिया घोषित नहीं किया गया । मैं चाहूंगा कि इसको टाउन एरिया घोषित करके पेयजल, जल निकासी और सारी समस्याओं को हल किया जाना चाहिये । एक चीज में यह कहना चाहता हूं कि जौनपुर उद्योग शून्य जिला है ।

श्री अधिष्ठाता—

कृपा कर यह बतायें कि यह किस मद के विस्तार में बोल रहे हैं ।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

मैं इससे बाहर नहीं जा रहा हूं । पिछड़े हुए जौनपुर में उद्योग की व्यवस्था की गई होती तो अच्छा होता । हमारे यहां उद्योग लगाये जाने चाहिये । मान्यवर, कुटीर उद्योग में हमारे यहां बेचारे काठ डालकर कालीन का कार्य गरीब लोग करते हैं । वह दूसरों से ऊन लाते हैं, मजदूरों की तरह से कालीन बुनकर दे देते हैं और उनको कुछ थोड़ा बहुत पैसा दे दिया जाता है । अगर ऐसी व्यवस्था की जाती कि जो घरों में काम कर रहे हैं, उनके लिये विशेष प्राविधान किया जाता, तो निश्चय ही गरीबों का कल्याण हुआ होता । एक बात मैं और कहना चाहता हूं हमारे यहां मुफ्तीगंज ब्लाक में एक भी डिग्री कालेज नहीं है । केराकत तहसील है, केराकत मुख्यालय पर कोई विद्यालय नहीं है । बालिका विद्यालय नहीं है तो मान्यवर, मैंने अपेक्षा की थी निश्चय ही सारा प्राविधान किया गया होगा । इसके साथ ही अनुपूरक अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, समय थोड़ा है और थोड़े समय में थोड़ी बातें कहनी हैं । मान्यवर, जो हमारा बजट है इसमें 4 अरब 18 करोड़ का खर्चा और 119.29 करोड़ का घाटा है । श्रीमन्, उम्मीद तो यह थी कि वह घाटा आप पूरा कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेंगे मगर बहुत ही खेद का विषय है कि घाटा पूरा नहीं हुआ । यह तीसरा सप्लीमेन्टरी बजट है, 25 प्रतिशत आपका मूल बजट है । आपका क्या भरोसा ? आप चौथा सप्लीमेन्टरी बजट भी ले आएं क्योंकि इसमें कोई संसदीय प्रणाली तो है नहीं, इसलिए हो सकता है आप एक और सप्लीमेन्टरी बजट ले आएं । कैश रोल तनख्वाह सभी बढ़ा हुआ है । जो 5 अरब 61 करोड़ 22 लाख 43 हजार का बजट है, यह सभी खर्चों से भरा पड़ा है । श्रीमन्, 33 करोड़ बिजली का वर्ल्ड बैंक द्वारा इरीगेशन का 9 लाख 20 करोड़ पुलिस का 2 करोड़ मेले वगैरह-वगैरह । 1 करोड़ सिविल डिफेन्स में कर दिया और मान्यवर, गवर्नर साहब का खर्चा भी इसमें शामिल हो गया ।

नशनल इन्ट्रीगेशन भी इसमें शामिल है । टांडा, बहराइच में जो हुआ, उनके साथ इनको कोई हमदर्दी नहीं है, उनके साथ सहानुभूति नहीं है । इन्होंने एक शब्द की तारीफ नहीं की । टांडा के जो भाइयों ने धीरज से जो काम लिया उनके बारे में से तारीफ के दो लफ्ज नहीं कह सकते हैं । 33 करोड़ बिजली के नाम पर दे रहे हैं क्या बिजली के तार हैं, खम्भे हैं ? श्रीमन्, जिन कुओं पर तार की कटिंग हो गयी एक महीने से रिपोर्ट चल रही है, तार नहीं जुड़ सका जिन सरकारी ट्यूबवेलों को 3-3 साल बने हुए हो गया इनको इलेक्ट्रिफाई नहीं कर सके और अब 33 करोड़ रुपया बिजली के अधिकारियों को उनकी सुविधा के लिए ऐय्याश के लिए बख्शीश कर दिया । मुझे बजट पर खुशी होती अगर यह प्रोडेक्टिव एक्सपेंडीचर पर होता, डेवलपमेन्ट पर होता तो खुशी होती । लेकिन कार जीप वगैरह-वगैरह पर खर्चा हो और इतना रुपया आप पुलिस को टी० ए०, डी० ए० पर मंजूर कर दें ।

मास हत्याय आपके सूबे में हो रही हैं । आज भी चार औरतों का शिकोहाबाद में मर्डर हुआ, आपके सूबे में ? और पुलिस यह पता नहीं लगा सकी कि वह चार बहनें कैसे मरीं ।

(3 बजकर 20 मिनट से)

मैं एक बात पूछना चाहता हूं इस माननीय सदन के दोनों तरफ बैठने वाले सदस्यों से कि पूरे सूबे में एक भी थाना ऐसा बता दीजिये जिसके अन्दर घटना की रिपोर्ट करने के लिये कोई भी व्यक्ति बिना किसी डर के, संकोच से चला जाय और एफ० आई० आर० लिखा दे और एफ० आई० आर० लिख जाय । बिना किसी हेल्पर को लिये हुए और बिना जेब में पैसा लिये और इन सब चीजों को अरेंज किये हुए चला जाय, बिना धन दिये कोई काम करा ले, तो ठीक है, हम इसके बजट की अनुमति दे देते । लेकिन आपकी पुलिस पर किसी का भरोसा नहीं है । आपके जो शेड्यूज हैं, उनको पीटा जाता है । मिनिस्टर्स का घेराव होता है और तमाम बातें होती हैं । अभी लखनऊ में एस० एस० पी० का घराव हुआ । वहां कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है । सी० आई० डी० को केस दे दीजिये तो 4-5 साल लग जाते हैं, तब तक सम्बन्धित लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं, लेकिन इन्क्वायरी नहीं हो पाती, विजिलेंस को दीजिये तो भी पूरी नहीं हो पाती । आपने 20 करोड़ रुपया दिया है । अगर इन्क्वारी के टाइम से कर लें, अपना काम टाइम से कर लें तो उनको और दे दीजिये, अच्छा है । काम जल्दी कर लें, और दीजिये ।

जो मेले होते हैं, उनमें कहीं किसी चीज का कोई हिसाब नहीं है । उसका कोई आडिट नहीं हुआ । कहां कितना हिसाब और खर्च दिखा रहा है मेले का अधिकारी, कुछ पता नहीं । एक पुल बनाया और वह बह गया, फिर बनाया गया, यही चीजें इसमें लिखी गयी हैं । सारे फर्जी खर्च बनाकर इन तीन मेलों में मेला अधिकारी ने दिया और आपने एक करोड़ की बख्शीश कर दी । इस सप्लीमेंटरी बजट को इतना सस्ता न

बनाइये । जब पहले सप्लीमेंटरी बजट आता था तो जैसे बरसात के मौसम में सैलाब आता था, सहायता करनी पड़ती है, आप खर्च करके हेल्प करते हैं और उसके लिये सप्लीमेंटरी बजट के रूप में आता है, तो हमें खुशी होती ।

श्रीमन्, मुझे खुशी होती कि मूल बजट में इन्होंने क्राप इन्शयोरेंस का हवाला दिया है, अगर उसमें खर्च करने के लिये सप्लीमेंटरी बजट में प्राविधान करते तो एक अच्छी स्कीम जो मूल बजट में रखी गयी, उसके लिये खर्च करने के लिये पैसे की जरूरत पड़ती, तो मुझे खुशी होती । एक करोंड़ रुपय रखा गया है टाउन एरिया, म्युनिसिपिल बोर्ड में, उसमें आप लेट्रिन बनवाने के लिये, जिससे हरिजनों को सफाई करने वालों का काम हल्का हो ।

वहां आपने पी० आर० ए० टाइप लैट्रिन, या फलश टाइप लैट्रिन बनवाने के लिए खर्च रखा होता, उसके लिए कमी पड़ी होती, जिसके लिए 50 परसेंट हेल्प सबसिडी देते हैं, उसमें कमी पड़ी होती तो उसके लिए मांगते तो एक अच्छा काम होता । मैं तारीफ करता कि ठीक है अच्छे काम के लिए मांगा है । मुझे खुशी होती जो मूल बजट के अन्दर सड़कों की मरम्मत के लिए पैसा रखा गया 16.40 करोड़, अगर वह रुपया सड़क की मरम्मत में खर्च हुआ होता और पैसे की कमी पड़ गयी होती । मुझे खुशी होती कि जो-जो सड़कें बनायी गयी हैं फूड फार वर्क स्कीम में, उसमें पैसे की कमी पड़ गयी, उसके लिए आप सप्लीमेंटरी बजट में मांग रहे हैं । आपने 5-5 हजार रुपये सहायता देने की बात कही, एप्लीकेशन नहीं आयी या कम आयीं तो इसमें तो आपको बचत दिखानी चाहिये थी । इसके बदले आप रुपया मांगते तो ठीक था ।

हरिजन बोस सूत्री कार्यक्रम की जिन्दगी है । सबसे पहला सूत्र यही है । उन के नाम पर विश्व बैंक से पैसे की बात कही है । आप हरिजनों को फिर से और देने के लिए मांगते तो ठीक था । जो स्टेट ट्यूबवेल हैं, जो नहरें चल रही हैं, उन सब चीजों को देखते । सीपेज को रोकते, उसके लिए प्राविजन बढ़ाते, तो ठीक होता । आज 25 प्रतिशत ट्यूबवेल खराब हैं, जबकि इस बात का लक्ष्य है कि 5 प्रतिशत से ज्यादा खराब न हों । आप उन्हें ठीक करते और 3 प्रतिशत का लक्ष्य करते और उसके लिए पैसा मांगते, तो तसल्ली होती । यदि आप प्रोडेक्टिव एक्सपेन्डीचर करते तो हम भी कहते कि 20 सूत्रों में जो पहला सूत्र है, उसे पूरा कर रहे हैं । परन्तु आज न आप पहला सूत्र पूरा कर रहे हैं और न आखिरी । आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, उनको आप किस तरह से बचाते हैं । इसमें आपको कतई भी लज्जा नहीं आती है और सप्लीमेन्टरी बजट द्वारा आप इसे यहां पर आज ला रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय श्री रियासत हुसैन जी, आप कितना समय और लेंगे ?

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, आपने मेरे से कुछ कहा नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं । आज आप विधान सभा को कितना बेवकूफ बना रहे हैं । 1-1 लाख रुपया तो, जो सभापतियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे आप एप्रूव नहीं कर सकते हैं । श्रीमन्, जो यह सप्लीमेन्टरी अनुदान है, इस उम्मीद के साथ में इसका विरोध करता हूं कि माननीय मंत्री जो इस प्रदेश के साथ थोड़ा रहम करें और प्रोडेक्टिव एक्सपेन्डीचर करें ।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय श्री रियासत हुसैन जी ने बड़ी लम्बी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तकरीर की और उससे पहले माननीय श्री माता प्रसाद पण्डेय ने भी बड़ी लम्बी तकरीर की। परन्तु दोनों की तकरीर में एक कामन चीज थी, वह थी बाथरूम। दोनों लोगों ने कहा कि बाथरूम की बड़ी कमी है। मेरा ख्याल है कि "दि नीड्स आफ नेंन आर ग्रटर दैन दि नीड्स आफ गाड।"

श्री अधिष्ठाता—

माननीय विधायक जी, आप इसका हिन्दी में अनुवाद कर दें।

श्री लाल प्रताप सिंह—

आदमी की जरूरतें ईश्वर की जरूरतों से महत्वपूर्ण हैं, उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा जनपद प्रतापगढ़ बहुत ही पिछड़ा हुआ जनपद है। जब लोग यहां पर पूर्वांचल की बात करते हैं या अन्य किसी अंचल की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ का नाम नहीं लेते हैं।

श्री ऊवल—

आटो ट्रेक्टर फैक्ट्री घाटे में चल रही है। इसका घाटा 6 करोड़ रुपये तक हो गया है।

श्री लाल प्रताप सिंह—

श्रीमन्, अभी माननीय श्री ऊवल जी कह रहे थे कि आटो ट्रेक्टर फैक्ट्री घाटे में चल रही है, इस बात से मैं सहमत हूं। एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारे जिले में आया कुछ लोगों के प्रयास के बाद। इससे यह उम्मीद की जाती थी कि कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। कुछ लोगों को रोजगार भी मिला, परन्तु जितनी हम उम्मीद करते थे, उतना नहीं मिल पाया। बहुत से काश्तकारों की उसमें जमीन भी गयी, परन्तु अभी कई लोगों के घर वालों को उसमें नौकरी नहीं मिली है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वह प्रोजेक्ट 1972–73 से चल रहा है, जो इसका प्रोडेक्शन लक्ष्य था, वह अभी कम है। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि इसे इस समय 6 करोड़ रुपये का घाटा है। मैं चाहूंगा कि इसमें लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए और घाटा कम होना चाहिए। तभी इस प्रदेश का विकास हो सकता है। सहयोगी इकाइयों को स्थापना करने की आवश्यकता है, इसमें बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन से एक निवेदन और करना चाहता हूं वह यह है कि मेरा क्षेत्र सदर प्रतापगढ़ प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं वहां का प्रतिनिधित्व करता हूं, अस्तु, यह हकीकत है। यहां एक बकुलाई नदी है, जो तूफान पैदा कर देती है, बड़ी जिक-जैक है और भयंकर रूप धारण कर लेती है, फलस्वरूप पुरा क्षेत्र तबाह हो जाता है, कोई साल भी खाली नहीं जाता है। 500–500 और 1000–1000 मकान इस नदी से बरबाद हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा सैलाब इससे उत्पन्न हो जाता है। इसमें एक डैम बनाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में मैं बहुत बार लिख चुका हूं, नियम 301 के अंतर्गत मैं इस मामले को यहां पर लाया भी था। ऐसी बात नहीं की इसमें कुछ हुआ, कुछ प्रगति अवश्य हुई, इन्जीनियर साहबान वहां पर आये और इसका कुछ सर्वे भी हुआ, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। माननीय अधिष्ठता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अलावा एक चीज और है, उस पर दो पुलों की बहुत ही जरूरत है। पुल न होने की वजह से एक क्षेत्र से व्यक्ति दूसरे में नहीं आ पाते हैं। बरसात के दिनों में बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, उन्हें दिक्कत हो जाती है और वहां का विकास बिल्कुल रुक गया है। वहां की विकास की गति और तेज हो जाती, वह क्षेत्र विकसित

हो जाता, अगर वहां मान्यवर, पुल हो जाते हैं। एक तो हंसो के मुकाम पर और दूसरे कट्टा ब्लाक के मुकाम पर पुलों को बहुत आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में जो लिखा पढ़ी हुई थी, उसकी बाबत कुछ फाइल भी तैयार हुई है, ऐसी मेरी जानकारी है। माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि उस तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

दूसरी बात शिक्षा के सम्बन्ध में कहूंगा। शिक्षा के सम्बन्ध में वहां राजकीय स्कूल बहुत कम हैं, खासकर लड़कियों शिक्षा व्यवस्था की बहुत ही जरूरत है और वहां कोई स्कूल नहीं है। एक तो शहर में हाईस्कूल और इंटरमीडियट कालेज और देहात में खासकर "मान्धाता" क्षेत्र में लड़कियों का स्कूल होना बहुत जरूरी है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस तरफ ध्यान देंगे।

श्री अधिष्ठता--

माननीय लाल प्रताप जी, समय का ध्यान रखिये।

श्री लाल प्रताप सिंह--

दो मिनट और लूंगा।

अभी माननीय रियासत साहब ने राष्ट्रीय एकीकरण के सम्बन्ध में बात बतायी और कल बातचीत में कहा था कि सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बात ऐसी नहीं कही गयी है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बहुत ही प्लेटिट्यूट की बात करने से देश मजबूत नहीं होगा, इसमें कोई ठोस कदम लेने की आवश्यकता है। मइलिजरिया का वातावरण पुनर्थान की बाते हर मजहब चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, कोई हो, वह सारी चीजें मजहब से जोड़ रहे हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें कोई ठोस कदम उठाना होगा। जब हम धर्म को बिल्कुल ही राजनीति से अलग कर देंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी ने बहुत सही एक बात कही है कि :--

"इन एवरी कन्ट्री इन एवरी एज प्रस्टि हेज आलवेज बीन होस्टाइल टू फ्रीडम"

हर मुल्क में हर समय यह पुजारीक और धर्म यह हमेशा स्वतंत्रता के खिलाफ रहे हैं। और यही नहीं, आगे भी एक अच्छी बात याद आती है। मैं यह आखरी बात कहकर समाप्त करता हूं :--

इफ दि चर्च इज पोवेन इन टू दि सेम फैब्रिक एज दि स्टेट टू थिंक आफ ए कामन वेस्ड आफ जस्टिस एन्ड फेयर प्ले इज ए पजूल इल्यूशन, अगर धर्म और राजनीति को सम्मिलित कर दिया जाय तो न्याय की आशा करना केवल एक धोखा और छल है। यह मुमकिन नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री लाल प्रताप सिंह--

अन्त में, अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रतापगढ़ जनपद की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वह सबसे गरीब, पिछड़ा हुआ है। और कुछ छोटी-छोटी बरियाओं से उसका नुकसान होता रहता है। मैं आशा करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी लिबरली हमारे जिले की तरफ ध्यान देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।

श्री ऊदल--

माननीय अधिष्ठाता जी, अनुपूरक बजट का मतलब यह होता है कि पिछला जो खर्च है, उसका समावेश हो जाय। चाहे वह किसी तरह का खर्चा हो, जोकि जानकारी में अन्त में आता है, या दूसरी कुछ और नयी मदें, होती हैं उसको शामिल किया गया ह या कुछ खर्च ो आवश्यकता पड़ गयी है पिछले ायों के लिये, उसकी आवश्यकता पड़ तो और उसको अनुपूरक बजट में शामिल

किया जाता है । श्रीमन्, अनुपूरक बजट आना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या जो बजट हम यहां से मंजूर कराते हैं उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं ? टाइम से खर्चा उन कार्यों के लिये किया जा रहा है, कि नहीं ? अभी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप जिले-जिले की समीक्षा करेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, एक जिले में कार्यों की समीक्षा हो रही थी, 10-12 दिन पहले की बात बता रहा हूं ज्यादा पुरानी नहीं है, मार्च तक के बजट की समीक्षा हो रही थी, तो उसमें बहुत से विभाग ऐसे निकले, जिसमें किसी का 50 फीसदी ही खर्च है, किसी का 60 फीसदी ही खर्च हुआ है और किसी का 65 फीसदी ही खर्च हुआ है । मैं यह हाल की बात बता रहा हूं । इसलिए वित्त मंत्रालय और माननीय वित्त मंत्री जी का सबसे बड़ा काम यह है कि सब विभागों पर नजर रखें और देखें कि वे टाइम से खर्च कर रहे हैं और उसी कार्य के लिये कर रहे हैं या नहीं । मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, श्रीमन् ।

दूसरी बात श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि बिजली विभाग के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने इसमें खर्चा दिया है 30-35 करोड़ रुपये का ।

बिजली विभाग के घाटे की तरफ भी कभी ध्यान जाता है । 82 में इस सरकार ने उनका 100 करोड़ रुपए का ब्याज माफ कर दिया । विद्युत् परिषद् में पहले 21 करोड़ रुपया सालाना घाटा होता था, जो अब बढ़कर 40 करोड़ के करीब हो गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी विद्युत परिषद् में 600 अभियन्ता (400 सीनियर और 200 सहायक) लेन-देन का काम कर रहे हैं । मुख्य लेखाधिकारी जो इस काम को करते हैं उसको अभियन्ता कर रहे हैं । जो इस देश को वैज्ञानिक ढंग से एडवान्स कर सकते हैं वे ऐसा कर रहे हैं । इसमें भी खर्चा बढ़ रहा है ।

निगमों की बात प्रतापगढ़ के माननीय सदस्य ने कहा कि सभी घाटे में हैं । ट्रैक्टर को आटो फैक्टरी 6 करोड़ के घाटे में है, आज स्वीकार किया गया है जहां तक निगमों का सम्बन्ध है, तीन चौथाई निगम घाटे में चल रहे हैं । उनके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

सिंचाई की बात कुछ लाल प्रताप जी ने की । इसमें सीपेज की समस्या आम है । ट्यूबवैल्स चल नहीं रहे हैं, आधे खराब हैं । बिजली मिल नहीं पा रही है । आज ही मैंने नियम 301 में प्रस्ताव दिया है । आप कहते हैं कि कटौती नहीं है, लेकिन हमारे यहां एक अधिशासी अभियन्ता ने कटौती लागू कर दी और बिजली नहीं मिल रही है ।

(लाल बत्ती जलने पर)

पुलिस के ऊपर खर्चा आपने रख दिया । पुलिस का काम हो गया है पैसा कमाना, फर्जी इनकाउण्टर करना और अधिकारियों और सरकार को यह दिखाना कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डाकू समस्या समाप्त कर रहे हैं । सड़कों की हालत बहुत खराब है । बाबतपुर एयरोड्रम जाने वाली बाबतपुर-जमालपुर रोड 11 साल से बन रही है, आज तक बनी नहीं है । माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से कहूंगा कि पुरानी जो सड़क है, उसी को बनवा दें । इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं । माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिये ।

*श्री जियाराम शुक्ल "विकल साकेती"—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि अपने वित्त मंत्री द्वारा पेश की गयी अनुपूरक मांगों पर बोलने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का अवसर दिया । मैंने सुना हमारे पक्ष से ज्यादातर अपने-अपने क्षेत्र की बातें की गयीं । सबने कहा कि उनके यहां एक नदी है, लेकिन मेरे क्षेत्र में तो पांच नदियां हैं और उनका परिवार नियोजन नहीं हो पाया । उत्तर में घाघरा जैसी विशाल नदी है । शोरबा एक गांव है, उसको बहा ले जाने के चक्कर में थी, लेकिन किसी तरह से रुक गया । शोरबा, हरैया का बस्ती जिले से सीधा सम्बन्ध है, वहां पर एक पीपे का पुल विचाराधीन है । इसे स्वीकृत करा दें । फिरुआ नाला भयंकर रूप ले लेता है, उसकी खुदाई करायी जाय । बरवन झील है, उसके लिये 4 साल से कह रहे हैं ।

इसके पहले भी हमने चर्चा की है बरबन झील के बारे में कि उसमें जो तीन तरफ नहरें बनायी गयीं हैं, जिससे बरसात में पानी आने से उसमें बाढ़ आ जाती है और उससे कई गांव डूब जाते हैं तो इस प्रकार जो नहरों के कारण बाढ़ आती है, उसको रोका जाए माननीय लोकपति जी जब सिंचाई मंत्री थे तो उन्होंने वहां एक साईफन बनवा दिया था, लेकिन उसके आगे पीछे कोई नाला नहीं खुदवाया गया था, जिसकी वजह से वहां पर भी बरसात में पानी के आ जाने से एक बाढ़ सी आ जाती है और करीब 8-9 गांव पानी से डूब जाते हैं । इसलिए इस ओर मेरा सुझाव है कि साइफन के पास एक नाला खुदवाया जाय । साथ ही गांव के मिलाने वाले रास्ते को भी ऊंचा किया जाए, जिससे आवागमन में सुविधा हो सके । साथ ही हमारे क्षेत्र में मझहा-बिसरी नदियों का दोआबा है, जिसका संगम हमारे क्षेत्र में ही आकर होता है, इसके बीच के गांवों को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है । इसलिए मैं आपके माध्यम से शासन, सदन और माननीय पी0 डब्ल्यू0 डी0 मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, उन सबसे अनुरोध करूंगा कि जो हमारे यहां दोआबा है, उस पर पुल शीघ्र ही बनवाया जाए और गुसाईंगंज बाजार से दक्षिणी क्षेत्र को जोड़ने वाले पुल को पक्का बनवाया जाए, इसके साथ ही अन्त में चार पंक्तियां पढ़कर अपनी बात को खत्म करता हूं ।

"बिजली विदा हुई है,
जब बादलों के घर से,
ई बार बहुत गर्जे,
कई बार बहुत बरसे,
यह प्रबन्ध क्या तुम्हारा,
मदिरालयों के मालिक,
कहीं जाम छलकता है,
कोई बूंद भर को तरसे"

*श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, आपने मुझे अनुपूरक अनुदानों पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं केवल आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस मंत्रि-मण्डल के पास जिसको संज्ञा मैं मूर्ख मण्डल से देता हूं कि क्या कोई नीति वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी है, क्या वित्तीय अनुशासन नाम की कोई चीज है ? इनके पास वित्तीय अनुशासन पर सोचने की बुद्धि ही नहीं है । अनुपूरक अनुदानों का तात्पर्य यही होता है कि जो खर्च हम अपने बजट में लाये हैं, उसमें महंगाई के कारण अगर कोई पैसे की आवश्यकता होती है, तो उस पैसे के लिए अनुपूरक अनुदान लाया जाय । मैंने तो कई बार यह बात कही है कि यह मन्त्रि मण्डल इस बात पर कभी भी विचार ही नहीं करता और अकसर ऐसे ही बना कर रख देता है और उसे आंख मूंद कर पास करवा लिया जाता । इन लोगों को इस बात की फुरसत ही नहीं है यह देखने की कि हमारे पास क्या रखा गया है और इस पर हमारा क्या कर्तव्य है और हमें क्या इस पर करना चाहिए । मान्यवर, अच्छा होता कि यदि हमारे प्रदेश के जो 12 हजार राजकीय नलकूप हैं जिनको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चलाने की शक्ति एक घंटा प्रति दिन है और उसके लिए 50 करोड़ रु0 की धनराशि इस अनुपूरक अनुदान द्वारा चाही गयी है । मान्यवर, सिंचाई की दरें जो हैं वह 15 गुना हो जाती हैं और 20 गुनी हो जाती है, इसका यह सबूत है कि यह कोई काम सोच समझ कर नहीं करते हैं ।

मान्यवर, पिछले पांच वर्षों से बिजली सप्लाई की व्यवस्था बहुत ही वयनीय है, लोग बिजली अपने यहां लगवाने के लिए तमाम पैसे खर्च कर देते हैं लेकिन इन्हें बिजली मिलती नहीं है, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हम 8 घंटे बिजली रात में दे रहे हैं और 6 घंटे दिन में । लेकिन मान्यवर, ऐसा आज हो नहीं रहा है, वास्तविकता यह है कि मुश्किल से चार-पांच घंटे ही बिजली मिल पाती है, फिर भी इसके लिए यह 32 करोड़ रु0 की मांग कर रहे हैं । मान्यवर, मेरी समझ में आज नहीं आ रहा है कि किस आधार पर यह बिजली की व्यवस्था को चलाना चाहते हैं । क्या कोई उद्योग, क्या कोई निजी संस्थान इस प्रकार से चल सकता है ? एक साल के बीच में आप तीन-तीन बार अनुपूरक अनुदानों का बजट यहां लाये हैं । यहां के मंत्रिमण्डल में उद्योगपति भी हैं । मान्यवर, रामपुर जनपद में 15 डाक्टर कम हैं लेकिन मन्त्री जी को कोई फिक्र नहीं है । रामपुर में 7 ब्लाकों में इन्टरमीडिएट कालेज नहीं हैं । मान्यवर, पहाड से, बाढ़ से 379 ग्रामों में से 282 ग्राम बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, अभी तो मैंने कहना ही शुरू किया है, जल्दी समाप्त करता हूं । मान्यवर, जब सन् 1952 में रामपुर रियासत रियासती चंगुल से आजाद हुई उस समय वहां पर 6 भारी उद्योग थे । मान्यवर, इस कांग्रेस शासन के मन्त्रि-मण्डल ने उनमें से चार उद्योगों को, भारी उद्योगों को उजाड़ने की आज्ञा दे दी और उनकी जगह पर कोई नये उद्योग भी नहीं लगाये गये । चार जिले बाढ़ में वह गये लेकिन उनके लिये भी बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया । ये 5 सौ 61 करोड़ रु0 का बजट ले कर क्या करेंगे ? यह इनकी बुद्धिहीनता का प्रमाण है ।

हमारे प्रदेश में उन्नतिशील बीज जिसकी उत्पादन क्षमता केवल 8 प्रतिशत है जो हमें ये बीज देते हैं उसमें उत्पादन क्षमता केवल 8 प्रतिशत है तो उसके लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया कि हम अपने किसानों को शत प्रतिशत उन्नतिशील बीज देंगे । 360 रु0 प्रति क्विन्टल के हिसाब से यह किसानों को दिया जाता है जिसे कि किसान बो नहीं सकता है । म आपसे कहता हूं कि आप कोई प्राविधान कीजिये जिससे आपके बीजों को उत्पादन क्षमता बढ़ सके । रामपुर में 7 उत्पादन केन्द्र हैं लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती है। लेकिन इस मूर्ख मंत्रि मण्डल से हमारा कहना है कि देश का उत्पादन कैसे बढ़े, इस तरफ भी आप सोचिये । इसके साथ साथ ही में अनुपूरक बजट का विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय अध्यक्ष जी ने जो समय निश्चित किया था उसके हिसाब से मुझे अब वित्त मन्त्री जी को बुलाना चाहिये था । लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस पर कई माननीय सदस्य बोलना चाह रहे हैं इसलिए मैं सबको केवल दो-दो मिनट का ही समय दूंगा आप लोग संक्षेप में अपनी बात को कहें ।

*श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, मैं अनुग्रहीत हूं कि अपने मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, विडम्बना यह है कि जो अनुपूरक मांगों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

का वित्त मन्त्री जो ने बजट प्रस्तुत किया है, उस पर विरोधी पक्ष की ओर से जो प्रतिक्रिया आयी है, उसे सुन कर मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि उन लोगों को इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहिये, यह राजकाज है और यह राज-काज की बातें उनके समझ में नहीं आयेंगी और जब उनको यह बातें समझने के लिए मौका भी दिया गया तो उस समय भी वे इसको समझ नहीं पाये ।

ये कहने की कोशिश तो करते हैं लेकिन इनको कहना भी नहीं आता है । इससे यह स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि इनका दिमाग दिवालिया हो गया है, इसलिए इनको चुपचाप इसे मान लेना चाहिये । इसमें चर्चा की कोई बात नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय हो रहा है, जल्दी अपनी बात को कहें ।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मेरे सहारनपुर जिले में एक घमोला नदी बहती है । यह एक डेढ़ किलो मीटर शहर के बीच में बहती है । उसके दोनों तरफ से बस्ती है, उनका कटान हो चुका है, जो रिहायशी मकान है उनकी नींव तक कट गयी हैं । तो मैं गुजारिश करूंगा इसमें उसके लिए भी प्राविधान कर दें और कटान रुक जाये तो मैं मन्त्री जी का बड़ा आभारी हूंगा । मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि सहारनपुर में एक जनता रोड है, इस रोड से बहुत बड़ा इलाका जुड़ा हुआ है । इस सड़क पर घमौला नदी पड़ती है, इस पर एक पुल है जो बहुत ही जर्जर अवस्था में है, अगर वह पुल बह गया तो एक पूरा इलाका कट आफ हो जायेगा, इसलिए माननीय मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि इन अनुपूरक मांगों में उस पुल को भी सम्मिलित कर लें तो यह और सुन्दर हो जायेगी । मेरा निवेदन है कि विपक्ष के साथी शासन को अच्छी तरह से चलने दें, जनता के सामने बुराई का पैमाना न रखें ।

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, मैं इस अनुपूरक बजट का घोर विरोध करता हूं, इसलिए कि इस में गवर्नर के दौरे के लिए प्राविधान किया गया है और इस प्रदेश में जब जब राष्ट्रपति आये, गवर्नर वहां पर नहीं गए ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, इस नियमावली में है कि गवर्नर के आचरण पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है ।

श्री अधिष्ठाता--

राज्यपाल के आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन जो राज्यपाल के संवैधानिक कृत्य हैं उन पर चर्चा हो सकती है, मैंने सुना नहीं जो श्री चौधरी ने कहा है । अगर कोई ऐसे शब्द होंगे जो गवर्नर के आचरण पर आक्षेप डालते हों उनको मैं कार्यवाही से निकलवा दूंगा ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, आप उनको कार्यवाही से निकलवा दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने कह दिया है कि अगर कोई भी वाक्य राज्यपाल के आचरण पर आक्षेप वाला होगा, तो उसको निकलवा दूंगा । मैंने फिर से उनको बोलने के लिए कह दिया है, राज्यपाल के आचरण पर आक्षेप होगा तो उनको निकलवा दूंगा लेकिन उनके संवैधानिक कृत्यों पर चर्चा हो सकती है ।

श्री राम गोविन्द--

जब-जब राष्ट्रपति इस प्रदेश में आये हैं, गवर्नर उनकी अगवाई के लिए नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गए हैं । मंत्रियों को दौरे के लिए और कारें खरीदने के लिए इस में व्यवस्था की गयी है । श्रीमन्, जितने भी सचिवालय में सेक्रेटरी हैं उसको कार मिली हुई ह । हर सैक्रेटरी लन्च जब होता है तो अपने घर जाता है और एक दो घन्टे रह कर आता है । उनका परिवार उन पर घूमता है उनके बच्चे स्कूल जाते हैं । इस प्रकार से गरीब प्रदेश के धन का दुरुपयोग हो रहा है । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सन् 1977 में जब जनता सरकार यहां पर थी तो जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्र शेखर के प्रयास से मांझी नदी पर पुल बनाने का निर्णय लिया गया था परन्तु 1980 में जब इन्दिरा गांधी की सरकार आयी तो उस पुल का काम रोक दिया गया । यह निर्णय लिया गया था कि आधा पैसा उत्तर प्रदेश सरकार देगी और आधा पैसा बिहार सरकार देगी और उनका दूना केन्द्र सरकार पैसा देगी । 5 लाख रुपया उसके सर्वे पर भी खर्च हो गया है, परन्तु इस शासन ने उस पर काम बन्द कर दिया है ।

जनपद बलिया इस प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है । उस नदी पर पुल न बन पाने से इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा । राजनीतिक भेदभाव से जो काम किया जाता है विकास के कामों में, वह राजनीतिक भ्रष्टाचार है । इसी में देख लीजिये । राय बरेली और सुल्तानपुर जिले के 10 विकास खन्डों में 30 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है और इसलिये कि रायबरेली और सुल्तानपुर के अमेठी क्षेत्र से इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी चुनाव लड़ते हैं और वहां के वोटरों को प्रभावित करने के लिये 10 ब्लाकों को 30 लाख रुपये और पूर्वांचल तथा हमारे जैसे पिछड़े जिलों को 10 रुपय का भी प्राविधान नहीं किया गया है । यह राजनतिक भ्रष्टाचार है । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुपूरक बजट का घोर विरोध करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैंने निवेदन किया कि माननीय अध्यक्ष जी ने समय निश्चित किया है उसके अनुसार अब मैं किसी को नहीं बुलवा सकता हूं ।

माननीय वित्त मन्त्री जी बोलेंगे ।

(व्यवधान)

वित्त एवं ऊर्जा मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने इस बजट पर अपने विचार व्यक्त किये हैं, उन सबको धन्यवाद । बहुत से बहुमूल्य सुझाव माननीय सदस्यों ने अपने चुनाव क्षेत्रों के लिये दिये हैं और देने भी चाहिए । बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते थे किन्तु समयाभाव के कारण वे नहीं बोल पाये । मान्यवर, इस वर्ष के बजट के ऊपर विभिन्न मदों पर चर्चा होगी और तब पर्याप्त समय उनको मिल सकेगा ।

(श्री रुद्रप्रताप सिंह के कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वित्त मन्त्री बोल रहे हैं । कोई स्पष्टीकरण आप चाहेंगे, तो मैं आपको बाद म अनुमति दे दूंगा ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

स्पष्टीकरण इधर से भी किया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है ।

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, ऐसा लगता है कि सन् 1985 सबको नजर आ रहा है । नये-नये काम शुरू होने चाहिए । इस सम्बन्ध में जिस विभाग से सम्बन्ध वह काम ही उसके विषय मे आप मन्त्री को लिखें और जो योजनायें आयगीं, उनको आय-व्ययक में, अनुपूरक अनुदान में जो कि

अगले साल पेश होंगे, उनको यथासम्भव उसमें रखने की चेष्टा की जायेगी ।

(व्यवधान)

मान्यवर, कुछ बातें आलोचना के रूप में कही गई हैं । कई माननीय सदस्यों ने वित्तीय अनुशासन का पालन न किये जाने के बारे में शिकायत की । मैं बहुत गर्व से इस बात को कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली दफा केन्द्र सरकार से उत्तर प्रदेश को वित्तीय अनुशासन की संज्ञा दी है और उसको माना गया है । जिन लोगों ने केन्द्रीय वित्त मन्त्री का भाषण सुना होगा, वे जानते होंगे कि उन्होंने हमारे प्रदेश की समस्याओं को दो भागों में बांटा है । जिन्होंने वित्तीय अनुशासन का पालन किया है और जिन्होंने नहीं किया है । मैं यह भी शुभ सूचना इस आदरणीय सदन में देना चाहता हूं कि इस वर्ष की योजना में हमारे निरन्तर प्रयास के बावजूद भी हमारे संसोधन 1500 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहे थे, 100 करोड़ इसलिये हमें प्राप्त हो सके कि हमने इस प्रदेश में वित्तीय अनुशासन का पालन किया है ।

वित्तीय अनुशासन क्या होता है ? जो योजनायें हमारी जारी हैं उनको हम पूरा करें । पिछले तीन वर्षों में जिन योजनाओं के लिये धन का प्राविधान किया गया है उसको डेढ़-दो सौ करोड़ ज्यादा कर दिया है और उसके लिये हमने ओवर-ड्राफ्ट नहीं लिया । मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसके क्षेत्रों से जो योजनाय विधिवत बनकर आयेंगी उनको योजना के अन्तर्गत अगले साल समावेश करने की चेष्टा की जायेगी । ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को 100 करोड़ रुपया मिला है उसके अन्तर्गत पुलिया बन सकती हैं, सम्पर्क मार्ग बना सकते हैं, नालियां निकाल सकते हैं ।

जहां भूमि कटाव हो उसको रोक सकते हैं तो किसी भी जिले में डेढ़ और दो करोड़ से कम रुपया मिलने वाला नहीं है । आप योजना बनाइये उसमें दिलचस्पी लीजिये । केन्द्र से 85 करोड़ रुपये इसके लिए मिलेंगे जिसमें से 27 करोड़ रुपयों की स्वीकृति मिल चुकी है । सम्पर्क मार्गों और सड़कों में माननीय मुख्तार अनीस साहब अन्तर न करें तो मेरा दुर्भाग्य है ।

श्री मोखालाल--

27 करोड़ जो मिल गया है वह तो बांट दीजिये ।

श्री ब्रह्मदत्त--

जिन जिलों ने योजना बना कर भेजी थी, वहां बांट दिया गया है । आप योजना बना कर भेजिये । मंडलीय निगमों के बारे में माननीय मंत्री प्रसाद जी ने कहा तो जो मंडलीय निगम उत्पादक योजनायें बनाकर भेजेंगे, उनको अंशदान देने में और ऋण देने में न कोई संकोच किया गया है और न किया जायेगा ।

माननीय पंचानन राय जी ने विशेषकर पिछड़े वर्गों की ओर ध्यान देने की बात कही । हमारी सारी योजनाओं का प्रयास यह है कि पिछड़े क्षेत्रों की ओर ध्यान दें और जो पिछड़ा वर्ग है उसके समन्वित विकास के लिए यह एकीकृत ग्रामीण योजना का कार्यक्रम बनाया गया है । जो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजनाओं का जिक्र किया गया है वह इन्हीं वर्गों के लोगों के लिए विशेषकर बनाई गयी है । माननीय रियासत हुसैन साहब ने 33 करोड़ रुपये की बात कही और विद्युत उत्पादन पर असंतोष व्यक्त किया । बिजली की व्यवस्था से मैं संतुष्ट नहीं हूं । इसमें सुधार लाने का प्रयास किया जायेगा । तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी जो विभिन्न परियोजनायें हैं जैसे आनपारा-ए और बी योजना है, या परीक्षा योजना है या ऊंचाहार या लकवाड़ या टेहरी आदि की जो योजनाय हैं वे द्रुत गति से चल । उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा

सकता है चाहे वह कृषि म हो या उद्योग म हो जब तक यह बिजली के बारे म आत्मनिर्भर न हो जाय। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वर्ष 1990 तक उत्तर प्रदेश बिजली के मामले में आत्म-निर्भर ही न हो जाय बल्कि एक सरप्लस स्टेट बिजली उत्पादन में बन जाय।

माननीय, एक बात माननीय सुरेन्द्र कपिल जी ने कही खास करके, सिफारिश करके समय लिया। मैं उनकी सब बातों से सहमत हूं लेकिन एक बात से सहमत नहीं हूं जो उन्होंने राना जी की तरफ इशारा करके कहा कि उनकी स्पीच दिवालियेपन का सबूत है। यह आगरा में रहने वालों के दिवालियेपन की बात कही तो यह सीधे-सीधे आक्षेप है, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी के ऊपर।

तो माननीय, 561 करोड़ की व्यवस्था इस अनुपूरक अनुदान में हमने की है इसमें करीब 93 करोड़ योजना-गत और 467 करोड़ योजनेत्तर में है। दैवी आपदाओं के लिए 11 करोड़ 51 लाख, पुलिस फोर्स जिसके बारे में यहां पर बात की जाती है उसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तो उसके लिए 76 लाख रुपया रखा है वृद्धावस्था पेंशन, जो निरीह लोग हैं उनकी सहायता के लिए 59 लाख रुपया रखा है। सार्वजनिक, क्षेत्र की कताई मिलों की स्थापना एवं विस्तार हेतु 3 करोड़ रुपया दिया है। प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जो सबसे छोटे किसान हैं उनके लिए एक करोड़ रुपया रखा है। भारत सरकार से सूखा राहत कार्यों हेतु प्राप्त केन्द्रीय सहायता से जल सम्पूर्ति योजनाओं की मरम्मत के लिए 57 लाख रुपया रखा है। दैवी आपदा से निपटने के लिए मूल बजट में 10 करोड़ 80 लाख रु0 की व्यवस्था की गयी थी। कृषि कार्यों के लिए बीज आदि क्रय करके कृषकों को समय से उपलब्ध कराने के लिए 3 करोड़ 10 लाख का प्राविधान किया गया है। जहां पर हमें धन की कमी थी वहां भी हमने प्रयास किया है। यह बात ठीक है कि कुछ तनख्वाहों के बारे में पैसा रखा गया है तो उसमें हमने वेतन पुन-र्निर्धारण किये उससे अतिरिक्त भार पड़ा। उसके लिए दोनों पक्षों से मांग आती है। इस तरह से मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरा करें। तो जहां तक घाटे का सवाल है उसको मेरे ऊपर छोड़ दें उसकी चिंता आप न करें।

कम से कम मैं उतना घाटा नहीं होने दूंगा कि प्रदेश की बदनामी हो चूंकि चार सालों से मैं बजट प्रस्तुत कर रहा हूं और अभी तक ऐसी नौबत नहीं आयी और पांचवें साल भी नहीं आने दूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुये प्लानिंग कमीशन और फाइनेन्स कमीशन से और अधिक धन अगले साल प्राप्त कर सकें जिससे प्रशासन में चुस्ती आयेगी और विकास के कार्यक्रमों में तेजी आयेगी।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

माननीय, पूरे हिन्दुस्तान का खजाना अमेठी और सुल्तानपुर, रायबरेली को मिले तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्राविधान आपने अनु-पूरक बजट या बजट में कहीं किया है? यदि नहीं, तो वह बता दें?

श्री ब्रह्मदत्त—

माननीय, जितने हमारे सहायता प्राप्त विद्यालय हैं वह अनुदान सूची में आ जायं, इसके लिये हम यथासंभव प्रयास करेंगे।

श्री रामस्वरूप नि—

माननीय, मन्त्री जी ने अभी बताया था कि स्वतः रोजगार में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति को विशेष ध्यान रखा जायेगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि शासन ने अब तक क्या

इसमें निर्णय लिया है और आगे क्या निर्णय लेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त—

माननीय, सभी जिलाधीशों से कहा गया है कि वह अपने जिले की योजना बनाकर भेजें और उसका उद्देश्य भूमि-हीन ग्रामीणों को रोजगार देना हो, जिसमें सम्पर्क मार्ग और दूसरी चीजें बतायी थीं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

माननीय, हमने देखा है कि जहां-जहां मन्त्री शक्तिशाली हैं, वह सारा बजट अपने क्षेत्रों में खर्च कर देते हैं और जो कमजोर विधायक हैं, उनके क्षेत्रों में काम नहीं होता है । तो क्या मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि समान तरीके से बजट का वितरण होगा ?

श्री ब्रह्मदत्त—

माननीय, मैं माननीय सदस्य को एक आश्वासन दे सकता हूं कि श्री विष्ट का जो क्षेत्र है, वह हमारा समधियाना भी है और दामाद भी हैं, उसको ध्यान रखेंगे ।

1983-84 के तृतीय अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 1—आबकारी विभाग

आबकारी राज्य मन्त्री (श्री रूप राम)—

माननीय, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1—आबकारी विभाग के अन्तर्गत 38,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1—आबकारी विभाग के अन्तर्गत 38,94,000 रुपयों की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 2—आवास एवं नगर भूमि विभाग

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्य मन्त्री (श्री राम सजीवन सिंह)—

माननीय, आप की आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 2—आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत 1,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2—आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत 1,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 3—उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)

वित्त एवं ऊर्जा मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

माननीय, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3—उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत 79,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3—उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत 79,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(मद संख्या 4 के लिए उद्योग मंत्री का नाम पुकारे जाने और श्री ब्रह्मदत्त के खड़े होने पर ।)

श्री अधिष्ठाता—

आप स्वयं जानकार हैं, उद्योग मंत्री जी यदि यहां हैं तो उन्हें यहां प्रस्तुत करने के लिये होना चाहिए ।

श्री ब्रह्म दत्त—

वह यह समझकर कि वित्त मंत्री जी बजट पेश करेंगे, वही इसे कर देंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, तकनीकी दृष्टि से तो ठीक है लेकिन सामान्य परम्परा यही है कि सम्बन्धित मंत्री को यहां इसके लिए रहना चाहिए ।

अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग
(ग्राम्य एवं लघु उद्योग)

वित्त एवं उर्जा मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 44,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (ग्राम्य विकास एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 44,04,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इस समय 4 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग
(भारी एवं मध्यम उद्योग)

वित्त एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 3,08,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनदान संख्या 5—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 3,08,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग
(लेखन सामग्री और मुद्रण)

वित्त एवं ऊर्जा मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 16,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और

मुद्रण) के अन्तर्गत 16,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 7––ऊर्जा विभाग

वित्त एवं ऊर्जा मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)––

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–7 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 33,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7––ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 33,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 8––कार्मिक विभाग

सूचना एवं सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो तथा नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)––

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8––कार्मिक विभाग के अन्तर्गत 41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8––कार्मिक विभाग के अन्तर्गत 41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 9––कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)

कृषि राज्य मंत्री (श्रीमती बेनीबाई)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 9––कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 2,98,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9––कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 2,98,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 10––कृषि विभाग (कृषि)

कृषि राज्य मन्त्री (श्रीमती बेनी बाई)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 10––कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 11,21,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10––कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 11,21,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 11--खाद्य तथा रसद विभाग

प्राविधिक शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री--)

मान्यवर, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 2,80,36,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 2,80,36,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 12--गन्ना विकास विभाग

हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 12--गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत 1,49,47,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12--गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत 1,49,47,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 13--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 13--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 1,10,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 1,10,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 14--गृह विभाग (कारागार)

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्य मन्त्री (श्री राम सजीवन सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14--गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 4,83,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14--गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 4,83,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस)

वित्त एवं ऊर्जा मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 20,45,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 20,45,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 18—ग्राम्य विकास विभाग

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्य मन्त्री (श्री राम सजीवन सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18—ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 30,48,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18—ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 30,48,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 19—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,89,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(4 बजकर 20 मिनट से)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,89,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 20—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 3,09,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 3,09,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 22--नगर विकास विभाग

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्य मन्त्री (श्री राम सजीवन सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22--नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 2,10,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22--नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 2,10,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग

नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 67,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 67,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

वित्त एवं ऊर्जा मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत 96,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत 96,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 26—नियोजन विभाग

नियोजन मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26—नियोजन विभाग के अन्तर्गत 40,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26——नियोजन विभाग के अन्तर्गत 40,00,000 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 27—निर्यात प्रोत्साहन विभाग

वित्त एवं ऊर्जा मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27—निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अन्तर्गत 47,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27—निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अन्तर्गत 47,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 29—न्याय विभाग

सामान्य प्रशासन न्याय एवं विधायिका राज्य मन्त्री (श्री राम नरेश शुक्ल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29—न्याय विभाग के अन्तर्गत 3,23,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29—न्याय विभाग के अन्तर्गत 3,23,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 30—पंचायती राज विभाग

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्य मन्त्री (श्री राम सजीवन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30—पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 3,05,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30—पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 3,05,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या—31 परिवहन विभाग

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री प्रवीन कुमार शर्मा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31—परिवहन विभाग के अन्तर्गत 33,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983—84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31—परिवहन विभाग के अन्तर्गत 33,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983—84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 32—पर्यटन विभाग

पर्यटन राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32—पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 27,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983—84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32—पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 27,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983—84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 33—पर्वतीय विकास विभाग

वित्त एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 1,93,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983—84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 1,93,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983—84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 34—पशुधन विभाग

वित्त एवं ऊर्जा मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34—पशुधन विभाग के अन्तर्गत 15,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1883—84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34—पशुधन विभाग के अन्तर्गत 15,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983—84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 35—पशुधन (दुग्धशाला विकास)

वित्त एवं ऊर्जा मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 39,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 39,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 37—प्राविधिक शिक्षा विभाग

प्राविधिक शिक्षा श्रम एवं सेवायोजन राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 38,96,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 38,96,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 38—मत्स्य विभाग

वित्त एवं ऊर्जा मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38—मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 11,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38—मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 11,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 40—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 1,36,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 1,36,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 42--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 14,69,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 14,69,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

शिक्षा एवं सांस्कृतिक कार्य राज्य मंत्री (श्री राम सिंह)--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 1,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 1,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 46--वन विभाग

वित्त एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)---

श्रीमन्, आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46--वन विभाग के अन्तर्गत 81,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46--वन विभाग के अन्तर्गत 81,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 47--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

वित्त एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 49--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वित्त एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)---

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव

करता हूं कि अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 19,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 19,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 51--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

वित्त एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 5,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 5,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 52--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

वित्त एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 7,75,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 7,75,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 54—विधान सभा सचिवालय

शिक्षा एवं सांस्कृतिक कार्य राज्य मंत्री (श्री राम सिंह)—

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54—विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 17,45,000 रुपये का अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54—विधान सभा सचिवालय के अन्तगत 17,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।

अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रौद्योग विभाग

पर्यटन राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रौद्योग विभाग के अन्तर्गत 35,00,000 रुपये की अनुपूरक

मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55––विज्ञान एवं प्रौद्योग विभाग के अन्तर्गत 35,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 56––शिक्षा विभाग

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56––शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 10,54,84,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56––शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 10,54,84,000 रुपय की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 57—श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57––श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 1,78,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57––श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 1,78,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 58—श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम एवं सेवायोजन राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58––श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 1,10,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58––श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 1,10,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 60––संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

वित्त एवं ऊर्जा मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60––संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983–84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60––संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 16,000 रुपये की अनुपूरक

मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 61--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)

वित्त एवं ऊर्जा मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 4,73,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 4,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 62--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी-कर)

वित्त एवं ऊर्जा मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी-कर) के अन्तर्गत 8,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी-कर) के अन्तर्गत 8,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 63--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

वित्त एवं ऊर्जा मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 56,32,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 56,32,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग

सूचना, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरों एवं नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 1,74,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाए ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 1,74,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग

वित्त एवं ऊर्जा मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

माननीय, आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 9,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64--सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 9,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 66--सहकारिता विभाग

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री बच्चा पाठक)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66--सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 6,41,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66--सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 6,41,58,000 रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 68--सांस्कृतिक कार्य विभाग

शिक्षा एवं सांस्कृतिक कार्य राज्य मन्त्री (श्री राम सिंह)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68--सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 11,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68--सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 11,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री विद्या-भूषण)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 5,72,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 5,72,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री विद्या-भूषण)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 34,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 34,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री विद्या-भूषण)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 5,42,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 5,42,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 76--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

वित्त एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

माननीय, मैं आप की आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 2,88,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 2,88,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 77--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

वित्त एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

माननीय, मैं आप की आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 9,65,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 9,65,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 78—सूचना विभाग

सूचना राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78—सूचना विभाग के अन्तर्गत 82,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78—सूचना विभाग के अन्तर्गत 82,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 79—सैनिक कल्याण विभाग

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गोपाल राम दास)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 79—सैनिक कल्याण विभाग के अन्तगत 7,32,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79—सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 7,32,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 80—स्पोर्ट्स विभाग

वित्त एवं ऊर्जा मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80—स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत 4,20,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80—स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत 4,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 81—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गोपाल राम दास)—

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 10,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 10,90,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84 का तृतीय अनूपूरक) विधेयक, 1984

वित्त एवं ऊर्जा मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)---

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1984 को पुरः-स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1984 को पुरः-स्थापित करने हेतु इस सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रह्म दत्त---

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1984 को पुरः-स्थापित करता हूं ।

(विधेयक की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित की गयी ।)

श्री ब्रह्म दत्त---

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाय ।

श्री भीखालाल---

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विनियोग विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । विरोध इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि अभी वाद-विवाद के दौरान माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि हमारे प्रदेश में वित्तीय अनुशासन लागू नहीं है । मैं भी इस बात को मानता हूं कि वित्तीय अनुशासन कड़ा होना चाहिए, परन्तु वह उस कड़ाई से लागू नहीं है । भले ही माननीय वित्त मंत्री जी कितना ही कह दें कि हमारा वित्तीय अनुशासन बहुत कड़ा है और इसी कारण 100 करोड़ रुपये उन्हें केन्द्र से अधिक मिला है । माननीय, संविधान के अन्तर्गत सरकार को 3 अनुपूरक अनुदान लाने का अधिकार है । परन्तु यह कोई अनिवार्य भी नहीं है । वित्त मंत्री जी कह दें कि हम एक ही अनुपूरक अनुदान लायेंगे, तो मैं समझता हूं कि वित्तीय अनुशासन अपने आप कड़ा हो जायेगा । 15 दिन पहले यहां पर द्वितीय अनुपूरक अनुदान लाया गया था और 15 दिन के बाद यह तृतीय अनुपूरक अनुदान आप इस आदरणीय सदन में ले आये हैं, जिसकी कल्पना हम 15 दिन पहले नहीं कर रहे थे ।

माननीय, दूसरी बात यह है कि अनुपूरक अनुदान में जो पैसा लाया जाता है, उसका मतलब यह होता है कि वह इसी वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक खर्च हो जायेगा और यदि वह खर्च नहीं होता है तो हम समझते हैं कि वित्तीय अनुशासन सही नहीं है । माननीय, मैं पुनः स्मरण दिलाना चाहूंगा, जब यहां पर द्वितीय अनुपूरक अनुदान लाया गया था, उस वक्त इस सरकार ने जिला परिषदों के चुनाव कराने के लिए इसी सदन से पैसे की स्वीकृति ली थी, परन्तु, यह जिला परिषदों का चुनाव कराने नहीं जा रहे हैं । और आज जो विधेयक पास करने के लिये लाया जा रहा है, उसमें यह जिला परिषदों के चुनाव के लिए एक साल का और टालना चाहते रहे हैं । उस वक्त जो पैसा लिया वह खर्च नहीं होगा, यह वित्तीय अनुशासन की ढिलाई होने की बात है । इसी अनुपूरक में एक मद ऐसी है, जो आपने रखी है अनुदान संख्या 54 में उसकी बाबत यह है कि विधान सभा सचिवालय में जो

जलपान गृह है, इसको कमेटी के रूप में परिवर्तित करने की बात कही गयी है और इसके लिये 11 लाख 40 हजार रुपया रखा है । जलपान गृह एक कमेटी रूप में परिवर्तित हो जायेगा, स्वागत योग्य चीज है । वह जलपान गृह नहीं रहेगा, क्योंकि एक सेन्ट्रल हाल माननीय विधायकों के लिये बन गया है, लेकिन यह अभी सुकम्मल नहीं है, अभी माननीय अध्यक्ष के सुपुर्द नहीं हुआ है । इस तरह से यह जलपान गृह 31 मार्च तक हटेगा नहीं और पैसे का 31 मार्च तक इस्तेमाल नहीं होगा । यह वित्तीय अनुशासन की शिथिलाई है ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि वित्तीय अनुशासन को कड़ा करने के लिये इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि वित्तीय वर्ष के दौरान इस बात का मूल्यांकन किया जाय कि जो बजट में पैसा दिया गया है उसके खर्च होने की प्रगति क्या है खर्च हो रहा है कि नहीं ? जिन मदों के लिये दिया जा रहा है, उनका इस्तेमाल हो जाये या नहीं ? मैं एक मिसाल मान्यवर वित्त मन्त्री और ऊर्जा मंत्री दोनों हैं आपको, देना चाहता हूं ऊर्जा विभाग को हमारे उन्नाव जिले में पिछले वित्तीय वर्ष में एक करोड़ उन्तीस लाख रुपया दिया गया था, 31 दिसम्बर तक केवल नौ लाख रुपए खर्च हुआ था, अभी पिछले 2-3 महीने में ज्यादा से ज्यादा 15-20 लाख रु० और खर्च हो गया होगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाया होगा । अभी हाल ही में डी० आर० डी० ए० की मीटिंग हुई थी उसकी माननीया स्वरूप कुमारी बख्शी जी इंचार्ज हैं, हमारे नये राज्य ऊर्जा मंत्री गोपीनाथ दीक्षित भी उसमें थे, वे हमारे जिले के हैं, उसमें कहा गया था कि यह चिन्ता का विषय है कि अभी तक यह खर्च नहीं हुआ है । मान्यवर, एक करोड़ रुपए के लगभग उन्नाव जिले में पड़ा है, तो अब इस अनुपूरक अनुदान से 33 करोड़ रु० लेने का क्या अर्थ है ? इसका मूल्यांकन किया कि खर्च हो रहा है कि नहीं ? हमारा इसकी बाबत अंदाजा यही है कि यह खर्च नहीं होगा । उन्नाव जिले में जो ऊर्जा का विकास होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है । जगह-जगह खम्भे पड़े हुए हैं, शासक पार्टी के लोग भी कहते रहे कि ऊर्जा विभाग का रुपया व्यय नहीं हो रहा है । मान्यवर, खम्भे पड़े हुए हैं, गाड़े नहीं जा रहे हैं और जहां गड़े हैं उनमें तार नहीं बांधा गया बिजली नहीं दी जा रही है । इसलिए इस प्रकार का मूल्यांकन होना चाहिए कि जो यहां से स्वीकार हो, वह खर्च भी हो । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विनियोग विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री ब्रह्म दत्त--

माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, वह काफी हद तक सही है और वे काफी भ्रम वश कह गये हैं । जैसे उन्नाव के विद्युतीकरण की बात कही, ग्रामीण विद्युतीकरण में इसमें कोई रुपया शामिल नहीं है । ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है, उससे जो रुपया प्राप्त हुआ है, यह मानता हूं कि वहां रुपये का कम इस्तेमाल हुआ है, वहां मैं देखूंगा और रुपए का इस्तेमाल कराऊंगा । यहां यह भी कहूंगा कि समय पर बजट पारित होने के कारण स्वीकृतियां जारी होने के कारण समय से रुपया लैप्स बहुत कम होता है । इससे ऐसी स्थिति नहीं होती है कि फरवरी, मार्च में ज्यादा व्यय किया जाय। अब फरवरी मार्च में व्यय के लिये रुपया ही बहुत कम बचता है । यह जो अनुपूरक मांग है, इसमें ज्यादातर समायोजन है, यह स्वल्प है, बहुत थोड़ा रुपया है । वैसे यह है कि अंकुश रहना चाहिए व्यय और सदुपयोग के ऊपर, और वह हम कर रहे हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सी बुरी आदतें हैं उसमें से यह जो सप्लीमेंटरी बजट है, इसे आगे तो रोकने की बात करें ।

श्री बहुगुणा--

मान्यवर, इसका एक उत्तर मैं देना चाहता हूं। इसमें मतभेद के कारण हो सकते है। वैसे मैं अनुपूरक अनुदान को एक डायनामिक बजट के लिये आवश्यक मानता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3 अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1984

31 मार्च, 1984 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त शीर्षनाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84 का तृतीय अनुपूरक) अधिनियम, 1984 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष 1983-84 के लिए 5,61,22,43,000 रुपयों का दिया जाना

2--ऐसे विविध व्यय चुकाने के लिए, जो 31 मार्च, 1984 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि मे से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 5,61,22,43,000 रुपये (पांच अरब इकसठ करोड़ बाइस लाख तैंतालिस हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उनका विनियोग 31 मार्च, 1984 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिए हुए हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
1	आबकारी विभाग	राजस्व	38,94	..	38,94
		पूंजी	..	..	..
2	आवास एवं नगर भूमि विभाग	राजस्व	1,00	..	1,00
		पूंजी	..	..	..
3	उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)	राजस्व	7,81	..	7,81
		पूंजी	71,38	..	71,38
4	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	14,04	..	14,04
		पूंजी	30,00	..	30,00
5	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	.	..	..

		पूंजी	3,08,00	..	3,08,00	
6	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	16,72	..	16,72	
		पूंजी	..	..	..	
7	ऊर्जा विभाग	राजस्व	..	..	..	
		पूंजी	33,00,00	..	33,00,00	
8	कार्मिक विभाग	राजस्व	41	..	41	
		पूंजी	..	..	..	
9	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	1,91,86	20	1,92,06	
		पूंजी	1,06,47	..	1,06,47	
10	कृषि विभाग (कृषि)	राजस्व	7,93,42	..	7,93,42	
		पूंजी	3,27,99	..	3,27,99	
11	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	2,80,36	..	2,80,36	
		पूंजी	..	..	..	
12	गन्ना विकास विभाग	राजस्व	1,49,47	15	1,49,62	
		पूंजी	..	..	..	
13	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	20,80	.	20,80	
		पूंजी	90,00	..	90,00	
14	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	4,63,11	..	4,63,11	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3	
		पूंजी	20,00	..	20,00
15	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	20,45,09	33	20,45,42
		पूंजी	..	..	..
18	ग्राम्य विकास विभाग	राजस्व	30,48,83	..	30,48,83
		पूंजी	..	..	..
19	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	राजस्व	1,89,94	..	1,89,94
		पूंजी	..	..	..
20	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	2	..	2
		पूंजी	..	..	..
21	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	3,09,82	..	3,09,82
		पूंजी	..	..	..
22	नगर विकास विभाग	राजस्व	2,04,03	..	2,04,03
		पूंजी	6,58	..	6,58
23	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	67,75	..	67,75
		पूंजी	..	..	..
24	नागरिक सुरक्षा विभाग	राजस्व	96,45	..	96,45

उत्तर प्रदेश विधान सभा

		पूंजी	..	..	..	
28	नियोजन विभाग	राजस्व	40,00	..	40,00	
		पूंजी	..	..	..	
27	निर्यात प्रोत्साहन विभाग	राजस्व	10,20	..	10,20	
		पूंजी	37,50	..	37,50	
29	न्याय विभाग	राजस्व	3,23,75	5,50	3,29,25	
		पूंजी	..	..	..	
30	पंचायती राज विभाग	राजस्व	3,05,57	..	3,05,57	
		पूंजी	..	..	..	
31	परिवहन विभाग	राजस्व	33,76	..	33,76	
		पूंजी	..	..	..	
32	पर्यटन विभाग	राजस्व	6,11	..	6,11	
		पूंजी	21,50	..	21,50	
33	पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व	40,42	..	40,42	
		पूंजी	1,53,51	..	1,53,51	
34	पशुधन विभाग	राजस्व	14,53	..	14,53	
		पूंजी	1,13	..	1,13	
35	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	29,83	..	29,83	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
		पूंजी	9,58	..	9,58
37	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	28,19	..	28,19
		पूंजी	10,77	..	10,77
38	मत्स्य विभाग	राजस्व	11,52	..	11,52
		पूंजी	..	..	..
40	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	1,36,82	..	1,36,82
		पूंजी	..	..	..
42	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	14,69,93	..	14,69,93
		पूंजी	..	..	..
*43	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	..	2,22	2,22
		पूंजी	..	..	..
44	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	1,02	..	1,02
		पूंजी	..	..	..
*45	लोक सेवा आयोग	राजस्व	..	3,83	3,83
		पूंजी	..	..	..

46	वन विभाग	राजस्व	81,50	54	82,04	
		पूंजी	..	..	..	
47	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	..	9,42,97	9,42,97	
		पूंजी	30,00	3,45,00,00	3,45,30,00	
49	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	19,95	..	19,95	
		पूंजी	..	..	..	
51	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	5,37	..	5,37	
		पूंजी	..	..	..	
52	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	7,75,79	50,93	8,26,72	
		पूंजी	..	..	..	
54	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	17,45	...	17,45	
		पूंजी	..	..	..	
55	विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग	राजस्व	35,00	..	35,00	
		पूंजी	..	..	..	
56	शिक्षा विभाग	राजस्व	10,54,84	..	10,54,84	
		पूंजी	..	..	..	

*भारित विनियोग से संबंधित क्रम संख्या ।

अनुपूरक विधान सभा

1	2		3		
57	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	1,78,48	..	1,78,48
		पूंजी	..	..	..
58	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	1,10,26	..	1,10,26
		पूंजी	..	..	..
60	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	16	..	16
		पूंजी	..	..	..
61	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	4,73	..	4,73
62	संस्थागत वित्त विभाग(मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	8,50	..	8,50
		पूंजी	..	..	..
63	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	56,32	..	56,32
		पूंजी	..	..	..
64	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	1,74,97	..	1,74,97
		पूंजी	..	..	..
65	सतर्कता विभाग]	राजस्व	9,18	19	9,37
		पूंजी	..	..	..

66	सहकारिता विभाग	राजस्व	1,92,36	4,66	1,97,02
		पूंजी	4,49,22	..	4,49,22
68	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	11,89	..	11,89
		पूंजी	..	..	..
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	5,72,00	..	5,72,00
		पूंजी	..	..	..
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	8,17	..	8,17
		पूंजी	26,54	..	26,54
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	5,42,90	..	5,42,90
		पूंजी	2	..	2
76	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	99,21	..	99,21
		पूंजी	1,89,02	..	1,89,02
77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	4,27,03	..	4,27,03
		पूंजी	5,38,92	..	5,38,92
78	सूचना विभाग	राजस्व	66,28	..	66,28
		पूंजी	16,50	..	16,50

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3			
79	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	7,32	..	7,32
		पूंजी	..	.	..
80	स्पोर्ट्स विभाग	राजस्व	4,20	..	4,20
		पूंजी	..	..	..
81	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	राजस्व	10,90	..	10,90
		पूंजी	..	..	..
	योग	राजस्व	1,48,61,55	10,11,52	1,58,73,07
		पूंजी	57,49,36	3,45,00,00	4,02,49,36
	कुल योग ..		2,06,10,91	3,55,11,52	5,61,22,43

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1984 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1984 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । मैंने श्री जसवन्त सिंह विष्ट की सूचना, जोकि उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में तदर्थ रूप से नियुक्त प्रवक्ताओं के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में है, उसको स्वीकार किया है और बाकी को अस्वीकार किया है ।

मंत्रियों को परामर्श देने वाली समितियों के निर्वाचन तथा कार्य विधि के नियम 1 (क) की सूची में 30 गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग-16-4 बढ़ाये जाने के संबंध में संकल्प

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियम" के नियम 1 के खंड (क) में उल्लिखित समितियों की सूची के अन्त में निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"30 गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग-16-4" ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने जो संकल्प इस आदरणीय सदन के सम्मुख उपस्थित किया है, जिसमें खासतौर से "30-गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग 16-4" को सम्मिलित किया गया है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

ओबरा विद्युत् गृह में हुए अग्नि-काण्ड से उत्पन्न स्थिति के सबंध में वक्तव्य

वित्त एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

[ओबरा ताप विद्युत् गृह में दो विद्युत् गृह, ताप विद्युत् गृह "ए" तथा ताप विद्युत् गृह "बी" हैं । ओबरा ताप विद्युत् गृह "ए" में 5 इकाईयां 50 मेगावाट की तथा 3 इकाईयां 100 मेगावाट की हैं । कुल क्षमता 550 मेगावाट की है । ओबरा ताप विद्युत् गृह "बी" में 5 इकाईयां 200 मेगावाट की लगी हैं। इनकी कुल क्षमता 1,000 मेगावाट की है ।

2—दिनांक 30 अक्तूबर, 1983 को आग लगी थी वह ओबरा ताप विद्युत् गृह "बी" म लगी थी उस समय "बी" "विद्युत् ताप गृह म तीन इकाईयां 10, 11 व 12 चल रही थीं । आग को

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ मान्य होगा ।

"बी" तापविद्युत् गृह तक ही सीमित रखा गया। इकाई नं0 6, 7, व 8 तापविद्युत् गृह "ए" में हैं और उन्हें कोई क्षति नहीं हुई।

3—अग्नि शमन-उपकरण तुरन्त उपयोग में लाए गये और चूंकि आग काफी भयावह थी इस कारण बाहर से भी अग्नि शमन गाड़ियां मंगाई गयी। यह गाड़ियां पिपरी, हिन्डलको, वाराणसी एवं डाला आदि से आयी थी।

4—दिनांक 30 अक्तूबर, 1983 को अपराह्न 2 बजे शिफ्ट जब बदली तब आने वाले अधिशासी अभियन्ता को 2 बजकर 5 मिनट पर 4 मीटर नीचे नियुक्त आपरेटर ने बताया कि इकाई संख्या 11 के केबिल गैलरी से धुआं निकलते देखा गया है। इसके तुरन्त बाद अधिकारियों को, फायर ब्रिगेड कं0 तथा ओबरा स्थित फायर ब्रिगेड को सूचना दी गयी। आग तेजी से बढ़ रही थी, परन्तु आग को "बी" पावर हाउस तक ही सीमित रखा और जनरेटरों से भरी हुई हाईड्रोजन को निकाल लिया गया ताकि विस्फोट न होने पाये। जलते हुए केबिलों को बुझाने के लिए यह आवश्यकता हुई कि केबिल निर्जीव कर दिये जायें, जिससे उन पर पानी डाला जा सके, अतएव विद्युत् गृह की मशीनों को बन्द कर दिया गया।

5—रात्रि 11 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया और धुआं कम होने के उपरान्त लगभग 11-30 बजे लोग विद्युत् गृह में 9 मीटर की ऊंचाई तक जा सके। इस घटना के कारणों की जांच हेतु शासन द्वारा तुरन्त 1 नवम्बर, 1983 को एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी, जिसकी सदस्यता समय-समय पर हुई वृद्धि के फलस्वरूप निम्न प्रकार रही—

(1) श्री एस0 एस0 मिश्रा, अध्यक्ष सदस्य (उत्पादन), उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद्, लखनऊ।

(2) मुख्य विद्युत् निरीक्षक, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।

(3) कमान्डेन्ट, फायर ट्रेनिंग सेन्टर, उ0 प्र0, इलाहाबाद।

(4) जनरल मैनेजर, ओबरा पावर स्टेशन।

(5) श्री एम0 एस0 केवलरमनी, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(6) असिसटेन्ट इन्सपेक्टर जनरल (फायर), सेन्ट्रल इन्डस्ट्रियल सिक्यारिटी फोर्स, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।

(7) डायरेक्टर, फोरेन्सिक साइन्स लेबोरेटरीज, उ0 प्र0 लखनऊ।

(8) श्री एच0 आर0 कुलकर्णी, अवकाश प्राप्त सदस्य, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण, समिति के मुख्य प्राविधिक सलाहकार।

6—आग की घटना से "ए" विद्युत् गृह को किसी इकाई को कोई नुकसान नहीं हुआ। "बी" विद्युत् गृह की इकाई संख्या 10 और 11 आग के स्थल के निकट होने के कारण बाकी तीनों इकाईयों की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त हुई, किन्तु बोयलर, टर्बाइन और जनरेटर को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस "बी" विद्युत् गृह की इकाई संख्या 9, 12 और 13 के भी (इकाई संख्या 10 और 11 के साथ-साथ) कन्ट्रोल पैनल, स्विचगियर और केबिल्स को नुकसान हुआ। चूंकि कुछ उपकरण पांचों इकाईयों के उपयोग में आते थे इसलिए पूरा "बी" विद्युत् गृह प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो गया।

7—उक्त जांच समिति के अलावा सी0 बी0 आई0 को भी मामला सौंप दिया गया है और सी0 बी0 आई0 ने अपनी जांच प्रारम्भ कर दी है।

8—आग पर काबू होने के तुरन्त बाद ही इकाईयों को चलाने की कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी और सर्वप्रथम ओबरा ताप विद्युत गृह "ए" की 5 इकाईयां 4-11-83 तक चला दी गयी।

9—"बी" ताप विद्युत गृह की इकाई संख्या 13, दिनांक 2 दिसम्बर, 1983 को तथा इकाई संख्या 12 दिनांक 9 दिसम्बर, 1983 को चालू कर दी गयी। इकाई संख्या 9 के अप्रैल, 1984 में चालू हो जाने की आशा है तथा इकाई 11 व 10 क्रमशः दिसम्बर, 1984 तथा फरवरी, 1985 तक चालू होने की आशा है।

10—विद्युत गृह के क्षतिग्रस्त अंश को ठीक करने में और चालू करने में लगभग 30 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।

11—दूसरी बार आग 14 दिसम्बर, 1983 को अपराह्न 1-45 बज तथा दो बजे के मध्य लगी थी जो यूनिट 12 के बाल मिल के ऊपर लगी थी जिससे लगभग ढाई मीटर लम्बे केबिल जल गये थे। उन्हें उसी दिन बदल दिया गया और इकाई को रात्रि में चालू कर दिया गया था।

12—यह प्रयास किया जा रहा है कि इस विद्युत गृह से अधिकाधिक बिजली उत्पादन करके बिजली की उपलब्धता बेहतर की जाये। यह निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट हो जायेगा कि इस वित्तीय वर्ष में ओबरा पावर स्टेशन की उत्पादन स्थिति तुलनात्मक रूप से अच्छी है—

प्लांटलोड फैक्टर	1982-83	1983-84
दिसम्बर में	47.7 प्रतिशत	67.0 प्रति0
जनवरी में	41.7 ,,	67 5 ,,
फरवरी में	45.0 ,,	59.6 ,,

13—ओबरा "बी" पावर स्टेशन पहली आग के फलस्वरूप 1,000 मेगा-वाट उत्पादन क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। बिजली उत्पादन में हुई इस कमी के कारण 13 नवम्बर, 1983 से उद्योगों और शहरी क्षेत्रों पर बिजली की कटौती लागू की गई। 210 मेगावाट की दो इकाईयों के शीघ्रता से पुनः चालू हो जाने के उपरान्त कटौती को लगभग डेढ़ माह बाद ही उद्योगों के हित में 26 दिसम्बर, 1983 से संशोधित कर दिया गया और इस समय उद्योगों पर कोई कटौती लागू नहीं है। कृषि क्षेत्र में कोई बिजली की कटौती लागू नहीं है और 7 घंटे प्रति दिन औसत शिड्यूल के अनुसार बिजली आपूर्ति की जा रही है। केन्द्रीय सरकार की आर्डिनेंस फैक्टरियों पर भी अन्य उद्योगों के साथ कटौती लागू की गयी थी जिसे दिनांक 15 दिसम्बर, 1983 को हटा दिया गया।]

श्री मुख्तार अनीस—

आज यह खेद का विषय है कि विद्युत के बारे में चर्चा होती है लेकिन सबसे ज्यादा लापरवाही और भ्रष्टाचार उसी में है। क्या यह सही नहीं है कि आग लगने से बहुत पहले ही सुबह इस बात की जानकारी हो गई थी कि फायर लग सकती है? मैं जानना चाहता हूं कि ओबरा के अन्दर जो फायर के लिए मशीनें हैं और उपकरण हैं, क्या वह तैयार थीं और सही हालत में थीं और कितनी देर के बाद उनका इस्तेमाल शुरू हुआ?

श्री ब्रह्मदत्त—

ओबरा में आग लगने वाली है, इसकी सूचना सरकार के पास तो नहीं थी और न जनरल मैनेजर के पास ही थी, माननीय सदस्य के पास हो सकती है। आशंका जाहिर की गई थी तोड़-फोड़ की। फायर बुझाने वाले इक्विपमेन्ट्स जिस हालत में होने चाहिए थे, नहीं थे। बिजली से चलने वाले यन्त्र थे। बिजली बन्द कर दी गई

थी । अतः बिजली के स्थान पर डीजल चालित यन्त्रों का इन्तजाम करना पड़ा ।

श्री यदुनाथ सिंह—

विद्युत मन्त्री जी ने बताया कि जनरेशन का प्लान्ट है, ताप विद्युत गृह है....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, प्रश्न ही कर रहा हूं, श्री ब्रह्मदत्त जी हेलीकाप्टर से चले जा रहे थे....

श्री अध्यक्ष—

मैं इस प्रकार के प्रश्नों की आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं केवल एक ही बात पूछना चाहता हूं कि कोलना जो ओबरा के बहुत नजदीक है, जहां पर पंडित लोकपति त्रिपाठी मौजूद थे, तो वहां से फायर ब्रिगेड की गाड़ी क्यों नहीं मंगाई गई जबकि अन्य दूर-दूर स्थानों जैसे पिपरी, हिन्डालको, वाराणसी और डाला आदि से गाड़ियां मंगाई गई, तो वहां कोलना से गाड़ी क्यों नहीं मंगाई गई और जबकि वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर और एस० पी०, मिर्जापुर भी वहां पर मौजूद थे ?

श्री ब्रह्मदत्त —

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का प्रश्न समझ नहीं सका ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, बहुत साफ मेरा प्रश्न है कि कोलना में जब डी० एम० और एस० पी० आदि अन्य व्यवस्था के लिए मौजूद थे क्योंकि वहां पर पंडित लोकपति जी और माननीय मुख्य मंत्री जी गए हुए थे और इन लोगों के वहां पर भाषण होने थे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं । आप बैठिए, आपको बाद में मौका दिया जायेगा, बहुत देर से आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने हमारे प्रश्न के उत्तर में बताया कि आग बुझाने वाली मशीन वहां पर खराब थी, इसलिए आग पर जल्दी से काबू नहीं पाया जा सका । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आग लगने के कितने घंटों के बाद आग बुझाने का काम वहां पर शुरू हुआ ? और दूसरी बात उन्होंने बताई कि आग इतनी भयावह थी जिसके कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पिपरी, हिंडालको, वाराणसी व डाला आदि से मंगाई गईं और जब इतनी गाड़ियां आयीं आग बुझाने की, तब भी 8 घंटे लगे उस आग पर काबू पाने में, इसके क्या कारण थे ? और तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जनरल मैनेजर जो वहां पर हैं, उन्होंने जब पहले कभी थर्मल पावर स्टेशन पर काम नहीं किया और उनको इसका अनुभव नहीं था तो उनको किसने और किस कारण पोस्ट किया ? यह बताने का कष्ट करें ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि वहां पर आग बुझाने व फायर फाईटिंग मशीन खराब थी बल्कि यह कहा था कि वहां और भी कई तरह के इक्युपमेन्ट होते हैं जो बिजली से चलते हैं और बिजली

के उस वक्त न होने से वह चल नहीं सकते थे, इसलिए वहां पर जो भी आग बुझाने का प्रबंध था, उससे भी किया गया और दूसरी जगहों से भी फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई, लेकिन फिर भी जो व्यवस्था तत्परता से होनी चाहिए थी वह नहीं हो सकी। यह मैंने कहा था।

श्री नरेशचन्द्र अग्रवाल--

माननीय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में लिखा है कि "इस घटना के कारणों के जांच हेतु शासन द्वारा तुरन्त 1 नवम्बर, 1983 को एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, तो मैं इस सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं कि इस समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कौन-कौन से अधिकारी दोषी पाए गए और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? और यदि नहीं, तो यह समिति कब तक अपनी रिपोर्ट देगी, इसके लिए कोई समय क्या आपने निश्चित किया है ? इसके साथ ही साथ आपने कहा है कि इसकी जांच सी० बी० आई० भी कर रही है, तो सी० बी० आई० की जांच कब तक समाप्त होगी और कब उसकी रिपोर्ट आएगी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

श्रीमन्, इस समिति की संक्षिप्त रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई और विस्तृत रिपोर्ट प्रतीक्षित है। इसमें कुछ ल.पर-वाही की भी बात आई है और कुछ तोड़फोड़ की आशंका व्यक्त की गई है। जनरल मैनेजर को भी कह दिया गया है कि वे इसको देखें और वहां पर अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अधि-शासी अभियन्ता और सहायक अभियन्ता निलम्बित किए गए हैं।

श्री यदुनाथ सिंह--

मैं थोड़े में प्रश्न कर रहा हूं कि जितनी दूर-दूर के फायर ब्रिगेड की गाड़ी आपने मंगाई, आखिर रोड पर गाड़ी के चलने की भी अपनी रफ्तार होती है तो मैं जानना चाहता हूं कि कोलना मिर्जापुर में जब गाड़ी उपलब्ध थी और लोकपति जो वहां मौजूद थे और ब्रह्मदत्त जी उड़कर जाने वाले थे, तो वहां से गाड़ी क्यों नहीं मंगाई गई ?

श्री ब्रह्मदत्त --

वहां पर सम्भावना यह थी कि लोक पति जी के ओज पूर्ण भाषण से कहीं आग न लग जाय इसलिए वहां पर गाड़ी का रहना जरूरी था।

(हंसी)

श्री रियासत हुसैन--

आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि 2 बजकर 5 मिनट पर अधिशासी अभियन्ता को आपरेटर ने धुआं उठने की सूचना दी तो जब अधिशासी अभि-यन्ता को यह सूचना मिली तो उन्होंने करीब से करीब जो हेडक्वाटर थे किस-किस अधिकारी को तथा फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए तथा डी० एम० और एस० एस० पी० को इसकी सूचना किस समय दी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

2 बजकर 5 मिनट पर आपरेटर ने यह सूचना दी कि इकाई संख्या 11 पर धुआं निकल रहा है। यूनिट 11 के जनरेटरों में भरी हुई हाईड्रोजन को निकाल दिया गया विस्फोट न होने पावे। इसके तुरन्त बाद अधिकारियों को और फायर ब्रिगेड को 2 बजकर 25 मिनट पर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को, 2 बजकर 20 मिनट पर कन्ट्रोल बोर्ड के स्विच को आफ कर दिया गया।

श्री रियासत हुसैन--

मेरा प्रश्न यह नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त —

पहले माननीय सदस्य उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लें तब उनको मालूम हो जायेगा कि इंस्ट्रूमेन्ट पंहुचने तक पहुचने में कितनी मुश्किल होती है । 5 बजकर 30 मिनट पर फायर बिग्रेड आई, पिपरी, हिन्डालको, वाराणसी और डाला से । साढ़े 6 बजे डीजल पम्प को बुला लिया गया ।

श्री रियासत हुसैन—

मैंने यह पूछा ही नहीं है । मेरा सवाल यह था कि 2 बजकर 5 मिनट पर जब अधिशासी अभियन्ता को सूचना मिली आग लगने के बारे में तो उन्होंने जिलाधिकारी को, एस० एस० पी० को तथा फायर बिग्रेड को यह जितनी भी चीजें हैं जो मिल सकती थीं वहां पर, तो उसके लिए उन्होंने किस वक्त सूचना दी कि शीघ्र ही ये सब चीजें वहां पहुंचे ?

श्री ब्रह्मदत्त—।

जिस समय यह सूचना मिली कि आग लगी है, सवा दो बजे से सूचना देने का काम शुरू हो गया था ।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि ओवरा विद्युत गृह की पूरी केबिल लाईन जल गई है, क्या यह बात सच है ? और क्या यह भी सच है कि जैसा मंत्री जी ने कहा है कि इसकी मरम्मत करने पर 30 करोड़ रु० की धनराशि जो मंत्री जी ने बताई है वह गलत है क्योंकि इसकी मरम्मत के लिए आपको कम से कम 100 करोड़ रुपये की जरूरत है ?

क्योंकि माननीय, पूरी लाइन को ठीक करने के लिए पूरी लाइन बिछाई जानी है, उसको तोड़ना पड़ेगा और नये सिरे से केबिल लाइन बिछानी है । केन्द्रीय मंत्री ने बताया है कि 30 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ है । क्या यह सही है कि 106 करोड़ से ज्यादा खर्च इसकी मरम्मत में होगा ? माननीय, जिस दिन आग लगी उस दिन अधिशासी अभियन्ता मैच देखने चले गये थे और दूसरा कोई अधिकारी वहां पर नहीं मिल रहा था, क्या यह बात सच है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

100 करोड़ की बात सही नहीं है। पूरा एस्टीमेट मेरे पास लिखा हुआ है । 30 करोड़ की ही बात सही है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

केन्द्रीय मंत्री ने लोक सभा में कहा था कि इसकी न्यायिक जांच करायी जायेगी तो सरकार द्वारा न्यायिक जांच न कराने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

चूंकि तोड़-फोड़ की आशंका व्यक्त की गयी है, इसलिए सी० बी० आई० की जांच जरूरी है, ताकि सभी चीजें स्पष्ट हो जाय ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वहां पर तोड़-फोड़ की आशंका है, क्या आग लगने की संभावना पहले से थी और लगने के पूर्व कितने एक्जीक्यूटिव आफिसर छुट्टी पर थे, कौन-कौन से लोग आग लगने के पहले छुट्टी पर थे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

आशंका तो हर जगह पर आग लगने की रहती है, कौन-कौन छुट्टी पर थे, मुझे पता नहीं लेकिन जो लोग ड्यूटी पर थे, वह उपस्थित थे ।

श्री सरदार सिंह—

अभी माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि फायर फाइटिंग अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे थे इसी तरह से

मथुरा के अस्पताल में जब आग लगी तो वहां पर भी वह काम नहीं कर सके और जब रिफाइनरी से आये तो आग बुझ गयी, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि फायर फाइटिंग की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ? गाड़ियों में या तो पानी नहीं रहता है, या कोई और खराबी रहती है, तो क्या उनमें सुधार करने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

हर जगह वह फेल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। यह हो सकता है कि आग लगने की दशा को देखते हुए वह कम हों, इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं।

श्री मुख्तार अनीस--

माननीय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो वहां पर जनरल मैनेजर नियुक्त हैं, वह कभी थर्मल प्लान्ट में काम नहीं किये हैं, उनको वहां का अनुभव नहीं है । वह अनुभवहीन हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त--

जनरल मैनेजर बनाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह थर्मल प्लान्ट में काम कर ही चुका हो ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां पर जो उच्च अधिकारी हैं, वह कितने वर्षों से हैं और क्या यह सच है कि जान-बूझकर उसको जलाया गया है ।

श्री ब्रह्मदत्त--

यह सी० बी० आई० की इन्क्वायरी से पता चल जायेगा ।

श्री यदुनाथ सिंह--

माननीय, वहां पर जनरल मैनेजर के खिलाफ गुटबन्दी है, उस समय एक्जीक्यूटिव इंजीनियर मौजूद नहीं थे, वह क्रिकेट मैच देखने गये थे । कंबिल गैलरी से दुर्घटनाग्रस्त होता है । दुर्घटनाग्रस्त की जिम्मेदारी एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर की होती है, तो क्या वह वहां पर उपस्थित थे या नहीं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

नाम मुझे मालूम नहीं है, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (ऑपरेशन) मौजूद थे।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं में बालिकाओं के परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

*शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राय साहब)--

[माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली नीति परिषद् की परीक्षा समिति द्वारा संस्तुति की जाती है। वर्ष 1984 की परिषदीय परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा संस्तुत एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ही जिला विद्यालय निरीक्षकों से परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण का प्रस्ताव मंगाकर बालक और बालिका परीक्षार्थियों के केन्द्र निर्धारित किये गये हैं। केन्द्र निर्धारण के सम्बन्ध में इस वर्ष अपनायी गयी नीति के अनुसार संस्थागत तथा व्यक्तिगत बालक और बालिका सभी परीक्षार्थियों को उनके विद्यालय/पंजीकरण केन्द्र पर परीक्षा हेतु आवंटित नहीं किया जाना है । इसी सामान्य नीति के अनुसार परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण की कार्यवाही की गई है ।

2--परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में परीक्षार्थियों का आवंटन करते समय यथा

नोट--[ ] यह अंश छपा आ माना गया।

सम्भव उनके विद्यालय के निकटस्थ केन्द्रों पर परीक्षा देने की सुविधा किये जाने की व्यवस्था की गयी है। जहां कहीं समीप में परीक्षा केन्द्र के लिए उपयुक्त विद्यालय उपलब्ध नहीं रहे हैं केवल उन्हीं स्थानों पर ही परीक्षार्थियों को कुछ दूर जाना पड़ा है। बालिकाओं की नीति के अनुसार उनके विद्यालय के केन्द्र से हटाकर स्थानीय रूप से उपलब्ध दूसरे निकटवर्ती केन्द्र पर परीक्षा देने की सुविधा प्रदान की गयी है किन्तु जहां स्थानीय रूप से दूसरे विद्यालय केन्द्र नहीं रहे हैं वहां अन्यत्र आवंटित करते समय यथा सम्भव समीपस्थ केन्द्रों पर ही आवंटन किया गया है और प्रयास किया गया है कि बालिकाओं को अनावश्यक रूप से दूर के केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न जाना पड़े।

3—वर्ष 1983 की परीक्षाओं में परीक्षा केन्द्रों पर अनुचित साधन प्रयोग के मामलों में अत्याधिक वृद्धि को देखते हुए अनुचित साधन प्रयोग पर नियंत्रण पाने तथा परीक्षा की पवित्रता को बनाये रखने के लिए स्वकेन्द्र पर परीक्षा देने की नीति में परिवर्तन किया गया है और वर्ष 1981, 1982 तथा वर्ष 1983 में किसी वर्ष को परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग के लिए दण्डित/आरोपित विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने के निर्णय के फलस्वरूप बालिकाओं को 8 कि0 मी0 की परिधि में परीक्षा देने की सुविधा उपलब्ध कराने में कहीं-कहीं कठिनाई अवश्य आई है परन्तु फिर भी बालिकाओं को समीपस्थ एवं सुविधाजनक केन्द्रों पर ही आवंटित करने का यथा सम्भव प्रयास किया गया है।

4—अब इस समय जब कि परीक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था पूरी की जा चुकी है तथा निर्धारित केन्द्रों के अनुसार प्रश्न पत्रों की थैलाबन्दी कराकर उन्हें परीक्षा केन्द्रों पर भेजे जाने की कार्यवाही लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसी दशा में अब केन्द्र निर्धारण की नीति में परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में यह भी ज्ञातव्य है कि जिन फर्मों से परीक्षाफल तैयार कराने का अनुबन्ध हुआ है उनसे समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी परीक्षार्थियों के विवरण मुद्रित होकर प्राप्त हो गये हैं और प्रदेश के समस्त विद्यालयों/केन्द्रों को प्रेषित कर दिये गये हैं अस्तु केन्द्र निर्धारण की नीति में परिवर्तन किये जाने से जहां परीक्षा व्यवस्था में भारी व्यवधान उत्पन्न होगा वहीं भारी संख्या में परीक्षार्थियों के परीक्षाफल भी अपूर्ण रहने की सम्भावना रहेगी। इस स्थल पर यह भी सूच्य है कि ग्रामीण अंचलों में स्थित थोड़े से ही विद्यालय ऐसे हैं जहां सह परीक्षा की व्यवस्था है और शेष विद्यालयों की परीक्षार्थियों को विगत वर्षों में भी अपने विद्यालय से भिन्न विद्यालय पर परीक्षा देने हेतु निर्धारित किया जाता रहा है और वहां पर उनकी परीक्षायें होती रही हैं।

5—ग्रामीण अंचलों में स्थित विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं की कठिनाई को दूर करने तथा उन्हें समीपस्थ विद्यालयों पर परीक्षा देने की सुविधा देने की दृष्टि से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया है और परीक्षा की सम्पूर्ण तैयारी पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी जहां कहीं सम्भव रहा है, परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन किया गया है तथा नये परीक्षा केन्द्र निर्धारित कर दिये गये हैं।]

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कल जो उन्होंने भाषण दिया था और आज जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, क्या दोनों एक ही हैं या दोनों में विरोधाभास है?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, विरोधाभास नहीं है। कल जो माननीय सदन को सूचना दी गई

थी, उसी के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, ऐसा है कि कल माननीय मंत्री जो ने कहा था जिसे आप कार्यवाही मांगकर देख लें, उन्होंने उदाहरण भी दिया था कि लखनऊ की बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र अगर बख्शी का तालाब हो तो उसमें परिवर्तन कर दिया जायेगा और कस्बों का परीक्षा केन्द्र कस्बों में ही रहेगा लेकिन बाकी शेष में परिवर्तन कर देंगे । उन्होंने स्पष्ट कहा था । आज उसके बारे में अखबारों में भी निकल गया जिससे पूरे प्रदेश की लड़कियां समझ गयीं कि अब छात्राओं का परीक्षा केन्द्र अपना विद्यालय ही होगा । इसमें आपने लिखा है कि जिन्होंने प्रत्यावेदन दिये हैं उनका केन्द्र बदल दिया गया है । तो मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रत्यावेदन देने की कोई तिथि थी जो स्वयं आपने मांगी थी ? जब कि परीक्षा समिति ने 3-3-84 की अपनी मीटिंग में सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पास किया था कि अब उनको ही केन्द्र बनाया जाय ? तो कौन सा भाषण आपका सत्य है ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, यह जो छपा है वह हमारी पहली नीति निर्धारित होने के मुताबिक छपा था और कल जो स्टेटमेंट हुआ है उसके अनुरूप कल से ही कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

श्री अध्यक्ष—

पहले आप बैठिये । माननीय शिक्षा मंत्री कल जब अनुदान पर बोल रहे थे, उन्होंने जो भाषण दिया था उसे सभी माननीय सदस्यों ने सुना था । यहां आने से पहले क्या आपने उसकी देखभाल कर ली थी या नहीं ?

श्री राम सिंह—

जी हां, कर ली है ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो बता रहे हैं कि कल जो बात कही गई थी वह इसमें नहीं है ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, इसको देख लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

जो शिक्षा मंत्री ने कल कहा है उसे वे देखेंगे और दोनों चीजों को देखकर किसी निर्णय पर पहुंचेंगे ।

श्री राम सिंह—

मान्यवर, ठीक है ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, 20 तारीख से परीक्षायें शुरू हो रही है । आपने कल यहां पर एक घोषणा की, सदन में बात आ गई, रेडियो में आ गया और आज से आप यह व्यवस्था करेंगे तो हम लोगों को सूचना कैसे मिलेगी ? सदन कल बन्द हो जायेगा । अगर आप इस पर निर्णय नहीं करते तो बड़ा हंगामा मचेगा । इसलिए मान्यवर, इन्हें निर्देशित कर दें ।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोक पति)—

माननीय सदस्य ने जो बात उठाई कि बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र कहां रहे ? कल के बजट भाषण के दौरान माननीय शिक्षा मंत्री ने यह कहा था कि छात्राओं का केन्द्र वहीं रहेगा जहां वे पढ़ती हों, उनको नहीं हटाया जायेगा अगर उसके आदेश शासन ने कल प्रसारित कर दिए । यह प्रश्न हमने नहीं किया, यह माननीय सदस्य ने उठाया । आज जो सूचना दी गई है वह कल के भाषण के पूर्व की सूचना है । कल की बात में और इसमें नीति में परिवर्तन है जोकि मान्यवर, आपकी आज्ञा से कल भी अवगत करा दिया गया और आज भी माननीय सदस्य के उत्तर में अवगत कराया जा रहा है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय मंत्री जी का ध्यान उनके वक्तव्य के पृष्ठ दो के पैरा 3 की तरफ दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण पाने के लिए तथा परीक्षा की पवित्रता को बनाये रखने के लिए नीति में परिवर्तन किया गया है और जिन विद्यालयों को अनुचित साधन के उपयोग के लिए दंडित किया गया है उनको परीक्षा केन्द्र नहीं बनायेंगे। तो मेरी जानकारी को सही मान कर बस्ती के लालगंज और कुरयाल ऐसे विद्यालय हैं जिनके प्रिंसिपल्स ने रुपया लेकर नकल करवाई, यह सिद्ध हो गया है। उसके बावजूद नेताओं के दबाव पर वहां परीक्षा केन्द्र बनाये गए हैं। तो क्या इस नीति के अन्तर्गत उनके परीक्षा केन्द्र परिवर्तित करेंगे ?

श्री लोकपति--

जी नहीं।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि यह स्टेटमेंट कल की नीति की घोषणा के पहले का है। जब पहले का है तो फिर उस पर विचार क्यों कर रहे हैं ? कल की घोषणा के बाद का स्टेटमेंट देना चाहिये। यह जो सवाल पूछे जा रहे हैं यह निरर्थक हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह सूचना पहले की है। फिर भी मैंने मंत्री जी को आदेश दिया है और जैसा स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे।

श्री लोकपति--

मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कल के बजट भाषण के बाद, माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा एक नीति को सदन के सम्मुख रख देने के उपरांत आज इस चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं थी। मगर चूंकि श्रीमन् ने समय दे रखा था और उसे सदन ने स्वीकार कर लिया था, इसलिए चर्चा हो रही है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, इसमें आपकी व्यवस्था जरूरी है। कल जब नीति में परिवर्तन हो गया और परसों वाला स्टेटमेंट सदन में आये इस पर सदन का समय क्यों ले रहे हैं, इसे समाप्त करें। परसों का तैयार किया हुआ स्टेटमेंट निरर्थक है, दूसरा लें।

श्री अध्यक्ष--

आप और स्पष्टीकरण कर लीजिये।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मैं कह रहा हूं कि इस पर विचार हो नहीं सकता है।

श्री अध्यक्ष--

जब मैंने किसी बात की आज्ञा दे रखी है तो इस पर विचार हो रहा है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, आपको भी नहीं मालूम था कि यह पुराना है और नीति बदल गई है, सत्य का उद्घाटन तब हुआ जब माननीय मंत्री जी ने कहा तब आपको जानकारी में आया। नीति बदल गई है इस जानकारी के बाद आप व्यवस्था दें क्यों इस पर बहस करवा रहे हैं ?

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन, जब कल घोषणा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कर दी और यह कल शाम आपके कार्यालय में आया होगा या आज सुबह आया होगा। जब परिवर्तित नीति की घोषणा माननीय मंत्री जी ने कर दी तो उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट इस सदन में नहीं आना चाहिये

था। जो घोषणा की थी उसके अनुसार आना चाहिये था।

श्री लोकपति—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से प्रदेश में बालिकाओं के हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट के परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन किए जाने के सम्बन्ध में श्री रुद्र प्रताप सिंह द्वारा दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य एजेंडा में आ गया। जिस दिन माननीय रुद्र प्रताप सिंह ने यह प्रश्न किया था उस दिन यह स्थिति थी। कल माननीय शिक्षा मंत्री ने सदन की भावनाओं को देखते हुए उसे स्वीकार करते हुए बालिकाओं के इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के केन्द्रों के सम्बन्ध में एक नीति की घोषणा की थी। और यह पुराना प्रस्ताव था जिसको माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार किया था और जिसके लिए माननीय रियासत हुसैन और उनके साथियों ने कार्यमंत्रणा समिति के माध्यम से इसे यहां रखा है। हमारा जो वक्तव्य था, वह दे चुके थे। मान्यवर, श्री रुद्र प्रताप सिंह के पत्र पाने के बाद और उसमें संशोधन आज हम कर सकते थे और कल यह बात सदन में आ गई थी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी, कल माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने भाषण में कुछ निर्णय देते हुए सदन को अवगत कराया था। यह स्टेटमेंट आज है, यह पुराना है, मैं इसको मानता हूं लेकिन जो बातें मन्त्री जी द्वारा कल कही गई वह इसमें शामिल होना चाहिये था, इसलिए आज आपने जो बात कह दी है और जो कल निर्णय हुआ था, शिक्षा मंत्री ने कहा था, उसकी प्रतिलिपि भी माननीय सदस्यों को भेज देंगे।

श्री लोकपति—

ठीक है, भेज देंगे।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी वक्तव्य के सम्बन्ध में प्रथम पृष्ठ में कहा गया है कि परिषद् की परीक्षा समिति द्वारा संस्तुत केन्द्रों का निर्धारण जिला विद्यालय निरीक्षकों की आख्या पर किया जाता है और इस वर्ष भी ऐसा कराया गया। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इंटरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट की धारा 9 की उपधारा 4 का प्रयोग करके परीक्षा समिति के निर्णयों को नहीं बदला है?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, प्रश्न स्पष्ट कर दें।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या परीक्षा समिति के निर्णयों के अनुसार ही केन्द्र निर्धारित किये गए या इंटरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट की धारा 9 के उपधारा 4 के अनुसार शासन ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके उनमें परिवर्तन किया।

श्री राम सिंह—

मान्यवर, नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

आगरा नगर के नलों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पीले रंग के पानी की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

*पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

आगरा नगर की पेयजल की आवश्यकता यमुना नदी से पानी लेकर पूरी की जाती है, क्योंकि इसके अतिरिक्त जल सम्पूर्ति का दूसरा स्रोत नहीं है। यमुना नदी का जल स्तर कम हो गया है। [इसका कारण यह है कि ओखला पर बैराज बना कर देहली नगर की निरन्तर बढ़ती हुई जल की मांग की

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया

पूर्ति हेतु वहां की यमुना नदी का अत्यधिक जल रोक लिया जाता है। ओखला बैराज के बाद में इस नदी का जल प्रवाह नगण्य रह जाता है, जिसके कारण आगरा के निकट यमुना नदी में उपलब्ध जल की मात्रा निरन्तर कम होती जा रही है।

इस नदी का जल स्तर कम होने के बावजूद देहली से आगरा तक नालों एवं कारखानों इत्यादि का उत्प्रवाह भी आगरा के निकट यमुना नदी के जल को प्रदूषित करता रहता है तथा इस जल में जब मथुरा एवं वृन्दावन के साड़ियों के रंगने वाले कारखानों का उत्प्रवाह मिलता है तो यमुना नदी का जल प्रदूषण के साथ-साथ रंगीन भी हो जाता है, जिससे कि आगरा के नागरिकों का भयग्रस्त होना स्वभाविक है। गत माह में आगरा के निकट यमुना नदी में जल की मात्रा बहुत कम हो गयी थी और उसमें मथुरा एवं वृन्दावन के साड़ी रंगने वाले कारखानों का उत्प्रवाह मिला तो यह जल गहरे पीले रंग का हो गया। इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जल संस्थान, आगरा दिनांक 11 फरवरी, 1984 को मथुरा गये और उन्होंने वहां यमुना नदी का जल पूरी तरह दूषित पाया जैसा कि ऊपर बतलाया गया है कि मथुरा एवं वृन्दावन में रंगीन साड़िया यमुना नदी में धोयी जाती है तथा साड़ियों के कारखानों का रंगीन दूषित उत्प्रवाह नदी में प्रवाहित किया जाता है। महाप्रबन्धक, जल संस्थान, आगरा द्वारा मथुरा में यमुना नदी में साड़ियों के धोये जाने पर एवं कारखानों के रंगीन जल को यमुना नदी में बहाने पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट मथुरा से दिनांक 11 फरवरी, 1984 के पत्र द्वारा अनुरोध कर दिया गया है तथा सदस्य-सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को इस समस्या के निवारणार्थ तुरन्त उचित कार्यवाही करने हेतु दिनांक 16 फरवरी, 1984 के पत्र द्वारा अनुरोध कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, आगरा ने क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड आगरा को अपने पत्र दिनांक 16 फरवरी, 1984 के माध्यम से यह अनुरोध किया है कि वे मथुरा एवं वृन्दावन के कारखानों के रंगीन पानी के उत्प्रवाह को यमुना नदी में डालने से रोकने हेतु युद्ध स्तर पर कार्यवाही करें।

यमुना नदी में मथुरा नगर में रंगीन साड़ियों की धुलाई पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु शासन द्वारा जिलाधिकारी, मथुरा का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

गत माह में लगभग एक सप्ताह आगरा में, मथुरा में नदी का जल गहरे पीले रंग का हो गया था। आगरा नगर की जनता को यमुना नदी के जल को जो गहरे पीले रंग का हो गया था, बड़ी कठिनता से जल संस्थान के उपलब्ध साधनों द्वारा साफ करा कर जल सम्पूर्ति की गयी। इस अवधि में साफ किये हुये जल का निरन्तर जल संस्थान की प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण किया गया और उसे नागरिकों के उपयोग हेतु उपयुक्त पाने पर ही नगर में सप्लाई किया गया। अतः यह कथन सही नहीं है कि नगर में दूषित जल की संम्पूर्ति की गयी।]

श्री बिजय सिंह राना--

मान्यवर, यह जो रिपोर्ट आयी है वह झूठी और तथ्यहीन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट किसके माध्यम से आपके पास आयी है और जांच करने वाले कौन थे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, यह रिपोर्ट सचिव, ग्राम्य विकास ने भेजी है। जो विभाग का सचिव होता है वही रिपोर्ट भेजता है।

श्री विजय सिंह राना—

जिले से किसने भेजा है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, मेरे पास इस समय यहां पत्रावली नहीं है लेकिन यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो वह हमारे चैम्बर में आ जायं, तो उनको हम पत्रावली दिखा देंगे। संभवत: रिपोर्ट प्रशासक के हस्ताक्षर से आयी होगी।

श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि रिपोर्ट वहां के जल संस्थान के प्रबन्धक ने भेजा है। जल संस्थान के महा-प्रबन्धक का बयान अखबार में आया है जिसमें उनका कथन है कि "पोला पानी हानिप्रद नहीं है।" यह अखबार में हेडिंग है और उसमें लिखा है कि यमुना नदी में स्याह पीले रंग का पानी आने के कारण जनता को आपूर्ति किये जाने वाले पेयजल में भी रंग का प्रभाव है। आगे लिखा है—यह जल स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं है। जनता इस रंग को देख कर भयभीत न हो।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में यह जो वक्तव्य की प्रति है उसमें अपने आप में स्वयं में, विसंगति है। इसमें लिखा हुआ है कि जल संस्थान की प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण किया गया और उसे नागरिकों के उपयोग हेतु उपयुक्त पाये जाने पर ही नगर में सप्लाई किया गया और पीछे वक्तव्य में कहा गया है कि यमुना नदी का जल गहरे पीले रंग का हो गया था और पहले पेज पर लिखा है कि यमुना नदी का जल प्रदूषण के साथ रंगीन भी हो जाता है, तो यह मन्त्री जी का बड़ा विसंगतिपूर्ण वक्तव्य है। तो मान्यवर, मेरा यह कहना है कि पीला रंग हो जाना और रंगीन हो जाना दो अलग-अलग बातें हैं। जो यह लिखा है कि रंगीन हो गया है, उससे इनका इशारा इस दोषारोपण से है कि मथुरा में जो साड़ी रंगी जाती है, उनकी वजह से आगरा का जल रंगीन हो जाता है। तो मथुरा में साड़ियां पीले रंग की ही नहीं रंगी जाती हैं, हर रंग की रंगी जाती हैं और हर तरह का रंग मिलकर काला रंग बनता है, पीला रंग नहीं बनता है। तो यह पीला रंग कैसे हो गया ? इस लिए यह तथ्यपूर्ण रिपोर्ट नहीं है।

आगरा के इस पीले रंग के और दूषित जल के सम्बन्ध में प्रोफेसर के0 डी0 शर्मा की रिसर्च रिपोर्ट आई है, जिसे उन्होंने अपने शोध ग्रन्थ 'यमुना रीवर वाटर पलूशन ऐन्ड इट्स इफेक्ट आन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइड टू आगरा सिटी' में व्यक्त किया है। उसमें उन्होंने साफ-साफ लिखा है कि आगरा में यमुना नदी में जो जल मिल रहा है वह मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है और यदि इसके सबंध में शीघ्र ध्यान नहीं दिया जायेगा तो यहां भी वही स्थिति पैदा हो सकती है, जो 1957 में दिल्ली में हुई थी, जहां 10 हजार आदमी गंदा पानी पीकर मर गये थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस जल में एलगी और बैंगोयटा ज्यादा मिलते हैं, जिसके कारण इसका रंग पीला हो जाता है। इस सम्बन्ध में आगरा के पानी का कल्चरल टैस्ट रिपोर्ट जो है वह मेरे पास है और मैं उसे मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। उसकी पहली बात यह है कि पानी में मिलाने वाला बायोकेमिकल आक्सीजन डिमाण्ड, जिसे बी0 ओ0 डी0 कहते हैं का इन्टरनेशनल स्टैन्डर्ड है 6 मिलीग्राम प्रति लीटर, जबकि इस समय यमुना के पानी में आगरा में यह बी0 ओ0 डी0 2 से 5 सौ मि0 ग्रा0 प्रति लीटर मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिये, बहुत देर से क्या कर रहे हैं ?

श्री विजय सिंह राना—

दूसरी बात यह है कि केमिकल आक्सीजन डिमाण्ड, जिसे संक्षेप में

सी० ओ० डी० कहते हैं का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर है 10 मि० ग्रा० प्रति लीटर, जबकि यह आगरा के यमुना के पानी में एक हजार से पन्द्रह सौ मि० ग्रा० प्रति लीटर मिल रहा है। तीसरा है एम० पी० एन० इन्डेक्स, इसके बारे में यह है कि 100 मि० ली० में यह 5 हजार से अधिक है तो पानी पीने के लायक नहीं रह जाता है, पर आगरा में यह 24 लाख प्रति हन्ड्रेड मिली लीटर मिल रहा है। इस लिए यह पानी जहर के समान है। यह रिपोर्ट भारत सरकार को पेश की गयी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि डा० के० डी० शर्मा की जो रिपोर्ट गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को पेश की गयी है, क्या वह उसको सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? और जो रसायनिक परीक्षण हुआ है क्या उसकी कल्चरल जांच रिपोर्ट आपके पास उपलब्ध है? यदि है, तो क्या उसकी विधान सभा के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री बलराम सिंह यादव--

राना जी ने काफी ऐसी बातें कही हैं और उन्होंने अखबारों को रिपोर्ट भी दी है और उन्होंने थोड़ी बहुत विज्ञान सम्बन्धी बातें कही हैं तो मैं विज्ञान का...

श्री अध्यक्ष--

आपको पता है वह कहां के रहने वाले हैं?

एक सदस्य--

आगरा के।

श्री विजय सिंह राना--

लेकिन शिकारपुर की हम बराबरी नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

पर वह तो हिन्दुस्तान भर में मशहूर है।

(व्यवधान)

श्री बलराम सिंह यादव--

दूसरे हमको यह भी जानकारी नहीं है कि किस वैज्ञानिक के जिम्मे यह काम दिया गया है? क्या सरकार ने उसको इस प्रकार का इन्वेस्टीगेशन करने के लिए नियुक्त किया गया था या उसने स्वतः इन्वेस्टीगेशन करके अपनी रिपोर्ट दिया है। फिर भी यदि उसने शासन को कोई रिपोर्ट भेजी है तो हम उस पर विचार करा सकते हैं। जहां यह समस्या है यदि आवश्यक हुआ और जो हमारे पास उपलब्ध सूचना है, उसके अनुसार आगरा नगर का पानी बाकायदे उसमें केमिकल्स डालकर, उसका शुद्धीकरण करके, ट्रीटमेंट करके ही शहर में भेजा गया है और ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। यह हो सकता है कि जो पानी मथुरा से आता है उसकी वजह से उसका रंग पीला हो जाता हो और यह बात अपनी जगह सही हो जाती है।

(व्यवधान)

श्री आजाद कुमार कर्दम--

माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम होगी कि आगरा के निवासी काफी लम्बे समय से गन्दे पानी को पीते चले आ रहे हैं और कई बार यह मामला विधान सभा तथा लोक सभा में उठ चुका है....

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न क्या है?

श्री आजाद कुमार कर्दम--

पिछली बार माननीय नगर विकास मंत्री ने वहां जनता को और जन प्रति-प्रतिनिधियों को यह आश्वासन भी दिया था कि...

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। माननीय नगर विकास मंत्री जी, आप कृपया आगरा के माननीय सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाकर

उनकी बातें सुनें और उसके बाद कोई निर्णय इस समस्या के समाधान के लिये लें ।

(व्यवधान)

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया है कि सम्बन्धित जिलाधिकारी, मथुरा की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के आदेश दिये जा चुके हैं । इसके अलावा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को भी लिखा जा चुका है । मगर आज तक इन अधिकारियों ने उन आदेशों का पालन नहीं किया है । तो जिन अधिकारियों ने उन शासनादेशों का पालन नहीं किया है, क्या मंत्री जी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे क्योंकि यमुना में सड़ी रंगने वाले कारखानों का पानी अब भी आ रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मैंने कहा है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए जिलाधिकारी को लिख दिया गया है ।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल--

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात को देखते हुए कि गन्दा पानी यमुना में पहुंचता है सरकार ने आगरा के लोगों के पीने के पानी के लिये कोई वैकल्पिक योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, किसी वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी तो इस समय मुझे नहीं है, लेकिन यह मामला गम्भीर है और इसकी गम्भीरता को देखते हुए, जैसा कि अपने निर्देश दिया है, मैं आगरा के माननीय सदस्यों को बुलाकर परामर्श करूंगा और अपने अधिकारियों को भी बुला लूंगा और जितना सम्भव होगा पूरा प्रयास करूंगा इसके लिये ।

श्री बिजय सिंह राना--

मान्यवर, 1979 में जल संस्थान की स्थापना की गयी । स्टाफ इसमें बहुतायात रखा गया है, पर इसमें क्वालिटी कन्ट्रोल विभाग नहीं है ।

मान्यवर, तो मैं पहले यह पूछना चाहता हूं कि आप क्वालिटी कन्ट्रोल को बढ़ाने की स्थिति में नहीं है ? दूसरी बात यह है कि जैसा कि माननीय जिन्दल ने कहा वहां पहले से 3 योजनायें प्रस्तावित हैं । एक योजना ताजमहल के नीचे बैराज बनाकर पानी संचय करने की योजना है । यह 40 करोड़ रुपये की है । दूसरी योजना चंबल से पानी लिये जाने की है । यह योजना 45 करोड़ रुपये की और शासन के विचाराधीन है । तीसरी योजना यमुना की बेल्ट में ट्यूबवेल लगाकर पानी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में यह भी शासन के विचाराधीन है । आपका कहना है कि कुल बजट 52 करोड़ रुपये का मिलता है और 40 करोड़ रुपये की योजना है । मेरा कहना है कि यह जनता के जीवन से सम्बन्धित प्रश्न है । दिल्ली में 1957 में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी और 10 हजार आदमी मरे थे । वही स्थिति आगरा में आप क्यों करना चाहते हैं ? आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें और इन तीनों योजनाओं में से किसी एक योजना को चरितार्थ करें । अगर इसमें से किसी योजना पर आप विचार कर रहे हैं तो यह कार्य कब तक कर देंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, यह मामला एक बहुत ही बड़े फाइनेंसियल इन्वाल्वमेंट से सम्बन्धित है । माननीय सदस्य के जो सुझाव हैं वह बहुत अच्छे हैं । सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचारित रूप से विचार करेगी ।

श्री सरदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं···

श्री ऊदल—

मान्यवर, आगरा के माननीय सदस्यों की जांच करा दीजिये ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने विदेशी पर्यटकों और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिये गाइड बुक में लिखा है कि वह आगरा का पानी न पियें ? तो यह कौन सा आधार है जिसकी वजह से विदेशी पर्यटकों से कहा गया है कि वह आगरा का पानी न पियें ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, इसकी जानकारी माननीय सदस्य को ही होगी । मुझे इसकी जानकारी नहीं है, इसलिये इसका उत्तर देने की स्थिति में मैं नहीं हूं ।

(मद संख्या 18 पुकारे जाने पर)

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय उपाध्याय जी, जरा खड़े हो जायं । मैंने आपको अपने कक्ष में बुलाया था । उसके बाद यू० पी० निवास में आपसे बात हुयी थी लेकिन आपने कोई परवाह नहीं की । कल साढ़े 10 बजे मुझसे मिलें ।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

मान्यवर, व्यवस्था का मेरा प्रश्न यह है कि केन्द्रीय सरकार ने बाहरी पर्यटकों को आगरे का पानी पीने से मना किया है और मंत्री जी को उसकी जानकारी नहीं है । मंत्री जी सदन को धोखे में रख रहे हैं, उनको केन्द्रीय सरकार के निर्देश की जानकारी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ?

श्री बदन सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984†

पंचायती राज एवं ग्राम विकास राज मंत्री (श्री रामसजीवन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह जिला परिषद् की अल्पकालिक व्यवस्था जो है वह 1977 से लागू की गयी थी और इस व्यवस्था के अन्तर्गत जिला परिषद् के अध्यक्ष के अधिकार जिलाधिकारियों को सौंपे गये थे । मान्यवर, वर्ष 1983 के जुलाई माह से हमारी सरकार ने जिला परिषद् में जन प्रतिनिधियों को बैठाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में चुनाव की प्रक्रिया शुरू की थी । मान्यवर, कुछ दिक्कतों की वजह से वह चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं करवा सके ।

श्री भोखा लाल—

दिक्कतें क्या हैं, जरा इक्सप्लेन कर दें ।

श्री राम सजीवन सिंह—

मान्यवर, उन दिक्कतों के बाद हमारे प्रदेश में लोक सभा तथा विधान सभा के उप चुनाव आ गए । इधर हमारा बजट सत्र भी प्रारम्भ हुआ, साथ ही लोक सभा का सत्र भी प्रारम्भ हुआ,

†दिनांक 9 मार्च, 1984 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

जिसके कारण हम समय से चुनाव नहीं करा पाये। और यह व्यवस्था 31 मार्च, 1984 तक के लिए स्वीकार हुई थी। मान्यवर, 31 मार्च, 1984 में अब अधिक दिन नहीं रहा। इन तिथियों में मान्यवर, मैं चुनाव कराने में असमर्थ हूं। इसलिए मान्यवर, मेरा सदन से अनुरोध है कि यह कोई विवादग्रस्त विषय नहीं है, मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करूंगा कि निर्विवाद 31 मार्च, 1985 तक के लिए, इस व्यवस्था को स्वीकार करने की कृपा करें।

*श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984 जनमत संग्रह के लिए एक सप्ताह तक परिचालित किया जाय।

मान्यवर, इसको जनमत संग्रह के लिए परिचालित करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि सदन में इनका बहुमत है, जो जनता की भावनाओं से अवगत नहीं रह गया है, इसलिए सर्वोपरि शक्ति जनता ही इसका निर्णय कर सकती है कि एक वर्ष के लिए सरकार को चुनाव स्थगित करने का अधिकार दिया जाय अथवा नहीं। जनभावनाओं के विपरीत यदि कोई काम लगे कि हो रहा है, तो हमें जनता के पास उसकी राय लेने के लिए जाना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इसे जनता में पहुंचा दिया जाय, तो जनता इसका सही निर्णय कर देगी और वही हमें मान्य होना चाहिए और अगर जनता कहे कि इसका समय बढ़ा दिया जाय, तो हमें स्वीकार है। लेकिन आप यहां के बहुमत के बल पर जो पास कराना चाहते हैं, उसे उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह जनभावनाओं से दूर है।

मान्यवर, जिला परिषद् न होने से नुकसान कितना हो रहा है, इसकी कल्पना करें। जिला परिषद् इस वक्त कलेक्टर के अधिकार में है, जो एक अधिकारी है, चुना हुआ व्यक्ति नहीं है। चुना हुआ व्यक्ति जनता की भावनाओं के अनुरूप चलता है, जिसकी अपेक्षा कलेक्टर से नहीं की जा सकती। यह काम में सहायक तो हो सकते हैं, नीति निर्देशक या नीति नियंत्रक नहीं। प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं के दो तिहाई अध्यापक नियमित रूप से अपनी पाठशाला में पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। प्रदेश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरे पास बहुत से लोग आये थे, लेकिन मैंने कहा कि इन सब लोगों की शिकायत मैं अकेले कैसे दूर कर सकता हूं। उप जिला विद्यालय निरीक्षक पैसे ले लेता है और अध्यापक मौज उड़ाते रहते हैं, पढ़ाने नहीं जाते हैं, अपने घर का काम करते हैं और तनख्वाह मुफ्त में लेते हैं। उसका कुछ भाग एस0 डी0 आई0 को दे देते हैं। इस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा चौपट हो रही है। यदि चुनी हुई जिला परिषद् होती, तो जनता उनसे शिकायत करती और जनप्रतिनिधि होने के कारण उसका निराकरण भी करती, जो कलेक्टर नहीं कर पा रहा है।

जिला परिषद् की सड़कें इस वक्त सबसे खराब हैं, उनकी मरम्मत का कोई प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है। जिला परिषद् की सड़कें बुरी हालत में हैं। उनकी सड़कें जोत कर सकरी कर दी गई हैं और मरम्मत तो कतई हुई नहीं। नदियों में घाटों का प्रबन्ध भी नहीं हो रहा है। तो जिला परिषद् के जितने कार्य हैं, मान्यवर, वह सब अस्त-व्यस्त ही नहीं, बल्कि विपरीत दिशा में हो रहे हैं। इसलिए मान्यवर, जनता अब बहुत परेशान है और निरंतर चाहती है कि चुनाव हो जाय। इस समय मान्यवर, सत्र चल रहा है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसमें सत्र के नाम पर सारे देश का काम खत्म कर दो, सारे जनतंत्र को समाप्त कर दो, यह कहने की इनको कैसे हिम्मत होती है। समय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बढ़ाने का बहाना ये इस तरह से कर लेते हैं. जिसे कोई मान ही नहीं सकता है और न कोई स्वीकार कर सकता है। इन सब कारणों से मैं चाहता हूं कि इसे जनमत संग्रह के लिए परिचालित कर दिया जाय।

एक परेशानी और है मान्यवर, निर्देशक सिद्धान्तों का संविधान के अनुच्छेद 40 में लिखा है कि पंचायतों का गठन होगा और सुचारु रूप से अधिकार दिए जायेंगे, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। जिला परिषद् नाम दिया है। गांव पंचायत के बाद यही जिला पंचायत है। यह अपने पैरों पर खड़ी होती है तो उससे जनतंत्र का विकास होता है। अपने दल में तो चुनाव करा नहीं रहे हैं, जो वैधानिक चुनाव है उनको भी समाप्त किये बैठे हैं, किसी न किसी वजह से। असल बात यह है कि इनका जनतंत्र में विश्वास है ही नहीं? अगर विश्वास होता तो तीन दफा समय न बढ़ाते। 4 बार समय बढ़ा चुके हैं, कई सालों से समय बढ़ा रहे हैं। हर बार कहते हैं कि चुनाव करा देंगे। यह सदन आश्वासन सुनते-सुनते ऊब गया है, क्योंकि इनका आश्वासन पूरा होने वाला नहीं है। यह तो टालने के लिए आश्वासन देते हैं। सर्वोपरि शक्ति जनता है विधेयक को जनता में परिचालित कर दें कि क्या एक साल जिला परिषद् का चुनाव टालने का अधिकार सरकार को दे दिया जाय मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रदेश के हर जगह से जनता कहेगी कि चुनाव तुरन्त करायें, टालने का हक नहीं देंगे। इस विधेयक का मैं घोर विरोध कर रहा हूं।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार एक वर्ष का अधिकार चाहती है। काफी बातें कल हुईं, आज भी हुईं। मैं खासतौर से बलराम सिंह जी बैठे हैं, उनका ध्यान अपने जनपद की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जिला परिषदों का चुनाव न होने के कारण तमाम प्रापर्टी अधिकारियों द्वारा बेंची जा रही है, नीलाम की जा रही है और पैसा लेकर उसको बर्बाद किया जा रहा है। मैं अपने जनपद का एक उदाहरण देना चाहता हूं। बलिया-लखनऊ मार्ग पर फेफना थाने के पास प्राईमरी स्कूल के किनारे लगभग 40 दुकानें 4 वर्ष पहले से बनी हुई हैं, मैंने विधान सभा में सवाल किया व अधिकारियों को लिखा लेकिन आज तक उनकी छत नहीं बनी। मान्यवर, एक उदाहरण और देना चाहता हूं बलिया-फेफना मार्ग पर जूनियर हाई स्कूल, फेफना की जमीन, जो जिला परिषद् की है। उसके बारे में हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। लेकिन दुकानदार उस पर पक्का निर्माण कर रहे हैं कब्जा कर रहे हैं। मैंने क्लेक्टर को लिखा वह आये दर्शन दे गए। लेकिन कोई कार्यव ही नहीं हुई। बलिया-सिकन्दरापुर मार्ग पर कुंवर सिंह इंटर कालेज, के चौराहे से टाउन इंटर कालेज के चौराहे तक सड़क की पश्चिमी पटरी से लगी जिला परिषद् की जमीन है, जो लगभग 500 मीटर लम्बी तथा 25 फिट चौड़ी है। इस पर पी0 डब्लू0 डी0 के लोग पक्का निर्माण कर रहे हैं। यह जमीन शहर के बीच में है। माननीय मंत्री जी बलिया में जहां जाकर डाक बंगले में ठहरते हैं वहीं यह जमीन है। इसमें पी0 डब्लू0 डी0 ने रेलिंग लगाने का काम किया है। और कंकरीट व मशीन रखने का काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी बलिया को पिछले साल और इस साल लिखकर दिया। 200 दुकानें वहां बन सकती हैं। शहरों का मामला है। दुकान के लिए बहुत अच्छी जगह है। जिला परिषद्, बलिया उस पर अगर दुकान बनाने का कार्य करे, तो

3 लाख सालाना की आमदनी बढ़ जाती ह । अगर आप 200 रुपये में एक दुकान देते हैं तो 3 लाख की सालाना आमदनी बढ़ जायेगी ।

इसके अलावा खासतौर से बलिया जगह पर हमारे जनपद में टैक्सी स्टैन्ड ठेका पर देते हैं । टैक्सी स्टैन्ड वाले सड़क पर बैरियर लगा कर सड़क पर वाहन रोकते हैं । इसका 20 पैसे लेंगे, 30 पैसे लेंगे, 40 पैसे लेंगे । जबकि यह कहा गया है कि जहां स्टैन्ड होगा वहां पानी की व्यवस्था करेंगे, खाने की व्यवस्था करेंगे । मान्यवर, हमारे यहां 100 स्टैन्ड हैं वहां कोई व्यवस्था नहीं है । मनमाना रुपया ठेकेदार वसूल करता है । मैंने एक बार दो बार, चार बार प्रश्न किया । इसमें जिला परिषद् का होना जरूरी है । मंत्री जी ने कहा परिचालित करता हूं । इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं इनके कान में प्रधान मंत्री ने कह दिया इनको साल भर बाद तो आना ही नहीं तो कम से कम प्रवर समिति में इस विधेयक को आप भेज दें । इसमें करोड़ों रुपयों का मामला है, इसलिए इसे आप प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें जो एक महीने में अपनी रिपोर्ट दे दें ।

*श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया । माननीय वर्मा जी कह रहे थे कि एक साल का समय लगने पर मालूम होता है । जनतन्त्र पर विश्वास ही नहीं है । मान्यवर, यह इधर के लोग थे, पहले असेम्बली भंग की, जिला परिषद् भंग की, माननीय मल्ला सिंह राज्य पंचायती मंत्री बो0 डी0 सी का गठन हुआ । जिला परिषद् का चुनाव हुआ तो यह कहना कि उधर के लोगों का जनतन्त्र में विश्वास नहीं है, यह गलती है । जनतन्त्र में अविश्वास करने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं तो इस तरह से हम लोग को पूर्ण रूप से और हम ही नहीं हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी सबसे ज्यादा जनतन्त्र में विश्वास करती हैं । इसका प्रकरण यह नहीं है । जेम्स कलहन ने भी कहा है कि जनतन्त्र में विश्वास करने पर आप लोग यहां पर हैं और इस बात की पुष्टि प्रधान मंत्री ने भी की है । यह संशोधन छोटा विधेयक है साल भर की बात है निश्चित रूप से एक साल में चुनाव करायेंगे और आपको उधर ही बैठना है तो संशोधन विधेयक को पारित किया जाये ।

*श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । चौहान साहब ने कहा छोटा सा विधेयक है लेकिन इसका अशरार कितना बड़ा है इस पर नजर नहीं डाली । मैं तीन बुनियादी बातों को लेकर समर्थन कर रहा हूं ।

पहली बात तो यह है कि जिला परिषद् का अध्यक्ष आपके जिले का सिटीजन अध्यक्ष होता है और हमारा प्रजातन्त्र लोकशाही में विश्वास है तो जिला अध्यक्ष को हम उस अधिकार से वंचित किए हुए हैं जब कि हम लोकशाही में विश्वास रखते हैं । आज इसकी जगह सिटीजन नम्बर एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो गया है । नौकरशाही के हाथ में सब मामला आ गया है । जिला परिषद् एक ऐसी बाडी है जिसमें नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया और म्युनिसिपिल बोर्ड इन सबका प्रतिनिधित्व होता है, जिला परिषद् एक ऐसी लोकशाही वाली बाडी है । तीसरी चीज श्रीमन्, हमसे आपसे मुताल्लिक है । इस माननीय सदन में आपके द्वारा घोषणा हुई है कि ऐसी जिला स्तरीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कमेटियां जो होती हैं, जिनका अध्यक्ष कोई अधिकारी हो, उनमें हम लोगों को नहीं जाना चाहिए । आपने प्रीसाइडिंग कान्फ्रेन्स के मुताबिक यह कहा था । हम जिले को उन कमेटियों में जाने से महफूज हैं जिनमें जिला परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रीसाइड करता है, जिनमें हमको आपको सबको जाना पड़ता है । जिला परिषद के चुनाव हो जाने से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता हट जायगी और वह जिला परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नहीं रहेगा तो हमारे आपके ऊपर जो प्रतिबन्ध लगा है, वह समाप्त हो जायगा ।

इसलिए मेरा सुझाव यह है कि यह जो श्री राम स्वरूप वर्मा जी की बात है, इसको नहीं मान सकते, तो जब तक आप चुनाव नहीं करा सकते, 31 मार्च, 1985 तक आपने कहा है कि नहीं करा सकते, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं करा सकेंगे, क्योंकि उस समय इससे भी बड़े-बड़े इलेक्शन आएंगे, उन बड़े-बड़े इलेक्शन्स का चक्कर रहेगा तो मेरा सुझाव यह है कि उसको प्रीसाइड करने के लिए एक कमेटी बना दीजिए, जिससे कि हम उन बैठकों में जा सकें । कम से कम उस पूरे जिले के प्रतिनिधित्व के लिए आप एक कमेटी बना दीजिए, आप अपनी तरफ से आदमियों को बना दें उस कमेटी का मेम्बर, तो कम से कम हमारा प्रतिबन्ध तो समाप्त हो जायगा। अभी जिला परिषद के अध्यक्ष के नाते जिलाधिकारी उसको प्रीसाइड करता है, नान अफिशियल आदमी उसकी अध्यक्षता करेगा तो उसमें हम भी जा सकेंगे । जिले के नम्बर-1 नागरिक का दर्जा नौकरशाही को जगह लोकशाही को मिल जायगा । इस बाडी के अन्दर पूरा जिला कवर हो जायगा । अगर आप अभी चुनाव न करा सकें तो कम से कम यह घोषणा अवश्य करें कि एक हफ्ते के अन्दर, 15 दिन के अन्दर आप चाहे जब भी इलेक्शन करायें, लेकिन हफ्ते दस दिन में एक नान आफिशियल कमेटी जिला परिषद् को बनाने की यहां अवश्य घोषणा कर दें ।

श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष महोदय, माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने जो प्रस्ताव इसको जनता में परिचालित करने के लिए किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, एक बात जो माननीय मंत्री जी ने नहीं कही वह चौहान साहब ने कह दी । जिला परिषदें जनता पार्टी के शासनकाल में भंग की गई थी, यह सही है, लेकिन मैं माननीय चौहान साहब और शासक पार्टी से जानना चाहता हूं कि क्या जनता पार्टी ने जितने बुरे काम किए हैं, ये उनका अनुकरण करेंगे और उसी पर मुहर लगाएंगे या कोई अच्छा काम करेंगे । उन्होंने भंग की और तीन साल चुनाव नहीं कराए । लेकिन, आपने चार साल में क्यों नहीं कराए । यह कहना कि आपने क्या किया था, आपकी गलती थी तो हम भी नहीं करते, तो यह कोई दलील नहीं है ।

मान्यवर, मैं यह तो नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी या उसकी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी का जनतन्त्र से विश्वास हट गया है, लेकिन इन सब परिस्थितियों को देखते हुए यह जरूर कहना पड़ रहा है कि इनका जनतन्त्र में विश्वास कुछ कम हुआ है । जिला परिषदें जनता पार्टी ने भंग की थीं, लेकिन स्थानीय निकाय के चुनाव चौदह साल क्यों नहीं कराए, यह तो इन्होंने भंग किए थे । पंचायतों के चुनाव 10 साल बाद बड़ी मुश्किल से हुए। उसका डेढ़ साल हो गया है, क्षेत्र समितियों का गठन हो गया है, लेकिन जिला परिषदों के चुनाव क्यों नहीं हुए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जनतन्त्र में विश्वास कम हो रहा है । अगर विश्वास होता तो इसकी अपनी पार्टी में जनतन्त्र आया होता । क्यों पार्टी में चुनाव नहीं होते । जनतन्त्र में विश्वास कम हो रहा है ।

यह कहा जा रहा है कि यह विधेयक एक बड़ा मासूम विधेयक है, जबकि

ऐसा यह नहीं है । आज जनता के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है । माननीय मंत्री जो ने जो कारण बताए हैं, वे बड़े ही लचर हैं । उन्होंने कहा कि क्षेत्र समितियों के चुनाव हो गए उसके बाद विधान सभा के चुनाव आ गए और अब विधान सभा का सत्र शुरू हो गया है, इन कारणों की वजह से हम चुनाव नहीं करा पाये । असल बात यह नहीं है । असल बात तो यह है कि उन्हें इस बात की आशंका थी कि कहीं चुनाव कराके कुछ जिला परिषदें हमारे हाथ से निकल न जायं । आप अपना बहुमत कायम करना चाहते हैं, इसी वजह से आप 18 आदमियों को नौमीनेट करना चाहते थे । उस समय सम्पूर्ण विरोध पक्ष ने इसका विरोध किया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसे स्वीकार किया और जो नौमीनेशन होना था, वह वापस हो गया । तब से आप इसे रखे हुए हैं आप सोच रहे हैं कि कुछ सूबे तो हमारे हाथ से निकल गए हैं कहीं इनका चुनाव कराके कुछ जिला परिषदें भी हाथ से न चली जायं । आप जनतन्त्र की हत्या न करें और जिला परिषदों के चुनाव जल्दी करावें । हम इस पक्ष में नहीं हैं कि इसका समय और बढ़ाया जाए । आपने जिला परिषदों के चुनाव कराने के लिए इस आदरणीय सदन से पैसा लिया । वह पैसा इसलिए दिया गया कि आप 31 मार्च तक चुनाव करा देंगे । आप इस सदन को धोखा दे रहे हैं । आप जनतन्त्र की रक्षा करें और जनतन्त्र की जो संस्थायें हैं उन्हें आप बहाल करें और उनके जल्दी चुनाव कराएं । मैं विधेयक का विरोध करता हूं तथा माननीय श्री राम स्वरूप वर्मा जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो यह संशोधन विधेयक लाया गया है, इसका मैं समर्थन करता हूं । माननीय श्री रियासत हुसैन जी ने तथा दूसरे अन्य माननीय सदस्यों ने जो बात कही है, उनके बारे में मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं । जहां तक जनतन्त्र में आस्था रखने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि जो इसकी चुनाव प्रक्रिया थी, तब इसके जो पहले दो चरण थे । हमारी सरकार ने इनको पूर्ण किया है और अच्छे ढंग से उनके चुनाव कराए हैं । और अब इस आधार पर आलोचना करना कोई न्यायोचित नहीं होगा और न ही इनको यह कहने का कोई हक है ।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि जनतन्त्र के बारे में आस्था वाली जो बात कही गई है, स्वयं माननीय श्री मोखा लाल जी ने यह कहा है "जनतन्त्र में मैं विश्वास न होने वाली बात तो नहीं कहता हां, इतना कहना चाहता हूं कि जनतन्त्र में विश्वास कुछ कम हो गया है ।" दूसरे उन्होंने स्वयं कहा कि मुख्य मंत्री जी ने विरोधी नेताओं की बात मान ली । तो यदि हमारे विधेयक में कहीं पर त्रुटि आ जाती है और या हमारे कार्य में कहीं पर त्रुटि होती है, तो विपक्ष यदि उसके बारे में हमें सही राय देता है, तो हम उसे मानते हैं । इससे बड़ी मिसाल जनतन्त्र में विश्वास की और कोई नहीं हो सकती है ।

मान्यवर, तीसरी बात माननीय श्री रियासत हुसैन जी ने एक समिति बनाने के लिए कहा, मैं भी उनके इस प्रस्ताव से सहमत हूं । उन समितियों की अध्यक्षता, जिनमें माननीय विधायक होते हैं, प्रशासकों को नहीं करनी चाहिए । परन्तु इन परिस्थितियों में जब हम जिला परिषदों के चुनाव की प्रक्रिया को शुरू कर चुके हैं और कुछ जिला परिषदों के सदस्य चुने भी जा चुके हैं, बी० डी० सी० के प्रमुख चुने जा चुके हैं । यदि ऐसी स्थिति में कुछ लोग नोमीनेट किए जाते हैं समिति बनाने के लिए, तो इस प्रक्रिया में एक प्रकार से खलल डालने

वाली बात होगी, इससे जनतांत्रिक प्रणाली की जो व्यवस्था है, वह कुन्ठित होगी ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान विशेष तौर से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिला परिषद द्वारा जो लोगों से एक विभव एवं सम्पत्ति टैक्स लिया जाता है, और यह परिपाटी लगभग 1936 से चली आ रही है, और उस टैक्स के आंकलन और वसूली करने हेतु जो इन्स-पेक्टर होता है, वह किसानों से टैक्स ले लेता है, इसकी कोई सुनिश्चित प्रक्रिया वहीं पर निर्धारित नहीं है । उन लोगों को एक फर्जी नोटिस भेज दिया जाता है, उसका कोई रिकार्ड नहीं होता है, अमीन भी उसमें नाजायज फायदा उठाता है । फर्जी नोटिस से वसूल करके न तो वह पैसा जिला परिषद में जाता है और उधर किसान की जेब से भी पैसा चला जाता है ।इसलिए मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी आप यहां पर कुछ सदस्यों के साथ बैठ जायं और इस पर विचार कर लें । टैक्स के लिए ऐसी प्रक्रिया निर्धारित कर दें कि जो टैक्स किसान से लिया जाता है, उसका रिकार्ड मेन्टेन किया जाना चाहिए ।

जहां तक इस संशोधन विधेयक के द्वारा एक वर्ष का समय मांगा गया है, हमारी सरकार के पिछले कार्यों को देखते हुए मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस एक साल के अन्दर इसका चुनाव करा देंगे माननीय मंत्री जी द्वारा यह संशोधन विधेयक लाया गया है, इसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

माता प्रसाद पान्डेय जी, आप बहुत संक्षेप में कहेंगे ।

*श्री माता प्रसाद पान्डेय--

एक-दो मिनट में ही अपनी बात कह दूंगा ।

मान्यवर, मैं माननीय श्री राम स्वरूप बर्मा जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । म आपके माध्यम से माननीय मत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक वर्ष का जो समय बढ़ाया जा रहा है यह उचित नहीं है । जैसा कि हमारे सम्मानित सदस्यों ने कहा कि सभी निचले स्तर के चुनाव हो गये हैं, यह मेरी जानकारी है । और मैंने स्वतः व्यक्तिगत रूप से कोआप-रेटिव मंत्री जी से बात की थी । मैंने कहा कि कोआपरेटिव के नामिनेशन करा चुके हैं और कोआपरेटिव के चुनाव होने की सारी प्रक्रिया शुरू हुई, फिर भी कोआपरेटिव के चुनाव रुक गये ? इसका सीधा जवाब यह था कि कोआपरेटिव से चुने हुए प्रतिनिधि भी जिला परिषदों में आते हैं, नामिनेटेड लोग हैं, तो उसे जिला परिषद् के चुनाव होने के बाद ही उसे करायेंगे । जो प्रतिनिध चुन लिये गये हैं, अगर वह जिला परिषद् में चुने गये, तो उनके स्थान पर दूसरे आदमियों को चुनने की जरूरत पड़ेगी । उससे जिला परिषद् के चुनाव पर विलम्ब होगा । जिला परिषद् के जल्द से जल्द चुनाव होने वाले हैं, ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जिला परिषद् के चुनाव न होने के कारण और भी कई प्रकार के चुनाव रुके हुए हैं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसके अलावा इससे गुटबंदी भी बहुत बढ़ रही है, अगर आप इसे जल्दी से जल्दी कराकर, इस झगड़े को खत्म कर देंगे, तो उससे अच्छे परिणाम निकलेंगे समाज में और एक अच्छी बात होगी । मान्यवर, बीसियों उम्मीदवार अभी से तैयार हुए जा रहे हैं, और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपस में लड़ाई कर रहे हैं, इससे लड़ाई भी खत्म हो जायेगी। तीसरी बात कहना चाहूंगा कि जो इनकम जिला परिषद् की है, वह बिलकुल नगण्य हो गयी है। जिला परिषद् बिल्कुल जर्जर हो गयी है। मैंने अपने जिले में देखा कि वहां काजी हाउस का मुंशी लाइसेंस की रसीद लेकर बैठता है और पैसा लेता है और उसे वह अपनी तनख्वाह में काट लेता है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कोई देखने वाला नहीं है। अगर वहां कोई अध्यक्ष बिठा दिया जायेगा, चुन लिया जायेगा तो वह अपने जिले के प्रति, उस क्षेत्र की जनता के प्रति, उनकी भावनाओं को देखते हुए कार्य करेगा और वह इसमें रुचि दिखाते हुए उसकी आय बढ़ाने में प्रयासरत रहेगा। उसकी आय बढ़ायेगा, उसकी स्थिति को ठीक करेगा। कलेक्टर को तो बहुत से वित्तीय अधिकार हैं, वह दूसरे कार्यों में ज्यादा व्यस्त रहेंगे।

मान्यवर, मैं पुनः कहता हूं कि इस ढुलमुल नीति से जिला परिषदें जर्जर होती जा रही हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, माननीय चौहान साहब से कहूंगा कि जनपंत्र में आपने चुनाव करायें लेकिन क्या आपकी जिम्मेदारी इस बात की नहीं है कि आप इस बात की व्यवस्था करें कि चुनाव में अच्छे और शरीफ लोग चुन कर आ सकें? मान्यवर, मैं कहता हूं कि आज 50 प्रतिशत ऐसे लोग रह गये, जिनको चुनकर आना चाहिए था, लेकिन वह नहीं आ सके, आपकी इस व्यवस्था के अभाव में चुनकर नहीं आ सके। और चुनाव कराकर आपने आधे अपराधियों का तो राजनीतिकरण कर दिया, वे अपराधी लोग जेलों में होने चाहिए थे, लेकिन वे आज ब्लाक प्रमुख और जिला परिषदों के सदस्य होकर आ गये हैं। आपकी चुनाव की जिम्मेदारी तो थी लेकिन इस बात की जिम्मेदारी थी कि अच्छे लोग चुनकर आ सकें? मैं मान्यवर, पुनः माननीय राम स्वरूप वर्मा जी के प्रस्ताव पर बल देता हूं और माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को वापस लें और जल्दी से जल्दी चुनाव की प्रक्रिया को सुनिश्चित करायें।

*श्री सुरेन्द्र कपिल—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, विरोधी बल की तरफ से जो यह संशोधन प्रस्ताव रखे गये हैं, यह चीजें इस बात की प्रत्यक्ष रूप से द्योतक हैं कि इन लोगों में एकता नहीं है। दो इन्होंने संशोधन रखे हैं। और दोनों की बाबत स्थिति यह है कि एक पूरब दिशा की ओर चल रहा है तो दूसरा पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। एक कहते हैं कि जनमत कराया जाय और दूसरे कहते हैं कि सदन की एक समिति बनाकर, उनको यह सुपुर्द कर दिया जाय। मैं कहना चाहूंगा मान्यवर, कि पहले तो यह एकता कर लें कि इनमें वह चाहते क्या हैं? दूसरी बात यह है कि अभी इन लोगों ने जो कहा है, मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि इस पर हमारी नीयत बिल्कुल साफ-साफ है। हमारी सरकार जिस दिन से सत्ता में आयी उसका जनतंत्र में विश्वास होने का यह प्रबल और प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमने उसी दिन से इस प्रक्रिया को शुरू किया। मान्यवर, इस वक्त सोचने की बात यह है कि जो दो संशोधन रखे गये हैं क्या वह इस समय व्यावहारिक रूप से प्रयोग में लाये जा सकते हैं? 31 मार्च तक का समय है और हमारा सेशन चल रहा है, वह अप्रैल तक चलेगा। क्या यह सेशन के बीच में चुनाव कराना चाहते हैं? 31 मार्च के बाद और एक दिन भी बढ़ाना होगा, तो उसके लिये सदन की परमिशन की जरूरत होगी। तो, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस छोटे से प्रस्ताव पर इतना बड़ा बवेला मचाये हुए हैं। यह भी विरोधी दल के दिमाग के दिवा-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लियेपन का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यह लोग इसे मानने के लिये तैयार नहीं हैं। अभी माता प्रसाद पान्डेय जी ने कहा कि बहुत से आदमी ऐसे चुनकर आ गये, जिनको जगह जेलो में होनी चाहिए थी। मान्यवर, इन लोगों को यह बात सोच लेनी चाहिए थी अगर वह लोग जेलों में होते जो इनकी पार्टी से पूरी तरह से सम्बन्धित थे तो इनकी पार्टी के लोग प्रधान ही न हो पाते। इनकी पार्टी का कोई प्रधान नहीं रह जाता।

दूसरी बात कही है कि इनको इस बात का खतरा है कि इनके जिला परिषद् के अध्यक्ष नहीं आयेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि 80 से 85 प्रतिशत प्रधान हमारी कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्रधानों का सम्मेलन हुआ था, जिससे इनकी नींद हराम है, यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रधानों का बहुमत शासन के साथ है। 15-20 प्रतिशत बचे हुए हैं, अगर उनका इन्तजाम कर देते तो इनकी पार्टी के लोग चुनकर आ गये हैं, वे जेल में होने चाहिये थे। इन लोगों को संशोधन वापस ले लेना चाहिये, मैं भगवान से कामना करता हूं कि इन्हें बुद्धि दे और यह संशोधन वापस ले लें और ग्राम्य पंचायत मन्त्री को समर्थन दें। 31 मार्च के बाद हम चुनाव करा देंगे।

*श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

वास्तविकता तो यह है कि सत्ता पक्ष वालों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रधान चुनकर आये हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि प्रधानों के चुनाव में किसी भी पार्टी का कोई सिम्बल नहीं था, न ही कोई पार्टी थी। वास्तविकता यह है कि यह सारी सरकार आज अफसरशाही के चंगुल में फंसी है। जो कुछ भी पटल पर रख दें वह 'पास' यह अपने बहुमत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास जिला परिषदों के द्वारा होता था। क्षेत्रीय विकास समितियां जो आज हैं, उनका अर्थ खत्म हो गया है। उनके नुमाइन्दे चुने गये थे, उनका अर्थ खत्म हो गया। लोकतन्त्र की प्रणाली जो संविधान में बनायी थी, उसको खत्म कर दिया। यह कहते हैं कि प्रधानों का चुनाव करा दिया, लेकिन उनका चुनाव कराये बिना तो इनके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि 10 वर्ष पूरे हो चुके थे।

(व्यवधान)

इसके साथ ही, जिला परिषद् के चुनाव के लिये जनमत संग्रह का जो प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यह आज मालूम हो जायगा कि जो प्रणाली यह अपना रहे हैं, अपने शासन को अफसरों के माध्यम से चलाना चाह रहे हैं। सुझाव दूंगा कि अफसरशाही को छोड़कर लोकतन्त्र में विश्वास कीजिये और तुरन्त चुनाव कराइए। ज्यादा से ज्यादा एक महीने का समय ले लीजिये।

श्री राम सजीवन सिंह--

अभी माननीय विधायकों ने दोनों ओर से...

श्री अध्यक्ष--

क्या यह आपका आखिरी जवाब होगा ?

श्री राम सजीवन सिंह--

जी हां, मान्यवर।

बहुत से ऐसे सुझाव माननीय सदस्यों की ओर से आये हैं, जिन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, आप अभी रुकें, बैठ जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय वर्मा जी, क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया और मान्यवर, मैं सत्तारूढ़ दल के उन माननीय सदस्यों के भाषण से दंग रह गया और वह लोग यह नहीं समझ पाये कि अब केवल 15 दिन रह गये हैं और यह अब विधेयक लाये हैं, तो माननीय मन्त्री जो अब तक सोते रहे या न मालूम क्या करते रहे और दूसरे आपस में यह बात करते हैं कि बीस सूत्रीय कार्य-क्रम क्रियान्वित नहीं हो रहा है और अगर यही स्थिति रही तो हमारी दुर्दशा हो जयेगी । इसलिए माननीय मुख्य मन्त्री हटाओ के अभियान रोजाना जारी हैं और रोज माननीय सदस्यगण उधर के इसकी मांग कर रहे हैं, अब बात तो यह कहते नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

इनको जाने दीजिए जो लोग सो रहे हैं, हम दोनों लोग तो जाग रहे है ।

(हंसी)

श्री राम स्वरूप वर्मा--

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि अब सिर्फ 15 दिन रह गये हैं, लेकिन अब यह कह रहे हैं इसका एक साल का समय और बढ़ा दें, तब हम चुनाव करा देंगे । मान्यवर, यदि इस बात को जनता के सामने रखे तो जनता यही कहेगी कि चुनाव जितनी शीघ्र हो सके एक माह के अन्दर ही करा दीजिए, और मैं विश्वास करता हूं कि यह बात यदि आप जनता के समक्ष रखें तो एक हफ्ते के अन्दर इसका परिणाम आ जायेगा, लेकिन मान्यवर, इस बात का मुझे बेहद अफसोस है कि यह जनतन्त्र में विश्वास नहीं रखते हैं, अगर विश्वास रखते तो यह प्रस्ताव न लाते, इसलिए सत्ता पक्ष की तरफ से जो तर्क रखे गये हैं, उनसे मैं प्रभावित नहीं हूं, क्योंकि इनके पास कोई तर्क नहीं है, बल्कि ताकत है और वह ताकत जनता की ताकत है, इसलिए मैं मौका इनको देता हूं कि इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिए परिचालित कर दें ताकि स्थिति स्पष्ट होकर सामने आ सके ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री राम स्वरूप वर्मा को सम्बोधित करते हुए) ?

आप इसको वापस ले रहे हैं ?

श्री राम स्वरूप वर्मा--

जी नहीं ।

श्री राम सजीवन सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्यों के विचार सुनने को मिले । अभी माननीय वर्मा जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया और उन्होंने जो जनमत की भावना को जानने के लिए 7 दिन का समय जो अपने विवेक से देने का इस सदन में रखा है । मान्यवर, यह सोचने की बात है कि इतने बड़े विशाल प्रदेश, जिसकी जन संख्या 12 करोड़ के लगभग है उसका 7 दिन में जनमत संग्रह कैसे सम्भव हो सकेगा । माननीय वर्मा जी जबकि एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और मैं इनकी बहुत इज्जत भी करता हूं और हमारे भाई भीखा लाल जी, उन्होंने भी अपने को इन विचारों से सम्बद्ध किया है, मैं तो यह देखकर हैरान रह गया कि इन्होंने भी माननीय वर्मा जी के संशोधन पर अपना समर्थन कैसे दे दिया और माननीय वर्मा जी ने कहा कि सत्ता पक्ष म बैठने वाले लोगों का जनतन्त्र और लोकतन्त्र में विश्वास नहीं है । मान्यवर, माननीय वर्मा जी और भाई भीखा लाल भी उस समय भी इस सदन के सदस्य थे, जब जनता पार्टी का शासन था । 10 अगस्त को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों को इन्होंने कलेक्टर के अधीन कर दिया था। मैं यह नहीं कहता कि विपक्ष के सभी लोग उस समय इस विचार से सहमत थे, परन्तु कुछ को छोड़कर ज्यादातर इस विचारधारा में सम्मिलित थे और उस समय उनकी भावना जागी नहीं थी।

मान्यवर, चिकमंगलूर में जनता की प्रतिनिधि माननीया इन्दिरा गांधी की सदस्यता को इन्होंने बरखास्त किया। इतने से इनको सन्तोष नहीं हुआ, उनको जेल में भी बन्द किया। यह है इनका लोकतन्त्र और लोकतन्त्र में विश्वास कांग्रेस ने लोकतन्त्र पर विश्वास किया है, हम उस पार्टी के एक सैनिक हैं, एक कार्यकर्त्ता हैं। हमने 896 क्षेत्र समितियों के चुनाव कराये हैं, हमने जिला परिषद् के सदस्यों के चुनाव कराये हैं, हमने सहकारिता के प्रतिनिधियों के चुनाव कराये हैं। मान्यवर, इसमें बहुत सी दिक्कतें शासन के सामने आयीं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्री जी बड़े जोश में आ गये। मैं मान्यवर, आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि हमारे देश में कितनी कांग्रेस हैं और यह किस कांग्रेस में हैं ?

श्री गौरी शंकर भैरया--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी-अभी दिल्ली में बैठक हुई थी, पूरे प्रदेश के ए म0 एल0 ए0 की दैनिक जागरण में इन्दिरा जी का स्टेटमेन्ट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हम इन गदहों का बोझ नहीं ढो सकते हैं और माननीय मन्त्री जी अपने भाषण को सारगर्भित कह रहे हैं।

श्री राम सजीवन सिंह--

मान्यवर, मेरा अनुरोध है--

श्री यदुनाथ सिंह--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जैसा मन्त्री जी ने कहा कि जिला परिषद् की सदस्यता के चुनाव तो हो गये हैं परन्तु उनकी शपथ नहीं हुई तो क्या आप उनकी शपथ करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय यदुनाथ सिंह, आपने अपनी बात कह दी, वह बोल रहे हैं, उसके बाद आपके स्पष्टीकरण का उत्तर दे देंगे।

श्री राम सजीवन सिंह--

मान्यवर, तो मैं यह कह रहा था कि कांग्रेस ने सदैव से जनतन्त्र पर विश्वास किया है। मैं समझता हूं कि विपक्ष से जो संशोधन आया है और प्रवर समिति को सुपुर्द करने की बात कही गयी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने प्रस्ताव को और संशोधन को वापस ले लें और एक मत होकर इस विधेयक को पारित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय वर्मा जी, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री राम स्वरूप वर्मा--

नहीं मान्यवर, वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गौरी शंकर भैरया, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री गौरी शंकर भैरया--

वापस नहीं ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था)

(संशोधन) विधेयक, 1984 जनमत संग्रह के लिये एक सप्ताह तक परिचालित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "31 मार्च, 1984" के स्थान पर शब्द और अंक "31 मार्च, 1985 रख दिये जायेंगे ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2 की पंक्ति 2 में अंक व शब्द " 31 मार्च, 1985" के स्थान पर अंक व शब्द "30 सितम्बर, 1984 रख दिये जायें ।"

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बड़े गर्व के साथ कहा कि उनकी सरकार जनतंत्र में विश्वास करती है, मैं कहता हूं कि जिला परिषदें भंग हो गयी थी, 4 साल हो गये हैं, लेकिन यह अभी तक उनका चुनाव नहीं करा पाये हैं, फिर भी जनतंत्र का दावा करते हैं, इससे ज्यादा बेशर्मी की और क्या बात हो सकती है हम ढाई साल ही रहे, और साल दो साल और रहते तो शायद चुनाव करवा देते । वही कहावत है कि हिरना का बाप चिकरा, वह जाये नौ सौ वह जाय ग्यारह । अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम यहां पर मौजूद थे, हम दोनों आदमी बैठे थे, जब जिला परिषदें भंग हुई थी । मैं कहता हूं कि हम सदन में नहीं थे, जनतंत्र की किसी व्यवस्था के खिलाफ कोई कहेगा तो हम उसका विरोध जरूर करेंगे । मेरा छोटा सा संशोधन है इसको आप स्वीकार कर लें ।

मान्यवर, सेशन चल रहा है, आप गर्मी में चुनाव करा दीजिए, यहां पर सब लोग जो बैठे हुए हैं वह सब जून में ही चुनकर आये थे, आप गर्मी में चुनाव करवा दीजिए, मैं 6 महीने का समय देता हूं । मैं तो कहता हूं कि आप अपने ही दावे से झूठे साबित हो जायेंगे, अब आप कहेंगे कि 6 महीने से ज्यादा समय चाहिए । मैंने 30 सितम्बर तक का संशोधन किया है । 30 सितम्बर, 1984 तक का समय बढ़ा दिया जाय, साल भर का समय लेते हैं और चुनाव नहीं कराते हैं । मैं इनकी पुरानी लीक को तोड़ना चाहता हूं, हम जानना चाहते हैं कि गाड़ी का पहिया फिर पुरानी लीक पर तो नहीं चला जायेगा, इसलिए मैं कहता हूं कि एक साल का समय न बढ़ाकर 6 महीने का समय दे दिया जाये । 6 महीने में बरसात आ जायेगी, तो चुनाव नहीं हो पायेंगे, इसलिए चुनाव इसी समय हो जाये तो ठीक रहेगा । इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय और अपने जनतन्त्र को आप साबित करें और गर्मी में चुनाव करा दें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जो, क्या आप को यह संशोधन स्वीकार है ?

श्री राम सजीवन सिंह--

मुझे स्वीकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

वर्मा जी, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मैं वापस नहीं ले रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 की पंक्ति 2 में अंक व शब्द "31 मार्च, 1985" के स्थान पर अंक व शब्द "30 सितम्बर, 1984" रख दिए जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम 1984 कहा जायेगा ।

संक्षिप्त नाम

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राम सजीवन सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984 पारित किया जाय ।

श्री भीखा लाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट सुन लें । मैंने माननीय मंत्री जी का ओजस्वी भाषण सुना मुझे प्रेरणा मिली और एक निवेदन उनकी सेवा में करना चाहता हूं । जो तर्क उन्होंने बड़े जोर से दिया, उनमें कोई बल नहीं है । मान्यवर, एक सीनियर वकील अपने जूनियर वकील को शिक्षा दे रहा था कि अदालत में बहस कैसे करनी चाहिए । उसने कहा कि यदि लीगल प्वाइन्ट मजबूत हो...

श्री अध्यक्ष--

वे शिक्षा नहीं देंगे तो काम आगे कैसे करेंगे ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, दो मिनट में समाप्त करता हूं । तो मान्यवर, उस सीनियर वकील ने कहा कि अगर लीगल प्वाइन्ट मजबूत हो तो हैमर दि लीगल प्वाइंट फर्स्ट । अगर फैक्ट्स या तथ्य मजबूत हों तो हैमर दि फैक्ट्स फर्स्ट । इस पर जूनियर वकील ने पूछा कि यदि दोनों ही मजबूत न हों तो, इस पर सीनियर वकील ने बताया कि हैमर वि डेस्क फर्स्ट । उसी तरह से माननीय राज्य

मंत्री के तथ्यों में कोई बल नहीं वे मेज पीट रहे थे और गला फाड़कर बोल रहे थे । इस जनतन्त्र विरोधी विधेयक को लाकर अपने बहुमत के बल पर इसे पास कराना चाहते हैं । इसके विरोध में मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री भोखालाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, इस विधेयक के विरोध में जनता पार्टी भी सदन का त्याग करती है ।

(श्री गौरी शंकर भैय्या अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री माता प्रसाद पान्डेय—

हम भी अपने दल के साथ विधेयक के विरोध में सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री माता प्रसाद पांडेय भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल प्रातः 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

माल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
14 मार्च, 1984

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्य 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा बालक एवं बालिकाओं के प्राइमरी विद्यालयों को अनुदान देने के नियम ।

1--निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, बालक एवं बालिकाओं के उन विद्यालयों को आवर्ती और अनावर्ती सहायता देंगे, जिनमें हरिजन, पिछड़ी जाति तथा अन्य जातियों के छात्र एवं छात्राओं को पढ़ने का अधिकार होगा ।

2--इन विद्यालयों की प्रबन्ध समिति को उसके रजिस्टर्ड होने पर अनुदान दिया जा सकेगा। अन्य परिस्थितियों में इसका प्रबन्ध जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी द्वारा होगा ।

3--इन विद्यालयों का पाठ्यक्रम शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार होगा ।

4--इन विद्यालयों में जहां तक सम्भव हो प्रशिक्षित अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की ही नियुक्ति की जाय । इन विद्यालयों में हरिजन छात्रों की संख्या समस्त छात्रों की संख्या के 50 प्रतिशत से कम न हो और हरिजन छात्रों की संख्या कम से कम 25 होना अनिवार्य है ।

5--संस्था के प्रबन्धक को समस्त आय-व्यय का लेखा नियमानुकूल रखना होगा और साधारणतया प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 15 मार्च तक अर्थात् 1 मार्च से 28 फरवरी का वार्षिक विवरण पत्र जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी के पास भेजेगा जो 15 अप्रैल तक निदेशक हरिजन तथा समाज कल्याण उत्तर प्रदेश के पास अग्रसारित कर देंगे ।

6--अनुदान जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छमाही स्वीकृत होगा परन्तु यह स्वीकृत छमाही के प्रारम्भ में ही दे दी जायेगी ।

7--विद्यालय का स्थान परिवर्तन, निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा ।

8--अनुदान जिन मदों के लिये स्वीकृत किया जाय उन्हीं पर व्यय होना चाहिये और किसी अन्य पर नहीं ।

9--विद्यालय को अनुदान स्वीकृत व्यय के बराबर दिया जायेगा अथवा स्वीकृत व्यय और अन्तर के बराबर, परन्तु इनमें से जो धनराशि न्यूनतम होगी, वही स्वीकृत की जायगी ।

10--यदि विद्यालय का व्यय स्वीकृत व्यय से अधिक धनराशि है तो घाटा प्रबन्ध समिति को पूरा करना होगा ।

11--किसी भी व्यय जिसकी पूर्व स्वीकृति इस कार्यालय से नहीं ली जायगी, की पूर्ति का उत्तरदायित्व प्रबन्ध समिति पर होगा ।

12--प्रत्येक विद्यालय में 40 छात्र की औसत उपस्थिति पर एक अध्यापक अथवा अध्यापिका दी जायेगी । यदि किसी संस्था का कार्य असन्तोषजनक पाया जायगा तो अनुदान बन्द कर दिया जायगा ।

13—प्रबन्ध समिति के सदस्यों अथवा मैनेजर का कोई निकट सम्बन्धी संस्था का कर्मचारी नहीं नियुक्त किया जा सकता ।

14—जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला नियोजन अधिकारी तथा जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी को संस्था के हिसाब-किताब के निरीक्षण का अधिकार होगा । हिसाब-किताब का ब्योरा भी मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

15—निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश को अभिलिखित कारणों से किसी विद्यालय के अनुदान को अनुलम्बित करने, घटा देने, पूर्णतया बन्द कर देने का पूर्ण अधिकार होगा ।

16—जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी नये विद्यालयों को अनुदान की सिफारिश करते समय निम्नलिखित विषयों पर ध्यान देंगे :—

(क) सम्बन्धित क्षेत्र में इस विद्यालय को स्थापित करने की क्या वास्तविक आवश्यकता है । यह ध्यान रखना चाहिए कि राज्य सरकार की यह नीति नहीं है कि हरिजनों के लिये पृथक विद्यालय स्थापित किये जायं । अतः केवल ऐसे स्थानों में ही संस्था स्थापना की सिफारिश की जाय जहां पर शिक्षा के साधन वर्तमान नहीं हैं ?

(ख) उक्त क्षेत्र में हरिजनों की जन संख्या क्या है ?

(ग) जिस स्थान में विद्यालय स्थापित किया गया है, उससे निकटतम विद्यालय की दूरी क्या है ?

(घ) क्या प्रबंधक समिति रजिस्टर्ड है और क्या उसके पास विद्यालय के संचालन के लिये आय के साधन पर्याप्त है ?

(छ) 3 मील के घेरे में इस प्रकार का कोई और विद्यालय नहीं है ?

17—इस विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त पाठशालाओं में कार्य करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की शैक्षिक योग्यता कम से कम हाई स्कूल पास अनिवार्य है ।

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

अनुलग्नक

कालोन बुनाई प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों के आवन्टन हेतु निर्धारित मापदण्ड ।

1—इच्छुक निर्माता के लिये आवश्यक है कि वह कालीन बुनाई के उद्योग में कार्यरत हों और नियम द्वारा निर्धारित प्रारूप पर विधिवत आवेदन करे ।

2—आवेदक की इकाई का एस० एस० आई०/खिक्रीकर/आयकर में पंजीकरण हो ।

3—आवेदक इकाई की आर्थिक स्थिति का ठोस होना आवश्यक है जिससे कि इकाई प्रशिक्षण की एक वर्ष की अवधि के बाद केन्द्र को उत्पादन केन्द्र के रूप में 3 वर्षों तक चलाने में सक्षम हो ताकि प्रशिक्षार्थियों को रोजगार मिलता रहे ।

4—आवंटन समिति चेष्टा करती है कि केन्द्रों का आवंटन भिन्न-भिन्न स्थानों पर किया जाय । एक ही स्थान पर केन्द्र खोलने की पुनरावृत्ति न हो ।

5—केन्द्र के आवंटन में यह भी देखा जाता है कि आवेदक इकाई द्वारा संबंधित स्थान पर अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं कमजोर वर्ग के विशेष प्रशिक्षण के लिये उपलब्ध हों ।

नाथी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 70 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर।)

परिशिष्ट 'अ'

आयोगवार वर्ष प्राप्त आवेदन-पत्रों का विवरण।

क्र. सं.	उद्योग का नाम	प्राप्त आवेदन-पत्र 1980-81	1981-82	1982-83	की गई कार्यवाही
	आयोग बजट--				
1	चर्म उद्योग	42	36	40	स्वीकृत
2	रेशा	15	14	5	"
3	कुम्हारी	9	26	32	"
4	गुड़ खाड़ सारी	5	4	..	"
5	अनाज दाल प्रक्षो0	5	16	4	"
6	काष्ठ एवं लौह कला	19	27	4	"
7	साबुन	1	1	..	"
8	चूना	1	43	..	"
9	जड़ी-बूटी	1	..	..	"
10	ग्रामीण तेल	1	4	..	"
11	मोंम	1	1	4	"
12	साबवस्तु	..	..	28	"
13	हाथ कागज	..	..	1	"
14	माचिस	..	..	1	"
	योग ..	100	132	115	
	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--				
1	चर्म उद्योग	..	11	5	
2	रेशा उद्योग	..	..	8	

अनुबंध 'ब'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 113 का उत्तर पीछे पृष्ठ 64 पर)

क्रम संख्या	अधिकारी निरीक्षक का नाम	निलम्बन की तिथि	आरोप का संक्षिप्त विवरण	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
	सर्वश्री--			
1	उमेश चन्द्र रस्तोगी	30-8-1981	गुरसहायगंज (फर्रुखाबाद) क्षेत्र में उनकी नियुक्ति काल में जहरीली शराब पी कर 4 व्यक्तियों की मृत्यु होना	मामले की मैजिस्ट्रियल जांच चल रही है। उन्हें बहाल कर दिया गया है।
2	सी0 पी0 सागर	7-8-1981	भारत फार्मा मेडिको अलीगढ़ की नियुक्ति काल में 31-5-1981 को विधिक अधिकारी द्वारा कृत निरीक्षण में पाई गई अनेक त्रुटियां	आरोप-पत्र दिया गया। जांच पूर्ण हो गयी है। पूर्ण जांचोपरान्त इन्हें उप आबकारी निरीक्षक के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।
3	देवेन्द्र कुमार सोती	8-7-1981	जोशीमठ (चमोली) की नियुक्ति काल में अभियोग कहना तथा 200 रु0 उत्कोच लेकर छोड़ देना	आरोप-पत्र दिया गया। इन्हें बहाल कर दिया गया है। जांच चल रही है।
4	परमहंस सिंह बघेल	8-12-1981	नानपारा (बहराइच) की नियुक्ति के काल में भद्र व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार करना व उससे 200 रु0 छीन लेना	आरोप-पत्र दिया गया। जांचोपरान्त बहाल कर दिया गया है।

1	2	3	4	5
5	बृज मोहन	18-11-1981	बंधित गोदाम संडीला हरदोई की नियुक्तिकाल में 2300 आ0 लि0 शराब व 130 कि0 ग्रा0 भांग का गायब किया जाना	आरोप-पत्र दिया गया। जांच चल रही है। इन्हें बहाल कर दिया गया है।
6	ऐस0 के0 बाजेसिया	19-11-1981	तदेव	तदेव
7	जनार्दन प्रसाद	28-7-1982	बंधित गोदाम विदेशी मदिरा, लखनऊ की नियुक्ति काल में फर्जी चलानों पर निकासी देना	आरोप-पत्र दिया गया। जांच पूर्ण हो चुकी है जांच रिपोर्ट विचाराधीन है।
8	राम चन्द्र प्रसाद	28-4-1982	खलीलाबाद (बस्ती) चीनी मिल की नियुक्ति काल में इनके विरुद्ध शिकायतों के स्पष्टीकरण मांगे जाने पर स्पष्टीकरण न देना	आरोप-पत्र दिया गया निलम्बित चल रहे हैं।
9	सांवले प्रसाद यादव	2-2-83	शिकोहाबाद मैनपुरी की नियुक्ति-काल में एक ट्रक विदेशी मदिरा पकड़कर नियमानुसार कार्यवाही न करना	आरोप-पत्र दिया गया सेवा में पुनर्स्थापित कर दिया गया है।
10	सी0 के0 यादव	17-1-83	मुजफ्फरनगर की नियुक्तिकाल में पुलिस द्वारा इनके क्षेत्र में विदेशी मदिरा की एक ट्रक पकड़ना	आरोप-पत्र दिया विचारोपरान्त बहाल कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश अभिलेखागार

11	आर० बी० तिवारी	10-1-83	लखनऊ की नियुक्तिकाल में इनके क्षेत्र में पुलिस द्वारा अवैध विदेशी मदिरा बरामद करना	जांच चल रही है आरोप-पत्र दिया जा चुका है इन्हें बहाल कर दिया गया है।	
12	आर० सी० मिगम	10-1-83	"	"	
13	एन० एम० मिश्रा	10-1-83	"	"	
14	के० पी० पान्डे	10-1-83	"	"	
15	ए० एस० यादव	10-1-83	"	"	
16	राम उजागर त्रिपाठी	2-2-83	विदेशी मदिरा पकड़कर नियमानुसार कार्यवाही न करना	आरोप-पत्र दिया गया। जांच चल रही है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बहाल किये गये।	
17	महेन्द्र प्रसाद	14-2-83	अशोक नगर कानपुर विदेशी मदिरा पर अवैध विदेशी मदिरा पकड़कर नियमानुसार कार्यवाही न करना	आरोप-पत्र दिया गया जांच पूर्ण हो चुकी है। जांच रिपोर्ट विचाराधीन है। सेवा में पुनर्स्थापित किया जा चुका है।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुबन्ध "ङ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 147 का उत्तर पीछे पृष्ठ 74 पर)

क्रम संख्या	नाम	वर्तमान पद का नाम	जाति का विवरण	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर तैनाती की तिथि
1	2	3	4	5
	सर्वश्री—			
1	ए0 एन0 गर्ग	स0 सं0 प0 अ0 (प्रशा0), लखनऊ	सामान्य	16-1-71
2	एम0 पी0 पन्त	" "	बरेली	सामान्य	15-1-77
3	बी0 आर0 कटेरिया	" "	कानपुर	अनु0 जा0	10-1-77
4	जी0 एस0 मिसरा	" "	मेरठ	सामान्य	26-7-67
5	आर0 पी0 सिंह	" "	ऋषिकेश	अनु0 जा0	17-12-80
6	श्रीमती उल्फा अन्सारी (पी0 सी0 एस0)	" "	वाराणसी	पिछड़ी जा0	17-9-80
7	बाई0 पी0 श्रीवास्तव	" "	गोरखपुर	सामान्य	21-7-70
8	एस0 डी0 बाजपेई (पी0 सी0 एस0)	" "	फैजाबाद	सामान्य	..-5-81
9	राजेन्द्र तिवारी	" "	मुरादाबाद	सामान्य	8-1-77

उत्तर प्रदेश विधान सभा

10	एस0 सी0 शिवहरे	,,	,,	झाँसी	सामान्य	12-12-80
11	एम0 सी0 पाण्डे	,,	,,	आगरा	सामान्य	28-7-70
12	तारा चन्द	,,	,,	इलाहाबाद	अनु0 जा0	20-12-80
13	पी0 पी0 गुप्ता	,,	,,	देहरादून	सामान्य	24-7-70
14	के0 पी0 तिवारी	,,	,,	गाजियाबाद	सामान्य	1-5-68
15	एस0 के0 गुप्ता	,,	,,	अलीगढ़	सामान्य	24-7-74
16	एम0 के0 गोयल	,,	,,	बुलन्दशहर	सामान्य	5-7-72
17	जी0 एस0 वर्गली	,,	,,	सहारनपुर	सामान्य	11-7-72
18	पी0 सी0 मेहरोत्रा	,,	,,	रायबरेली	सामान्य	9-12-80
19	वी0 एस0 तिवारी	,,	,,	मिर्जापुर	सामान्य	7-5-68
20	हरचरन सिंह	,,	(प्रावि0)	लखनऊ	सामान्य	7-1-81
21	वी0 पी0 गर्ग	,,	,,	कानपुर	सामान्य	20-7-70
22	ए0 के0 भटनागर	,,	,,	वाराणसी	सामान्य	7-1-77
23	आर0 निगम	,,	,,	(मुख्यालय)	सामान्य	2-6-77
24	एम0 सी0 चतुर्वेदी	,,	(प्रवर्तन)	आगरा-I	सामान्य	3-6-77
25	युधिष्ठिर शर्मा (पी0 सी0 एस0)	,,	,,	आगरा-II	सामान्य	4-4-81
26	जगदीश प्रसाद	,,	,,	अलीगढ़	अनु0 जाति	10-1-77

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
27	रामेश्वर दयाल	स0 सं0 प0 भा0((प्रशा0)	एटा	अनु0 जाति	13-2-84 (अपरा0)
28	डी0 पी0 यादव	" "	मथुरा	पिछड़ी जा0	18-12-80
29	एस0 एन0 लाल	" "	मेरठ-I	सामान्य	24-12-82
30	एन0 के0 भट्ट	" "	मेरठ-II	सामान्य	8-1-77
31	ललन सिंह	" "	गजियाबाद	सामान्य	8-8-67
32	कृपा शंकर अवस्थी	" "	बुलन्दशहर	सामान्य	28-12-80
33	आर0 पी0 गुप्ता	" "	मुजफ्फरनगर	सामान्य	24-12-80
34	जे0 के0 जौहरी	" "	देहरादून	सामान्य	25-6-77
35	एम0 एम0 अवस्थी	" "	सहारनपुर	सामान्य	27-12-80
36	जिया लाल	" "	पौड़ी	अनु0 जाति	25-5-83
37	वीरेन्द्र प्रताप सिंह कठियार (पी0 सी0 एस0)	" "	काठगोदाम	पिछड़ी जाति	7-8-81
38	बी0 सी0 पाण्डेय	" "	पिथौरागढ़	सामान्य	4-12-80
39	ए0 सी0 चतुर्वेदी	" "	बरेली	सामान्य	4-6-77
40	एच0 डी0 पाण्डेय	" "	मुरादाबाद	सामान्य	15-1-77
41	एन0 एन0 सहाय	" "	बिजनौर	सामान्य	20-10-66
42	आर0 के0 अग्रवाल	" "	पीलीभीत	सामान्य	11-1-77
43	ई0 हक	" "	शाहजहांपुर	सामान्य	18-1-77

उत्तर प्रदेश विधान सभा

44	एम0 पी0 खुल्बे (पी0सी0 एस0)	,,	,,	लखनऊ–I	सामान्य	14–7–80 (अपराह्न)
45	जे0 एस0 चौहान	,,	,,	लखनऊ–II	सामान्य	3–7–72
46	पी0 एस0 यादव	,,	,,	सीतापुर	पिछड़ी जाति	7–7–72
47	सियाराम पालीवाल (पी0सी0एस0)	,,	,,	हरदोई	सामान्य	22–7–80
48	श्रीकृष्ण	,,	,,	लखीमपुर	सामान्य	27–5–83
49	रवी कुमार कपूर	,,	,,	उन्नाव	सामान्य	10–8–77
50	आई0 सी0 निगम (पी0सी0 एस0)	,,	,,	कानपुर I	सामान्य	26–6–81
51	सुरेश चन्द्र शर्मा (पी0सी0एस0)	,,	,,	कानपुर II	सामान्य	–2–78
52	पारस नाथ	,,	,,	फतेहगढ़	अनु0 जाति	24–12–80
53	लालजी चौधरी	,,	,,	इटावा	पिछड़ी जाति	12–5–83 (अपराह्न)
54	आर0 एन0 मजोय	,,	,,	फतेहपुर	सामान्य	28–1–80
55	रामाश्रय तिवारी	,,	,,	वाराणसी–I	सामान्य	25–7–72
56	के0 के0 श्रीवास्तव	,,	,,	वाराणसी–II	सामान्य	3–7–61
57	अवध नारायण सिंह (पी0सी0एस0)	,,	,,	जौनपुर	सामान्य	5–10–8
58	राम लोचन त्रिपाठी	,,	,,	मिर्जापुर	सामान्य	23–3–77

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3				5
59	नरेन्द्र सिंह कुशवाहा (पी0 सी0 एस)	ह0 सं0 प0 अ0 (प्रशा0)		मैनपुरी	सामान्य	*11-8-83
60	विनोद शंकर सिंह	,,	,,	बलिया	सामान्य	30-8-83
61	सालिग राम त्रिपाठी	,,	,,	इलाहाबाद	सामान्य	11-12-80
62	राजेन्द्र प्रसाद	,,	,,	प्रतापगढ़	अनु0 जाति	17-8-83
63	बी0 डी0 श्रीवस्तव	,,	,,	झांसी	सामान्य	10-1-77
64	बी0 के0 सिंह (पी0 सी0 एस0)	,,	,,	बांदा	सामान्य	-2-80
65	विनोद कुमार ओझा	,,	,,	उरई	सामान्य	15-7-83
66	अजय कुमार सिंह	,,	,,	गोरखपुर	सामान्य	16-5-83
67	राज किशोर मिश्र	,,	,,	आजमगढ़	सामान्य	30-5-83
68	डी0 डी0 तिवारी	,,	,,	देवरिया	सामान्य	24-8-67
69	राम कृपाल उपाध्याय	,,	,,	फैजाबाद	सामान्य	30-7-83
70	बी0 एन0 पान्डेय (पी0 सी0 एस0)	,,	,,	सुल्तानपुर	सामान्य	4-8-81
71	जमशेद आलम सिद्दीकी	,,	,,	रामपुर	सामान्य	20-5-83
72	एस0 पी0 शर्मा (पी0 सी0 एस0)	,,	,,	मुख्यालय II	सामान्य	5-5-79
73	जीवन लाल (पी0 सी0 एस0) (निलम्बित)	,,	,,	गाजीपुर	अनु0 जाति	15-3-80

*मैनपुरी में तैनाती की तिथि।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "च"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 180 का उत्तर पीछे पृष्ठ 83 पर)

वर्ष 1979–80, 1980–81, 1981–82 और 1982–83 में जनपद चमोली में जू0 हा0 स्कूलों एवं प्राइमरी पाठशाला भवनों के निर्माण संबंधी सूचना

क्रम–सं0	वर्ष	आवंटित धनराशि लाख रु0 में	हस्तान्तरित की गई राशि	व्यय की गई राशि	अवशेष राशि	स्वीकृत भवनों की संख्या	पूर्ण कार्य (गत वर्ष में)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जू0 हा0 स्कूल 1	1979–80	12·00	11·04	..	11·04	12	..	वर्ष 79–80 में 12 जू0 हा0 स्कूलों के निर्माण हेतु 8 हजार रुपया प्रति विद्यालय की दर से 96 हजार रुपया बे0 शि0 अ0 चमोली द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को हस्तान्तरण करने की कार्यवाही की जा रही है।
2	1980–81	8·00	8·00	7·640	0·360	8	6	
3	1981–82	3·00	3·00	3·088	(–)0·088	3	1	
4	1982–83	4·00	4·00	6·518	(–)2·518	4	4	
	योग ..	27·00	26·04	17·246	8·794	27	11	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	1	2	3	4	5	6	7	9
प्राइमरी	1	1979–80	2·02	2·02	..	2·02	6	..
	2	1980–81	..	..	..	..	..	4
	3	1981–82	..	..	1·67	(—)1·67	..	1
	4	1982–83	1·00	1·00	0·346	0·654	2	2
		योग ..	3·02	3·02	2·016	1·004	8	7

टिप्पणी—27 जू0 हा0 स्कूलों में से 11 पूर्ण हो चुके हैं। इन 11 जू0 हा0 स्कूलों में से 1980–81 में 6, 1981–82 में 1 और 1982–83 में 4 जू0 हा0 स्कूल पूरे किए गए हैं, 7 जू0 हा0 स्कूलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, 9 जू0 हा0 स्कूलों का निर्माण कार्य निर्माण की लागत बढ़ जाने के कारण आरंभ नहीं किया गया है।

वर्णित 8 प्राइमरी स्कूलों में से 7 प्राइमरी स्कूलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और एक प्राइमरी स्कूल का निर्माण कार्य भूमि विवाद के कारण रुका है। उपरोक्त 7 प्राइमरी स्कूलों से वर्ष 1980–81 में 4, 1981–82 में 1 और 1982–83 में 2 प्राइमरी स्कूल भवन पूर्ण हो चुके हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0 यू0 बी0—9 वि0 सभा—14–6–84—813—(पी0 डी0)